

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय आर्थिक प्रश्नासन

भारतीय आर्थिक प्रशासन

[INDIAN ECONOMIC ADMINISTRATION]

लेखक

डा हरिश्चन्द्र शर्मा
कालिज बांक कामसं, जयपुर

१९७३



साहित्य भवन, आगरा-३

भूल्य . आठ रुपया

भूमिका

राजस्यान् विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने डिप्री स्तर पर आंशिक प्रशासन सरोबे नबोन किन्तु अत्यन्त महत्व-पूर्ण विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है जिसमें पाठ्यक्रमानुसार हो विभिन्न समस्याओं का विवेचन करने को चेष्टा भी गई है। पुस्तक की भाषा सरल एवं दृढ़ी रोचक एवं प्रभावशाली रूपने का प्रयत्न किया गया है। सभी प्रकार के तथ्य एवं आँखें नबोनतम दिये गये हैं और जटिल समस्याओं को सरल हप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। बाधा है पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

लेखक

विषय-सूची

अध्याय

१ आर्थिक प्रशासन के मूल तत्त्व	पृष्ठ
२ भारतीय संविधान के आर्थिक पक्ष	१
३ केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध	१५
४ भारत में वित्तीय प्रशासन	२८
५ आर्थिक नियोजन—आवश्यकता एवं महत्व	४६
६ भारत में आर्थिक नियोजन में विकास	४६
७. भारतीय योजना आयोग	६७
८ भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया	६०
९ राज्य का आर्थिक व्यवस्था में योगदान	१११
१० राज्य और कृषि	१२६
११. राज्य और उद्योग	१३६
१२ लोक क्षेत्र में उद्योग	१५६
१३ लोक क्षेत्र में वैकल्पिक	१७३
१४ लोक क्षेत्र का आर्थिक विकास में योग	१८७
	२०६

सभ्यता के विवास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में बृद्धि हुई है और आवश्यकताओं में बृद्धि के माय उसकी समस्याओं में बृद्धि हुई है। प्राचीन काल के मनुष्य की बहुत कम आवश्यकताएँ थीं जिन्हें पूरा करने के लिए न तो बड़े-बड़े कारखानों की आवश्यकता थी, न माल बेचने के लिए बड़ी-बड़ी दुकानों की। यदि विसी व्यक्ति वो १०-२० मील जाना होता तो वह पैदल ही चला जाता था या जंट, बैलगाड़ी अथवा घोड़े की सवारी का प्रयोग कर लेता था। खाने के लिए बनाऊ गांव में उत्पन्न होता था और पहनने के लिए गांव का जुलाहा बस्त्र बना नेता था। छोटे-छोटे शामों या वक्तियों में सोग मिन-जुन तर रहते थे। यदि बोई भगड़ा होता तो ग्राम पञ्चायत या राजा से फौला करवा दिया जाता, जिसमें बोई देर नहीं लगती थी। इस प्रकार आर्थिक या राजनीतिक समस्याएँ बहुत साधारण थीं जिनका समाधान या निष्टारा करने के लिए कोई खास प्रशासन या प्रबन्ध व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी।

उपों-ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गयी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये-नये कारखाने स्थापित किये गये, सड़कों और रेलों का निर्माण किया गया और बढ़ते हुए व्यापार के लिए मण्डियाँ स्थापित की गयीं तथा मुगवान के लिए देंडों की स्थापना की गयीं। इन प्रकार सरकारी और निजी सम्पत्ति का तेज़ी से निर्माण हुआ। इस सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस, न्यायालय आदि बनेह विभागों की स्थापना की गयी। इन प्रकार प्रशासन की आवश्यकता और उसके सेवा में निरन्तर बृद्धि हुई है।

प्रशासन का अर्थ

बद प्रश्न यह उठता है कि प्रशासन का क्या अर्थ है?

प्रशासन शब्द का प्रायः चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है :

(१) शासन सत्ता या शासन काल—यदि यह कहा जाय कि नेहरू प्रशासन ने भारत के आदिक नियोगन आरम्भ किया अद्वा सुसाइड्या प्रशासन द्वारा राजस्वान में गिरावे के विकास पर विशेष ध्वनि दिया गया तो यहीं प्रशासन का अर्थ अनुकूल स्वस्तियों के शासन काल या शासन सत्ता से है। कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि अनुकूल प्रशासन (Pielicalpal) अद्वा कुनूरिति के प्रशासन में अनुकूल विद्युतव अद्वा विश्वविद्यालय की बहुत उप्रिति हुई।

(२) अध्ययन केन्द्र या शासा—प्रशासन शब्द का दुनरा अर्थ इसी अध्ययन केन्द्र या शासा या विभाग से निया जाता है। आबक्षन प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में “सोक इशासन” (Public Administration) का अध्ययन एक अत्यन्त शासा के रूप में दिया जाता है। राजस्वान विश्वविद्यालय में “आदिक प्रशासन” का अध्ययन वाचिक्य राजस्व वी एक महत्वपूर्ण शासा के रूप में होता है।

(३) विशेष सेवाएँ—इनके अन्ते प्रशासन शब्द का प्रयोग इसी विशेष सेवा की सेवाओं के बत्ते दिया जाता है जैसे पुलिस (Police Administration), शिक्षा प्रशासन (Educational Administration), वित्तीन प्रशासन (Financial Administration) आदि विभावा तात्पर्य पुनिम, शिक्षा तथा वित्तीर्द सेवाओं से होता है।

(४) प्रबन्ध या अवश्या—इनके अन्ते दिये गये तीनों अप्पों का प्रशेष विशेष शब्दों, विशेष सेवाओं या विशेष समस्याओं के तिए होता है किन्तु प्रशासन का शासान्य अर्थ है “प्रबन्ध” या “अवश्या”。 इसी भी कार्य से जैव की अवश्या या संचालन को ही प्रशासन कहते हैं। दरि इसी विश्वविद्यालय में गिरावे का स्वर ढैंचा हो, वहाँ अध्यापक तथा विद्यार्थी संतुष्ट हो और जारा जाम नियम से हो रहा हो तो वही कहा जाता है कि उस विश्वविद्यालय का प्रशासन अच्छा है। इस प्रकार परिवार से सेवर तारे राष्ट्र तर की अवश्या या कार्य संचालन को ही प्रशासन कहा जाता है।

अतः प्रशासन का युद्ध एवं जहीं अर्थ है कार्य संचालन या अवश्या जो विवार, विचालन, उद्योग तथा देश का पर साकू होता है।

आदिक प्रशासन क्या है?

प्रशासन का अर्थ स्टेट करने के पावार आदिक प्रशासन का अर्थ जानने में बोई उड़िनाई नहीं होती। आदिक प्रशासन का अर्थ है देश की अपेक्षाकृति के विविध अंगों का संचालन। प्रस्तेष देश में अनेक प्रवार के छोटे बड़े उद्योग होते हैं, सेनी की जाती है, मान का आदान-निर्दाति दिया जाता है, आजादीन तथा भरिवहन के साथन (नोटर सारिता, रेत, हवाई जहाज तथा जलनाल) होते हैं, अनेक बस्तुओं का वन-विवर अद्वा लेन-देन होता है, वेरों के जाम्बु के रक्खनों का आदान-प्रशासन होता है। इन सभी विभावों के संचालन अपवा अवश्या यो कादिक प्रशासन कहा जाता है।

आर्थिक प्रशासन की परिभाषा

प्रशासन की परिभाषा अनेक विद्वानों द्वारा दी गयी है इन्हुंने आर्थिक प्रशासन शिक्षा वा एक संवेद्य नया क्षेत्र है जिसकी परिभाषा किसी विद्वान ने देने का प्रयत्न नहीं किया। अब पहले प्रशासन की परिभाषा पर विचार करना उचित होगा और उसी के दृष्टिकोण से आर्थिक प्रशासन की परिभाषा देने में मुख्या होगी।

(१) साइमन स्प्रिंगर तथा थॉमसन के शब्दों में—

एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की क्रियाओं को प्रशासन कहते हैं।¹

(२) ब्हाइट वे मठानुमार—

इसी कार्य अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रक्रिया की क्रियाओं के नियंत्रण, समन्वय तथा नियंत्रण की कार्यों को प्रशासन कहते हैं।²

(३) किसनर वा मत्त है कि—

बाड़ियाँ उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवी तथा भौतिक माध्यमों के संगठन तथा नियंत्रण को प्रशासन कहा जाता है।³

इन तीनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा मिल-जुल कर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं।

इस परिभाषा के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नीतियों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिल-जुल कर व्यवरित रूप में जो क्रियाएँ की जाती हैं वह आर्थिक प्रशासन कहलाती है। अथवा आर्थिक प्रशासन एक मानव-समूह द्वारा की गयी क्रियाओं को वह शृंखला है जो निश्चिन्त आर्थिक नीतियाँ या उद्देश्यों को पूरा करने के बास्ते की जाती हैं।

आर्थिक प्रशासन का क्षेत्र

[SCOPE OF ECONOMIC ADMINISTRATION]

आर्थिक प्रशासन एक नयी विषयता परम्परा है। इसके विषयता वा क्षेत्र और सीमाएँ आर्थिक समस्याओं और नीतियों से निर्धारित होती हैं। अतः आर्थिक प्रशासन क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है :

1 "In its broadest sense administration can be defined as the activities of groups co-operating to accomplish common goals."—Simon, Smith and Thompson, *Public Administration*.

2 "The art of administration is the direction, co-ordination and control of many persons to achieve some purpose or objective"—White L. D., *Introduction to the Study of Public Administration*.

3 "The organisation and direction of human and material resources to achieve desired ends."—Pfeiffer J. M., *Public Administration*.

(१) समस्याओं का समाधान

(२) नीतियों का पालन

इन दोनों के विषय में अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

(१) समस्याओं का समाधान

आधिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आधिक समस्याओं का समाधान करना होता है। इसका क्यर्य यह है कि आधिक क्षेत्र की जितनी समस्याएँ हैं उनकी ठीक प्रकार जानकारी वर उन्हें सुलझाने वा प्रबल बिया जाता है। यह समस्याएँ समय-समय पर जटिल होती रहती हैं और वभी-वभी सरल हो जाती हैं। प्रशासन द्वारा समय तथा परिस्थिति के अनुसार इन समस्याओं से निपटने की चेष्टा की जाती है। इन समस्याओं में मुख्य निम्नलिखित हैं-

(i) उत्पादन—प्रत्येक देश में खेती तथा उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्रशासन वा वाम यह होता है कि वह सारी व्यवस्था इस ढंग से सचालित करे कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक और बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन हो।

इस उद्देश्य की सफलता वे लिए जहाँ भी सम्भव हो खर्च व म करने की चेष्टा की जानी है। ताकि जिन वस्तुओं वा उत्पादन किया जा रहा है वह सस्ती देखी जा सके।

हूमरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन इस बात की व्यवस्था करता है कि अच्छी और आवर्धक वस्तुओं वा उत्पादन किया जाय। इसके लिए बच्चा माल, जल, शरित, रासायनिक पदार्थ, आदि की उचित व्यवस्था की जाती है, प्रशिक्षित इन्ड्रीनियर, प्रबन्ध विदेशीज्ञ अथवा अन्य वर्मेचारी नियुक्त किये जाते हैं, बच्चे और निवित माल की सुरक्षित रखने के लिए अच्छे गोदामों वा प्रबन्ध किया जाता है और माल की विभाग में गिरावट पर उचित रोब लगाने की व्यवस्था की जाती है। यदि प्रशासन व्यवस्था अच्छी है तो उत्पादन की सब त्रियाएँ विलुप्त ठीक ढंग से चलती रहती हैं और माल वा उत्पादन आवश्यकतानुसार होता रहता है।

(ii) उपभोग—आधिक प्रशासन के क्षेत्र में उपभोग की समस्याएँ बहुत जटिल हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध उपभोक्ताओं से होता है जिनकी सत्या बहुत अधिक होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में मिले, अच्छा पोषण भोजन टीक मूल्य पर मिले, बीमारी के समय दवाइयाँ तथा अन्य उपचार सुलभ हो, इसकी व्यवस्था सरकार जो वरनी पड़ती है। जल, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि उपभोग की महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से निलंबी चाहिए। प्रशासन वा कर्तव्य है कि इन सब वस्तुओं तथा मुक्तिपात्रों की व्यवस्था की जाय।

उपभोग के क्षेत्र में क्षेत्र, केंद्र, रितना और इव या कहाँ महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं। उपभोग के बास्ते क्षेत्र उचित और क्षेत्र अनुचित है? उपभोग वस्तुओं की

किसम कंसी होनी चाहिए ? कौन सी बस्तु की आवश्यकता बितनी है तथा उसको कब तथा कौन-कौन से स्थानों पर आवश्यकता होगी ? यह सब समस्याएँ आधिक प्रशासक द्वारा हल की जानी चाहिए । अनेक बार इन समस्याओं के समाधान में स्वास्थ्य, आपूर्ति तथा अन्य विभागों द्वारा भी सहायता लेनी पड़ सकती है ।

(iii) विनियम—आधुनिक युग में जितना माल बनाया जाता है उसकी स्थित एक ही स्थान पर नहीं होती । उस माल को अन्य स्थानों या देशों में बेच कर उसके बदले दूसरा माल प्राप्त किया जाता है । इस बार्य के लिए परिवहन के थ्रेष्ट साधनों की आवश्यकता होती है और अनेक बार अपना माल बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है । माल बेचने तथा खरीदने के साथ ही मुग्धतान को महत्व-पूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है जिसका समाधान करने के लिए विकसित बैंक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है । इस प्रकार विनियम क्षेत्र में प्रशासक को प्राप्त पात्र प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है :

(क) मटियों की तलाश—माल की विक्री लिए मटियों या बाजार की तलाश करनी पड़ती है कि वहाँ-वहाँ कौन सा माल बितना विक सकता है । इस जानकारी के लिए समाचार पत्रों, व्यापारियों तथा बदलती हुई रुचि और फैशन के सम्बन्ध में रहना पड़ता है । अनेक देशों में बाजार या मटी की खोज तथा जन-कारी के लिए अलग विभाग स्थापित किये गये हैं ।

(ख) भाग्यात—अपना माल बेचने के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने देश में जिस चीज़ की कमी है वह कौन से देश में सही और बढ़िया मिन सकती है । इस जानकारी से प्रशासक काष्ठी बचत कर सकता है ।

(ग) विज्ञापन—माल बचने या बाजार तलाश करने में आजकल विज्ञापन का सहारा भी लेना पड़ता है । सरकार अपने दूनावासों के माध्यम से और निजी उद्योगपति समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों के माध्यम से अपने द्वारा उत्पादित माल का प्रचार करते हैं । प्रशासक को यह देखना पड़ता है कि किस स्थान या देश में कौन सा माल बेचने के लिए कौन से साधन द्वारा कैसा विज्ञापन दिया जाय ? बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रायः लाखों रुपया प्रति वर्ष विज्ञापन पर खर्च कर दिया जाता है ।

(घ) परिवहन—जब विसी माल की माँग हो जाती है तो उसे आवश्यक स्थान पर भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है । आधिक प्रशासक को यह देखना होता है कि माल ट्रक, गाड़ी या जलयान द्वारा भेजा जायगा अथवा अन्य विसी साधन का सहारा लेना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के बास्ते अनेक परिवहन कम्पनियों से बात-चीत करनी पड़ेगी ताकि कम से कम खर्चीला और जल्दी से जल्दी भाल पहुँचाने वाला साधन बनाया जा सके ।

(ङ) भुगतान—विनियम क्षेत्र की यससे महत्वपूर्ण तथा जटिल समस्या भुगतान की समस्या है । यदि देश को बैंकिंग व्यवस्था विकसित है और वह थ्रेष्ट

सेवाएँ प्रदान कर रही है तो कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा प्रशासक को यह देखना पड़ेगा कि भुगतान किस प्रकार किया जायगा ?

इन सभी कार्यों में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योग हो सकता है । सड़कें, रेलें या जल परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग वा विवास तथा आयात-निर्यात की उदार नीति प्रशासन की समस्याओं को सख्त बना देती है और परिवहन व्यवस्था घटिया होने या बढ़िया विवास कम होने से विनियम दी समस्याएँ ठिनाइयाँ उत्पन्न करती रहती हैं ।

(iv) वितरण—आर्थिक प्रशासन क्षेत्र में वितरण की समस्याओं का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है । वर्तमान युग में समाजवाद की सब जगह चर्चा है । समाजवाद में आर्थिक साधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना आवश्यक है । अत भूमि का वितरण ठीक होना चाहिए, व्याज की दरें उचित रहनी चाहिए, मजदूरी तथा अन्य वर्मचारियों का बेतन या मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिए तथा पूँजीपतियों को मिलने वाला लाभ बहुत अधिक नहीं होना चाहिए । इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उचित नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए और प्रशासन द्वारा इन नीतियों का ठीक ढंग से पालन किया जाना चाहिए ।

(v) राजस्व—आर्थिक प्रशासन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग राजस्व है । सरकार इन साधनों से आय प्राप्त करती है और उस आय को विस प्रकार सचें करती है । सरकार को अपनी आमदनी और खर्च के सम्बन्ध में बजट बनाना पड़ता है और अलग अलग मदों पर कर की दरें निर्धारित करनी पड़ती हैं । इन दरों से प्राप्त आमदनी का महत्व के अनुसार अलग-अलग मदों में विभाजन करना पड़ता है । बजट के पास हो जाने पर, प्रशासन द्वारा अपने आय और व्यय को निर्धारित सीमाओं में रखना पड़ता है । अनेक बार सरकारी खज को सीमित रखने में कठिनाई आती है ।

राजस्व में प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं

(i) निर्धारित दरों पर करों की ठीक समय पर बसूली ।

(ii) प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों सम्बन्धी खर्च को निर्धारित रकम तक सीमित रखना ।

(iii) अलग-अलग मदों में निर्धारित रकम ही खर्च करना ।

(iv) आवश्यक मात्रा में, सरकारी खाते में अचूण लेने की व्यवस्था करना ।

(v) सरकारी अचूण तथा व्याज का ठीक समय पर भुगतान करने की व्यवस्था करना ।

इन सब कार्यों को ठीक ढंग से पूरा करने का दायित्व आर्थिक प्रशासन का होता है ।

(vi) मूल्य स्तर—आर्थिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में मूल्यों को ठीक स्तर पर बनाये रखना भी सम्मिलित है । यदि वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि आती जाती

है तो देश की सारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ने वा डर रहता है क्योंकि यभी क्षेत्रों में लागत और खर्चें बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार यदि मूल्य स्तर में निगमट आने लगती है तो भी सारी अर्थ-व्यवस्था में गडबडी उत्पन्न होने वा भय रहता है क्योंकि यदी के कारण उत्पादन करने वालों तथा व्यापारियों का विश्वास डगमगाने लगता है और एक मूक अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। अत यूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व होता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें उत्पादन, उपभोग, विनियम, वितरण तथा राजस्व की सब समस्याएँ ही नहीं बल्कि मूल्यों को बनाये रखने का गहन दायित्व भी सम्मिलित होता है।

(२) नीतियों का पालन

आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरों महत्वपूर्ण बात आती है नीतियों का पालन। उत्पादन, उपभोग, विनियम, वितरण तथा राजस्व सम्बन्धी यमस्याओं का समाधान अनेक प्रकार से हो सकता है। यदि सरकार स्वनन्द आर्थिक नीति अपनानी है तो अर्थतन्त्र के इसी भी क्षेत्र के विकास पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाये जाते। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के उद्योग की स्थापना कर सकता है और उसके द्वारा यह जितना उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार उपभोग, विनियम तथा वितरण पर भी कोई बन्धन या नियन्त्रण नहीं लगाया जाता। इस प्रकार की पूँजी वादी व्यवस्था में सब क्षेत्रों में स्पर्द्धा होती है और आर्थिक प्रशासन अपनी व्यापक साधिक इकाई को इस स्पर्द्धा में जीवित रखने का प्रयत्न करता है। इस व्यवस्था में आर्थिक प्रशासन का नीतिक या सामाजिक दायित्व बहुत कम होता है।

यदि सरकार की आर्थिक नीति समाजवादी हो तो आर्थिक प्रशासन की अपना काम इस ढंग से करना पड़ता है कि व्यवसाय को हानि भी न हो और सरकारी नीति का पालन भी हो जाय। इस नीति में प्राय मूल्यों को कुछ कम रखना पड़ता है, मजदूरी की दरें उचित स्तर पर रखनी पड़ती हैं और अपने लाभ के साथ-साथ समाज के हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। अत समाजवादी नीति में प्राय आर्थिक प्रशासन का दायित्व बहुत बड़ जाता है।

सरकार की समाजवादी नीति का एक पक्ष यह है कि सरकार कभी-कभी मारे उद्योग तथा व्यवसायों को अपन अधिकार में ले लेती है। इस स्थिति में सम्पूर्ण आर्थिक प्रशासन का भार सरकारी कर्मचारियों पर आ जाता है। सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी नीति के पालन का पूरा भार आ जाता है और उसकी सफलता या असफलता का पूरा उत्तरदायित्व उन पर ही आ जाता है।

इस प्रकार आर्थिक प्रशासन सरकार की आर्थिक नीतियों के अनुसार अपने आप को ढालने वा प्रयत्न करता है और सरकारी नीतियों की सीमा में ही काम करता है।

आर्थिक प्रशासन का स्वभाव (Nature of Economic Administration)

आर्थिक प्रशासन दिग्नान भी है और उसा भी ।

यह दिग्नान इसनिए है कि इसका अध्ययन बैश्वनिक ढङ्ग से दिया जाता है । आर्थिक समस्याएँ एक दूसरी से जुड़ी होती हैं । उनका समाधान भी असम-असम न बर एक माप ही करने की आवश्यकता होती है । उदाहरण हम में शही रियों देश में अनाव भी उन्होंने ही तो इन समस्या का समाधान बरने के लिए इंद्राजन द्वारा एक माप ही निम्नलिखित दिग्नाओं में कार्य दिये जायें :

- (i) बन वा दलादल बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न ;
- (ii) बन वो बही दूर बरने के लिए विदेशों से आपात ;
- (iii) बन की खनन कम करने के लिए बन्द बस्तुओं के उत्पाय वो प्रोन्काहन ;

- (iv) बन सूखा के नियन्त्रण के लिए प्रयत्न ;
- (v) अनाव के मूल्यों को स्थिर रखने सम्बन्धी बांदाही, बादि ।

यह सभी कार्य एक नियन्त्रित कम या नियन्त्रित योजना के बनुआर दिये जाते हैं । जिसी दिग्नान में प्रयोग कार्य नियन्त्रित योजना के बनुआर होना आवश्यक होता है बनु आर्थिक प्रशासन एक विद्वान है ।

प्रशासन एक इस है इसोंकि दिनी कार्य वो अच्छे ढङ्ग से करने की रीति को ही बना बतते हैं । प्रशासन को टीक ढङ्ग से चलाने में पर्याप्त योग्यता, बुद्धि और समझ की आवश्यकता होती है । बुद्धि व्यक्ति बठिन से बठिन समस्याओं को सुनना ले रहे हैं, उनके पास समस्याओं को सुनना जी बता होती है । ऐसे व्यक्ति हो प्रशासक (या अधिक प्रशासक) बहनाते हैं ।

प्रशासन एक बना है बनु आर्थिक प्रशासन भी इसा है । आर्थिक नोटियों का सचालन करने में विदेश कृशलता की आवश्यकता होती है । दूर्घे हुए मूल्यों को नियन्त्रित करना, देश के निर्यातों को बढ़ाना, आदावों में कमी करना, बाजार में आवश्यक मात्रा में ही मुद्रा चलन में दालना बदला योजना के साथों वो बढ़ाना दूष कार्य है जिनमें कृशलता प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में योग्यता, कृशलता का कला वो आवश्यकता होती है । ऐसे बनेह दूसरे उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । बनु आर्थिक प्रशासन एक बना भी है ।

आर्थिक प्रशासन का नार दिस पर ? (उत्कार या निर्बोक्तव्य)

बद प्रस्तु यह उठता है कि आर्थिक प्रशासन का उत्तराधित्व कौन उठाता है ? या इसका दूरा दायित्व सरकार पर है ? या इसकी विगमेदारी निर्बोक्तव्य के पूर्वोपनिदों को उठानी पड़ती है ?

इस प्रस्तु का कोई एक या नियन्त्रित उत्तर नहीं दिया जा सकता योंकि समाजवादी व्यवस्था में— जहाँ उनी ढोग तथा व्यवसाय सरकार के अधिकार में है—आर्थिक प्रशासन का पूरा नार सरकार पर ही होता है क्योंकि वहाँ उत्पादन

उपभोग, विनियम तथा वितरण सम्बन्धी सभी कार्य सरकार स्थय करती है। इस व्यवस्था में, सरकार नीति निर्धारण भी करती है और उस नीति का पालन भी। अत आर्थिक प्रशासन की सफलता या असफलता का दायित्व सरकार पर ही रहता है।

पूँजीवादी व्यवस्था में सरकार प्राय लोक हित की इकाइयों (जनपूर्ति, विजली, डाक तार आदि) को स्थय चलाती है और उनके प्रशासन का भार सरकार पर ही होता है। इन इकाइयों वा उद्देश्य जनता की सेवा करना अधिक और लाभ वयाना वम होता है। अनेक बार इन इकाइयों का प्रशासन बहुत दीला और अकुशल होता है जिसके कारण इन इकाइयों को प्राय निरन्तर हानि उठानी पड़ती है।

लोक हित सम्बन्धी कुछ इकाइयों को छोड़कर, पूँजीवादी व्यवस्था में दोष सारी औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयाँ निजी पूँजीपतियों के हाथ में रहती हैं। इन इकाइयों को लाभ कमाने के दृष्टिकोण से चलाया जाता है अत इनकी प्रशासन व्यवस्था प्राय बहुत कुशल और सुपोष्य हाथों में होती है।

मिथित अर्थ-व्यवस्था में प्राय सरकार और निजी उद्योगपति दोनों को उद्योग तथा व्यवसाय चलाने को अनुमति होती है। कुछ क्षेत्रों में सरकार तथा निजी व्यवसाय में स्पर्द्धा होती है। इस स्पर्द्धा के कारण दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक स्पर्द्धा रहती है क्योंकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अधिक अच्छा काम करने की चेष्टा करते हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक केरबदल भी होती रहती है क्योंकि सरकारी क्षेत्र से प्रशासक निजी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र से प्रशासक सरकारी क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। इस प्रकार मिथित अर्थ-व्यवस्था में प्रशासन भार सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों पर रहता है। यदि दोनों क्षेत्रों में अदल-बदल बनी रह तो कुशलता के स्तर में उन्नति होती रहती है किन्तु अनेक बार ऐसा करने में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे दोनों प्रकार के प्रशासनों में नये खून का सचार नहीं हो पाता।

आर्थिक प्रशासन की कार्यप्रणाली ।

TECHNIQUE OF ECONOMIC ADMINISTRATION]

आर्थिक प्रशासन को प्राप्त: अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सदा एक ही प्रकार की तकनीक या कार्यप्रणाली नहीं अपनायी जा सकती क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएँ नहीं जिन्हें अपनायी हैं। एक इस्तमात्र बनाने का कारतात्रा स्थापित करने और एक दूसरे स्थापित करने में बहुत अन्तर है। इन दोनों प्रकार के व्यवसायों की आवश्यकताएँ तथा समस्याएँ भिन्न हैं अत उनके समाधान के लिए अलग तकनीक वाम में लेने होंगे। किन्तु कुछ आधारभूत बातें ऐसी हैं जो सब प्रकार के व्यवसायों में समान रूप से सागू होती हैं। इन आधारभूत बातों के बारे में यहाँ चर्चाना आवश्यक होगा।

(१) नियोजन (Planning)—सबसे पहले प्रशासन को जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसके लिए एवं रूपरेखा तैयार करनी होगी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बया बया कार्य किये जा सकते हैं, उनमें से कौन-जौन से कार्य वर्तमान परिस्थितियों में उचित हैं या प्रशासन की सामाजिक या समता से बाहर नहीं है। इसके साथ ही यह निश्चय करना होगा कि उन कार्यों के लिए कौन सी रीति अपनायी जायगी। मान लीजिए सरकार जो अपनी आय में बढ़ि बरनी है तो पहले तो यह निश्चित किया जायगा कि आय बढ़ि के लिए कितनी रकम करो से बसूल की जायगी तथा कितनी रकम अहो से प्राप्त की जायगी। इसके पश्चात् यह निश्चित करना होगा, कि करो से बसूल की जाने वाली रकम के लिए कितने प्रत्यक्ष कर लगाये जायेंगे। इसके बाद यह निश्चित करना होगा कि प्रत्यक्ष कर कौन से मदों पर बढ़ाये जायेंगे तथा अप्रत्यक्ष कर कौन से मदों पर बढ़ाये जायेंगे या किन-किन नये मदों पर कर लगाने की व्यवस्था होगी? इस काम को ही नियोजन कहा जाता है।

(२) सगठन (Organisation)—जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित रूपरेखा तैयार हो जाती है तो उसके लिए साधनों को समर्थित करने का काम आरम्भ किया जाता है। भूमि या मकान (या केवल स्थान), पूँजी, वस्त्र माल तथा विशेषज्ञों का प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार काम को पूरा करने के लिए उचित सगठन की स्थापना की जाती है।

(३) कर्मचारियों की व्यवस्था (Staffing)—नियोजन तथा सगठन के पश्चात् सारी योजना को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के कर्मचारियों (श्रमिकों से लेकर उच्च अधिकारियों तक) की नियुक्ति जो जाती है तथा उनके लिए पानी, दिनली तथा काम करने सम्बन्धी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। जो कर्मचारी प्रतियुक्त नहीं है उनके उचित प्रशिक्षण वा भी प्रबन्ध किया जाता है।

(४) नियन्त्रण (Direction)—आर्थिक प्रशासन का चौथा काम है उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों को अपने-अपने कार्य तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं पर्याप्त आदेश देना। यह आदेश या नियन्त्रण समय-समय पर सूचना, आदेश या मार्गदर्शन के रूप में सम्बन्धित व्यक्तियों या विभागों के पास भेजे जाने चाहिए तथा सबको यथासमय मिल जायें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(५) सम्बन्ध (Co-ordination)—किसी भी योजना की सफलता के लिए उसके सब अंगों या विभागों में उचित तालमेल या सम्बन्ध अलग-अलग विभागों की समय-समय पर भीटिंग बुलाकर सब व्यक्तियों में आपसी विचार-विमर्श ढारा किया जा सकता है। सम्बन्ध वे बिना व्यवसाय के प्रबन्ध का सतुलन बिगड़ने वा भय रहता है।

(६) रिपोर्ट देना (Reporting)—जो काम चल रहा है उसकी प्रगति की निश्चित जानकारी बहुत आवश्यक है। अतः उम्मी प्रगति की सामाजिक, भासिक या वार्षिक रूप से तैयार की जाती है और सगठन के अध्यक्ष वो भेजी जाती है।

संगठन का अध्यक्ष अपनो जानकारी के लिए समय-समय पर बाम की प्रगति की सूचना माँगता रहता है और योजना की सही स्थिति के सम्पर्क में रहता है। इससे योजना की प्रगति ठीक दिशा में रखने में सहायता मिलती है।

बहुत बड़ी व्यावसायिक इकाइया में बाम (या योजना) की प्रगति की जानकारी देने के लिए अलग आधिक एवं सांख्यिकी विभाग (Economic and Statistics Department) स्थापित किये जाते हैं।

(७) बजट बनाना (Budgeting)—इन सब व्यायों के अतिरिक्त योजना पर होने वाले खर्च का हिसाब रखना, नकद प्राप्ति, भुगतान तथा विक्री का हिसाब रखना तथा व्यवसाय के सारे लेन-देन वा लेखा-जोखा रखना बहुत आवश्यक होता है।

प्रत्येक प्रशासक वर्ष के आरम्भ में ही आद-व्यय, विक्री, खरीद तथा नकदी की प्राप्ति और भुगतान का एक लेसा तंयार करता है जिसे बजट कहते हैं। बजट कभी-कभी वैमातिक या मातिक भी तंयार लिया जाता है किन्तु वह व्यायिक बजट वा एक भाग ही होता है। अनेक बार अलग-अलग विभागों के अलग अलग बजट बनाये जाते हैं। बजट तंयार करने से प्रशासन के सामने अपने व्यवसाय की पूरी तस्वीर रहती है और सब विभागों द्वारा अपने-अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहता है। इससे प्रत्येक योजना वो पूरा करने में सुविधा रहती है।

थ्रेट आधिक प्रशासन—आवश्यक तत्व

[GOOD ECONOMIC ADMINISTRATION ESSENTIAL ELEMENTS]

एक अच्छे आधिक प्रशासन में निम्नतितिन बातें होनी आवश्यक हैं

(१) शोषण निर्णय (Quick Decision)—आधिक समस्याएँ प्राय ऐसी होती हैं जिनके उचित समाधान के लिए निर्णय लेने में देर नहीं होनी चाहिए। अत प्रशासन वा सारा संगठन ऐसा होना चाहिए कि समस्या के उत्पन्न होते ही उसके समाधान के बारे में निर्णय लिया जा सके। बड़ी बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में आधिक तथा सांख्यिकी विभाग प्राय सारी घटनाओं के सम्पर्क में रहते हैं और उच्चतम अधिकारी को सब बातों की जानकारी देते रहते हैं। अनेक बार, कोई समस्या उत्पन्न होते ही उसका उपचार कर लिया जाता है। “सयाना व्यक्ति वही है जो रोग के चिह्न प्रवर्द्ध होते ही उसका उपचार कर से”।

(२) कुशल संगठन (Efficient Organization)—थ्रेट आधिक प्रशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका संगठन कुशल हो। कुशल संगठन का अर्थ यह है कि जो निर्णय लिए जायें उनका पालन करने में देर या डिलाई नहीं होनी चाहिए। अनेक बार अच्छी से अच्छी योजनाएँ पालन की शिथिलता के कारण असफल हो जाती हैं। अत प्रशासन के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सब विभागों की

कुशलता के सम्पर्क में रहना चाहिए और जहाँ भी शिखिलता हो उसे तत्काल ठीक करना चाहिए।

(३) उचित वातावरण (*Proper Atmosphere*)—एक कहावत के अनुसार “थेढ़तम प्रशासक वह है जो कम से कम प्रशासन करे”। इसका अर्थ यह है कि प्रशासनिक इकाई में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि व्यवसाय के किसी काम में रुकावट या छिलाई आने ही नहीं पाये। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—

(i) अपनत्व—सभी काम करने वाले व्यक्तियों के हृदय में सत्या के ग्रन्थ ममत्व या सुग्राव होना चाहिए। उनके मन में ऐसी भावाएँ होनी चाहिए कि यदि व्यवसाय को हानि हुई तो उनकी प्रतिष्ठा को घबड़ा लगेगा।

(ii) सबका सहयोग—व्यावसायिक इकाई के प्रति सभी कर्मचारियों का ममत्व तभी हो सकता है जबकि प्रत्येक निर्णय में उनका योगदान हो। अत प्रशासन को इस प्रकार की परम्परा स्थापित करनी चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुझाव या सलाह लो जा सके।

यह कार्य सब दर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देवर किया जा सकता है।

(iii) पर्याप्त प्रोत्साहन—प्रत्येक कर्मचारी की श्रद्धा या ममता जीतने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी सुख सुविधाओं, वेतन मान तथा पदोन्नति का उचित ध्यान रखा जाय। सत्या में एवं ऐसी व्यवस्था वी स्थापना की जानी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम पद पर पहुँचने का अवसर मिल सके। इससे प्रत्येक व्यक्ति का अपनी व्यावसायिक इकाई के प्रति आदर तथा ममत्व बना रहता है और वह अँद्रा काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है।

वास्तव में, जिस व्यावसायिक इकाई में मानवी तत्त्व को उचित आदर तथा प्रत्येक तत्त्व को उचित प्रोत्साहन मिलता है। उस इकाई की सभी योजनाएँ सफल होती हैं। प्रशासन के प्रति ममत्व तथा स्नेह उत्पन्न किये बिना किसी भी कार्य में सफलता सम्भव नहीं है। अत प्रत्येक व्यक्ति को यह आभास होना चाहिए कि उसके सम्बन्ध में उसका उचित महत्व है और वह जहाँ काम कर रहा है वह उसकी अपनी संस्था है।

(४) व्यापक सम्पर्क (Adequate Touch)—आर्थिक प्रशासन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसमें विभिन्न विभागों का आपसी सम्पर्क कैसा है। सब विभागों में तालमेल है और सब काम आपस में विचार विमर्श के पश्चात् किये जाते हैं तो कभी भी किसी स्तर पर दोई बाधा या अडचन उत्पन्न नहीं होंगी और सब काम ठीक प्रकार चलता रहेगा। विन्तु सम्पर्क के अभाव में कहीं न कहीं गहवड उत्पन्न होने का भय रहता है।

व्यावसायिक इकाई के अन्दर के सब विभागों में आपसी सम्पर्क के अतिरिक्त बाहर की व्यावसायिक इकाइयों से भी सम्पर्क रहना आवश्यक है। यदि प्रशासन को यह जानकारी नहीं है कि उसके प्रतिस्पर्द्धी कौन-कौन हैं, उनके माल को कितनी स्वपत है और वह अपने व्यवसाय का इस सीमा तक विस्तार कर रहे हैं तो वह अन्य इकाइयों से पिछड़ जायेगा और उसकी व्यावसायिक इकाई प्रतिस्पर्द्धा में पिट जायेगी। अत अपनी प्रशासक को आन्तरिक तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों में सभी घटनाओं और परिवर्तनियों के सम्पर्क में रहना चाहिए।

(५) राष्ट्रीय नीति (National Policy)—आधुनिक प्रशासन व्यक्तिवादी नहीं सम्प्रिवादी होना चाहिए। यदि कोई व्यवसायी या सम्पादक वेदन व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से काम करती है तो वह अधिक दिन तक नहीं चल सकेगी क्योंकि अन्य इकाइयाँ उससे आगे निश्चिन्त जायेगी। जो इकाई राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखकर काम करती है उसे सरकार तथा जनता वा भवित्व, सहयोग तथा सरकार यित्तेगा और वेदन व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से काम करने वाले व्यवसायी के मार्ग में अनेक प्रकार वी व्यावहारिक अडचनें आयेगी और उसे अपनी नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन करना 'पड़ेगा अन्यथा वह बद हो जायगी।

आर्थिक प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय नीति को आधार मानना इसलिए भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय नीति सारे देश के हित में बनायी जाती है और उसमें जो प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं वह सबके हित में होती है। इसलिए आर्थिक प्रशासन वो देन वो आर्थिक नीति के बनुसार ही अपने विचार तथा कार्यक्रमों को ढालना चाहिए।

(६) नीति निर्धारण में सहायता (Assistance in Policy Formulation)—आर्थिक प्रशासक को प्रत्येक नीति के पालन वा अनुभव होता है। अत वह मालिकों या सरकार वो अपने अनुभव के आधार पर तभी सलाह दे सकता है जिसके आधार पर भविष्य वौ नीतियाँ अधिक अंगठ और सही हो सकती हैं। बच्चों प्रशासक शासकों की "आंख और कान का काम देता है"। यह तभी सम्भव है अबकि वह सरकार से भी निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे। वास्तव में सभी, अच्छे प्रशासक सरकार से उचित सम्पर्क बनाये रखने में विश्वास करते हैं क्योंकि यह उनके अपने हित में भी है। अनेक बार वह अपनी बात सरकार से मनवा लेते हैं कि उन्हें भी साम होता है और सरकार को भी सही नीति निर्धारित करने में मदद मिलती है।

(७) प्रशिक्षण (Training)—सर्वमान युग में उत्पादन तथा प्रबन्ध की कार्य-प्रणाली और तकनीकों में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और अच्छे प्रशासक तथा प्रबन्धक को नवीनतम तकनीकों की जानकारी रहनी चाहिए ताकि वह अपने प्रशासन के अधीन इकाई वो कुशलतम बनाये रख सके। अत प्रशासन का दायित्व उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर अपनी जानकारी को नया करने का

बदला दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित प्रशिक्षण को व्यवस्था दी जानी चाहिए।

बहुमान युग में प्राय सभी देशों में व्यवसायी प्रबन्धकों के लिए ५, ६, ८ या १० सप्ताह के अनिवार्य पाठ्यक्रम (refresher courses) आयोजित होते जाते हैं जिनमें प्रशासन व्यवस्था की नयी प्रणालियों तथा तकनीकों की जानकारी दी जाती है। भारत में भी बहुमानवाद, इलेक्ट्रो, वम्बर्ड, दिल्ली और हैदराबाद के प्रबन्ध-संस्थान समय-समय पर इस प्रकार वे पाठ्यक्रम आयोजित करते रहते हैं।

अन्यास प्रदन

१. आर्थिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है ? आर्थिक प्रशासन की परिभाषा दीजिये और उसका क्षेत्र बतलाइये।
२. आर्थिक प्रशासन विन समस्याओं से सम्बन्ध रखता है ? उन पर संक्षेप में प्रवाह दालिए।
(संक्षेत्र—आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में जो बारें लिखी गयी हैं वही समस्याएँ हैं जिनसे आर्थिक प्रशासन का सम्बन्ध है)
३. आर्थिक प्रशासन की कार्यप्रभालों पर एक विवेचनात्मक नोट लिखिए।
४. आर्थिक प्रशासन की सफलता के लिए इन सौ बारें आवश्यक हैं।
या
थोष आर्थिक प्रशासन के मूल तत्त्वों का विवेचन दीजिए।
या
एक अच्छे आर्थिक प्रशासन की विभेदताओं की व्याख्या दीजिए।
(संक्षेत्र—तीनों प्रश्नों के उत्तर में “थोष आर्थिक प्रशासन —आवश्यक तत्त्व” का अनुग्राम दो गयी बारें लिखनी चाहिए।)

भारतीय संविधान के आर्थिक पक्ष

(ECONOMIC ASPECTS OF INDIAN CONSTITUTION)

१५ अगस्त, १९४७ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो यह विचार किया गया कि देश की दास्तन व्यवस्था को ठीक ढंग से बदलाने के लिए एक संविधान की रचना बीमा जानी चाहिए। इस दूष्ट से डॉ० भीमराव अम्बेडकर तथा दूनेगल नरसिंह राव समीने बानूत विदेशीजो की एक समिति बनायी गयी जिसने सकार के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए एक संविधान तैयार किया। इस संविधान पर भारत बीमा संविधान निर्माची मभा द्वारा विस्तृत विचार किया गया और भारत के लिए एक संविधान तैयार हो गया। २६ जनवरी, १९५० से यह संविधान भारत में लागू किया गया।

आपारमूत तत्त्व

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन चार बातों का उल्लेख किया गया है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतन्त्र देशों के नागरिक के समान गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। यह चार बातें निम्नलिखित हैं¹

(१) न्याय—भारत के प्रत्येक नागरिक वो सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक न्याय देने की गारंटी की गयी है।

(२) स्वतन्त्रता—भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक वो विचार, अभिघाटित, विश्वास, निष्ठा तथा पूजा की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।

(३) समानता—प्रत्येक नागरिक वो समान दर्जा तथा अवसर प्रदान करने की धोषणा की गयी है। इन भावनाओं को सब नागरिकों में बढ़ावा देने का सकल्प किया गया है।

¹ Justice, social economic and political,
Liberty of thought, expression belief, faith and worship,
Equality of status and of opportunity,
and to promote them all

¹ Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation

(४) भाई चारा—समाज के प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा तथा राष्ट्र की एकता का व्रत लिया गया है।

आर्थिक महत्व

भारतीय संविधान दो प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा सम्मान देने वा जो सबल्य लिया गया है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि—

(१) आर्थिक न्याय के द्विना सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय सम्भव नहीं है। जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है उन्हें प्राय सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि न्यायालयों में जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। गरीब व्यक्ति प्राय अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास न तो अदालत की फीस देने के लिए पैसा होता है, न वह अपना बेस लड़ने के लिए अच्छा बड़ील कर सकते हैं।

इसके विपरीत धनिक व्यक्ति पैसे के बल पर घटिया से घटिया बड़ील कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय तक जाकर अपनी बान मनवाने में सफल हो जाते हैं, अत आर्थिक न्याय के द्विना कोई भी नागरिक न तो सम्मानपूर्वक जीवित रह सकता है न अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकता है।

आर्थिक न्याय में निम्ननिखित बातें सम्मिलित होती हैं

(क) रोजगार—प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुसार रोजगार मिलना चाहिए। उसे रोजगार की खोज में दर दर भटकने की आवश्यता नहीं होनी चाहिए।

(ख) वेतन—प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए और विसी भी व्यक्ति के काम को घटिया नहीं समझना चाहिए।

प्रत्येक नागरिक की वेतन या आय कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे वह सम्मान से जीवन विता सके।

(ग) विषमता—समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का बन्त होना चाहिए। गरीबी और अमीरी के अन्तर में वर्मी लानी चाहिए तभी आर्थिक न्याय ही सकता है और समाजवाद की स्थापना हो सकती है।

(२) संविधान में प्रस्तावित स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि नागरिक आर्थिक रूप में स्वतन्त्र नहीं हो। चुनाव के समय प्राय देखा जाता है कि गरीब लोगों वो कुछ रकम का लालच देकर मत खरीद लिए जाते हैं। यह प्रजातन्त्र का मखौल मात्र है क्योंकि जनता आर्थिक कठिनाइयों के कारण पैसे के बदले बोट वेच देती है अत वह स्वतन्त्रापूर्वक मतदान नहीं वर्तती। जब तक प्रत्येक व्यक्ति की आय जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं हो, तब तक स्वतन्त्रता एक मधुर कल्पना है, प्रवर्घना है, धोखा है।

(३) जहाँ तक समानता का प्रश्न है, वह भी केवल धोपण से नहीं मिल सकती। समानता लाने के लिए आर्थिक धोपण समाप्त बरता आवश्यक है, आर्थिक

विषमता कम करना आवश्यक है तथा आधिक साधनों का सुकेंद्रण समर्पण करना अनिवार्य है। वास्तव में आधिक असमानता रहते हुए अन्य किसी भी प्रकार की समानता की बात सोचना बुद्धिहीनता की परिचायक है।

(४) संविधान में भाईचारा स्थापित करने तथा राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने का सकल्प भी अत्यन्त श्रेष्ठ है किन्तु भाईचारा तो समान व्यक्तियों में होता है। ऊँच-नीच की भावना समाप्त हुए बिना सही अर्थों में भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता। अतः भाईचारा और राष्ट्रीय एकता भी आधिक समानता लाये बिना सम्भव नहीं है।

भारतीय संविधान, मे नागरिकों के लिए जिन श्रेष्ठ सिद्धान्तों को अपनाने का सकल्प लिया गया है वह सब सिद्धान्त आधिक न्याय, आधिक समानता तथा आधिक स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन है क्योंकि मनुष्य की खाले-यीने, पहनने तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पश्चात् ही वह सही दिशाओं में सोचने लायक होता है। एक अधभूत, अघनगे व्यक्ति के लिए राजनीति या समाजशास्त्र के ऊँचे ऊँचे सिद्धान्त बेकार हैं।

मौलिक अधिकार

[FUNDAMENTAL RIGHTS]

भारतीय संविधान में, भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के लिए आधिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता की व्यवस्था करना है तथा प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसे न्याय दिलाना तथा उसके सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक हितों को सुरक्षा की गारंटी करना है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। यदि कोई कानून या उसकी कोई घारा विद्यि भी मौलिक अधिकार को अवहेलना करती हो तो वह कानून या वह घारा जनता पर लागू नहीं की जा सकती।

आधिक पक्ष—संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं, वहाँ उन अधिकारों के केवल आधिक पक्ष पर ही विचार किया जायेगा। यह अधिकार निम्नलिखित हैं।

(१) समानता का अधिकार (Right to Equality)

इस अधिकार के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा देने का प्रयत्न किया गया है। इसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि प्रदेश के आधार पर पक्षपात्र नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का आधिक पक्ष यह है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की दृष्टि से इसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार, सरकारी सेवाओं में पूरी तरह निष्पक्षता की गारंटी की गयी है। यह अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को योग्यता के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था करना है। यह मान्यता समाजवादी धारणा के सर्वधा अनुकूल है।

सरकारी क्षेत्र मे रोजगार देने में भेदभाव तो नहीं रखा जायगा किन्तु उसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों वा सरकारी नौकरियों मे विशेष ध्यान रखा जायगा। इसी के अनुसार, सरकारी नौकरियों मे अनुमूलिक जातियों तथा अनुमूलिक जन-जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

इस अधिकार का दुरुपयोग—कुछ व्यक्तियों वा मत है कि अनुमूलिक जातियों तथा अनुमूलिक जन-जातियों के लिए सरकारी सेवाओं मे स्थान सुरक्षित रखना बहुत उचित एवं श्रेष्ठ है किन्तु अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ राज्य मेडीकल कालिजो, इजीनियरी कालिजो तथा अन्य तकनीकी क्षेत्रों तथा सेवाओं मे भी इन जातियों के लिए सीटें सुरक्षित रखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत बहुत प्रबल पाने वाले तथा बहुत बहुत योग्यता वाले व्यक्तियों को मेडीकल, इजीनियरी तथा तकनीकी कालिजो मे दाखला मिल जाता है और उनसे बहुत अधिक योग्यता वाले व्यक्ति रह जाते हैं। इससे मेडीकल, इजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा वे स्तर से गिरावट का भय उत्पन्न हो गया है।

दूसरी ओर, बहुत बहुत योग्यता वाले व्यक्तियों को (अनुमूलिक या जन-जाति के आधार पर) सभी सरकारी सेवाओं मे प्राथमिकता देने से मेडीकल, इजीनियरी तथा अन्य सेवाओं के स्तर पर बहुत गिरावट आयी है। अत सरकार इन पिछड़े हुए वर्गों को सरकारी सेवाओं मे नियोजित करने मे प्राथमिकता अवश्य दे किन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों दो लाभ दिया जा रहा है उनका बहुत से बहुत एक न्यूनतम स्तर तो होना चाहिए और इससे अन्य वर्गों के बहुत योग्य व्यक्तियों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।

इस स्वतन्त्र मे दो सुभाव दिये जा सकते हैं

(i) प्रथम, अनुमूलिक तथा पिछड़ी जाति के सभी योग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त खात्रवृत्ति दी जाय किन्तु नौकरियों मे उनके लिए सीटें सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

(ii) अन्य बातें समान रहने पर, सरकारी सेवाओं मे अनुमूलिक एवं जन-जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन दोनों सिद्धान्तों को मान लेने पर, पिछड़े वर्गों के सभी होनहार वालक उच्च शिक्षा प्रणाली बर सकेंगे और इन वालकों को सरकारी सेवाओं मे भी प्राथमिकता मिलेगी किन्तु अयोग्य तथा बहुत न्यूनता वाले व्यक्ति पृष्ठ द्वार से सरकारी सेवाओं मे प्रवेश नहीं पा सकेंगे।

(२) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

दूसरा मौखिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता का है। भारत के प्रत्येक नागरिक

को विचार, भाषण तथा सम्पत्ति आदि रखने का अधिकार है। अर्थात् अधिकार निम्नलिखित हैं—

(i) सघ या संगठन बनाना—भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठन या सघ बनाने तथा उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत सरकारी वर्मचारी श्रमिक सघों वयस्ता अन्य संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। इस प्रकार भारत के प्रत्येक नागरिक को नया या संगठन बना कर जाने अधिकारों के लिए सुधर्यं करने का अधिकार दिया गया है।

सघ या संगठन बनाने के बारे में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रीय हित में सरकार किसी सघ या संगठन पर प्रतिवन्ध लगा सकती है या उसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इन्तु सरकार को यह मिल बरना पड़ेगा इसके अनुक सघ या संगठन राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है या इनहित की जबहैतना करता है अथवा नेतृत्वदाता के प्रतिकूल है। वास्तव में, इस प्रकार को व्यवस्था बरना बहुत बाबत है क्योंकि राष्ट्रीय विरोधी तत्त्वों के प्रभाव से जनजीवन को मुक्त रखना बाबत ही नहीं अनिवार्य है।

(ii) सम्पत्ति—नागरिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति द्वारा देने, सम्पत्ति देने तथा सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार मनुष्य की स्वानांदिक प्रवृत्ति की रक्षा करता है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ सम्पत्ति (मूमि, मकान या मूल्यदान वस्तु) का स्वामी बनता चाहता है।

सम्पत्ति रखने के अधिकार के साथ ही यह व्यवस्था की गयी है कि यदि जिसी व्यक्ति के द्वारा सम्पत्ति रखने से लोकहित का नुकसान पहुँचता हो तो सरकार इस अधिकार पर नियन्त्रा या रोक लगा सकती है। वास्तव में यदि एक व्यक्ति के अधिकार से अन्य व्यक्तियों के अधिकार वा हनन होता हो तो इस प्रकार के अधिकार को मान्यता देना उचित नहीं है। इस दृष्टि से संविधान में सम्पत्ति सम्बन्धी जो अधिकार दिया गया है वह सर्वाया उचित एवं उपयुक्त है।

(iii) व्यवसाय की स्वतन्त्रता—इस बगं का दोसरा अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को द्वारा व्यवसाय, व्यापार वयस्ता वानिज्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने लिए द्वारा भी पेश या व्यवसाय चुनने के लिए स्वतन्त्र है, सरकार या अन्य कोई व्यक्ति उसे व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सरकार जिसी व्यक्ति पर द्वारा व्यवसाय चुनने पर रोक नहीं लगा मतदों और उसमें दावा नहीं ढाल सकती।

इस स्वतन्त्रता का दुष्कारोग दिये जाने का नया या उत्तर संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई कार्य, पेश या व्यवसाय जनहित के विरुद्ध हो तो सरकार उस पर उचित नियन्त्रण लगा सकती है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में सविधान में दो और बातों की व्यवस्था है जो निम्नलिखित हैं।

(क) योग्यता निर्धारण—सरकार कोई व्यवसाय करने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित कर सकती है और वह योग्यता प्राप्त किये बिना उस व्यवसाय को बरने की छूट नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना पड़े-लिखे या डाक्टरी की परीक्षा पास किये बिना डाक्टरी का पेशा अपनाना चाहता है तो सरकार उसे ऐसा बरने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि गलत व्यक्ति को डाक्टरी का अधिकार देने से जनता वा स्वास्थ्य खतरे में पड़ने का भय रहता है।

(ख) सरकार द्वारा व्यवसाय—यदि सरकार चाहे तो वह स्वयं कोई व्यवसाय कर सकती है और देश के अन्य नागरिकों को वह व्यवसाय बरने की मनाही बर सकती है। उदाहरण रूप में, भारत में हवाई जहाज बनाने तथा कुछ वस्तुओं का आयात-निर्यात करने का अधिकार भारत सरकार वे अपने हाथ में है, निजी उद्योगपति तथा अन्य व्यापारी वह काम नहीं कर सकते।

वास्तव में, इस धारा से नागरिकों की व्यवसाय स्वतंत्रता पर कुछ रोक लगती है जिन्हुंने जनहित में बहुत से काम सरकार के अधिकार में रहना ही अच्छा है। हवाई जहाज, हथियार आदि बनाना सरकार के हाथ में रहना उचित है। भारत में अधिकार वैद्य सरकारी अधिकार में है जबकि कुछ वैद्य को को निजी तौर पर काम बरने की अनुमति है। वैद्य का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इसीलिए वैद्य वैद्य को का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों वो व्यवसाय बरने, सम्पत्ति रखने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए व्यावसायिक संगठन बनाने की पर्याप्त छूट दी गई है।

(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

भारत में समाजवाद साने का प्रयत्न किया जा रहा है। समाजवाद में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना बरने की कल्पना की जाती है। भारतीय सविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि देश के किसी भी नागरिक वा शोषण नहीं बिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप में दो व्यवस्थाएँ की गयी हैं।

(१) बेगार का अन्त—भारत में राजाओं तथा जागीरदारों द्वारा बेगार लेने की परम्परा रही है। बेगार वा अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिये काम लेना। इससे व्यक्ति का आर्थिक तथा मानसिक शोषण होता है। व्यक्ति का आत्म सम्मान बनाये रखने के लिए उसका शोषण समाप्त करना आवश्यक है। भारतीय सविधान में बेगार लेना या किसी व्यक्ति को कोई काम बरने के लिए मजबूर करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

इस व्यवस्था का एक अपदाद यह है कि लोनहित में सरकार द्वारा लोगों को बाम बरने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह व्यवस्था किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं बही जा सकती।

(ii) बालबों से बाम लेना—भारतीय संविधान में बालबों के शोषण का भी अन्त बरने का प्रयत्न किया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि किसी फैंटरी या स्थान में १४ वर्ष से बड़े उम्र के बालबों से बाम नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त दानों व्यवस्थाएँ शोषण की समाप्ति के नियम की गयी हैं।

(४) सम्पत्ति पर अधिकार (Right to Property)

भारतीय संविधान की सबसे विवादप्रस्त घारा ३१ ही है जिसमें भारतीय नागरिकों को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। समाजवाद के समर्थकों ने समय समय पर इस घारा को समाप्त बरने या इसमें सशोधन बरने की मांग की है।

इस घारा में भारत के नागरिक को सम्पत्ति पर अधिकार रखने की दृष्टि दी है। लोनहित में सरकार किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अपने अधिकार में ले जाती है किन्तु उस सम्पत्ति के बदले में उचित लक्षित-पूर्ति या मुआवजा देना आवश्यक है।

भारत में जब जारी-तारी तथा जमीदारी उन्मूलन किया गया तब अनेक राज्यों के जमीदारी उन्मूलन बानूत संविधान की इस घारा के विश्वेषणित नियम गये। इसलिये इस घारा में सशोधन किये गये और भूमि भुधार को बानूनी बनाने की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा पास किये गये जमीदारी उन्मूलन बानूनों को भी सर्वेषानिक सीमाओं के भीतर लाने के उपाय किये गये।

सम्पत्ति पर अधिकार देना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति को मान्यता देना है किन्तु जब सम्पत्ति पर अधिकार से मामाजिक हित को हानि होती है तब व्यक्ति के अधिकार को सीमित करना बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान की यह व्यवस्था सर्वथा उचित एवं स्वाभाविक है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ—समाजवाद के अनुकूल,

भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है उनकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित भानी जा सकती हैं :

(१) इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है जिससे नागरिक वे गौरव में बढ़ जाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा वो रक्षा होती है।

(२) नागरिक को व्यवस्था वर्ले रक्षा करने के लिए स्वतन्त्रता दी गयी है। इससे नागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है और उसे न्याय मिलने की सम्भावना में बढ़ जाती है।

(३) नागरिक को शोषण से मुक्त रखने की व्यवस्था की गयी है क्योंकि उससे बेगार नहीं ली जा सकती और छोटे बच्चों को भी फैंटरी के कठिन कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।

(४) सम्पत्ति पर अधिकार देवर भी भारतीय संविधान द्वारा नागरिक की एक स्वाभाविक भावना का आदर किया गया है।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ समाजवाद के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल हैं।

निदेशक सिद्धान्त [DIRECTIVE PRINCIPLES]

भारतीय संविधान द्वारा दिये गये मीलिक अधिकारों की विशेषता यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों को बानूनी रूप में माँग सकता है और उसे उनका प्रयोग बरने का वैधानिक अधिकार है। इन अधिकारों की अवहेलना होने पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। किंतु सरकार को नीति सम्बन्धी मार्गदर्शन देने के लिए संविधान में कुछ निदेशक सिद्धान्त घोषित किये गये हैं। यह सिद्धान्त सरकार का केवल मार्ग-दर्शन करने के लिए हैं। इनके आधार पर कोई ध्यावित सरकार पर दावा नहीं कर सकता। सरकार इन निदेशक सिद्धान्तों पर चलने का प्रयत्न करती है। यह सिद्धान्त सरकार की दीर्घकालीन नीति के लिए निश्चित किये गये हैं।

विशेषताएँ

संक्षेप में, निदेशक सिद्धान्तों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(१) यह केवल मार्ग-दर्शक है। इनके आधार पर सरकार पर दावा नहीं किया जा सकता।

(२) सरकार की आधिक तथा सामाजिक नीति इन सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए।

(३) यह सिद्धान्त भी समाजवादी दर्शन पर आधारित हैं।

आधिक सिद्धान्त

निदेशक सिद्धान्तों में अधिकाश ऐसे हैं जो भारत सरकार की आधिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन आगे किया जा रहा है।

(१) जीवन निर्वाह की पर्याप्त व्यवस्था—भारत में लगभग आधी जन संख्या ऐसी है जिसे दोनों समय भर पेट भोजन नहीं मिलता। जिन लोगों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है उनमें से भी अधिकतर को रुखा सूखा भोजन मिलता है जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। पहले निदेशक सिद्धान्त में यह माना गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक (पुरुष और स्त्री) को जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि सरकार को ऐसी आधिक नीति अपनानी चाहिए जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को उचित भोजन, वपड़ा, रहने का स्थान तथा सामान्य शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त करने में बढ़िनाई न हो।

(२) भौतिक साधनों का उचित वितरण—दूसरे निदेशक मिट्टान्त में यह कहा गया है कि देश के भौतिक साधनों (भूमि तथा अन्य उत्पादक सम्पत्ति) का सारे समाज में इतने ढङ्ग से वितरण होना चाहिए कि जिसमें सभी को लाभ हो।

‘इस सिद्धान्त में यह स्वीकार किया गया है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उनका एवं समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके। यह तभी सम्भव है जबकि उत्पादन के मुद्द्य साधना और सरकार द्वारा अधिकार कर लिया जाय क्योंकि निजों पूँजीपत्रियों के नियन्त्रण में रहने से उत्पादन के स्रोतों का लाभ कुछ व्यक्तियों को ही मिल सकता है और इन कुछ व्यक्तियों में भी सबको समान लाभ मिलने की मम्भावना नहीं है।

(३) आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण नहीं—तीसरे निदेशक मिट्टान्त का सम्बन्ध बहुत कुछ दूसरे सिद्धान्त में चहा गया है कि देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण समूर्ण समाज के हित में होना चाहिए। यदि एसा होता है तो आर्थिक साधन और सम्पत्ति सारे समाज में बट्टी रहती है उसका कुछ व्यक्तियों के हाथों में सकेन्द्रण होना सम्भव ही नहीं है। तीसरे निदेशक सिद्धान्त सरकार से यह आशा वरता है कि सरकार इस बारे में सबग रहगी कि देश की आर्थिक सत्ता या उत्पादन के साधन इने जिन व्यक्तियों के हाथों में सकेन्द्रित न हो सकें।

आर्थिक सत्ता (धन तथा सम्पत्ति) योड़े से व्यक्तियों के हाथ में सकेन्द्रित होने से समाज में आर्थिक विप्रमता को बढ़ावा मिलना है, सामाजिक भेद भाव में भी बढ़ जाता है और अत में देश का राजनीतिक स्वरूप भी बिगड़न लगता है। इस दृष्टि से आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण रोकना सही अर्थों में समाजवादी धारणा है और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।

(४) समान काम के लिए समान वेतन—संविधान द्वारा निर्धारित चतुर्थ निदेशक मिट्टान्त में व्यवन्धा की गयी है कि ‘समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।’ यह सिद्धान्त सामाजिक एवं आर्थिक समानता को धारणा को स्वीकार करता है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये अमूल्यों समान महत्व देना है। यह सिद्धान्त भी पूरी तरह समाजवादी की मान्यताओं पर आधारित है।

(५) आर्थिक शोषण की मनाही—इस मिट्टान्त में यह भत प्रबंध किया गया है कि देश में ऐसे बातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें आर्थिक विनाशों के बारण मजबूरों या अन्य व्यक्तियों को अपनी शक्ति अथवा योग्यता से अधिक या कमतर से अधिक कठोर काम न करना पड़े। यह स्थिति तभी आ सकती है जबकि प्रत्येक सकाम व्यक्ति द्वारा उचित रोजगार मिल जाये और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन देने की व्यवस्था बीजों जा सके।

(६) धर्मिकों के लिए निर्वाह मजबूरी—संविधान में सरकार को यह जादेश दिया गया है कि वह बाहुन द्वारा या संगठन में परिवर्तन द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण करने की चेष्टा करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार मिलेगा और

जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त बेतन या मजदूरी दी जायेगी। यह सिद्धान्त बहुत कुछ सह्या (५) से मिलता जुलता है।

इस सिद्धान्त में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक "मुन्दर" (decent) जीवन स्तर की बहना की गयी है। इस प्रवार का जीवन स्तर देने के लिए भारतीय श्रमों में कुटीर उच्चोग तथा सहकारी समितियों के विकास पर ध्यत दिया गया है।

(६) कृषि तथा पशुपालन को उन्नति—भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि तथा पशु पन का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि किसान को नियमित रूप में बच्ची पसल मिल सके और उसके पशुओं की विस्म बहुत बढ़िया हो तो देश के श्रमों का बायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी।

इसी बात को आधार मानकर संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार कृषि को नवीनतम प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर देश की कृषि को उन्नत करने के लिए विदेष प्रयत्न करेगी तथा दूष देने वाले तथा खेती में बाम आने वाले अन्य पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अधिकतम प्रयत्न करेगी। इसके लिए दूष देने वाले पशुओं का वध करने की भी मनाही की गयी है।

(७) काम करने का अधिकार तथा आधिक सहायता—संविधान के एक निदेशक सिद्धान्त में सरकार से यह माँग की गयी है कि वह प्रत्येक नागरिक के 'काम करने के अधिकार' की व्यवस्था करेगी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त रोजगार वा प्रबन्ध किया जायेगा।

इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि वेरोजगार व्यक्तियों, कृदों, वीमारों तथा अपगों को जीवन निर्वाह के लिए आधिक सहायता दी जायेगी। यह सिद्धान्त भी मनुष्य के आत्म गोरख तथा प्रतिष्ठा को उचित स्थान देता है।

क्या यह सिद्धान्त समाजवाद के अनुपूर्त हैं?

भारतीय संविधान में जो निदेशक सिद्धान्त दिये गये हैं वह समाजवाद की धारणा के सर्वथा अनुकूल हैं। निम्नलिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी :

(१) समानता—समाजवाद आधिक विप्रमता को दूर कर गरीब और अमीर के भेद को समाप्त करने की माँग करता है। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धान्तों में (i) उत्पादन के साधनों वा उचित वितरण, (ii) आधिक सत्ता के सकेन्द्रण का अन्त, तथा (iii) समाज काम के लिए समान बेतन का दृष्टिकोण रखा गया है। यह तीनों सिद्धान्त समाजवाद के समानता के आधार की पुष्टि करते हैं।

(२) रोजगार—समाजवादी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति वेरोजगार नहीं रह सकता। निदेशक सिद्धान्तों में प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और सरकार को यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त बाम की व्यवस्था की जाय।

(३) मजदूरी की दर—समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन

निर्वाह के लिए पर्याप्त बेतन या मजदूरी दी जाती है। निदेशक सिद्धान्तों में नागरिक के दो अधिकारों को स्वीकार किया गया है :

(१) निर्वाह मजदूरी (२) जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन

इन दोनों सिद्धान्तों में नागरिक के अच्छे जीवन स्तर के अधिकार को स्वीकार किया गया है और उसकी पूर्ति के लिए सरकार से जाशा को गयी है। यह सर्वथा समाजवादी विचारधारा के अनुकूल है।

(३) सामाजिक सुरक्षा—समाजवाद में प्राय प्रत्येक नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। वहीं बृद्धावस्था में पेशन तथा बीमारी में सदा अपग्र होने पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था दी जाती है। भारतीय संविधान में भी देरोजगारी, बीमारी, बुदापा तथा अपग्र होने पर आर्थिक सहायता देने का मुभाव दिया गया है। अतः यह समाजवाद के अनुकूल है।

निदेशक सिद्धान्तों का पालन कहाँ तक हुआ है?

यह सत्य है कि भारतीय संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धान्त बहुत थोड़े हैं। वह समाजवाद की धारणा के भी सर्वथा अनुकूल हैं। किन्तु अच्छे सिद्धान्त बनाना एक बात है, उनका पालन करना दूसरी बात है। अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का जब तक पालन नहीं किया जाय तब तक वह व्यर्थ है। अतः सिद्धान्तों को थोड़ा मान कर सन्तोष नहीं किया जा सकता। जब तक उन सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता, जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि निदेशक सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन किया गया है।

यदि गम्भीरता से देखा जाय तो पता लगेगा कि भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धान्त सरकार की अलमारी में बन्द पवित्र सिद्धान्त मात्र हैं, उनका भारतीय जनता पर लेशमात्र भी प्रभाव नहीं है। इसका अनुमान अलग-अलग सिद्धान्तों का विश्लेषण करने से हो सकता है।

(१) जीवन निर्वाह—पहले निदेशक सिद्धान्त में भारतीय नागरिकों को एक अच्छे जीवन स्तर के लिए साधन दिलवाने की बात कही गयी है। किन्तु आजादी के २५ वर्ष बाद आर्थिक नियोजन के २० वर्ष बाद भी भारतीय नागरिक का औसत जीवन स्तर बहुत नीचा है। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बेवल ४३ हजार मासिक है जो निश्चय हो चहूत बम है। देश की कम से कम लाधों जनता ऐसी है जो एक समय भूखी सो जाती है, देश के अधिकारी नागरिक ऐसे हैं जिन्हें पौष्टिक योजन नहीं मिलता और लाखों व्यक्ति गर्भी, सर्दी, वर्षा सड़कों की पटरियों पर बिता देते हैं। इस स्थिति को बिसी भी दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं बहा जा सकता।

(२) आर्थिक साधन और सत्ता—भारतीय आजादी के बाद सरकार द्वारा जितनी समितियाँ और आयोग नियुक्त किये गये हैं उनमें से अधिकाश ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत में आर्थिक साधन कुछ व्यक्तियों के ही अधिकार में हैं और आर्थिक सत्ता वा सरकार द्वारा होने के स्थान पर निरन्तर बढ़ता ही गया है। इससे

सरकार वी आर्थिक नीति और उसके पालन करने की क्षमता का दिवालिपापन ही सिद्ध होता है।

यह एक दुखद सत्य है कि देश की जनता को समाजवाद के नारो से गुमराह करने का ही प्रयत्न किया गया है। यह एक मान्य तथ्य है कि सरकार द्वारा इनेंगिने पूँजीपतियों को ही उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस दिये गये हैं। इसी प्रकार सरकारी नीति वाला घन जमा करने वालों वो परोक्ष रूप में सरकार देती रही है।

आर्थिक सत्ता वा सकेन्द्रण पूँजीपतियों तथा मन्त्रियों में अधिक हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि समाजवाद की निरन्तर घोषणा करने वाले मन्त्रियों वे घर में व्याह शादियों पर लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। क्या इतनी बड़ी रकमे मन्त्रियों के बेतन की बमाई से जमा की जा सकती हैं?

तीसरी बात यह है कि भारत में खेती योग्य सारी भूमि अभी भी किसान को नहीं मिल सकी है। भूमि पर नेताओं तथा नौकरशाही वा अधिकार बढ़ता जा रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय सविधान की धारणा के सर्वदा प्रतिकूल है।

(३) बेतन मान—भारत में आर्थिक नियाजन के बीस वर्षों में बहुत तेजी से मुद्रा स्फीति हुई है और मध्यवर्ग तथा नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति में निरन्तर गिरावट आयी है। देश के विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में बाम करने वाले व्यक्तियों के बेतनों में बहुत अधिक विपरीता है। यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, वेबो आदि में एक सरीखा काम करने वाले व्यक्तियों को ही बहुत भिन्न बतन मिलते हैं। इस स्थिति से समाज में बहुत असन्तोष उत्पन्न हुआ है और हड़तालों की सत्या में बढ़ि हुई है।

बेतन मान के सिलसिले में जीवन निर्बाह मजदूरी (Living wage) तो अभी बहुत दूर है, सब चरों के मजदूरों को अभी न्यूनतम मजदूरी भी मिनी आरम्भ नहीं हुई है। महगाई के कारण सामान्य कर्मचारियों को वास्तविक मजदूरी (या बेतन) निरन्तर निरती जानी है जिससे उन्हें बहुत चप्ट होता है।

(४) बेरोजगारी में घृद्धि—भारत की आर्थिक नीति में समाजवाद की धारणा के सबसे विपरीत जो काम हो रहा है वह बहुती हुई बेरोजगारी है। ‘काम करने का अधिकार’ अनक नवयुवकों के लिए सुनहसा स्वप्न मात्र है। रोजगार देने वाले प्राय सभी क्षेत्रों में जातिवाद, प्रदेशवाद, भाई भतीजा-बाद तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। इससे देश की युवा पीढ़ी के मानस म त्रान्ति और नक्सलवादी धारणाएं चोर घट्ठती जा रही हैं जो देश के सुलद अदिक्षा के लिए बहुत चड़ा सकता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय सविधान के निदेशक मिशन्स बहुत ही अच्छे और समाजवादी होने पर भी उनका सही अध्यों में पालन नहीं किया गया है। वास्तव म भारत जैसे देश के लिए जहाँ गरीबी, अन्ध विश्वास और सामाजिक एवं पर्मिक हितियां प्रगति के रथ को सदा पीछे छीचती हैं, साधारण

उपचारों से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए अत्यन्त सशक्त एवं श्रान्तिकारी कदम उठाने होगे जिसके लिए श्रान्तिकारी नेहरूव की अध्यधिक आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न

१. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित चार तत्त्वों के आधिक महत्व का विवेचन कीजिए।
२. भारतीय संविधान में नागरिकों को आधिक दृष्टि से कौन से भौतिक अधिकार दिये गये हैं? उनकी विवेपत्ताएँ लिखिए।
३. भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक सिद्धान्तों वा आधिक पक्ष प्रस्तुत कीजिए। क्या यह सिद्धान्त गणतंत्रवाद के अनुरूप हैं?
४. भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक सिद्धान्तों वा सरकार द्वारा बहाँ तक पालन किया गया है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

भारत में सधीय वित्त व्यवस्था

सर्वानुचित कुछ देश ऐसे हैं जिसमें एकदृष्टव शासन है। इसका अर्थ यह है कि उन देशों में केवल केन्द्र में एक सरकार होती है और देश के सभी भागों की शासन व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व इस पर होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था एकिक (Unitary) कहलाती है। ऐसा शासन व्यवस्था में आधिक अधिकार वित्तीय नीतियाँ एक केन्द्र में निर्धारित होती हैं और इन नीतियों का पालन करने में कोई विभिन्नाई नहीं होती। इगलैंड में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है।

दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था सधीय (Federal) होती है जिसमें अनेक राज्य होते हैं। यह राज्य स्वतन्त्र इकाइयाँ होती हैं जिन्हें इनकी सुरक्षा (Defence) तथा मुद्रा (Currency) आदि की व्यवस्था केन्द्र से होती है। यह राज्य आन्तरिक प्रशासन, व्यवस्था तथा आधिक विकास के अनेक मामलों में स्वतन्त्र नीति अपना सख्त हैं। समुक्त राज्य अमरीका तथा भारत सधीय प्रणाली के उदाहरण हैं।

सधीय प्रणाली और वित्त

सधीय शासन प्रणाली में केन्द्र को अपना खर्च चलाने के लिए आय प्राप्त करनी होती है तथा राज्यों को अपनी योजनाएँ पूरी करने और शासन व्यवस्था ठीक रखने के लिए रकम की आवश्यकता होती है। दोनों में आपसी मतभेद से बचने के लिए प्राय सविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी जाती है कि केन्द्र द्वारा कौन से कर लगाये जा सकते हैं और राज्यों को आय प्राप्त करने के लिए कौन से कर लगाने का अधिकार है। दोनों ही शासन व्यवस्थाएँ सविधान के अनुसार अपनी सीमा में कर लगाती हैं और आमदनी प्राप्त करती हैं।

अनेक दार ऐसा होता है कि सत्रियल ये ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अमुक वर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे जिन्हें इनमें राज्य सरकारों को

अमुक भाग मिल सकेगा। इस प्रकार राज्य सरकारों को वेन्द्र की कुस वसूली में से कुछ भाग मिलता है।

संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि अनेक बार कुछ विकास योजनाएँ केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी जाती हैं। इन योजनाओं का सबंध सम्पूर्ण रूप में या आशिक रूप में केन्द्रीय सरकार वहन करती है। कभी-कभी राज्यों द्वारा अपने बजट में घाटा रहता है और केन्द्रीय सरकार उसे पूरा करने लिए अनुदान देती है। इस प्रकार राज्यों तथा केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों की मुख्य बातें तीन हैं :

(१) कर के निर्धारित दोष—केन्द्र तथा राज्य अपने लिए निर्धारित मदों या सेवों में ही कर सगा कर आय प्राप्त करते हैं।

(२) करों में हिस्सा—अनेक बार केन्द्र द्वारा वसूल दिये गये कुछ करों में राज्य सरकारों का कुछ हिस्सा होता है। यह भाग संविधान द्वारा निर्धारित होता है या रिसी आयोग द्वारा निर्धारित दिया जाता है।

(३) अनुदान—विवासीय अर्थ-व्यवस्था में वेन्द्र द्वारा प्राप्त राज्य सरकारों को विधिवत अनुदान दिये जाते हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा अपने वित्तीय घाटे की पूति करने में सहायता मिलती है।

भारत में वेन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध—विशेषताएँ :

भारतीय संविधान को घारा २४५ से ३०० तक में यह व्यवस्था की गयी कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में किस प्रकार के सम्बन्ध होंगे। वित्तीय सम्बन्धों का बर्णन २६४ से ३०० तक की घाराओं में दिया गया है। इन सम्बन्धों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(१) कर (Taxes)

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न मदों पर कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं। यह अधिकार निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं :

(क) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सगाये जाते हैं किन्तु जिनकी वसूली राज्य सरकारे करती हैं तथा जिनसे प्राप्त आय भी राज्य सरकारों को ही मिलती है :

इस प्रकार के करों की व्यवस्था भारतीय संविधान की घारा २६८ में की गयी है। इस बर्ग में निम्नलिखित कर सम्मिलित हैं :

बोयपियों या शूंगार प्रसाधनों पर ऐसे मुद्राक कर (Stamp duty) तथा उत्पादन कर (Excise duty) जिनका बर्णन संघीय सूची में दिया गया है। इन करों से प्राप्त पूरी रकम राज्य सरकारों को ही मिलती है।

(ल) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं और जिनकी प्रसूली भी केन्द्रीय सरकार ही करती है किन्तु जिनकी पूरी आय राज्य सरकारों को दी जाती है :

(i) हरि भूमि के अतिरिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कर।

(ii) हरि भूमि के अतिरिक्त सम्पदा कर।

(iii) रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से ले जाये गये यात्रियों तथा माल पर लगाये गये सीमा कर (चुंगी आदि)।

(iv) रेल किराये तथा भाड़े पर कर।

(v) स्टॉक बिनिमयों (Stock Exchanges) में किये गये सौदों तथा वायदे के सौदों पर कर (मुद्राक कर को छोड़कर)।

(vi) समाचार पत्रों को स्वरीद तथा विश्वी पर कर कर तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

(vii) समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वरीद या विश्वी पर कर।

इन सब करों की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं किन्तु इनकी वसूली राज्य सरकारें करती हैं और अपने-अपने क्षेत्र में की गयी वसूली उन राज्यों की ही आय होती है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले आपसी व्यापार के बारे में भारतीय लोक सभा को बानून बनाने वाले अधिकार दिया गया है।

(ग) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, केन्द्रीय सरकार ही जिनकी वसूली करती है किन्तु जिनकी आय का वितरण केन्द्र तथा राज्यों में होता है :

भारतीय संविधान की धारा २७० में उन करों का व्योरा दिया गया है जिनकी वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है तथा जिनकी दरें भी केन्द्रीय सरकार ही नियन्त्रित करती है किन्तु इन करों से प्राप्त रकम का बटवारा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों में होता है। यह बटवारा विस आधार पर होगा इसका नियन्त्रण करने के लिए हर पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने वी व्यवस्था की गयी है, वित्त आयोग यह सुझाव देता है कि ऐसे करों से प्राप्त आय का बटवारा विस अनुपात से किया जाना चाहिए।

इस श्रेणी में केवल आय कर सम्मिलित है। केन्द्र तथा राज्यों में बटने वाला इस कर का अनुपात प्रायः बदलता रहा है।

केन्द्र के निए अधिभार—भारतीय संविधान की धारा २६६ तथा २७० में जो व्यवस्थाएं (क्षेत्र तथा ग के अनुसार) की गयी हैं उनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इन दोनों बगों में लगाये गये करों पर अधिभार लगा सकती है या उसमें वृद्धि कर सकती है। इस अधिभार की पूरी आमदानी केन्द्रीय सरकार के प्रयोग के लिए काम्‌मे लौं जा सकती है।

(घ) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वसूल किये जाते हैं तथा जिनका वितरण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में किया जा सकता है :

इस बांग में केवल सघीय आवाकारी कर (Union Excise Duty) समिलित है। यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस वर का एक भाग राज्य सरकारों को दे सकती है। पिछले वर्षों में इस कर का एक भाग राज्यों को देने की परम्परा बन गयी है। अब अब यह कर राज्यों की आय का एक नियमित भाग बन गया है।

वह कर जो केन्द्रीय सरकार लगा सकती है-

भारतीय संविधान की अनुसूची ७ में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके अनुमार केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कर लगाये जा सकते हैं-

(i) आप कर (हृषि से प्राप्त आप की छोड़कर)।

(ii) वस्टम या चुंगी (आपात तथा नियन्ति पर)।

(iii) शाराव, अफीप तथा कूद्य अन्य नमों वाली औपचारियों को छोड़कर तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (Excise Duty)।

(iv) निगम कर (Corporation Tax)।

(v) व्यक्तियों तथा कम्पनियों की पूँजी पर वर।

(vi) हृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर सम्पदा कर।

(vii) जल तथा स्वल मार्ग (विशेषकर रेल मार्ग) द्वारा ढोये गये माल और यात्रियों पर वर और उनके किराये तथा भाड़े पर शुल्क।

(viii) बेचान साध्य विलेखों (Negotiable Instruments), साथ पत्रों, दीमा पत्रिसियों, जशों के हस्तान्तरण विलेखों तथा ऊण पत्रों आदि पर लगाया गया मुद्राक कर।

(ix) स्वन्ध विनियम बाजार में किये गये सौदों तथा बायदे के सौदों पर मुद्राक कर के अतिरिक्त लगाये गये कर।

(x) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें घोरे विज्ञापनों पर वर।

(xi) अन्तरराष्ट्रीय क्रय विक्रय पर कर।

वह कर जो राज्य सरकारें लगा सकती हैं

संविधान की अनुसूची, के अनुसार राज्य सरकारें जो कर लगा सकती हैं उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-

(i) भूमि पर लगान।

(ii) हृषि आप पर कर।

(iii) हृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर।

(iv) हृषि भूमि पर सम्पदा कर।

(v) भूमि तथा मकानों पर कर।

(vi) लनिजों पर कर।

(vii) राज्यों में बनाये गये नशीले पूदायों पर कर।

(viii) विजली के उत्पादन और उपभोग-प्रकरण पर कर।

- (ix) माल की स्तरीद और विश्रो पर कर।
- (x) समाचार पत्रों के अतिरिक्त विज्ञापनों पर कर।
- (xi) अतिरिक्त जल तथा स्थल मार्गों से यात्रियों तथा माल पर कर।
- (xii) विभिन्न प्रकार की गाड़ियों पर कर।
- (xiii) पशुओं तथा नावों पर कर।
- (xiv) व्यवसाय पर कर।
- (xv) मनोरजन, खातं तथा जुये पर कर।
- (xvi) मुद्राक कर (Stamp Duty)।

(२) समेकित निधि (Consolidated Fund)

भारतीय संविधान में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच करों की आय के वितरण के अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था समेकित निधि के बारे में की गयी है। इस व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा करों से प्राप्त आय (जो संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के हिस्से की है) का मम्पूर्ण भाग एक समेकित निधि में ढाल दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार जो क्रह आदि प्राप्त करती है वह रकमें भी समेकित निधि में ढाली जाती है सरकार के सब खर्च इस निधि में से ही चलाये जाते हैं।

केन्द्रीय समेकित निधि की भाँति ही प्रत्येक राज्य में भी एक समेकित निधि है। संविधान में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य सरकारों की आय तथा प्राप्त क्रहों की सब रकमें इस निधि में ढाली जाती हैं।

केन्द्रीय समेकित निधि में से कोई भी रकम लोकसभा की अनुमति के बिना खर्च नहीं की जा सकती। इसी प्रकार राज्य समेकित निधि में से रकम खर्च करने के लिए विधान सभा की अनुमति आवश्यक है। यह अनुमति प्रति वर्ष बजट मूल में प्राप्त की जाती है। यदि सरकार को निर्धारित रकम से अधिक राशि खर्च होने की आशका हो तो लोकसभा या विधान सभा में पूरक मार्गें (Supplementary demands) पास करवानी पड़ती हैं।

(३) सहायता अनुदान (Grants-in-Aid)

भारतीय राज्यों में से अधिकांश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। योजनाओं के कारण प्राय सभी राज्यों को बड़ी-बड़ी रकमें खर्च करनी पड़ती हैं। प्रजातन्त्र की सम्भवत् सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जनता पर बहुत अधिक कर लगाना सम्भव नहीं है। अतः राज्य सरकारों के कर के साधन बहुत सीमित रह गये हैं।

इन पार्टों से प्राय सभी राज्यों को केन्द्र नियमित खर्च चलाने के लिए भी केन्द्र का मुख्य ताबना पड़ता है। भारतीय संविधान वी धारा २७५ के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि महत्वपूर्ण योजनाओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे सकती है। यह अनुदान परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के

अनुसार बदल सकते हैं। यह अनुदान पूर्जीवत् व्यय व्यवधान नियमित संचय की पूर्ति के लिए हो सकते हैं और इनकी राशि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है।

वित्तीय अनुदान—भारतीय संविधान की धारा २७३ में बलम, बिहार, उडीचा तथा पश्चिमो द्विग्राम की राज्य सरकारों को पटलन तथा पटसन के सामान के निर्यात पर समाप्त गये निर्यात वर के बदले में सहायता देने की व्यवस्था की गयी थी। यह व्यवस्था पहले दस वर्ष (१९५१ से) के बास्ते की गयी थी और इसे समाप्त कर दिया गया है।

(४) छप (Borrowings)

भारतीय संविधान की धारा २६२ के अनुसार भारत सरकार को छप लेने को अनुमति दी गयी है। यह छप देश के नायिकों व्यवधान विदेशों से लिए जा सकते हैं। इन छपों की सीमा भारतीय लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है और सरकार इन सीमाओं के भीतर ही छप ले सकती है, अधिक नहीं।

भारत सरकार की भाँति ही राज्य सरकारों को भी छप लेने की अनुमति दी गयी है, संविधान की धारा २६३ में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार अपने देश में ही छप ले सकती है (विदेशों में नहीं)। इन छपों की सीमा राज्यों की विधान सभा द्वारा निश्चित की जाती है तथा छप राज्य सरकार की गारन्टी पर हो लिए जाते हैं।

केन्द्र से छप—राज्य सरकारें जनता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से भी छप ले सकती हैं। भारतीय संविधान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के छप देने की अनुमति प्रदान करता है।

(५) विविध (Miscellaneous Relations) सम्बन्ध

केन्द्र तथा राज्य सरकारों में दुष्प्रभव वित्तीय सम्बन्ध भी हैं जिन्हें विविध को थेनी में रखा जा सकता है। यह सम्बन्ध निम्नलिखित है।

(i) कर मुक्ति—राज्यों के क्षेत्र में स्थिति केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर राज्य, नगरपालिका व्यवधान पचायत द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता।

(ii) विजली—केन्द्रीय सरकार विजली विजली वा उपभोग करती है उस पर राज्य सरकार द्वारा कोई वर वसूल नहीं किया जा सकता।

(iii) घाटी योजनाएँ—केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत नदी घाटी योजनाओं से उत्पन्न विजली या पानी पर ताज्य सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता।

(iv) राज्य सरकार—राज्य सरकारों को उम्मीद सम्पत्ति तथा आमदनों पर केन्द्रीय सरकार कोई कर वसूल नहीं कर सकती।

इस प्रबाल केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से तथा राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से वर के स्प में बोई रखने वाले नहीं वर सब तीं। यह व्यवस्था सुविधा वी दृष्टि से बहुत अच्छी है।

(१) वित्त आयोग (Finance Commissions)

भारतीय संविधान वी घारा २८० में यह व्यवस्था बो गयी है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पौचदें वर्षे एक वित्त आयोग वी नियुक्ति वी जायेगी। यह नियुक्ति पौच वर्ष से पहले भी वी जा सकती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य हो सकते हैं कि जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा वी जाती है।

वित्त आयोग के सदस्यों वी योग्यता तथा उनकी नियुक्ति वी विधि भारतीय लोकसभा द्वारा निश्चित वी जा सकती है विन्तु अब तक वी परम्परा यह रही है कि वित्त आयोग में प्रायः राजनीतिक, अर्थशास्त्री, प्रशासन तथा न्यायशास्त्रियों वी सदस्य इनाया जाता रहा है।

एवं वित्त आयोग के निम्नसिद्धि कार्य निर्धारित दिये गये हैं :

(१) वर की रकम का विभाजन—वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में यह सलाह देता है कि वेन्ड तथा राज्यों के बीच बांटी जाने वाली वरों वी रकम वित्ती होनी चाहिए तथा वह विस अनुपात में बांटी जानी चाहिए।

(२) अनुदान—वित्त आयोग का दूसरा बाम इस बारे में सलाह देना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों वी सहायता अनुदान विन सिद्धान्तों के अनुसार दिये जाने चाहिए।

(३) अन्य—यदि राष्ट्रपति किसी अन्य वित्तीय समस्या के बारे में सलाह चाहें तो देश वी थेप्ट वित्तीय व्यवस्था के हित में उचित सलाह देना।

वित्त आयोग वी अपने बाम की पूर्ति वे बारे में व्यापक अधिकार होते हैं। वह विनिन देशों वी राय से सकता है तथा राज्यों में प्रशासनकों, अर्थशास्त्रियों तथा व्यवसायियों बाद से विचार-विमर्श करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत बरता है।

वित्त आयोग वी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति वी प्रस्तुत वी जाती है और राष्ट्रपति उसे भारतीय संसद के सामने प्रस्तुत बर देते हैं। भारत सरकार प्रायः रिपोर्ट के साथ-साथ अपने विचार भी संसद के सामने रख देती है।

भारत में वित्त आयोग तथा उनकी सिफारियों

[FINANCE COMMISSIONS AND THEIR RECOMMENDATIONS IN INDIA]

भारतीय संविधान वी घारा २८० ने अनुसार पहले वित्त आयोग वी नियुक्ति संविधान लागू होने के दो वर्षे वे भीतर होनी थी। अतः पहला वित्त आयोग १९४१ में नियुक्त विद्या यज्ञा विद्यावेद अध्यक्ष थी जितोशचन्द्र नियोगी (K. C. Neogygi) थे। दूसरे वित्त आयोग वी नियुक्ति १९५७ में हुई बोर थी वे० सदानन्द उत्तरे अध्यक्ष थे तथा तीसरा वित्त आयोग १९६१ में ए० वे० चन्दा वी अध्यक्षता में

नियुक्त किया गया। चौथा वित्त आयोग १९६४ में नियुक्त किया गया और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति पी० बी० राजमन्त्री द्वारा की गयी। पांचवाँ वित्त आयोग २६ फरवरी १९६८ को श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति कुछ पहले की गयी ताकि १९६६ में भारतम होने वाली चौथी एवं चौथी योजना में इसके सुभावों को कार्यान्वयित्व किया जा सके।

भारत के पांचों वित्त आयोगों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिये गये हैं जिन्हें प्रायः भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन आयोगों द्वारा महत्वपूर्ण वर्तमानों के वितरण के बारे में जो सिफारिशें की गयीं उनका व्यौरा आये दिया जा रहा है :

(१) आय कर वा वितरण

भारत में आय कर की दरों प्रति वर्ष बजट में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। आय कर से जितनी रकम वसूल होती है उसका एक भाग राज्य सरकारों को दे दिया जाता है।

आय कर की रकम के वितरण के बारे में वित्त आयोग को तीन बातें निश्चित करनी होती हैं

(i) केन्द्र शासित प्रदेशों को आय कर से प्राप्त शुद्ध आय का कौन सा भाग मिलना चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों को आयकर की शुद्ध आमदनी में से कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए।

(iii) राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित दोनों को दिये जाने वाले भाग के बारे में क्या आयकर होना चाहिए।

आगे इन तीनों समस्याओं के सम्बन्ध में वित्त आयोगों के सुझाव पर प्रकाश हाता जा रहा है-

(1) केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग—पहले वित्त आयोग द्वारा आय कर को शुद्ध आय में केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग २७५ प्रतिशत निश्चित किया था। इससे पहले भारत में A, B C थेणी के राज्य थे। C थेणी के राज्यों को आय कर की कुल प्राप्ति का १ प्रतिशत भाग दिया जाता था। प्रथम वित्त आयोग ने C थेणी के राज्यों को आय कर की शुद्ध आय का २७५ प्रतिशत देने का सुझाव दिया। तीसरे आयोग ने इसी राशि २५० प्रतिशत वरने की सिफारिश की तथा पांचवें वित्त आयोग ने इस राशि को २६० प्रतिशत वरने का सुझाव दिया है जिससे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार अब आय कर की कुल प्राप्ति का २६० प्रतिशत भाग केन्द्र शासित प्रदेशों को दे दिया जाता है।

(2) राज्यों का भाग—प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति से पहले C थेणी के राज्यों को छोड़कर (जो केन्द्र प्रशासित थे) अन्य राज्यों को आयकर की शुद्ध आय का ५० प्रतिशत भाग दिया जाता था। प्रथम वित्त आयोग ने यह भाग ५५

प्रतिशत तथा दूसरे आयोग ने इसे ६० प्रतिशत करने का सुझाव दिया। तीसरे वित्त आयोग ने राज्यों का अवधि ६६ $\frac{2}{3}$ करने की सिफारिश की तथा चौथे आयोग ने यह भाग ७५ प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया। पांचवें वित्त आयोग ने भी राज्यों का हिस्सा ७५ प्रतिशत ही बनाये रखने की सिफारिश की। भारत सरकार ने सभी वित्त आयोगों की सिफारिशों को बिना कोई परिवर्तन किये स्वीकार किया है।

(३) वितरण का आधार - राज्यों को आय कर का अवधि वितरित करने में प्राय दो आधार रहे हैं पहला आधार जन सहयोगी और दूसरा आधार कर वसूली की कुल रकम। यह बात स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में प्राय बहुत कम रकम आय कर के रूप में वसूल होती है जबकि महाराष्ट्र, दालाल तथा उमिलनाडु जैसे राज्यों में आय कर की अधिकास रकम वसूल होती है। अतः कर वसूली को आधार मानने पर आय कर की अधिकतर रकम वापस उन्हीं राज्यों को मिल जाती जो पहले ही वापी सम्पन्न और दम्पत हैं। अतः सभी वित्त आयोगों ने आय कर का अवधि बांटने में जन सह्या को अधिक और कर वसूली की रकम को कम महत्त्व दिया है।

पहले वित्त आयोग ने आय कर की बांटी जाने वाली रकम का ८० प्रतिशत भाग जन सह्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत कर वसूली के आधार पर बांटने का सुझाव दिया था। दूसरे आयोग ने ६० प्रतिशत रकम जन सह्या के आधार पर बांटने की सिफारिश की बिन्दु तीसरे तथा चौथे आयोगों ने ८० प्रतिशत रकम की जन सह्या के आधार पर बांटने का सुझाव दिया है। पांचवें वित्त आयोग ने दूसरे वित्त आयोग के मत से खहमति प्रकट की है और बांटी जाने वाली रकम का १० प्रतिशत भाग जन सह्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत भाग कर वसूली के आधार पर बांटने का सुझाव दिया है।

इस प्रकार सभी वित्त आयोगों ने जन सह्या को अधिक महत्त्व दिया है ताकि कम विकसित राज्यों को पर्याप्त सहायता मिल सके। इस दृष्टि से पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश समाजवादी धारणाओं के अधिक अनुकूल है।

(२) संघीय आदकारी कर (Union Excise Duty)

भारतीय संविधान में आय कर का एक भाग तो राज्य सरकारों को देना अनिवार्य है जिन्हें धारा २७२ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि सरकार चाहे तो सदसद द्वारा बानेन पास करवा कर केन्द्रीय उत्पादन कर का कुछ भाग भी राज्य सरकारों को बांटा जा सकता है। अतः केन्द्रीय आदकारी कर की आय में से कोई भाग राज्यों को बांटना अनिवार्य नहीं है।

भारतीय संविधान में उत्पादन कर का एक भाग राज्यों में बांटना अनिवार्य नहीं है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति से पहले भारत सरकार द्वारा इस मद की आय में से राज्यों को कोई रकम नहीं दी जाती थी। पहले वित्त आयोग ने तम्बाकू (सिगरेट तथा सिगार सहित), दियासलाई तथा बनस्पति पदाधों पर लगाये गये उत्पादन

कर का ४० प्रतिशत भाग राज्यों में वितुरित करने का सुझाव दिया। यह वितरण राज्यों को जन सभ्या के आधार पर करने की सिफारिश की गयी। दूसरे वित्त आयोग ने भी जन सभ्या के आधार पर वितरण को उचित ठहराया।

तीसरे वित्त आयोग ने ३५ वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादन कर का २० प्रतिशत भाग राज्यों में बांटने का सुझाव दिया। इस आयोग ने जन सभ्या के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास या आर्थिक दुखेलता को भी महत्व दिया है और सब बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों में वितरण को प्रतिशतों निश्चित कर दी।

चौथे वित्त आयोग ने भी सधीय उत्पादन कर का २० प्रतिशत भाग राज्यों को देने का सुझाव दिया। इस आयोग ने वितरण का ८० प्रतिशत आधार जन सभ्या और २० प्रतिशत आर्थिक पिछड़ापन बतलाया। आयोग ने इसी आधार पर अलग-अलग राज्यों को दिये जाने वाले भाग का अनुमान लगा कर प्रतिशत निर्धारित कर दी। पांचवें वित्त आयोग ने भी इसी आधार को स्वीकार किया है।

करों में से राज्यों को स्थानान्तरित रकम

जपर दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर तथा संघीय उत्पादन कर की आय में से नियमित रूप में कुछ रकम राज्यों को स्थानान्तरित की जाती रही है। इस रकम की राशि में नियमित रूप में वृद्धि हुई है जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगता है-

केन्द्र से राज्यों को कर-भाग स्थानान्तरण

(करोड़ रुपयों में)

कुल रकम	आर्थिक आय
प्रथम योजना काल	३५३
द्वितीय योजना काल	७१०
तृतीय योजना काल	११६६
१९६६-६७ से १९६८-६९	१२७६
१९६८-६९ से १९७१-७२	२२२७

इस तालिका से स्पष्ट है कि राज्यों को केन्द्र से करों के अश से मिलने वाली रकम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के दो कारण हैं :

(i) अधिक आय—पहला कारण यह है कि करों की रकम में निरन्तर वृद्धि हो रही है क्योंकि सरकार द्वारा करों की दर में नियमित वृद्धि की जा रही है। प्रायः सभी वस्तुओं पर उत्पादन कर में वृद्धि हुई है तथा आय कर की दरे भी बढ़ती ही गयी है। इस बढ़ती हुई आय में से स्वाभाविक रूप में राज्यों का हिस्सा भी बढ़ा है।

(ii) बढ़ता हुआ भाग—प्रत्येक वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा भी बढ़ाने की सिफारिश की है। पहले वित्त आयोग से पहले राज्यों को आय कर की कुल

आय में से केवल ५० प्रतिशत भाग मिलता है जो बढ़कर अब ७५ प्रतिशत हो गया है। इससे भी राज्यों को पहले से अधिक रकम मिलती रही है।

अनुदान (Grants in-aid)

वित्त आयोगों द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में भी सिफारिश करनी होती है। यह अनुदान प्राय योजनाओं के घाटे को पूरा करने के बास्ते दिये जाते हैं या कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देने की व्यवस्था की जाती है। वित्त आयोग प्राय आर्थिक दृष्टि से विद्युत द्वारा राज्यों को अधिक अनुदान देने वा सुझाव देते रहे हैं।

पांचवें वित्त आयोग ने चौथों पचवर्षीय योजना वाल मे राज्यों को कुल ६३८ करोड़ रुपये वे अनुदान देने का सुझाव दिया है जिसमे से सबसे अधिक रकम उडीसा तथा असम जैसे बहुत पिछड़े राज्यों को तथा शेष रकम सात राज्यों वो देने की सिफारिश की गयी है।

योजना वाल मे (१९५१-५२ से १९७१-७२) भारत सरकार द्वारा राज्यों वो कुल ५४६० करोड़ रुपये वी रकम अनुदान मे दी गयी है—ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार अनुदान वा वार्षिक औसत लगभग २४३ करोड़ रुपया है। पिछले तीन वर्षों में अनुदान की वार्षिक औसत ६०० करोड़ रुपये से अधिक रही है अत स्पष्ट है कि राज्यों वी केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह स्थिति निश्चय ही सतोपजनक नहीं कही जा सकती।

ऋण (Loans)

राज्यों की दुर्बंध आर्थिक स्थिति का अनुमान इस बात से भी सगता है कि योजना वाल मे राज्य सरकारों केन्द्र से नियमित ऋण लेतो रही है और इस ऋण की वार्षिक रकम मे तेजी से बढ़ रही है। प्रथम योजना काल मे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिए गये ऋणों वी रकम लगभग ६३८ करोड़ रुपये यी जो द्वितीय योजना काल मे १०३८ करोड़ रुपये हो गयी। तृतीय योजना वाल मे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को लगभग २१५१ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। पिछले तीन वर्षों में (१९६६-७० से १९७१-७२) भी केन्द्र द्वारा राज्यों वो १००० करोड़ से अधिक रकम के ऋण दिये जाने का अनुमान है इस प्रकार राज्यों वी आर्थिक दुर्बंधता के बारण उन पर ऋण भार भी बढ़ता चला जा रहा है।

कमियाँ और सुझाव

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों वी गहराई से अध्ययन करने से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हे रोकना बहुत आवश्यक है—

(१) राज्यों वी बढ़ती हुई निर्भरता—उपर दिये गये अबो से स्पष्ट है कि भारत के राज्यों वी केन्द्र पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। इसका प्रमाण यह है कि एक और तो राज्य केन्द्र से अधिक अनुदान ले रहे हैं, इसके बहु बैन्ड से अधिक रकमे उधार भी प्राप्त कर रहे हैं, इससे राज्यों पर ऋण भार भी निरन्तर बढ़ता

चला जा रहा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए राज्यों को अपने व्यय में वमी बरने का प्रयत्न करना चाहिए तथा करो वो आय में बृद्धि करने की चेष्टा बरनी चाहिए।

यदि राज्य अपनी कर बसूल करने की प्रक्रिया में सुधार करते तो भी उनकी आय में बृद्धि हो सकती है।

(२) नीति में सहपोष—पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की नीतियों में मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। यदि अर्थिक नीतियों का निर्माण पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा किया जाय तो आपसी लेन-देन की समस्याओं का समाधान सरलता से ही सकता है और इण्ठ तथा व्याज के मुगलाज की कठिनाई दूर हो सकती है।

(३) समाजवादी समाज—भारत में “गरीबी हटाओ” का जो नया नारँह लगाया गया है वह समाजवाद लाने की इच्छा का प्रतीक है इन्तु इसमें समलैलता प्राप्त करने के लिए देश की कर नीति में आनंदिकारी परिवर्तन करने होंगे। यह परिवर्तन केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर होगे। एक ओर तो भारत के मन्त्रियों तथा बड़े अधिकारियों को अपने राजसी ठाठ में कुछ वमी करनी होगी, दूसरी ओर समाज के पिछड़े वर्ग की आय में बुछ बृद्धि करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जबकि देश का पूरा कर सम्बन्धी ढाँचा बदला जाय, राज्यों को अपने पेरो पर खड़ा होने के लिए वाध्य किया जाय तथा प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सर्वे में कमी की जाय। यह तभी सम्भव है जबकि समाजवाद का उद्घोष करने वाले शासक अपने दुर्जुता तथा नोकरदाही तरीकों का खाल कर सही अर्थों में देश की सेवा का वृत्त लें। यह कठिन तो है किन्तु असम्भव नहीं है।

अभ्यास प्रश्न

- भारतीय संविधान में कर लगाने के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसका विवेचन कीजिए।
- वित आयोगों पर एक नियन्त्रण लिखिए तथा उनकी मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालिए।
- भारत में केन्द्र तथा राज्यों में कौन से करों का विभाजन होता है। इस विभाजन के आधार की विवेचना कीजिए।
- “भारतीय राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता बढ़ती जा रही है” इस विषय की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

एक पुरानी वहावत के अनुसार ससार में अधिकाश विवाद 'जर, जमीन और जन' अर्थात् धन, धरती और स्त्री के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में, यह तीनों ही तत्त्व मानव के सामाजिक जीवन के अत्यन्त महत्वपूर्ण अग हैं। इनमें जर अर्थात् वित्त सबसे अधिक चलनशील और आवर्यक होता है क्योंकि वित्त के द्वारा ससार की अधिकतर थेष्ट बस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। वित्त का महत्व आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए विशेष है क्योंकि आधुनिक प्रशासन का व्यय भार निरन्तर बढ़ रहा है जिसकी पूर्ति जनता द्वारा दिये गये बरो से होती है। सरकार का स्वरूप प्रजातान्त्रिक होने के कारण उसे जनता की गाड़ी पसीने की कमाई का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः बरो से प्राप्त आय पर्याप्त तो होनी ही चाहिए, परन्तु इसका उपयोग भी जनहित में निया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण सरकारी आय, व्यय तथा ऋणों का समुचित लेखा-जोखा तथा सम्पूर्ण रकम के थेष्टतम उपयोग पर यथोचित नियन्त्रण होना अत्यधिक है।

वित्तीय प्रशासन का अर्थ—जिस प्रवार देश की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए नागरिक प्रशासन (सेना, पुलिस तथा अनेक प्रशासनिक विभागों) की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है उसी प्रवार देश के आर्थिक साधनों की यथोचित देख-रेख करना भी आवश्यक होता है। यही वित्तीय प्रशासन है। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाय तो किसी देश, सभ्या अथवा व्यक्ति की आय, व्यय तथा ऋणों वा सामान्य प्रबन्ध ही वित्तीय प्रशासन कहलाता है।

क्षेत्र—वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र स्वभावत विसी राज्य अथवा सभ्या का सम्पूर्ण लेन-देन होता है। इसमें मुख्यतया निम्नलिखित नियाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं

- (१) आय की प्राप्ति,
- (२) आय रथा व्यय का योचित सम्बन्ध,
- (३) लोक छण की व्यवस्था, तथा
- (४) वित्तीय क्रियाओं का सामान्य नियन्त्रण।

आधुनिक प्रशासन व्यवस्था में इन चारों क्रियाओं का उचित प्रबन्ध करना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं को उचित व्यवस्था के लिए विदेष विभाग स्थापित किये जाते हैं जिनमें इनका लेखा-जोक्या रखने रथा पूरी व्यवस्था को मुचाह रूप से चलाने के लिए अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। वास्तव में, आय प्राप्ति की योजना बनाने से लेकर उसके सर्व करने तक की क्रियाओं की पर्याप्त व्यवस्था ही वित्तीय प्रशासन का सेवा है।

वित्तीय प्रशासन के सिद्धान्त (Canons of Financial Administration)—सामान्य रूप में वित्तीय प्रशासन की कुशलता अधिकारियों की व्यक्तिगत सूक्ष्म-दृष्टि, योग्यता तथा तत्त्वज्ञता पर निर्भर करती है अतः उसके लिए कोई निश्चित सिद्धान्त निर्धारित करना विदेष महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु वित्तीय प्रशासन अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए सामान्य अनुभव द्वारा कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जिनके पासन से आय का मंयोजन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। उन्न सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

(१) संगठन की एकता (Canon of Unity of Organisation)—इस सिद्धान्त वा तात्पर्य यह है कि वित्तीय प्रशासन वेन्डित होना चाहिए तथा कार्य विदेष के लिए निश्चित व्यक्ति अपने-अपने कार्य की कुशलता के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दायित्व विकेन्द्रित होते हैं परन्तु सत्ता एक जगह वेन्डित होती है जहाँ सभी वित्तीय नियंत्रण रथा नीतियाँ निर्वाचित की जाती हैं।

(२) विधान सभा की इच्छानुसार संचालन (Canon of Compliance with the will of the Legislature)—इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण आय, व्यय और छण की व्यवस्था जनदा द्वारा चुने गये प्रतिनिवित्रियों के आदेशानुसार ही होनी चाहिए। विधान सभा के नियंत्रणानुसार आय, व्यय और छण की व्यवस्था प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण के सर्वदा उचित एवं युक्तिमंगत है। आधुनिक समय में बजट बनाकर उसे विधान सभा से अनुमोदित करवाना इसी सिद्धान्त की पूर्ति का परिचायक है।

(३) सरलता एवं नियमितता (Canon of Simplicity and Regularity)—विस्तृ भी देश की प्रशासन प्रणाली सरल होनी चाहिए ताकि वह न केवल प्रशासनों के लिए आरामदायक हो बल्कि सामान्य जनता के भी आसानी से समझ में आ सके। इसके अतिरिक्त आय रथा व्यय की क्रिया सम्पूर्ण वर्ष में नियमित रूप से बेटी हो तो प्रशासन के लिए सुविधा रहती है। इससे न तो आकस्मिक छप

लेने की आवश्यकता होती है, न ही अपव्यय होने का भय रहता है। नियमितता के लिए प्रशासनिक कुशलता अत्यन्त आवश्यक है।

(४) प्रभावशाली नियन्त्रण (Canon of Effective Control)—वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि वह पर्याप्त लचकदार होना चाहिए अर्थात् उसमें अनावश्यक बन्धन नहीं होने चाहिए। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकारी धन खर्च करने में किसी नियम का पालन ही न हो। यदि ऐसा हुआ तो सरकारी रकम का दुरुपयोग होने की बहुत आशंका रहेगी। अत रकम के खर्च पर कुशल एव प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होना आवश्यक है। यह नियन्त्रण विधान सभा, या लोक सभा, अकेक्षण अधिकारियों तथा लोक-लेखा समितियों का हो सकता है।

आय व्ययक या बजट (Budget)—बजट एक ऐसा व्यौरा होता है जिसमें आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। इन अनुमानों के साथ प्राय पिछले वर्ष के बजट तथा संशोधित अनुमान और उससे भी पूर्व की वास्तुविक आय और व्यय सम्बन्धी अक दिये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, १९७०-७१ के बजट में १९६८-६९ की आय और व्यय के वास्तविक अक तथा १९६९-७० की, आव और व्यय के बजट तथा संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। इस दृष्टि से बजट प्राय तीन वर्षों के तुलनात्मक अक का व्यौरा होता है।

आयम तथा पूँजीगत बजट (Revenue and Capital Budget)—बजट को प्राय दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। पहले भाग में आगम (Revenue) बजट होता है जिसमें करों से प्राप्त कुल आय अथवा सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत प्राप्त आय तथा सामान्य वार्यों की पूर्ति के हेतु किये गये व्यय सम्मिलित होते हैं। सरकार द्वारा व्यावसायिक कार्यों में जो पूँजी विनियोजित की जाती है अथवा ऋण दिये जाते हैं तथा जो ऋण आदि प्राप्त किये जाते हैं वह पूँजीगत बजट में दिखलाये जाते हैं।

बजट की प्रत्रिया—(१) तैयारी—केन्द्र तथा राज्य सरकार वे वित्त मन्त्रालय में एक बजट विभाग होता है जो विभिन्न मन्त्रालयों वे धाधीन विभागों की आय तथा व्यय सम्बन्धी अंकिडे संग्रह करता रहता है। आगामी वर्ष वे लिए विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा जो योजनाएँ स्वीकृति की जाती हैं उनका सम्पूर्ण व्यौरा भी बजट विभाग एकत्रित बरता है और आगामी वर्ष के अनुमान तैयार करता है। इस प्रकार बजट विभाग द्वारा गत दो वर्षों के वास्तविक अथवा संशोधित अक तथा आगामी वर्ष के अनुमानित आय-व्यय के अक तैयार कर लिए जाते हैं, यही बजट है।

(२) कर आदि के प्रस्ताव—इधर बजट विभाग बजट तैयार करता रहता है, उधर वित्त मन्त्री व्यापार, उद्योग तथा विविध व्यवसायों के प्रतिनिधियों से बार्टा द्वारा तथा देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की गति ध्यान में रखकर यह निर्णय बर लेता है कि अमुक धोशों में बरा से छूट देनी है तथा अमुक-अमुक धोशों में बरों में

वृद्धि करनी है। इन निर्णयों की पुष्टि बजट विभाग द्वारा तथा विचार किये बौद्धिकों के आधार पर कर सी जाती है।

(३) प्रस्तुतीकरण—बजट से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् निश्चित तिथि प्रायः परवरी के अन्तिम दिन बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मन्त्री द्वारा देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) प्रस्तुत किया जाता है जिसमें देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत व्यौरा होता है तथा भविष्य की सम्भावनाओं का अनुमान होता है। वास्तव में यह सर्वेक्षण ही बजट की पृष्ठभूमि वा कार्य करता है।

(४) विवाद—वित्त मन्त्री द्वारा बजट लोक सभा या विधान सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् उस पर विवाद आरम्भ होता है। वित्त मन्त्री द्वारा रखे गये वर प्रस्तावों की आलोचना प्रत्यालोचना होती है और अन्त में वित्त मन्त्री द्वारा सभी आलोचनाओं के उत्तर दिये जाते हैं। कभी-कभी वित्त मन्त्री कुछ करो में कमी या सुधार के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं।

बजट की माँगों पर विचार प्रायः अलग-अलग विभागों नुसार होता है और प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित मन्त्री उन माँगों के ओचित्य के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। उभी उभी विपक्षी सदस्यों द्वारा विसी माँग पर कटौती प्रस्तुत कर दी जानी है। यदि कटौती का प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाय तो इसे मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास की सज्जा दी जाती है और मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है।

(५) स्वीकृति—बजट की स्वीकृति के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्तादार हो जाते हैं और यह अधिकृत मान लिया जाता है। इसकी प्रतियोगी सब विभागों को भेज दी जाती हैं और सब विभाग इसको आधार मानकर कार्य करते हैं।

(६) पूरक बजट—कभी-कभी सरकार के कुछ विभागों का बजट में स्वीकृत रखम से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में पूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है और अतिरिक्त माँगों की लोक सभा या विधान सभा से स्वीकृति ले सी जाती है। यह बात घटान देने योग्य है विलोक सभा या विधान सभा की स्वीकृति विना सरकार का बोई विभाग कोई रखम खर्च नहीं कर सकता।

(७) अकेशण—सरकारी रखमों की प्राप्ति तथा व्यय एवं ऋण आदि के सम्बन्ध में निश्चित नियम तथा परम्पराएँ बनी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। इसकी देश-रेस वा दायित्व महा लेखापाल (Auditor and Comptroller General of India) पर है जिनके द्वारा सरकार के सब विभागों के आय-व्यय वा नियमित अकेशण करवाया जाता है। आय प्राप्ति, व्यय तथा ऋण आदि से सम्बन्धित सभी अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। महा लेखापाल वीर रिपोर्ट भारतीय सरकार का विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है जिसमें वर्णित अनियमितताओं का सरकारी अधिकारियों या मन्त्रियों

द्वारा जबाब दिया जाता है। इस प्रकार अकेशण द्वारा सरकारी धन के उचित प्रयोग का ध्यान रखा जाता है। अकेशण रिपोर्ट भविष्य में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में सहायक होती है।

(d) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—भारतीय सरकार तथा राज्य विधान सभाएं सरकारी आय-व्यय की उच्चस्तरीय जांच के लिए लोक लेखा समिति की नियुक्ति बरती है। इस समिति में प्रायः सभी दलों के सदस्य होते हैं और अनेक बार विरोधी पक्ष का वोई महत्वपूर्ण विधायक इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार के सभी विभागों में व्यय की नियमितता सम्बन्धी जांच करती है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत बरती है। जिसके आधार पर सरकारी विभागों की भविष्य की वित्तीय नीतियाँ निर्धारित होती हैं।

नियमित वार्षिक सचालन—देश अथवा किसी राज्य की वित्तीय क्रियाओं का सचालन वित्त सचिवालय के अधीन होता है। वित्त सचिवालय के प्रायः कई भाग, विभाग होते हैं।

(1) बजट विभाग—जो बजट सम्बन्धी अक सप्रह कर उसे अन्तिम रूप में तैयार बरता है।

(2) व्यावसायिक विभाग—राज्य के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लेन देन का सम्पूर्ण व्योरा रखता है तथा उसे सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करता है।

भारत सरकार ने सन् १९६७ से लोक उद्यम संस्थान (Bureau of Public Enterprises) की अलग से स्थापना कर दी है।

(3) अर्थोपाय विभाग (Ways and Means Section)—इसके द्वारा सरकार जितने क्रृष्ण लेती है, उनकी योजना बनायी जाती है तथा उनके सम्पूर्ण लेन देन का व्योरा रखा जाता है।

सरकार को बर बसूली से अधिकाश आय वर्ष के अन्तिम चार पाँच महीनों में प्राप्त होती है वर नियमित कार्य सचालन के लिए उसे समय-समय पर आकस्मिक क्रृष्ण लेन पढ़ते हैं। यह क्रृष्ण रिजर्व बैंक से लिए जाते हैं अथवा रिजर्व बैंक के माध्यम से जनता या व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त किये जाते हैं। ज्यो-ज्यो करों की रकम जमा होती जाती है, इन क्रृष्णों का भुगतान बर दिया जाता है। विदेशों से प्राप्त क्रृष्णों वी व्यवस्था भी रिजर्व बैंक द्वारा ही होती है।

सरकार जितनी रकम करों से प्राप्त बरती है वह सम्पूर्ण रिजर्व बैंक (अथवा उसके प्रतिनिधि बैंकों) द्वारा जमा की जाती है और उस रकम में से सम्पूर्ण सरकारी भुगतान भी रिजर्व बैंक द्वारा किये जाते हैं।

वित्तीय नियन्त्रण के सबाय—भारत में केन्द्रीय तथा राज्यों के वित्त प्रशासन का नियन्त्रण निम्नलिखित सबायों अथवा एजेन्सियों के माध्यम से होता है।

(1) महा लेखापाल (Auditor and Comptroller General)—सरकार के विभिन्न विभागों के व्यय बजट के अनुसार हैं या नहीं तथा उनका हिसाब समुचित

दण से रखने की व्यवस्था की गयी है या नहीं, आदि सभी तथ्यों तथा क्रियाओं का अकेशण महा लेखापाल द्वारा करवाया जाता है। यह कार्यालय सरकार के इसी प्रकार के दबाव में नहीं होता अतः जौच की सही और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बास्तव में अकेशण के भय से ही सरकारी आय-व्यय के साते नियमित रूप में रखे जाते हैं तथा सरकारी धन ठीक प्रकार से संचय करने की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है।

(२) विभागीय नियन्त्रण—सरकार के प्रत्येक विभाग में भी प्राय प्रशिद्धि लेखाकर (accountants) होते हैं और सभी व्यय उनकी सहमति से किया जाता है। प्राय प्रत्येक रकम का व्यय करने से पूर्व लेखाकर की राय लेना आवश्यक होता है। बहुत से विभागों में अकेशण भी होता है जिससे अनियमिताओं का भय बहुत कम हो गया है।

(३) अनुमान समिति (Estimates Committee)—यह समिति सप्तद द्वारा नियुक्त की जाती है। इसका बायं राज्य के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी सुभाव देना है। अत यह विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययता की फिरारित करती है और सचें में परिवर्तन सम्बन्धी सुभाव देती है।

(४) बायंकारिणी समिति—देश के विभिन्न मदों पर व्यय का निर्धारण प्राय मन्त्रिमण्डल की एक समिति द्वारा होता है। आधिक समिति से (जिसमें वित्त मन्त्री तथा ५ अन्य मन्त्री होते हैं) विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित सुभाव माँग लिए जाते हैं और उसके सुझावों के आधार पर अन्तिम निर्णय बायंकारिणी समिति या केनिनेट द्वारा लिया जाता है। बास्तव में, यह समिति विविध सचों के लिए प्रायमित्ता के आधार पर रकमें निर्धारित करती है जिससे वित्तीय आयोजन अधिक युक्तिसंगत हो सकता है।

(५) सोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—यह समिति सप्तद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति होती है जिसका बायं सम्पूर्ण आय-व्यय की राशि तथा क्षेत्रीय औचित्य की जौच करना और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस समिति की रिपोर्ट सप्तद में प्रस्तुत की जाती है अतः इससे सभी विभागाध्यक्षों को बहुत भय रहता है।

उपर्युक्त सभी सकाय देश की वित्त प्रशासन व्यवस्था को मुव्यवस्थित एवं सुसचालित रखने में सहायक होते हैं।

अम्यास प्रश्न

- वित्तीय प्रशासन से क्या तात्पर्य है? प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में वित्तीय प्रशासन का महत्व स्पष्ट कीजिए।
- भारत में बजट इस प्रकार बनाया जाता है। भारतीय बजट की विशेषताएं बताइए।
- भारत में वित्तीय प्रशासन का नियन्त्रण करने की रोतियों का विवेचन कीजिए।

आर्थिक नियोजन—आवश्यकता एवं महत्त्व (ECONOMIC PLANNING—NEED AND IMPORTANCE)

वर्तमान युग समाजवाद वा युग है। प्रत्येक विवासशील देश में समाजवादी व्यवस्था की चर्चा है जिसका अर्थ यह है कि वहाँ आर्थिक विप्रमताओं को कम करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें गरीब और अमीर का अन्तर बहुत कम हो जाय और आर्थिक साधनों पर इने गिने व्यक्तियों वा अधिकार नहीं रह जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आर्थिक नियोजन वा सहारा लिया जाता है। वर्तमान युग में 'समाजवाद' की तरह 'नियोजन' का भी बहुत प्रचार हो गया है। अत नियोजन वा अर्थ समझना बहुत आवश्यक है।

अर्थ (Meaning)

आर्थर ल्यूइस के अनुसार नियोजन के द्यु प्रचलित अर्थ हैं

(१) भौगोलिक वितरण—पहले अर्थ के अनुसार नियोजन से तात्पर्य फैस्टरियो, रहने के भवानों तथा सिनेमा घर आदि का भौगोलिक वितरण करना मात्र है। इसका अर्थ यह है कि कारखाने, मकान तथा सिनेमा घर वहाँ वहाँ स्थापित किये जायें तथा विन विन दिशाओं में और कितने कितने क्षेत्र में बनाये जायें, यह निश्चित करना ही नियोजन बहलाता है।

इस अर्थ से स्पष्ट है कि वह केवल नगर नियोजन (Town Planning) की ओर सकेत करता है। नियोजन वा अर्थ केवल नगर नियोजन नहीं हो सकता, उसमें नगर के विकास के बायंशम भी सम्मिलित करने आवश्यक होते हैं।

(२) सरकारी ध्यय—बुद्ध व्यक्तियों का मत है कि सरकार आने वाले चार पौन वर्ष में विन विन मदो पर कितनी कितनी रकम खर्च करेगी इस सम्बन्ध में निर्णय करना ही नियोजन है। इस दृष्टि से सरकारी खर्चे के बारे में निश्चय करना ही नियोजन बहलाता है।

नियोजन वा यह अर्थ भी बहुत सीमित है क्योंकि सरकार किस मद पर कितनी रकम खर्च करेगी, यह नियोजन वा केवल एक भाग है। नियोजन में अन्य

बहुत सी बातें समिलित हैं जैसे कौन से दोनों दो विकास पहले करना है, उनके विकास के लिए इन साधनों की आवश्यकता होगी, वह साधन वहीं से और कैसे प्राप्त किये जायेंगे तथा सरकारी और निजी दोनों में इन-इन उद्योगों तथा व्यवसायों वा विस-किस सीमा तक विकास किया जायगा आदि, आदि।

(३) अम्मण निर्धारण—नियोजन का एक तीसरे अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार उत्पादन करने वाली प्रयोक इकाई के लिए माल तथा मानवों तत्त्वों की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। उसे इन तत्त्वों के प्रयोग से ही उत्पादन करना पड़ता है यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि उस इकाई द्वारा अपना माल वहीं बेचा जायेगा। इस स्थिति में प्रबन्धक को माल खरीदने, बेचने तथा उत्पादन करने वो बोई स्वतन्त्रता नहीं होती। यह सब वायं बेन्द्रीय भरकार के आदेशानुसार किये जाते हैं। इस प्रकार उत्पादन तथा विक्री के निर्धारण वो नियोजन पहा जाता है।

नियोजन का यह अर्थ भी सीमित ही है क्योंकि केवल उत्पादन, सरोद और विक्री के निर्धारण से नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। नियोजन में उत्पादन, क्रय विक्रय के अनिरिक्त उपभोग, वित्त तथा विभिन्न सेश्वों से प्राप्तमित्रताओं के निर्धारण वा वायं बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बात अधूर्य वहीं जा सकती है कि यह अर्थ अन्य अपेक्षा से अधिक द्यावक है।

(४) उत्पादन सदृशों का निर्धारण—नियोजन के एक अन्य अर्थ के अनुसार सरकार द्वारा लोक और निजी दोनों द्वारा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाने हैं। यह अर्थ भी बहुत सीमित है क्योंकि इसमें केवल उद्योगों के विकास और विस्तार का नियन्त्रण करने वो ही नियोजन माना गया है जो वास्तव में नियोजन का एक भाग माना है।

(५) अर्थ-व्यवस्था के लिए सहय निर्धारण—कुछ व्यक्तियों की मान्यता है कि यदि देश के सभी आधिक सेश्वों के लिए उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायें और उत्पादन के सभी सेश्वों में अम, बच्चा माल, विदेशी विनियम और अन्य वस्तुओं वा बटवारा कर दिया जाय तो इसे नियोजन वहा जायेगा। यह अर्थ भी सहीता के बहुत निष्ठ है क्योंकि नियोजन में प्राप्तमित्रताएं निर्धारित करनी आवश्यक होती है। इन प्राप्तमित्रताओं के आधार पर ही सब साधनों वा बटवारा दिया जाना है और इसका उद्या हिक्के ही व्यवस्था ही बनती है।

(१) निजी सेश्व का विषमन—नियोजन वा अन्तिम अर्थ यह है कि सरकार अपने द्वारा निर्धारित सदृशों की पूर्ति निजी दोनों से करवाने वे लिए जो भी उपाय बरती है वह नियोजन है। इस अर्थ में यह मान निया गया है कि उत्पादन के सहय केवल निजी दोनों द्वारा लिए निर्धारित किये जाते हैं और सरकार केवल उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न बरती है। वास्तविक स्थिति वह है कि नियोजन में सरकार तथा

निजों सेव दोनों में उत्पादन होता है, दोनों के लिए सहज निश्चित किये जाते हैं और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाता है।

उचित अर्थ या परिभाषा

इन सब अर्थों तथा माम्यताओं को ध्यान में रखकर नियोजन की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है :

जब किसी देश में उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनियोग की क्रियाओं का सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के बनुसार नियन्त्रण तथा संचालन होता है तो इस व्यवस्था को नियोजन कहा जाता है। नियोजन वा प्रयोग जब किसी देश के लिए किया जाता है तो वह उसका अर्थ प्रायः आर्यिक नियोजन ही होता है क्योंकि सरकार द्वारा उत्पादन, उपभोग, विनियोग तथा वितरण आदि की क्रियाओं का नियन्त्रण एवं निदेशन किया जाता है। यह क्रियाएँ आर्यिक क्रियाएँ हैं और इनका सम्बन्ध देश की अर्थ-व्यवस्था से होता है।

आर्यिक नियोजन की विशेषताएँ

आर्यिक नियोजन की आवश्यकता उन देशों में पड़ती है जो आर्यिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनमें सोगों की प्रति व्यक्ति आव बहुत कम और जीवन स्तर बहुत नीचा है, जहाँ गरीबी और अमीरी में भयानक अन्तर है, जहाँ आर्यिक साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित हैं और वे रोजगारी फैलो हुई है। इन देशों को अपने सीमित साधनों के थेप्टरम उपयोग द्वारा अपनी जनता का जीवन स्तर डंचा उठाना होता है और गरीब और अमीर के भेद को बहुत बढ़ाना होता है। अतः उत्पादन, उपभोग, विनियोग, वितरण तथा मूल्यों पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाना आवश्यक होता है। वास्तव में, नियोजित अर्थ-व्यवस्था एक नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था होती है जिनमें किसी वा शोषण नहीं होता, सब व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर मिलते हैं तथा आर्यिक सत्ता कुछ हाथों में संकेन्द्रित नहीं रहती।

इन सब बातों को ध्यान में रख वर आर्यिक नियोजन की निम्नतिथित विशेषताएँ वही जा सकती हैं-

(१) प्रायमिक सेवों का निर्धारण—आर्यिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य अभावों से मुक्ति पाना होता है। जिन देशों के पास सीमित साधन (पूँजी, तकनीक, कच्चा माल आदि) होते हैं वह ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें सीमित साधनों वा थेप्टरम उपयोग हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कुछ सेवों वा चुन लिया जाता है जिनमें इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह सेव ही प्रायमिक सेव बहलाते हैं (जैसे कृषि, लघु उद्योग आदि)। यह सेव प्राय ऐसे होते हैं जिनमें इम पूँजी तथा हत्ते के तकनीकों द्वारा ही अधिक उत्पादन हो सकता है।

(२) सोक तथा निजों सेव में सहयोग—आर्यिक नियोजन में प्रायः सोक तथा निजों सेव बने रहते हैं (सोवियत इस तथा चीन आदि साम्यवादी देशों में सब उद्योग सरकारी सेव में से लिए याए हैं अतः वहाँ निजों सेव नहीं है) और उद्योग

तथा व्यवसाय का विकास इन दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मरकार प्राय यह निश्चिन वर लेनो है कि इन उद्योगों का विकास केवल लोक (या सरकारी) क्षेत्र में किया जायेगा, किन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जायगा तथा दोनों से उद्योग सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा विकसित किये जायेंगे। यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिसके विषय में दचिन निर्णय लेना आवश्यक होता है।

(१) लक्ष्यों का निर्धारण—क्षादिक नियोजन की तौमरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र (इष्टि, लघु उद्योग, बड़े उद्योग, स्थनिक, परिवहन, व्यापार आदि) के विकास के लिए उद्य निर्धारित वर दिये जाते हैं और उन क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी मुद्रिकाएँ दी जाती हैं। लक्ष्यों का निर्धारण देश के माध्यन तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किये जाते हैं।

(२) नियन्त्रण—नियोजित अर्थ-व्यवस्था मूल रूप में एक नियन्त्रित व्यवस्था होती है। अब मरकार द्वारा प्राय नियन्त्रित व्यवस्था लगाये जाते हैं।

(३) विनियोग—देश में नये या पुराने उद्योगों या व्यवसायों में मरकार की अनुमति से ही पूँजी लगायी जा सकती है। इम व्यवस्था से पूँजी (जिसकी मात्रा सीमित है) का विनियोग अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।

(४) साइकेन्स—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्राय नये उद्योग स्थापित करने अथवा उनका विस्तार करने के लिए भी लाइसेन्स की आवश्यकता पड़ती है। मरकार देश के उन्हीं उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स देती है जो सरकार की प्राधिकारिता मूल्य में आने हैं। इससे भी देश के लिए आवश्यक उद्योगों की ही स्थापना और विकास होता है।

(५) व्यापार—नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्त्व होता है। अत वस्तुओं के आपान नियन्त्रित व्यापार पर प्राय बड़े नियन्त्रण लगाये जाते हैं और सरकार को अनुमति विना आपात या नियति नहीं दिये जा सकते। इससे देश का व्यापार सन्तुलन ठीक रखने में मदद मिलती है।

(६) विदेशी विनियोग—नियोजित अर्थ-व्यवस्था लभी सकल हो सकती है जबकि विदेशी विनियोग के भण्डार सुरक्षित रखे जायें और विदेशी विनियोग की इमाई द्वा अनिवार्य कामों के लिए ही उद्योग किया जाय। इसी दृष्टि से इन देशों में प्राय विदेशी विनियोग के प्रयोग पर बड़े नियन्त्रण लगाये जाते हैं।

(७) वर्तमान—नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के प्राय कुछ वस्तुओं का अपाव होता है अत सरकार इन वस्तुओं के उद्योग की सीमित रखने के लिए इनका राशन कर देती है और यह वस्तुएँ इन्द्रेक व्यक्ति को नियन्त्रित मात्रा में ही विकल्प मिलती हैं, अधिक नहीं।

(८) मूल्य—नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्राय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का पर रहता है अत सरकार अनेक प्रकार से वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से

रोदने का प्रयत्न करती है ताकि साधारण जनता को बठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

इन सब विषयों के तथा विधाओं पर नियन्त्रण रखने का मुख्य उद्देश्य जनता को बठिनाई से बचाना, मूल्यों को स्थिर रखना, आर्थिक विकास में तेजी लाना तथा देश के मीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है।

(५) नियमित एवं निरन्तर प्रतियोगिता आर्थिक नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नियोजन चार छह वर्ष या दो वर्ष वा काम नहीं होता। यह एक लम्बी प्रतियोगिता होनी है। प्रायः पांच वर्ष के लिए एक योजना बनायी जाती है और अगले पांच वर्ष के लिए फिर दूसरी योजना लागू कर दी जाती है। इस प्रकार एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी योजना लागू की जाती है और योजना का अम चलता रहता है। वास्तव में विकास का काम ही दीर्घकालीन होता है जिसमें कुछ परियोजनाएँ (भावता नागरिक या बोकारो इस्पात वारसाना) बहुनई वर्षों में पूरी होनी हैं। निरन्तरता बनाये, रखने के लिए योजना का अम चारू रखना आवश्यक होता है।

आर्थिक नियोजन वर्षों आवश्यक है?

इससे पूर्व यह लिखा जा चुका है कि आर्थिक नियोजन में उत्पादन तथा उपभोग के सभी अर्थों पर अनेक नियन्त्रण लागू बर दिये जाते हैं। इन नियन्त्रणों के प्रमाणित देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास उचित दिशाओं में होना रहता है और आर्थिक शायदण और विपरिता में कमी आनी जाती है।

यदि आर्थिक नियन्त्रण नहीं लगाय जायें तो अर्थ तन्त्र स्वतन्त्र हप में चलता रहता है। गतिशाली पूँजीपति आर्थिक साधनों पर बढ़ाव करते चले जाने हैं, गरीब पहले से अधिक गरीब और अमीर पहले से अधिक अमीर होने चले जाते हैं। इस व्यवस्था का मुक्त वाजार व्यवस्था (Free Market Economy) कहते हैं। इसके दोषों के कारण ही आर्थिक नियोजन अपनाना पड़ता है। यह दोष निम्नांकित हैं:

(१) आय का न्यायपूर्ण वितरण—मुक्त अर्थ-व्यवस्था में धनी पूँजीपतियों द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता है। वह समाज की पूँजी विलासितापूर्ण वस्तुओं की सम्पत्ति में लगाते रहते हैं। इससे एक आर ता विलासिता का साधारण बढ़ता जाता है, दूसरी ओर मामान्य जनता के काम में आने वाली अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति कम रहती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकार पूँजीपतियों को ऐसे क्षेत्रों में पूँजी लगाने के लिए बाध्य करती है जो साधारण जनता के लिए अधिक उपयोगी हैं। अतः राष्ट्रीय सम्भति के न्यायपूर्ण वितरण और अधिकतम उपयोग के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है।

(२) अमिक्षों की मजदूरी—पूँजीवाली व्यवस्था अर्थवा मुक्त वाजार व्यवस्था में मजदूरों की मजदूरी प्रायः बहुत कम होती है क्योंकि कम मजदूरी देकर पूँजीपति अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवस्था में कम मजदूरी के अनिवित

थपिको को बहुत गदी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके रहन-सहन की हालत बहुत पटिया होती है वयोंकि पूँजीपतियों को उनकी हालत सुधारने में कोई रुचि नहीं होती।

वर्तमान युग में मजदूरों में पहले से बहुत अधिक जाति उत्पन्न हो गयी है अत वह अधिक मजदूरी और अन्य सुविधाओं से संबंधित संघर्ष करने लगे हैं। इन संघर्षों से उत्पादन का स्तर गिरते रहते हैं जिन नियोजित अर्थ-व्यवस्था अपनाना अच्छा है क्योंकि उसमें मजदूरों की उचित मजदूरी देने की व्यवस्था को जाती है और उनकी सामान्य सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है। अन मजदूरों तथा मालियों में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में भी आधिक नियोजन आवश्यक है।

(३) मुद्रा स्फीति, वेरोजगारी तथा मूल्यों में उत्तार-चढ़ाव—मुक्त अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग वयवा मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। इससे मुद्रा स्फीति बढ़ती जाती है, मूल्यों में निरन्तर उत्तार-चढ़ाव होते हैं और समाज में वेरोजगारी बढ़ने का सदा भय रहता है। इन सब कियाओं से समाज में निरन्तर असतोष बढ़ता रहता है और समाज में एक अजीव वर्दीनी बनी रहती है। इस वर्दीनी को दूर करने के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था का भावारा लिया जाता है।

(४) विदेशी व्यापार—मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्राय देश का व्यापार सन्तुलन सदा विपक्ष में रहने का भय रहता है। विदेशी देशों को प्राय विदेशों से बहुत सामान आयात करना पड़ता है और उनके पास नियंत्रित की जानी वाली व्यवस्था में अतिरिक्त मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्राय विनामितपूर्ण बस्तुओं के आयात का भय बहुत होता है। जिससे समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था अपनायी जाती है जिसमें व्यापार पर उचित नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं।

(५) जड़ता—मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्राय शियिलता और जड़ता होती है। उसमें परम्परा तथा पुरानी रीतियों का प्रभुत्व होता है। कम विवित देशों को गरीबी से मुक्त करने के लिए कान्तिकारी कदम उठाने की आवश्यकता होनी है जो प्राय पूँजीवादी मुक्त व्यवस्था में उठाना बहुत होता है। अत नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है।

(६) बर्दादी—पूँजीवादी वयवा मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्राय आपस में स्पर्द्धा होती है। यह सत्य है कि स्पर्द्धा के कारण उत्पादन अपने तकनीकों में तेजी से मुधार बरते हैं जिससे माल अच्छा और सस्ता बनता है जिन्हें स्पर्द्धा के कारण लाखों करों रुपये विकापन पर स्वर्च किये जाते हैं। इसी प्रकार कुछ इन-गिने उत्पादन क्षेत्रों में पूँजी समग्री होती है जबकि बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूँजी समाप्त हो नहीं जाती। इस बर्दादी और पूँजी के हल्के उपयोग को नियोजित अर्थ-व्यवस्था हारा रोका जा सकता है।

(७) एकाधिकार—मुक्त वर्द्धव्यवस्था में प्राप्ति पूँजीपति बास्तव में नितकर एकाधिकार स्थानित कर लेते हैं और मनमानी बस्तुएँ बनाकर मनमाने भाव पर देवते रहते हैं। इस इकार के एकाधिकार से बहुचित ताज उठा कर वह आर्थिक सहा वो बपने हाँसों में चलते हैं त कर लेते हैं। इन एकाधिकारों वो रोकने के लिए राज्य का हम्मशेष आवश्यक है। यह योग्य के हम्मशेष वो एवं रोटि नियोजित वर्द्धव्यवस्था है।

आर्थिक नियोजन के स्वरूप

(Forms or Types of Planning)

कुछ व्यक्तियों वा मत है कि आर्थिक नियोजन केवल समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है, पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक नियोजन की तात्त्वता सर्वथा अस्तित्व एवं व्यर्थ है। तुदविग बौन नाइजिम के अनुमार “नियोजन तथा पूँजीवाद सर्वथा विरोधी व्यवस्थाएँ हैं। नियोजन मुक्त साहस के विरुद्ध है, इसमें व्यवितरण प्रोत्साहन, उत्पादन के उत्तरों वा नियोजन व्यानिक्ष, बाजार व्यवस्था तथा मूल्य प्रणाली का कोई महन्त नहीं है।” इन्हुं एक व्यवस्था अर्थगतिकी लेंदादर का मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था के हाँचे में भी आर्थिक नियोजन नहीं है।

नियोजन कुछ दर्शों में समाजवादी अर्थगतिक्षयों तथा समाजवाद के समर्थकों के दिवारों में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक समय में समाजवादी भी यह मानते लगे हैं कि पूँजीवादी हाँचे में आमूल-तूल परिवर्तन किये दिना भी आर्थिक नियोजन हो सकता है। बास्तुत में वह इस प्रकार के आर्थिक नियोजन को आर्थिक योग्य मानते लगे हैं। अत आर्थिक नियोजन का अब एवं स्वरूप नहीं गह गया है। इसके महत्वपूर्ण स्वरूपों पर विचार करना उचित होगा।

(१) नियोजित नियोजन तथा प्रेरित नियोजन

(Planning by Direction and Planning by Inducement)

दर्शनान सुन में आर्थिक नियोजन के नियोजन को दो सब स्वीकार करते हैं परन्तु अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो यह पन्नन नहीं करते कि सरकार द्वारा उत्पादन, उत्पन्नोग, वितरण व्यापार आदि के सम्बन्ध में रुद आंदेश जरूर से दिये जायें और नामांकित को साने धीन, परन्तु या ब्यापार करने की तकनीक भी स्वतन्त्रता न हो। उनकी मान्यता यह है कि सरकार के बन सामान्य नीतियों वा नियोजन करती रहे। उन नीतियों के अनुरूप ही जनता को उत्पादन, उत्पन्नोग, व्यापार आदि की स्वतन्त्रता रहे। इच्छे पहली व्यवस्था वो नियोजित नियोजन तथा दूसरी व्यवस्था को प्रेरित नियोजन कहा जाता है।

नियोजित नियोजन के अन्तर्गत सरकार या एवं केन्द्रीय अधिकारों (योवना बायोग, द्वारा न केवल नीति सम्बन्धी नियोजन दिये जाते हैं बन्धि उनका पालन करने की काजा भी हाँती है। बास्तुत में, इस व्यवस्था में सरकार स्वयं सब उत्पादक एवं

आधिक कार्य करती है, जनना या व्यवसायियों को कोई उत्पादन या वितरण करने की दूट नहीं होती। सरकारी कर्मचारी मशीनों की तरह अभिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं।

निदेशित नियोजन स्पष्ट तथा अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें उत्पादकों को इधर उधर जाने की स्वतन्त्रता नहीं होती। उन्हें अपनी बुद्धि, शक्ति या कुशलता वा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इम व्यवस्था में जो सामान बनता है वह प्राय घटिया होता है।

प्रेरित नियोजन में केवल नीति निर्धारण करने का काम सरकार का होता है। नीति निर्धारण में भी सरकार उत्पादन करने वालों, व्यापारियों तथा अन्य पक्षों से सलाह से लेती है। अत उन व्यक्तियों का नीति निर्धारण में भी योगदान होता है। नीति निर्धारण के पश्चात् उभया पालन करने का काम उद्योगसभियों तथा अन्य वर्गों पर छाड़ दिया जाता है। सरकार समय-समय पर इन वर्गों ने समर्क स्थापित करती रहती है जिससे इन वर्गों को अपने उत्तरदायित्व का आनंद होता रहता है।

प्रेरित नियोजन में जनता को अपनी बुद्धि, बोलत तथा योग्यता का प्रयोग करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है जिससे नियोजन की सफलता की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

निदेशित नियोजन को केन्द्रित (centralised) नियोजन भी बहा जाता है।

(२) कार्यात्मक नियोजन तथा सरचनात्मक नियोजन

(Functional Planning and Structural Planning)

कार्यात्मक नियोजन का अर्थ यह है कि देश की वर्य व्यवस्था का मौलिक हाँचा जैसा है उसी का आधार मानकर उसमें कार्यों को नीति के बनुसार बदल देना चाहिए। इस व्यवस्था में समाज का हाँचा पूँजीवादी बना रहता है और सरकार की नीतियों के बनुसार उत्पादन, उपभोग तथा वितरण आदि के वायों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार वे नियोजन में कोई आन्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये जा सकते।

इसके बिपरीत सरचनात्मक नियोजन की यह मान्यता है कि समाज के मौलिक हाँचे में ही परिवर्तन लाया जाना चाहिए। यदि पूँजीवादी व्यवस्था प्रचलित है तो इनक स्थान पर समाजवादी हाँचा स्थापित होता जाहिए ताकि सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के पालन में इसी प्रकार भी उठिनाई उत्पन्न होने का भय न रहे। बास्तव में, सरचनात्मक नियोजन द्वारा ही आधिक स्थिति में आन्तिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। अतः समाजवादिया वा यह मत है कि कार्यक नियोजन को सार्यक बनाने के लिए सरचनात्मक स्वरूप ही अपनाया जाना चाहिए।

(३) केन्द्रित नियोजन तथा विदेशित नियोजन

(Centralised and Decentralised Planning)

इससे पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका है कि केन्द्रित नियोजन में योजना

बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसकी सफलता की देख-रेख एवं मूल्यावन करने के लिए एक वैद्वित अधिकारी या माध्यम होता है। इस प्रकार वैद्वित नियोजन उपर से आदेश की तरह होता है जिसके पालन का दायित्व वैन्द्रीय सरकार पर होता है। इस प्रकार के नियोजन में जनता का विश्वास और योगदान प्राय नहीं मिल पाता।

वैद्वित नियोजन के अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रादेशिक स्थाएँ (या शासन व्यवस्थाएँ) योजना बनाती हैं और इसको कार्यान्वित करती है। इस प्रकार की योजना में बैन्ड की बेंचल सहमति ले ली जाती है वयोंविं बैन्ड द्वारा प्राय विभिन्न प्रदेशों की योजनाओं में समन्वय तथा तालिमेल बैटानी पड़ती है।

वैद्वित तथा वैद्वित नियोजन का मध्यम मार्ग सुविधापूर्वक अपनाया जा सकता है। इसमें वैन्द्रीय अधिकारी स्थानीय तथा प्रादेशिक स्थाओं से योजना की माँग करते हैं। आपस में विचार-विमर्श के पश्चात् ही इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है। इससे सारी योजनाओं का एक समन्वित रूप तैयार हो सकता है और प्रत्येक क्षेत्र को अपनी योजना पूरी करने का उत्तमाह रहता है।

(४) व्यापक नियोजन तथा आशिक नियोजन

(Comprehensive Planning and Partial Planning)

व्यापक नियोजन में देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था के सारे क्षेत्रों के विकास के बारे में योजना बनायी जाती है। इसमें हृषि, उद्योग, व्यापार, वित्त आदि सब क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के दिये जाते हैं तथा इन क्षेत्रों के सहुलित विकास के उपाय निकाले जाते हैं। व्यापक नियोजन देश के सम्पूर्ण अर्थ रूप की उन्नति का दृष्टिकोण लेकर अपनाया जाता है।

आशिक नियोजन के अन्तर्गत देश की अर्थ-व्यवस्था के कुछ जुने हुए क्षेत्रों (खेती, उद्योग आदि) को सेलिया जाता है और उनके विकास के लिए योजना बनायी जाती है। इस प्रकार का योजना अर्थ-व्यवस्था के कुछ हिस्सों से ही सम्बन्धित होती है और वह सारी अर्थ-व्यवस्था को बेंचल अप्रत्यक्ष रूप में ही प्रभावित करती है। भारत में यदि खेती के विकास के लिए योजना बनायी जाय तो वह सारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित तो बरेगी इन्तु उसका प्रभाव सीमित और अन्तिम ही होगा।

लार्ड रॉबिन्स जैसे प्रगिद अर्थशास्त्रियों द्वा भत है विसी देश के आर्थिक जीवन में आशिक नियोजन का कोई महत्व नहीं है। यदि नियोजन किया जाय तो व्यापक ही होना चाहिए नहीं तो मुक्त अर्थ-व्यवस्था ही ठीक है।

(५) स्थायी नियोजन तथा आपात नियोजन

(Permanent Planning and Emergency Planning)

जब सरकार आर्थिक नियोजन को आर्थिक विकास का आधार मान लेती है तो प्राय दीर्घकाले के लिए नियोजन किया जाता है और एक योजना के पश्चात्

दूसरी तथा दूसरी के बाद तो सरी योजना के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार का नियोजन देश की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार लाने के बास्ते किया जाता है और नियोजन का कार्य दोषकाल तक चलता रहता है।

आपात नियोजन किसी आर्थिक या राजनीतिक मकान से मुक्त होने के लिए अरमाया जाता है। इसकी सारी योजना कुछ समय के लिए ही होती है और सकट समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाती है। युद्धकाल में प्राय उद्योगों के स्वल्प में परिवर्तन कर दिया जाता है। और माल की पूर्ति वा क्रम भी बदल दिया जाता है ताकि युद्धकालीन आवश्यकताओं को आमानी से पूरा किया जा सके। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् उद्योगों वे ढाँचे में फिर से परिवर्तन कर दिया जाता है। वास्तव में सकटकालीन या अपात नियोजन को नियोजन नहीं कहना चाहिए। यह तो सकटकालीन व्यवस्था मात्र ही होती है जो परिस्थितिया के बनुद्वाल स्थापित होती है।

(६) प्रजातान्त्रिक नियोजन तथा तानाशाही नियोजन

(Democratic Planning and Dictatorial Planning)

कुछ व्यक्तियों द्वारा यह मान्यता रही है कि प्रजातन्त्र एवं पूँजीवाद व्यवस्था है जिसमें आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता। उनकी मान्यता यह रही है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए तानाशाही शासन ही सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि तानाशाही शासन में जो भी आदेश दिया जायेगा उसका भय के कारण पालन होगा, जबकि प्रजातन्त्र में अनेक नियंत्रणों द्वारा व्यार्थान्वित करना ही कठिन होता है।

वर्तमान युग में इस धारणा में परिवर्तन हो गया है। जब यह माना जाता है कि योजना बनाते समय सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशासकों से सलाह ली जानी चाहिए तथा सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के मत वो उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को नियोजन मन्दस्थी नियमों में शामिल करने से योजना को व्यार्थान्वित करना बहुत सरल हो जायगा। इसके साथ ही, सार्वियों तथा प्रशासकों को अपने क्षेत्र को योजना को सफल बनाने का उत्साह भी रहेगा।

तानाशाही नियोजन—में कार से आदेश दिये जाते हैं जिनमें पालन करने वालों का विश्वास नहीं होता। अत वह केवल मशीन की माँति उन आदेशों का पालन करते हैं, उनसे लगाव या अपनत्व अनुभव नहीं करते। इस प्रकार के नियोजन ये उत्तरदायित्व तथा सगाव की वर्मी रहती है और जनता की दुष्कृति तथा क्रियात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है इपोर्ट जहाँ अपनी क्रियात्मक शक्ति का प्रयोग करने का बवसर ही नहीं मिलता।

अल्प विवित देशों में आर्थिक नियोजन

[ECONOMIC PLANNING IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES]

कठिनाइयाँ—अब या वर्म विवित देशों में आर्थिक नियोजन में अनेक कठिनाइयों का साना वर्ग पड़ता है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) घटिया प्रशासन—आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भजवृत्, सुयोग्य तथा ईमानदार प्रशासन (strong, competent and incorrupt administration) की आवश्यकता होती है। यह प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में समर्थ हो। अल्प विकसित देशों में प्रायः वरी की वसूली करनी बढ़िन होती है। यदि वरतुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं और राजन व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो प्रायः भ्रष्टाचार और चोर बाजारी फैल जाती है। इस प्रकार सरकार की नीतियाँ प्रायः वागङ्ग पर रह जाती हैं, उनका ठीक प्रकार पालन नहीं हो पाता।

इन देशों में प्रशासन व्यवस्था हीली, नयोग्य तथा भ्रष्ट होती है। और रिश्वत के बल पर राष्ट्रद्वारा ही वाम होते रहते हैं। अत जनता को भी सरकार की नीतियों तथा प्रशासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रहता। इस प्रकार आर्थिक योजनाओं में जो रकम खर्च ही जाती है। उसका एक बड़ा भाग भ्रष्ट शासकों, ठेंडेदारों तथा प्रशासकों की जेबों में चला जाता है और जनता को बहुत कम लाभ मिलता है।

(२) साज सज्जा की वस्त्रो—अल्प विकसित देशों में प्रायः सड़कें, रेलें, बिजली, सिचाई वी सुविधाएँ जल पूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा तथा सदेशवाहन के साधनों की बहुत कमी रहती है। यह सुविधाएँ आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है किन्तु इन देशों में यह सुविधाएँ बहुत पिछड़ी हुई रहती हैं तथा विकास भी धीरे-धीरे होना है। अत इन आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण आर्थिक विकास का वाम शिथिल रहता है।

(३) तदनीकी ज्ञान—अल्प विकसित देशों में प्रायः तदनीकी ज्ञान का सर्वथा अभाव रहता है। इन देशों में प्रशिक्षित इजीनियर, तथा प्राविधिक विदेशी और प्रबन्ध व्यवस्था में कृशल व्यक्तियों की कमी रहती है अत विसी भी योजना का आरम्भ करने से पहले विदेशी से इजीनियर या तदनीकी जानकार बुलाना आवश्यक होता है। इनकी सेवा के लिए बहुत अधिक वेतन देना पड़ता है जो इन देशों के लिए बहुत भारी पड़ता है।

(४) पिछड़ी हुई कृषि—सहसर के विकसित देशों में प्रायः खेती से प्राप्त आमदनी में श्रीटोगिव विकास किया गया है। अल्प विकसित देशों में प्रायः हृषि की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई रहती है। हृषि की पुरानी प्रणालियाँ, छोटे-छोटे खेत, हृषि की नयी प्रणालियों के प्रति अज्ञानता तथा हृषि पर बहुत अधिक जन सख्त्या वी निर्भरता के कारण इन देशों में खेती से बोई बचत नहीं होती है। अत खेती उद्योगों के विकास में बोई सहयोग प्रदान नहीं करती।

(५) मुद्रा स्फीति का भय—अल्प विकसित देशों में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूँजी की प्रायः कमी रहती है। इन देशों में जनता की आय कम

होने से पूँजी निर्माण कम होता है अत जनता पर अधिक कर लगाने से भी आवश्यक पूँजी नहीं मिल सकती। जनता को बचाने की शक्ति कम होने के कारण उधार लेवर भी पूँजी को आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। अत सरकार द्वारा पूँजी की कमी घाटे के बजट बना कर पूरी की जाती है।

इन सब स्थितियों के साथ ही सबसे गम्भीर स्थिति यह होती है कि इन देशों में उत्पादन में बहुत धोरे बृद्धि होती है अत सरकार जितने नये नोट छापती है उनका अधिक भाग मुद्रा स्पौति में सहयोग देता है। मुद्रा स्पौति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं कम्पचारिया के महाराई भत्तों में बृद्धि करनी पड़ती है और सरकार के खर्च में निरन्तर बृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार प्रत्येक योजना जिस आज्ञा से आरम्भ की जाती है उस आज्ञा से बहुत अधिक खर्चीकी सिद्ध होती है जिससे सरकार की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं।

(६) विदेशी पूँजी—इन सब कठिनाइयों के कारण कम विकसित देशों की अन्य देशों से पूँजी उधार लेनी पड़ती है, तभीकी विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है या विदेशियों दो अनेक देश में पूँजी विनियोग के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। इस प्रकार अल्प विकसित देशों में विदेशी पूँजीपतियों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। यह प्रभाव अनेक बार इन देशों की स्वतन्त्र आर्थिक नीति में वापक हो जाता है। चर्तमान युग में यह बहा जाता है कि अनेक अल्प विकसित देशों की आर्थिक नीति विशिष्ट रूप से निर्धारित होती है क्योंकि इन देशों की आर्थिक योजनाओं के लिए अमरीका द्वारा पूँजी की व्यवस्था दी जाती है।

(७) जन सत्त्वा—अल्प विकसित देशों में आर्थिक नियोजन की एक कठिनाई यह है कि अनेक देशों में जन सत्त्वा बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इन देशों में कुल आय में जितनी बृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग बट्टी हुई जन सत्त्वा में बढ़ जाता है अत प्रति व्यक्ति आय में विशेष बृद्धि नहीं होने पाती। इसलिए इन देशों में जीवन स्तर निरन्तर नीचा रहता है और ऐसा आभास ही नहीं होने पाता कि इनमें आर्थिक नियोजन द्वारा विकास किया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, लका, बहा आदि देश इस स्थिति के उदाहरण हैं।

अल्प विकसित देशों में कही बही जन सत्त्वा इतनी कम भी है कि वहाँ आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वयित करने के लिए काम करने वाले उपलब्ध नहीं होते। आर्थिक ल्यूड्स ने उत्तरी रोडेशिया का उदाहरण दिया है जिसकी १५ लाख जन सत्त्वा लगभग ३५ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल में विवरी हुई है। ऐसे देशों में आर्थिक साधनों का विकास करने तथा उनकी दखलान के लिए पर्याप्त जन शक्ति की कमी दिखलायी पड़ती है।

(८) अधिविश्वास तथा रुद्धियाँ—आर्थिक नियोजन की सफलता में सबसे अधिक वापक तत्त्व है धार्मिक अधिविश्वास तथा रुद्धियाँ। अल्प विकसित देशों में

प्राय अविकाश व्यक्ति अंगिकार होते हैं जो भागदाद और पुरातन नदियों में विश्वास करते हैं। भागदाद की जड़ता के कारण इनकी किंगशीलना समाप्त हो जाती है क्योंकि वह मानते हैं कि अविक प्रयत्न करने से बोई लग नहीं है, जो भाग में निष्ठा है सो ही होगा। यह दृष्टिकोण उत्पादन के नये तकनीक अपनाने में बाबक है। अनेक बार उत्पादन की नयी रीतियाँ इमरिए नहीं अपनायी जानी कि इनमें लोगों को विश्वास नहीं होता। अब उत्पादन कम रहता है जेनता की आय में आगा के अनुकूल बृद्धि नहीं होती और जीवन स्तर नीचा ही बना रहता है। कम विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन अधिक अनुकूल है।

अबर लिखी गई कठिनाइयों के होने हूए भी पिछडे देशों के लिए आर्थिक नियोजन अधिक अनुकूल है। यदि ससार के आर्थिक इतिहास को ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि अल्प विकसित देशों में ही आर्थिक नियोजन द्वारा विकास करने का बायं आरम्भ किया गया और इन देशों में आर्थिक नियोजन को पर्याप्त सफलता भी मिली। सोवियत सध यूरोप के अत्यन्त पिछड़े हूए देशों में से था। पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की भी यही स्थिति थी। इन देशों ने आर्थिक नियोजन के द्वारा विस गति से आर्थिक विकास किया वह जन्य देशों के लिए उदाहरण बन गया है और अन्य देश आर्थिक नियोजन की दृष्टि से इन देशों का उदाहरण मामने रखते हैं।

अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन निम्ननिवित कारणों से अधिक अनुकूल है-

(१) नव निर्माण सरल—अल्प विकसित देशों में प्राय कृषि तथा उद्योग पिछड़े हूए रहते हैं। इन देशों में प्राय उद्योग धन्यों का तो मर्वंया नये सिरे से विकास करता होता है। नये उद्योगों वां स्थापना पुराने उद्योगों में सुग्राव की वजाय अधिक सरल होती है। अब अल्प विकसित देशों के लिए एक और तो योजना बनाना सरल होता है, इसरी और इसके मम्बन्ध में योजनाओं को वार्यान्वित करना भी आमान रहता है क्योंकि पुराने उद्योग नाम मात्र को होते हैं जिनकी ओर से बाया उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) व्यवस्था—अल्प विकसित देशों में नये सिरे से उद्योग और व्यवस्था स्थापित किये जाने हैं। इन इकाइयों में प्रबन्ध और व्यवस्था के नवीनतम तकनीक काम में लिए जाते हैं और प्रबन्ध व्यवस्था की विकृत नयी परम्पराएँ स्थापित होती हैं। इन परम्पराओं में काम करने कोले व्यक्ति अपने बाप ही उच्चमरीय कौशल प्रदूष कर लेते हैं। इस प्रकार इन देशों में अच्छे प्रबन्धकों की नयी पीढ़ी तैयार हो जाती है जो उद्योग तथा व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी रहती है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—विकसित देशों का व्यापार प्राय अनेक देशों से होता है और इस पर नियन्त्रण लगाने पर अनेक प्रतार की आर्थिक तथा राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब विकसित देशों में आर्थिक नियोजन मरन नहीं है। अन्य विकसित देशों का व्यापार प्राय कम होता है और उनके इन गिर

आधार तथा नियति कुछ ही देशों से होते हैं जिन पर नियन्त्रण सगाने में विशेष बहिनाई या समस्याएं उत्पन्न नहीं होती।

वास्तव में अस्ति विवित देश आधिक नियोजन की दृष्टि से एक नयी स्लेट की भाँति हैं जिन पर कुछ भी नयी बात लिखने में विशेष बहिनाई उत्पन्न नहीं होती। आधिक नियोजन का महत्त्व

(Importance of Economic Planning)

आधिक नियोजन भाज के युग की मांग है क्योंकि अब प्रायः सभी को यह विश्वास हो गया है कि नियोजन द्वारा देश के आधिक विवास को गति दी जा सकती है, राष्ट्रीय आय में तेजी से बढ़ि की जा सकती है तथा आधिक विप्रमता को कम किया जा सकता है। आधिक नियोजन के द्वारा हुए महत्त्व की अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(१) समाजवाद—भाज के युग को समाजवादी युग पहा ना सकता है। आधिक नियोजन समाजवाद की आधार बिला है। कुछ व्यक्ति तो नियोजन और समाजवाद को एक ही मानते हैं तथा कुछ की मान्यता यह है कि आधिक नियोजन के द्वारा समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है। वास्तव में उत्पादन में तेजी से बढ़ि और आधिक साधनों का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए आधिक नियोजन आवश्यक है। यही तत्व समाजवाद की स्थापना में सहायता होते हैं।

(२) तकनीशियन के लिए—वर्तमान युग प्रगतिशील तकनीव का युग है। इसमें उत्पादन की नयी प्रशिक्षियों (Technology) का विकास होता जा रहा है। एक तकनीकी विशेषज्ञ आधिक नियोजन की थेट्ट सम्भवता है। क्योंकि नियोजित व्यवस्था में देश के प्राकृतिक तथा अन्य साधनों का थेट्टम प्रयोग किया जाता है। यह नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से ही सम्भव है। एक तकनीकी विशेषज्ञ की दृष्टि से आधिक नियोजन अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्भव आधार को मानती है। अत वह नियोजन की आधिक विवास का थेट्ट पाठ्यम स्वीकार करता है।

(३) राजनीतिज्ञ—वर्तमान युग में प्रत्येक राजनीतिज्ञ यह चाहता है कि उसके देश में नये बारताने खोले जायें, नयी सहके बनें, विजली तथा पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों और विवास में अधिक से अधिक कार्यप्रमाण आरम्भ किये जायें। यह आधिक नियोजन में ही सम्भव है क्योंकि नियोजन का व्यवहार ही नये नये बल बारताने स्थापित कर तेजी से आधिक विवास करना होता है। अत राजनीतिज्ञों के लिए आधिक नियोजन का विशेष प्रहृत्य होता है।

(४) विनियोगता—जिन व्यक्तियों के पास पूँजी होती है और वह अपनी पूँजी को लाभदायक कामों में सगाना चाहते हैं वह ही विनियोक्ता कहलाते हैं। आधिक नियोजन के अन्तर्गत विवास की अनेकानेक योजनाएं बनायी जाती हैं जिनमें करोड़ों रुपये विनियोजित किये जाते हैं अत आधिक नियोजन में पूँजी विनियोग करने वालों की अपनी पूँजी थेट्टम दोओं में सगाने का अवसर मिलता है। इससे एक और तो

पूँजी लगाने वाली को लाभ होता है, दूसरी ओर देश के आर्थिक विकास के लिए धन उपलब्ध हो जाता है।

(५) सरकार—आर्थिक नियोजन का सरकार के लिए अत्यधिक महत्व है क्योंकि नियोजन के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाएँ कार्यान्वित करने वा अवसर मिल जाता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए तेजी से आर्थिक विकास होना बहुत आवश्यक है और तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण माध्यम है।

(६) सामान्य नागरिक—आर्थिक नियोजन का सामान्य नागरिक के लिए भी बहुत महत्व है क्योंकि नयोन्योजनाओं में बरोड़ी स्पष्ट भी पूँजी लगाने से रोजगार के नये साधनों का विकास होता है। अत साधारण नागरिक को रोजगार मिलने में पहले से कुछ अधिक सुविधा रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास तेजी से होता है जिससे प्रत्येक नागरिक वो आय में बढ़ि होने की सम्भावना रहती है। तीसरी बात यह है कि आर्थिक नियोजन वे वारण सड़कें, रेलें, विजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाओं का विस्तार होता है। अत सामान्य नागरिक को पहले से अधिक और अच्छी सामाजिक सेवाएँ मिलने लगती हैं।

संक्षेप में, आर्थिक नियोजन के एक सामान्य नागरिक के लिए निम्नलिखित महत्व है :

- (i) रोजगार मिलने वे अवसरों में बढ़ि हो जाती है।
- (ii) उसकी आय में बढ़ि होने वी सम्भावना रहती है।
- (iii) उसे पहले से अच्छी और अधिक सामाजिक सेवाएँ मिलती हैं।

आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायक तत्त्व

वर्तमान युग में यह स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए नियोजन वी नीति अपनायी जानी चाहिए। वैसे तो आर्थिक नियोजन वही भी किसी भी देश में अपनाया जा सकता है जिन्हे नियोजन में सफलता प्राप्त करना सरल बात नहीं है। यदि निम्नलिखित घटवस्थाएँ वी जा सके तो आर्थिक नियोजन को सफलता में सहायता मिल सकती है :

(१) पर्याप्त सम्पर्क—इसी भी योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र वी वास्तविक स्थिति का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी देश में इस्पात वा नदा वारण्यालाला लगाना है तो यह जलकरणी होनी चाहिए, कि देश में बहाँ-रही रिम इस्म वा बितना लोहा मिलता है और इस्पात बनाने के लिए अन्य आवश्यक तत्त्व बहाँ-बही बितने-बितने मिलते हैं, देश में इस्पात की वर्तमान मांग बितनी है तथा भविष्य में बितनी हो जाने वी सम्भावना है। विभिन्न देशों में इस्पात वे वया मूल्य हैं तथा उनके भविष्य में बितने वाले या घटने वी सम्भावना है। इसी प्रवार के

अन्य अंडे मिल जाने पर देश में इस्पातन का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लेने में आसानी रहेगी।

बास्तव में, सही अंडों के अभाव में किसी भी क्षेत्र में बोई भी योजना बनाना बहुत कठिन है क्योंकि भविष्य की योजना का बाधार सदा बर्तमान की स्थिति को बनाना चाहिए। अत योजना की सफलता के लिए देश में एक शक्तिशाली सांस्थिकीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित शुद्ध अंडे सम्मिलित कर नियोजनों को उपलब्ध ठहरा सके।

(२) प्रशासनिक ढाँचा—आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सबल, मुश्योग तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। यदि देश का प्रशासनिक ढाँचा ढीला है, उसमें भ्रष्ट तथा निकम्मे कर्मचारी तथा अधिकारी भरे हुए हैं तो पहले उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए यदि विदेश कानून भी बनाने पड़े तो ऐसे कानून बनाकर घटिया व्यक्तियों को सेवा मुक्त या सेवा निवृत्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बोई भी बाम सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकेगा। पद पद पर ढीले तथा भ्रष्ट अधिकारी योजना को दिखा, भ्रष्ट बर देंगे या उसकी सफलता में बाधाएँ उत्पन्न करेंगे।

प्रशासनिक ढाँचे को भ्रष्ट आचरण से मुक्त करने के लिए बहुत कड़े दण्ड विधान की व्यवस्था करनी आवश्यक है और दोषी पाये जाने पर अधिक से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को भी दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे अप्टाचार करने में भय लगन लगेगा और स्वच्छ तथा सबल शामन मिलने से योजनाओं की सफलता असंदिग्ध हो जायगी।

(३) जन विद्वास तथा सहयोग—किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आदि से अत तक जनना का सहयोग मिले। इसके लिए योजना बनाते भवय ही जनना वा मन जान लेना चाहिए और जनता की इच्छा तथा आवश्यकतानुसार ही योजना बनायी जानी चाहिए।

योजना बन जाने के बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए भी जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए योजना के महत्व वा उचित प्रचार किया जाना चाहिए और जनता से उचित सहयोग की मांग की जानी चाहिए। जन सहयोग के बिना कोई भी आर्थिक योजना सफल नहीं हो सकती।

(४) आर्थिक संगठन—आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राज्य स्तर पर एक शक्तिशाली आर्थिक संगठन बनाया जाना चाहिए जो सरकार को (या योजना आयोग वा) उचित परामर्श दे सके। इसके लिए आर्थिक तथा वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग वे संगठन को उचित स्प में पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आर्थिक संगठन बच्छा होन पर योजना ठीक बन सकेगी और उसे कार्यान्वित करना भी सरल होगा।

आर्थिक नियोजन के गुण

(Merits of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन अनेक आशाओं को लेकर अपनाया जाता है। वास्तव में ठीक ढग से बनायी गयी योजना और उसके ठीक ढङ्ग से सचालन में अनेक गुण हैं जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है।

(१) तेजी से आर्थिक विकास—बतंमान युग में साधार के अधिकाश देशों में भूख और गरीबी है। इसे दूर करने के लिए बहुत तेजी से आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। यह कार्य आर्थिक नियोजन द्वारा ही हो सकता है। आर्थिक नियोजन के बिना कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि में विकास तो होता है किन्तु उन्हीं क्षेत्रों में होता है जिनसे पूँजीपतियों को अधिक लाभ मिलने की आशा होती है। अत आर्थिक विकास का चक्र बहुत धीरे घूमता है। आर्थिक नियोजन से विकास का पहिया अधिक गतिशील हो जाता है और सभी क्षेत्रों में प्रगति तथा उन्नति दिखलाई पड़ने लगती है।

(२) आर्थिक विषमता में कमी—पूँजीवादी अवधा मुक्त अर्थ व्यवस्था में प्राय गरीब और अमीर का भेद बहुत अधिक होता है। इसमें आर्थिक साधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में सकेन्द्रित होते हैं। समाज का निरत्तर शोषण होता रहता है, गरीब गरीब ही बने रहते हैं तथा अमीर अधिक अमीर होते चले जाते हैं। इस दुष्कर को आर्थिक नियोजन द्वारा तोड़ा जा सकता है क्योंकि नियोजन के द्वारा उत्पादन के साधन अनेक व्यक्तियों में बाँट दिये जाते हैं और आर्थिक सत्ता थोड़े से हाथों से निकल कर अनेक हाथों में बट जाती है। अत शोषण कम होने लगता है, राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक होने लगता है और गरीबी अमीरी के भेद मिटने लगते हैं। वास्तव में यह परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि नियोजन को कितनी ईमानदारी और सचाई से लागू किया जाता है।

(३) रोजगार सबके लिए—पूँजीवादी मुक्त व्यवस्था में इस बात की चिन्ता नहीं की जाती कि किन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है और कितने व्यक्ति वेरोजगार हैं। इस व्यवस्था में “शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रहते हैं” जिसका अर्थ यह है कि रोजगार उन व्यक्तियों को मिलता है जिनके पास राजनीतिक या अन्य प्रकार की शक्ति है। अनेक व्यक्ति वेरोजगार रह जाते हैं। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं, व्यक्तियों को रोजगार देना है। यदि नियोजन ठीक ढङ्ग से किया जाय तो समाज का कोई भी व्यक्ति वेरोजगार नहीं रहेगा और समाज में बढ़ता हुआ व्यापक असन्तोष धीरे-धीरे कम होने लगेगा।

(४) सामाजिक परजीविता का अन्त—मुक्त बाजार व्यवस्था में जिन लोगों ने उत्तराधिकार में लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति प्राप्त कर ली है या जिन्हे लगे समाजे कारखाने मिल गये हैं वह बिना परिवर्त्य किये ही न्यून आमदनी प्राप्त करते रहते हैं जबकि लाखों व्यक्ति दिन-रात परिवर्त्य करते भी ठीक प्रबार जीवन निर्वाह

नहीं कर सकते। आर्थिक नियोजन में कर व्यवस्था तथा आय के वितरण का क्रम ऐसा होता है कि सम्पत्ति धीरे-धीरे काम न करने वाले व्यक्तियों के हाथ से निकाली जाती है और काम करने वाले वर्ग से बटकी जाती है। यदि सरकार चाहे तो इस क्रम में तेजी कर परजीविता (Parasitism) को समाप्त कर सकती है। वास्तव में आर्थिक नियोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा सबको परिश्रम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

(५) मूल्यों में स्थायित्व—पूँजीवादी व्यवस्था एक स्पष्टात्मक व्यवस्था होती है जिसमें सरकार प्राप्त विसी प्रकार के नियन्त्रण आदि लागू नहीं करती। इस व्यवस्था में अनेक बार पूँजीपति वस्तुओं के वृद्धिम अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मूल्यों में उत्तार-चढ़ाव द्वारा कुछ व्यक्ति अनुल घन-राशि कमा लेते हैं और निर्धन तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

आर्थिक नियोजन एक नियन्त्रित व्यवस्था होती है जिसमें सरकार वस्तु मूल्यों को नियन्त्रित रखती है। मूल्यों में उत्तार चढ़ाव नहीं होने दिये जाते जिससे साधारण जनता को नक वस्तुएँ नियमित रूप से ठीक मूल्य पर मिलती रहती हैं और सरकार की योजनाओं पर खर्च में भी वृद्धि नहीं होने पाती। इस प्रकार मूल्यों पर नियन्त्रण रखने से व्यापार चक्र नहीं आन पाते (जिनमें मूल्यों में भयानक उत्तार-चढ़ाव होने का दर रहता है)।

(६) प्राकृतिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—आर्थिक नियोजन में वैसे तो सभी क्षेत्रों के विकास का प्रयत्न दिया जाता है किन्तु कुछ क्षेत्रों के विकास पर दिशेप ध्यान दिया है ताकि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो सके। इस प्रकार देश के पास जितने प्राकृतिक तथा मानवी साधन हैं उनको इस ढंग से काम में लिया जाता है कि कम मूल्य पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। वास्तव में, आर्थिक नियोजन विकास की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग दिया जाता है।

(७) सामाजिक सेवाओं का विस्तार—आर्थिक नियोजन सदा बहुमुखी होता है जिसमें भूमि, उद्योग तथा व्यवसाय आदि के विकास के साथ-साथ जिज्ञा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं की मुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जाता है। इन सुविधाओं का विस्तार किये जिन आर्थिक विकास में भी पर्याप्त तेजी नहीं आ सकती किन्तु पूँजीवादी व्यवस्था इन सुविधाओं की कोई चिन्ता नहीं करती।

सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने से देश का नागरिक अपने आप को एक प्रतिष्ठित तथा गौरवशाली व्यक्ति समझने की स्थिति में होता है। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन समाज के शत्र्यक व्यक्ति को गौरव प्रदान करता है।

(८) सन्तुलित विकास—प्रत्येक देश में हृदय भाग ऐसे होते हैं जो अन्य भागों से अधिक पिछड़े हुए होते हैं। इन भागों में यहाँ, रेले, नहरें आदि बनाने या

वलन्वारखाने लगाने में अधिक पूँजी खंच करनी पड़ती है और लाभ बम होता है। अत सामान्य स्थिति में यह भाग सदा पिछड़े हुए हो रह जाते हैं। आर्थिक नियोजन में प्राय पिछड़े हुए भागों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि यह भाग भी देश के अन्य क्षेत्रों के समान स्तर पर आ सके। इस प्रकार आर्थिक नियोजन सन्तुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है जिससे समाज का विद्युतापन जल्दी दूर हो जाता है।

(६) जनता की आकाशाओं का प्रतीक—वर्तमान युग में अधिक्तर देशों में प्रजातन्त्रीय सरकारें हैं। प्रजातन्त्र में जनता के प्रतिनिधि प्राय आर्थिक विकास के अनेक बायदे करते हैं। जनता भी यह आशा करती है कि उनके द्वारा चुनी गयी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बदम उठायेगी। इस प्रकार प्रजातन्त्रीय सरकारों से जनता अनेक आशाएँ लगाती है। इन आशाओं तथा आकाशाओं को आर्थिक नियोजन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक नियोजन के अनुरूप आर्थिक विकास के अनेक कार्यक्रम बनाये जाते हैं जिनसे जनता को अधिक रोजगार मिलता है, उसको आय में बढ़ि हाती है तथा जीवन स्तर ऊँचा होता है।

(१०) उचित स्वरूप तथा सचालन आवश्यक—आर्थिक नियोजन के यह सब लाभ तभी उपलब्ध हो सकते हैं जबकि सरकार योजना बनाने में सब धोषों के व्यक्तियों का उचित सहयोग प्राप्त करे और सम्पूर्ण निष्ठा, सचाई तथा ईमानदारी से योजना बनाकर उसके सचालन का भार भी थेट्ट व्यक्तियों को सौप दे। इस सम्बन्ध में यह चाहत स्मरण रखनी चाहिए कि एक घटिया योजना भी थेट्ट व्यक्तियों वे हाथ में आकर उचित फल देती है जबकि एक थेट्ट योजना भी भ्रष्ट तथा अवाधीनीय व्यक्तियों के हाथ में लाकर असफल हो जाती है। अत आर्थिक नियोजन के बास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए देश में सबल, सजग, समर्थ, सक्रिय तथा ईमानदार शासन तथा प्रशासन भी व्यवस्था करना आवश्यक है।

आर्थिक नियोजन की कमियां या दोष

यह प्राय देखा गया है कि प्रत्येक अच्छी बात वा एक दूसरा पहलू भी होता है जिसमें उसकी कमियां अथवा दोष दिखतायी पड़ते हैं। अनेक बार यह दोष गलत नीति या गलत सचालन के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी जिसी व्यवस्था में ही आधारभूत बुराइयाँ छिपी रहती हैं। आर्थिक नियोजन के भी कुछ दोष बतलाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :

(१) नौकरशाही का प्रभुत्व—आर्थिक नियोजन में सरकारी उद्योगों वा प्रभुत्व रहता है। सरकारी उद्योग प्राय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की देख रेह म चलाये जाते हैं जिनको उद्योग तथा व्यवसाय चलाने वा तनिक भी अनुभव नहीं होता। यह व्यक्ति जिस परम्परा में पले हुए होते हैं उसमें वास प्राय

धीरे-धीरे होता है, कागजी कार्यवाही बहुत होती है। सरकारी कर्मचारियों के इस रखये के कारण ही आर्थिक नियोजन में अफलता नहीं मिलती।

(२) प्रोत्साहनों वा अभाव—नियोजन की परम्परा ऐसी है कि उसमें प्रत्येक क्षेत्र के बीच निर्धारित सीमा में काम करता है। इसी के लिए नया काम करने या नयी दिशा में सोचने वा अवमर नहीं होता। अत नयी दिशाओं में सोचने या क्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाने वा क्रम समाप्त हो जाना है। प्रत्येक व्यक्ति बनी बनायी सक्तीरों पर कोल्हू के बैल की भाँति अंखों पर पट्टों वांधे चला जाता है क्योंकि नया काम करने या अविक्षिक काम करने की न तो स्वतन्त्रता होती है, न उसका कर ही मिलता है। इस प्रकार प्रोत्साहनों के अभाव में प्राय बहुत सीमित साक्षाৎ में ही विकास हो पाता है।

(३) भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी—आर्थिक नियोजन में नियन्त्रण, लाइसेंस, परमिट आदि के कारण सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों वा महत्व बहुत बढ़ जाता है। सोगों को बार-बार इनके पास जाना पड़ता है। इनकी कार्यप्रणाली ढीली और सुन्तु होने के कारण कुछ व्यक्ति (जिनके पास काम अविहृत है) अपना काम जल्दी बरवाने के लिए रिक्विट का महारा लेने लग जाते हैं। इस प्रकार लाइसेंस और परमिट दिलवाने वालों वा एक नया वर्ग पैदा हो जाता है जो सारे प्रशासन तथा आर्थिक तन्त्र में भ्रष्टाचार फैला देता है। अनेक बन्तुएं जो लाइसेंस या परमिट से मिलती हैं चोर बाजार में कॉच मूल्यों पर बिकने लगती हैं। इस प्रकार नियन्त्रणों के कारण सारे समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है।

(४) उपभोक्ता की अवहेलना—आर्थिक नियोजन में प्राय वस्तुओं की पूर्ति सरकारी अधिकार में रहती है। सरकार के आदेश से ही वस्तुओं का आयात होता है तथा देश में उत्तम वस्तुएं सरकारी अदेश से ही वितरित होती हैं। अत उपभोक्ता की स्थिति चिल्कुन गुलाम सरोकारी हा जानी है। उसे जो वस्तु मिल जायें उन्हों पर गुजारा करना पड़ता है। अनेक बार उसे जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। कभी उसी पह वस्तुएं बहुत महंगे भाव भी सरोकारी पड़ती हैं।

(५) घ्यावसायिक स्वतन्त्रता नहीं—आर्थिक नियोजन लागू होने पर अनेक घ्यावसाय और वायं सो सोधे सरकारी अधिकार या नियन्त्रण में आ जाते हैं अत जनता को वही व्यवसाय चुनने पड़ते हैं जिनकी सरकार हारा अनुमति होती है। इस प्रकार घन्या या व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है।

(६) तानाशाही—नियोजित अयं-व्यवस्था भ राजनीतिक सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है। यदि उनके दल को अत्याधिक बहुमत प्राप्त होना है तो वह तानाशाह को तरह व्यवहार करने लगते हैं। धीरे धीरे जनता की आवाज वा महत्व कम होने लगता है। और मनमाने काम होने लगते हैं। इनसे समाज में व्यापक

असन्नोप उत्पन्न हो जाता है और सून खच्चर तथा विद्रोह की घटनाएँ घटने लगती हैं।

(७) गुणता—आर्थिक नियोजन में अनेक बार सत्ताधारी दल गुप्त रूप से अपनी नीतियाँ लगू बरने का प्रयत्न करता है। अनेक क्षेत्रों से सम्बद्धित बातें गुप्त रखी जाती हैं। इससे पहुँच के पीछे अनेक बार आर्थिक अप्टाचार पनपने लगता है।

(८) राजनीतिक उद्देश्य—अनेक बार कुछ योजनाएँ सत्ताधारी दल के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनायी जाती हैं ताकि कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व सदा कुर्सी पर बने रह सकें। इस प्रवार के राजनीतिक पक्षपात से कुछ इने गिने वर्गों को सामने पहुँचता है और जनता के धन का दुरुपयोग होता है। जिन व्यक्तियों का राजनीतिक अभाव नहीं है या जो क्षेत्र सत्ताधारी दल के साथ नहीं होते उनको हानि उठानी पड़ती है।

उपर्युक्त—इससे पूर्व दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन एक दरदान भी है और अभिशाप भी। यदि आर्थिक नियोजन के पीछे पूर्वागृह नहीं है, व्यक्तिगत दलगत या राजनीतिक स्वार्थ नहीं है वैबल राष्ट्रीयता की भावना है तो वह सबके लिए लाभदारी होगा। उसके पीछे 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' का आदर्श होने के दारण उससे विश्वाश व्यक्तियों को सामने ही होगा। आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ, वाहिल और धर्म चरित्र के व्यक्तियों से बचाना होगा क्योंकि उन्होंने दाया ही विसी श्रेष्ठ कार्य को बलित बरसे के लिए पर्याप्त है।

अम्मास प्रश्न

- १ आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
- २ आर्थिक नियोजन की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए।
- ३ आर्थिक नियोजन कितनी प्रकार के हो सकते हैं? प्रत्येक का सक्षिप्त व्यौरा देकर चतुराइय, भारत में किस प्रकार वा नियोजन अपनाया गया है?
- ४ कम विवित देशों में आर्थिक नियोजन की क्या वटिनाइयाँ हैं? क्या इन देशों के लिए आर्थिक नियोजन उपयुक्त है?
- ५ आर्थिक नियोजन के महत्व पर प्रबाश डालिए।
- ६ आर्थिक नियोजन के गुण दोपो वा विवेचन कीजिए।

भारत में आर्थिक नियोजन का विकास

(EVOLUTION OF ECONOMIC PLANNING
IN INDIA)

भारत में अग्रेज़ी राज की सबसे उल्लेखनीय देन यह रही कि अग्रेज़ों ने इस देश का जी भरकर आर्थिक शोपग किया। उन्होंने अपने अधीन अन्य दक्षिणों जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आर्थिक विकास के लिए छूट प्रयत्न किया और इन देशों की आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने में सहायता की प्रस्तु इन देशों के निवासी ग्रोरे अग्रेज़ों की ही सन्तान थे। भारत में रहने वाले दक्षिणों का रुग्न काला था और अग्रेज़ों ने काले लोगों को कभी भी गोरों के समान स्वीकार नहीं किया। अतः भारत में अग्रेज़ों का निरन्तर यही प्रयत्न रहा कि भारत मूल रूप में एक वेतिहार देश बना रहे ताकि इमर्लैंड को भारत का कच्चा माल आसानी से मिलवा रहे और इमर्लैंड का निर्मित माल भारत की मण्डियों में विक्र सके। इसी देश की राजनीतिक गुलामी का इससे बड़ा और द्वय मूल्य चुकाना पड़ सकता है।

महात्मा गांधी और नियोजन—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह मत था कि भारत को अप्रेंटीशीप सासन से मुक्त करना तो बेक्षल राजनीतिक उद्देश्य मात्र था, अमर्लो काम देश के चरों ओर अध-भूमि, अध-नये इन्सानों को गरीबी के रसानन से उठ-कर सम्मानजनक जीवन प्रदान करना था। यह नाम आर्थिक नियोजन द्वारा ही सम्भव था और आर्थिक नियोजन अपनाने के F.T. अग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होना आवश्यक है। इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए १९२१, १९३१, १९४२ तथा बाद के बर्षों में आन्दोलन किये गये। इन आन्दोलनों के साथ-साथ विदेशी माल का बहिष्कार किया गया तथा लादी को राष्ट्रीय परिवान के रूप में अपनाया गया। यह कदम आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए उठाये गये।

नियोजन का विचार—भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले प्रतिष्ठ इंडोनियर थी एम० विश्वेश्वरेया ने दिया जिन्होंने १९३४ में भारत के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy for India) नाम की पुस्तक

प्रवाशित वर्षवाई। इस पुरतंत्र में भारत की राष्ट्रीय आम को दुगना करने की योजना प्रस्तुत की गयी थी।

सन् १९३८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें वह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्स्थान के लिए देश का औद्योगिक विकास बरता आवश्यक है और औद्योगिक विकास के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना बनायी जानी चाहिए। इस सम्मेलन ने एक योजना आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय नियोजन समिति

(National Planning Committee)

कांग्रेस दल के सम्मेलन के इस सुझाव पर दल द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन समिति नियुक्ति की गयी। इस समिति के अध्यक्ष थी जवाहर लाल नेहरू तथा महामन्त्री प्रसिद्ध अर्यंशास्त्री के ० टी० शाह थे।

राष्ट्रीय नियोजन समिति ने देश की अर्थ व्यवस्था को २९ बगौं में विभाजित किया और प्रत्येक बगौं का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए अलग-अलग उप-समितियों की नियुक्ति की गयी। द्वितीय युद्धकाल में इन समितियों का काम बन्द हो गया इन्तु युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इन समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। इन रिपोर्टों में विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विवास के लिए अत्यन्त मूल्यवान एवं व्यावहारिक सुझाव दिये गये थे।

नियोजन तथा विकास विभाग—द्वितीय महायुद्ध काल में, भारत में आर्थिक नियोजन के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण बना और औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित विकास को बहुत समर्थन मिला। इस वातावरण से प्रेरित होकर भारत सरकार ने १९४४ में एक नियोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने युद्ध के बाद भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाने का काम अपने हाथ में लिया।

बम्बई योजना

(Bombay Plan)

भारत में आर्थिक नियोजन सम्बन्धी वातावरण का अनुमान इस बात से भी लगता है कि सद १९४४ में देश के आठ उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विवास के लिए एक योजना प्रवागित की। यह योजना बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा कुछ व्यक्तियों ने इसे टाटा विरला योजना का भी नाम दिया।

बम्बई योजना, एक पन्द्रह वर्षीय योजना थी। इस काल में १०,००० करोड़ रुपया खर्च करने का सुझाव दिया गया था। इस योजना द्वारा खेती के उत्पादन में १३० प्रतिशत तथा उद्योगों के उत्पादन में ५०० प्रतिशत कृदि होने की आशा की गयी थी जिससे १५ वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी होने की आशा थी।

बम्बई योजना में कुल खर्च का ४८% प्रतिशत उद्योगों के विकास पर, १२% प्रतिशत खेती पर, ६४ प्रतिशत सवाद वहन पर, ४६ प्रतिशत शिल्प पर, ४.५ प्रतिशत शिल्प पर, २२० प्रतिशत जबन निर्माण पर तथा शेष २०% प्रतिशत अन्य वायों पर खर्च बरने की व्यवस्था थी गयी।

बम्बई योजना उद्योगपतियों द्वारा बनायी गयी योजना थो जिसमें उद्योगों की ही अत्यधिक महत्व दिया गया था। कृषि के विकास के लिए इन योजना में विदेशी और नहीं दिया गया।

इस योजना में जो १०,००० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी उसमें से २६ प्रतिशत विदेशी सहायता से तथा शेष ७४ प्रतिशत आन्तरिक साधनों से प्राप्त करने की व्यवस्था थी गयी जिसमें से लगभग ३४ प्रतिशत राम घाटे के बजट से प्राप्त करने का मुकाबला दिया गया।

बम्बई योजना को हीन पचवर्षीय योजनाओं में विभाजित किया गया था। पहले पांच वर्ष में उपभोजना उद्योगों तथा शेष दस वर्षों में आवारभूत उद्योगों का विकास करने की व्यवस्था थी गयी थी।

यह योजना बेवल आधार के रूप में दी गयी थी ताकि आगे विचार विमर्श के लिए बातावरण बन सके। योजना का यह उद्देश्य निश्चय ही सफल हो गया क्योंकि इसके तुरन्त बाद ही कई अन्य योजनाएँ भी प्रकाशित की गयीं।

गांधीवादी योजना

बम्बई योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें बड़े उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इसी वर्ष (१९४४) आचार्य श्रीमतारायण अश्वात ने एक योजना प्रकाशित की जिसमें दस वर्ष के भीतर भारतीय जनता के भौतिक तथा सास्कृतिक त्तर को उठाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में गांधीजी के विचारों वे अनुकूल आत्मनिर्भरता को विदेशी महत्व दिया गया और कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। इस योजना में जनता की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके अनुमार १० वर्ष के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम २० गज कपड़ा वार्षिक मिल सके तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम १०० वर्ग फौट आवास का स्थान मिल सके।

गांधीवादी योजना में भूमि का राष्ट्रीयकरण करने, चक्कवन्दी तथा कमलों की बीमा योजना सम्बन्धी मुकाबला दिये गये थे। योजना में भूमि का लगान कुल उत्तरांति का द्वारा या आठवीं भाग निश्चिन करने का सुमाकाश दिया गया।

गांधीवादी योजना मुख्य रूप में देश की ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अधिक साधन मुक्ति करने के पक्ष में थी। उसका आधार उद्योग नहीं थेती था।

जन योजना

(People's Plan)

बम्बई योजना तथा गांधीवाद योजना के अतिरिक्त श्रमिक सघों की ओर से एक योजना प्रकाशित की गयी। इस योजना पर दस वर्ष में १५००० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी। योजना में यह मत प्रकट किया गया था कि आय देने वाली परियोजनाओं पर पहले तीन वर्ष में १६०० करोड़ रुपया खर्च किया जाना चाहिए। इन योजनाओं से जो आय होगी वह दोप योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

जन योजना भी कृषि प्रधान थी। इसमें खेती में सुधार करने के लिए नयी रीतियाँ अपनाने के कार्यक्रम सुझाये गये थे। इस योजना के प्रवर्तनों का मत यह कि खेती में सुधार करने से विसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है जिससे औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ सकती है। इस प्रकार खेती के विकास के माध्यम से उद्योगों के विकास की दलपत्रा की गयी थी।

जन योजना के अतिरिक्त प्रसिद्ध आन्तिकारी एम० एन० राय ने भी एक योजना रखी जिसमें श्रमिकों की उत्पादवता बढ़ाने वा सुझाव दिया गया था और उद्योगों के विकास पर जोर दिया था।

सरकार की ओर से प्रयत्न

भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन के लिए जो प्रयत्न किये उनमें पहला यह था कि जून १९४१ में एक समिति की नियुक्ति की गयी जिसका काम देश के लिए एक योजना तैयार करना था। इस समिति को शीघ्र ही “पुनर्निर्माण समिति” (Reconstruction Council) के रूप में बदल दिया गया और भारत के वायसराय को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

जून १९४४ में भारत सरकार ने एक नियोजन एवं विकास विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग के दो कार्य थे

(i) प्रान्ती तथा राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में नियोजन मण्डल बनाना तथा उन्हें अपने क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएँ बनाने के लिए तैयार करना ताकि उन योजनाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय योजना का स्वरूप दिया जा सके, और

(ii) सारे देश के विकास के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त निश्चित करना। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों तथा प्रान्तों ने कुछ योजनाएँ बनानी आरम्भ की।

कृषि अनुसन्धान संस्था (Imperial Council of Agricultural Research) —ने भारत में कृषि उत्पादन को प्रदृढ़ बर्धमान करने के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना में मूर्मि सुधार, फगल नियोजन, कृषि ऋण तथा कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाने सम्बन्धी सुझाव दिये गये।

इंडीनियरों वे नागपुर सम्मेलन ने देश में ४ लाख मील लम्बी माड़के बनाने की योजना बनायी जिस पर ४५० करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान चलाया गया। इसी प्रकार रेलवे, जहाज तथा वायुगोदा विभागों ने अपने-अपने थेट्रों में विवास की योजना तैयार की।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्था (Council of Scientific and Industrial Research) — ने देश में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला, इंधन शोध तथा शीगा उद्योग के लिए शोध संस्थान स्थापित करने की योजनाएँ तैयार की। इन योजनाओं पर पहले पांच वर्ष में ६ करोड़ रुपये तथा बाद में प्रति वर्ष १ करोड़ रुपये के अनुदान देने का मुझब दिया गया।

सलाहकार नियोजन मण्डल — अवृत्तवर १९४५ में भारत की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार ने थी के ० सौ० नियंगी की अध्यक्षता में एड सलाहकार नियोजन मण्डल की स्थापना की। इस मण्डल ने दिसम्बर १९४६ में अपनी रिपोर्ट में मत प्रकट किया कि देश में एक शक्ति समन्वय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जिसका वास सरकार हो सलाह दना हो।

१९४७ से १९५० — सन् १९४७ में आजादी मिलते ही भारत सरकार को अनेक कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अत आधिक नियोजन के सम्बन्ध में कोई दिशेप कदम नहीं उठाया जा सका। सन् १९४८ में अधिल भारतीय वायोस दल की आधिक कार्यक्रम समिति (Economic Programmes Committee) ने एक देन्द्रीय योजना आयोग की स्थापना का मुझब दिया और जनवरी १९५० में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति न इस मुझब की कीमत कार्यान्वित करने की मांग की। तदनुसार जनवरी, १९५० म ही राष्ट्रपति द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति की गयी। १५ मार्च, १९५० के एक प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग स्थापित कर दिया गया।

प्रथम पचवर्षीय योजना [FIRST FIVE YEAR PLAN]

भारतीय योजना आयोग द्वारा जुलाई, १९५१ में प्रथम पचवर्षीय योजना की स्परेक्षा प्रस्तुत की गयी। यह योजना १ अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च १९५६ तक के पांच वर्षों के लिए तैयार की गयी थी। इस योजना भास में कुल २०६६ करोड़ रुपया खर्च करने का कार्यक्रम बनाया गया जिसे बाद में बढ़ाकर २३७८ करोड़ रुपये कर दिया गया। प्रथम योजना पर वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये हुआ।

(क) उद्देश्य (Objectives) — प्रथम पचवर्षीय योजना भारत के आधिक विवास का पूर्ण व्यवस्थित प्रदल था। इन्हुंने इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में

आर्थिक नियोजन के लिए एक बातावरण संयार करना था और आगे जाली योजनाओं के लिए एक शक्तिशाली आधार बनाना था। इस दृष्टि से पहली योजना को आर्थिक नियोजन की भूमिका बहा जा सकता है।

इस बात का एक प्रमाण यह मिलता है कि प्रथम योजना के सामान्य उद्देश्य रखे गये जो विसी भी समाजवादी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं¹

(१) अधिकतम उत्पादन

(२) पूर्ण रोजगार

(३) आर्थिक समानता की उपलब्धि

(४) सामाजिक न्याय की व्यवस्था

प्रथम योजना में यह स्वीकार किया गया कि इनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं किये जा सकते। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए है। उदाहरण के तौर पर अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार एवं दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्पादन बढ़ाये बिना सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना भी च्यर्चा है।

वास्तव में प्रथम योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना था ताकि देश की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके।

(ख) प्रायमिकताएँ—प्रथम योजना में देश के विकास के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि भवित्य की योजनाओं की पूर्ति में सुविधा रहे। इसीलिए खेती और सिंचाई (जो देश की अर्थ व्यवस्था के आधार हैं) पर कुल खर्च का ३१ प्रतिशत भाग खर्च किया जाय।

आर्थिक विकास के लिए परिवहन तथा सचार दे सावनों की उन्नति बहुत महत्व रखती है। अत पहली योजना में इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कुल सार्वजनिक व्यय का २७ प्रतिशत व्यय किया गया।

तीसरा महत्वपूर्ण बगे सामाजिक सुविधाओं का है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, पीने वा पानी आदि सम्मिलित हैं। प्रथम योजना काल में इन सेवाओं पर लगभग २३ प्रतिशत रकम खर्च की गयी।

इस प्रकार पहली योजना में उद्योगों को विशेष महत्व नहीं दिया गया व्योकि खेती, परिवहन के साधन, विज्ञानी तथा पानी आदि की सुविधाओं के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था।

(ग) वित्त (Finance)—प्रथम योजना में लाक्ष क्षेत्र द्वारा जो १६६० करोड़ रुपये की रकम खर्च की गयी उसका ६० प्रतिशत भाग (१७७२ करोड़) आन्तरिक

साधनों से प्राप्त बिया गया, बैचल १८८ करोड़ रुपये अर्थात् लगभग १० प्रतिशत रकम की व्यवस्था विदेशी महायता से बी गयी।

(घ) राष्ट्रीय आय—प्रथम योजना वाल में राष्ट्रीय आय में १२ प्रतिशत बढ़ि वा लक्ष्य रखा गया था इन्तु वास्तविक बढ़ि १८ प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार तथा परिवहन के क्षेत्रों में आगा के अनुकूल प्रगति की गयी।

विश्लेषण——इसमें पूर्व वह स्पष्ट बिया जा चुका है कि प्रथम पचवर्षीय योजना एक सामान्य योजना थी। इसके लक्ष्य सामान्य थे तथा इसका मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित विकास वा वातावरण तंयार करना था। इस योजना में सामान्य धन राशि सर्व बी गयी इसलिए विदेशी आर्थिक इटिनाइर्ड उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए विदेशों से बहुत कम महायता लेनी पड़ी। लगभग १२२ करोड़ रुपये के व्यापारिक घाटे बी पूर्ति देश के विदेशी विनियम बोर्डों से लेकर पूरी कर ली गयी।

प्रथम पचवर्षीय योजना बी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इससे भारत में आर्थिक नियोजन वा स्वस्थ आधार तयार हो गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना (SECOND FIVE YEAR PLAN)

यहाँ द्वितीय पचवर्षीय योजना के लिए यह बहा जाना है कि ‘‘उसके द्वारा एक समाजवादी समाज बी स्थापना बी नोंव रखी गयी है।’’—एक ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था बी जो जाति, बर्न तथा विदेश नुकिया से मुक्त तथा स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के मूल्यों पर आधारित थी जिसमें रोजगार तथा उत्पादन में बढ़ि और अधिकतम सामाजिक न्याय प्राप्ति बी आशा थी।

दूसरी योजना वाल में ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करने, अंत्योगिक विकास बी नीव रखने, समाज में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों की उपलब्धि के लिए अधिकतम अवसरों बी व्यवस्था देख के सभी भागों का सन्तुलित विकास करने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६१ बी अवधि के लिए थी।

(क) उद्देश्य¹—दूसरी योजना के उद्देश्यों में कुछ निश्चितता थी। यह उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(१) राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत बी बढ़ि करना ताकि देश का जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

(२) देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। इसके लिए आधारभूत दबोचों (बोयला, इसात आदि) के विकास को प्राथमिकता दी गयी।

(३) रोजगार के साधनों में तेजी से बढ़ि करना, तथा

(४) आय तथा सम्पत्ति की असमानता रुप वरना और आर्थिक सत्ता का उचित रूप में वितरण वरना ।

यदि गम्भीरतापूर्वक विचार विया जाय तो पता चलेगा कि यह चारों उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । देश में उद्योगों का विकास यरने से एक और तो उत्पादन में वृद्धि होती है दूसरी ओर रोजगार के नये साधन उत्पन्न होते हैं । रोजगार में वृद्धि होने से भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है । इस प्रकार उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि—दोनों राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक होते हैं । राष्ट्रीय आय में होने वाली यह वृद्धि इन गिने व्यक्तियों के हाथ में न चली जाय इसके लिए वितरण की न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापित करनी आवश्यक है ।

इस प्रकार पहली योजना में समाजवाद का जो नम अपनाया गया उसकी दूसरी योजना में पुष्टि की गयी और उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्थाओं वो क्रान्तिकारी स्वरूप दिया गया ।

(५) आकार और साधन—दूसरी योजना में रारकार द्वारा ४६०० करोड रुपया खर्च वरने की व्यवस्था की गयी थी । इस रकम के ७६ प्रतिशत भाग (३५१० करोड रुपये) की व्यवस्था आन्तरिक साधनों से तथा शेष २४ प्रतिशत भाग (१०६० करोड रुपये) की व्यवस्था विदेशी सहायता द्वारा की गयी ।

द्वितीय योजना काल में नये करों से पर्याप्त रकम वसूल की गयी किन्तु लगभग ६४८ करोड रुपये घाटे के बजट बना कर (नये नोट निकाल कर) प्राप्त किये गये ।

दूसरी योजना उद्योग प्रधान योजना थी अत मशीनें आदि स्रोतों के लिए बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी । यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के दस वर्षों में कुल ११०० करोड रुपय का घाटा विदेशी व्यापार तथा लेन देन में रहेगा किन्तु १६५८ में ही भुगतान की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ६०० करोड रुपये की विदेशी मुद्रा तो जमा कोयों में से निकाली गयी । अमरीका के पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लगभग ५३४ करोड रुपये की वस्तुएं आयात की गयी । (इनका भुगतान बहुत बर्पों बाद करना है) तथा ८७२ करोड रुपये की विदेशी सहायता का प्रयोग लोक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए किया गया । अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप स भी ५५ करोड रुपये के शुद्ध रूप लिए गये

इस प्रकार दूसरी योजना के पौच वर्षों में विदेशी व्यापार में अधिक घाटा रहने तथा औद्योगिक विकास के लिए अधिक रकम की मांग होने के कारण बहुत अधिक विदेशी सहायता लेनी पड़ी ।

(६) प्रायमिकताएं—पहली योजना में सेती, सिंघाई, दिजली तथा परिवहन के साधनों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था । इन क्षेत्रों को दूसरी योजना में भी बाधी महत्व दिया गया किन्तु दूसरी योजना में विशेष महत्व बड़े पैमाने के उद्योग तथा स्टेनिजों को दिया गया । इन पर कुल सरकारी व्यय की २० प्रातंशत

रकम खर्च करने का निश्चय किया गया जबकि पहली योजना में उद्योगों पर केवल ४ प्रतिशत रकम खर्च करने की व्यवस्था थी।

परिवहन तथा सचार साधनों के विवास पर पहली योजना में २७ प्रतिशत राशि व्यय की गयी थी जबकि दूसरी योजना में इस मद म २८ प्रतिशत रकम खर्च करने की व्यवस्था थी। इसका कारण यह था कि परिवहन तथा सचार के माध्यनों में विवास के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास तेज़ नहीं किया जा सकता था।

सेती और सिचाई के लिए पहली योजना में ३१ प्रतिशत रकम खर्च की गयी थी जबकि दूसरी योजना में इन दोनों पर मिला कुल कुल खर्च का २० प्रतिशत भाग व्यय करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरी योजना में सेती और सिचाई की अवहसनता की गयी।

(८) राष्ट्रीय आय तथा अन्य—दूसरी योजना में दस वीं राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत बृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इन्तु बास्तविक बृद्धि केवल २० प्रतिशत ही बीं जा सकी। इन्तु दूसरी योजना काल में स्टील, खाद्य, बोपला, मशीन आदि फैब्रो में अनेक नये और बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये जिनसे देश में एक श्रितिशाली औद्योगिक आयार का निर्माण हो गया। यह भविष्य की योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था।

दिल्लीय—पहली योजना में देश के आर्थिक तन्त्र का जो ढाँचा तैयार किया गया था, दूसरी योजना में उस भजबूत किया गया। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि दूसरी योजना के पांच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अक्ष जो १६५५-१६ में १३६ पा (१६५० ५१=१००) वह १६६० ६२ में १६४ हो गया अर्थात् उत्पादन में लगभग ५० प्रतिशत का बृद्धि हुई। इसमें मशीनों तथा रसायनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भासाना का उत्पादन लगभग अर्द्धांश गुना ही गया तथा रसायनों के उत्पादन में लगभग ६० प्रतिशत बृद्धि हुई।

दूसरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपनियित यह थी कि लोक क्षेत्र में इस्थात के हीन नये कारखाने स्थापित किये गये, जो भी में एक मारी इंजीनियरी कारखाना तथा भोपाल में भारी विज्ञी का सामान का कारखाना संगाया गया। इनके अनियिक मर्मान, खाद्य तथा विज्ञी का सामान बनाने के अनेक कारखाने स्थापित किये गये जिनसे भारत के औद्योगिक विकास का नया अध्याय आरम्भ हो गया।

तीसरी पञ्चवर्षीय योजना

[THIRD FIVE YEAR PLAN]

तीसरी योजना का निर्माण करने वालों को पहली दो योजनाओं के अनुभव वा लाभ प्राप्त था। अन्य योजना बनाते समय पिछले दस वर्षों की सफलताओं और असफलताओं का स्थान रखा गया, इसके अनियिक भारत के संविधान में जो सामाजिक दायित्व और आर्द्धकालीन नियिक विधियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए अधिक स्पष्ट कार्यक्रम निर्धारित किय गय।

(क) उद्देश्य^१— तीसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये

(१) राष्ट्रीय आय—मे प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि करना। इसके लिए पूँजी विनियोग इस तरह करने का प्रबन्ध किया गया कि आय म वृद्धि की दर आगे के वर्षों मे भी बनी रह सके।

(२) कृषि—खाद्यान्तो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग की आवश्यकता के साथव तथा नियति के लिए भी कृषि पदार्थों के उत्पादन मे वृद्धि करना।

(३) उद्योग—इस्पात, रसायन, इधन तथा शक्ति वा उत्पादन करने वाले आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीनें बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करना ताकि अगले दस वर्षों मे देश वा औद्योगिकरण अपने साधनों द्वारा किया जा सके।

(४) रोजगार—देश की मानवी शक्ति वा अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार के साधनों मे पर्याप्त वृद्धि करना।

(५) आर्थिक समानता—समाज म सबके लिए समान अवसर प्रदान करना तथा आय और सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण को व्यवस्था करना।

तीसरी योजना के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि सन्ध्या १,४ तथा ५ मे वही बातें कही गयी हैं जो पहली और दूसरी योजना के उद्देश्यों म वही गयी थी। उद्देश्य नम्बर २ मे पहली बार कृषि पदार्थों मे आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वास्तव मे देश प्रति वर्ष ३०० ४०० करोड रुपये का अनाज तथा रुई और पटसन आयात कर रहा था जिससे देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत भार था। इस भार को कम करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष निश्चय करना स्वाभाविक था।

तीसरी योजना के उद्देश्यों मे दूसरी महत्वपूर्ण बात आधारभूत उद्योगों का विस्तार करने तथा मशीनें बनाना के उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी निश्चय है। इस्पात, रसायन तथा कोयला आदि वस्तुएं अन्य उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसी प्रकार मशीन उद्योग भी देश के बाकी उद्योगों के आधार का काम करता है। इस दृष्टि से तीसरी योजना मे कृषि की उन्नति और उद्योगों वा विस्तार करने का निश्चय देश की अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बहा जा सकता है।

(ख) आकार तथा साधन—तीसरी योजना मे सरकारी क्षेत्र द्वारा कुल ७५०० करोड रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी। वास्तविक व्यय ८५७७ करोड रुपये हुआ। इसमे से लगभग ५६ प्रतिशत (अर्थात् ४०२१ करोड रुपये) की व्यवस्था आन्तरिक साधनों से नी गयी, लगभग २८ प्रतिशत (२४२३ करोड रुपये) की व्यवस्था

विदेशी सहायता में करनी चाही तथा शेष लगभग १३ प्रतिशत (११३३ करोड़ रुपये) रख म धार्टे के बजट बना वर (नोट द्याप वर) प्राप्त दी गयी।

इस प्रकार तीसरी योजना पहली दोनों योजनाओं के मिले जुले आवार से भी बढ़ी थी और इसके लिए बापी अधिक रकम विदेशी सहायता से प्राप्त करनी पड़ी। बास्तव में तीसरी योजना ने भारत को विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर वर दिया। यह निश्चय ही एक गम्भीर स्थिति थी जिसका अनुमान योजना बनाने काले नहीं कर सके।

(ग) प्रायमिकताएँ—दूसरी योजना की भीति तीसरी योजना सी उद्योग प्रधान थी। इसमें उद्योग तथा सनिको पर लगभग २५ प्रतिशत रकम खर्च करने का प्रावधान था। इस मद पर बास्तविक खर्च लगभग २० प्रतिशत दिया गया। परिवहन तथा सचार पर लगभग ५७ प्रतिशत राशि खर्च करने का निश्चय दिया गया था जिन्तु इन मदों पर बास्तविक खर्च लगभग २५ प्रतिशत हुआ। इस प्रकार उद्योग तथा पी बहन पर कुल मिला कर तीसरी योजना में लगभग ४५ प्रतिशत रकम खर्च दी गयी।

तीसरी योजना की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि प्रामीण तथा सघु उद्योगों पर कुल व्यय का केवल ४ प्रतिशत भाग खर्च करने का निश्चय दिया गया जा जबकि बास्तविक व्यय लगभग १५ प्रतिशत हुआ। यह खर्च इस बात का परिचायक है कि तीसरी योजना में अधिक से अधिक व्यवितरण को रोजगार देने के लिए गम्भीर प्रयत्न किये गये।

थेंती, तिचाई तथा दाढ़ नियन्त्रण पर मूल योजना में लगभग २० प्रतिशत रकम खर्च करने का अनुमान दिया गया था और बास्तविक व्यय २० प्रतिशत ही दिया गया। यही स्थिति अन्य क्षेत्रों (सामाजिक सेवाओं तथा शक्ति उत्पादन) को भी कही जा सकती है।

(घ) राष्ट्रीय आय—तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। योजना काल में औसत आर्थिक वृद्धि ७७ प्रतिशत हुई जिन्तु देश में इस अवधि में अत्यधिक मुद्रा स्फीति हुई जिसके कालस्वरूप राष्ट्रीय आय में बास्तविक वार्षिक वृद्धि केवल २८ प्रतिशत हुई। यह वृद्धि पहली दोनों योजना में हुई वृद्धि से बहुत कम थी।

यदि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यवित बास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया जाय तो तीसरी योजना काल में यह वृद्धि केवल ० ६ प्रतिशत वार्षिक थी जो पहली दोनों योजना में हुई वृद्धि के आधे से भी कम थी। यह स्थिति निश्चय ही असन्तोषजनक एवं दुश्यद बही जानी चाहिए।

विद्येयण—तीसरी योजना की अवधि में देश के औद्योगिक विकास में बहुत उपर्युक्त हुई। इसपात, इमोनियरों, कोयला, तेल, रसायन, साद, विजली, दवाएं तथा सघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। इतना होने पर भी कुल आर्थिक विकास की

आर्थिक दर वे बल २ व प्रतिशत रही। इसका मुख्य कारण यह था कि तीसरी योजना में हृषि क्षेत्र में अत्यधिक असफलता का मुख देखना पड़ा। योजना के चार वर्षों में अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थों का उत्पादन बहुत कम रहा जिसके फलस्वरूप अन्न, कपास, पट्टसन आदि विदेशों से मरणाने पड़े। यहाँ तक कि खाद, तेल (सोयाबीन तथा सूरजमुखी) भी आयात करने पड़े ताकि बनस्पति, धी तंयार किया जा सके और साधारण जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

हृषि क्षेत्र में असफलता के राख-साथ तीसरी योजना में उद्योगों के क्षेत्र में भी जितनी आशा की गयी थी उतनी सफलता नहीं मिली। यह अनुमान लगाया गया था कि औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष ११ प्रतिशत की वृद्धि होगी जिन्हे वास्तविक वृद्धि ७ व प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं रही।

तीसरी योजना की असफलता के कारण भारत सरकार एकदम असमज्ञा में पड़ गयी कि आगे क्या किया जाय। देश में वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही थी जिसके फलस्वरूप श्रमिक आन्दोलनों में वृद्धि हो गयी। जगह जगह वेतन तथा महगाई भत्ते में वृद्धि की मांग होने लगी जिसे पूरा करना बहुत कठिन था। इसका परिणाम यह हुआ कि चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया।

आर्थिक नियोजन का अवकाश काल—वार्षिक योजनाएँ

सन् १९६५-६६ से १९६६-६७ के तीन वर्षों आर्थिक नियोजन के अवकाश के बर्ष कहे जा सकते हैं। अधिकृत रूप में तो सरकार ने इन वर्षों में योजनाओं को स्थगित नहीं किया परन्तु व्यवहार में ऐसा अपने आप हो गया। चतुर्थ पचवर्षीय योजना को अतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि सरकार के सामने स्पष्ट मार्ग नहीं था कि वह क्या करे।

स्थगन के कारण—तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने तीन वर्ष तक एक-एक वर्षीय योजनाएँ ही प्रकाशित की। चौथी योजना वो अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके मुख्य बारण निम्नलिखित थे

(१) बढ़ती हुई महेंगाई—आर्थिक नियोजन के पन्द्रह वर्षों में—विदेश वार्षीय तीसरी योजना के पांच वर्षों में—प्रायः सभी वस्तुएँ बहुत महेंगी हो गयी जिससे साधारण जनता को बहुत कष्ट हुआ। सरकार के प्रशासन व्यव में भी बहुत वृद्धि हो गई। अत सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने के लिए कुछ समय चाहती थी। अत चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया।

(२) तीसरी योजना की असफलता—आर्थिक नियोजन के स्थगन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि तीसरी योजना में सरकार को कृषि तथा उद्योग—दोनों ही क्षेत्रों में भयानक असफलता का मुँह देखना पड़ा। इस योजना में सरकार ने आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की जो आप्नाएँ लगायी थी वह सब मिट्टी में मिल गयी। अत नियोजन की पूरी नीति पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक था। यह नियोजन वो कुछ समय के निए स्थगित कर देने से ही हो सकता था।

(३) उद्योगों में भी—तीसरी योजना की अवधि में भारत के सामने एक विचित्र समस्या यह उत्पन्न हुई कि एक और तो देश में मुद्रा स्फीति के कारण मूल्यों में बढ़ रही थी, दूसरी ओर कुछ उद्योगों में मन्दी का दोर आरम्भ हो गया। इज्जीनियरी तथा कूद्य अन्य औद्योगिक इकाइयों के पास माल के स्टार्ट जमा होते चले गये क्योंकि इनके माल को माँग बढ़त कर दी थी। अत इन उद्योगों को बहुत कठिनाई वा सामना बरना पड़ा। इस कठिनाई का समाधान करने में सरकार भी असफल रही। अत योडे समय के लिए आर्थिक नियोजन को स्थगित करना ही योपकार समझा गया।

(४) आर्थिक सत्ता का संकेन्द्रण—भारत की तीनों ही योजनाओं का एक लक्ष्य यह रहा कि देश में आप तथा सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए तथा आर्थिक विप्रभता का अन्त होना चाहिए जिन्हें आर्थिक विप्रभता में निरन्तर बढ़ि होनी चाही और आर्थिक शक्ति वा संकेन्द्रण निरन्तर बढ़ता गया। अत सरकार ने देखा कि वह जिस समाजवाद की दिशा में जाने की प्रोप्रणा करती रही है, वह तो देश से निरन्तर दूर होता जा रहा है। इसलिए कुद्य ठहर वर यह मोरचना आवश्यक या कि समाजवाद के मार्ग में क्या बाधाएँ हैं और नियोजन ए सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसी उद्देश्य से नियोजन को कुद्य समय के लिए स्थगित किया गया।

(५) पूँजीरतियों का विरोध—वैसे तो भारत के उद्योगपति तथा कुद्य अन्य व्यक्ति आर्थिक नियोजन की मूलभूत धारणा का ही विरोध करते रह हैं जिन्हें तीसरी योजना की असफलता के कारण यह विरोध अवधिक हो गया। देश के सारे समाचार पत्र (जिनमें से अधिकतर पूँजीरतियों के स्वामित्व में हैं) आर्थिक नियोजन का सदा के लिए अन्त कर दने की माँग करने लगे। यह विरोध इतना तीव्र था कि न चाहने पर भी नियोजन का नियमित व्रत कुद्य समय के लिए स्थगित हो गया।

एवंवर्षीय योजनाएँ—तीसरी योजना की समाप्ति पर सरकार यह चाहनी थी कि आर्थिक नियोजन के सार दर्शन पर ही एक बार पुनर्विचार किया जाय और यह निर्णय लिया जाय कि आगामी योजना की सफलता के लिए क्या-न्या करना आवश्यक है। दूसरी ओर वह नियोजन को स्थगित भी नहीं करना चाहती थी। अत बीच का मार्ग निकाला गया। सरकार आर्थिक बजट के साथ ही आर्थिक योजना प्रकाशित करती रही। इस प्रकार तीन वार्षिक योजनाओं में सरकार द्वारा लगभग ६,७५७ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इन योजनाओं के व्यय का आदर्श तीसरी योजना ही थी। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि तीन वर्ष में किये गये कुल व्यय का लगभग २३ प्रतिशत उद्योगों पर, लगभग १६ प्रतिशत परिवहन एवं सचार पर तथा लगभग २४ प्रतिशत हैं एवं सिवाई आदि पर व्यय किया गया।

एवंवर्षीय योजनाएँ बेवल नियोजन के अधिकृत व्रत को चाहूँ रखने के लिए थीं, उनमें पीछे निश्चित उद्देश्य या लक्ष्यों का अमाव था। अत इस अवधि में जो

वृद्धि विकास हुआ वह आकस्मिक था। अत उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना

[FOURTH FIVE YEAR PLAN]

पृष्ठभूमि— चतुर्थ योजना के पीछे हल्दी सफलताओं और आशा से अधिक असफलताओं का लम्बा इतिहास था। लगभग १८ वर्ष के आर्थिक नियोजन ने देश को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था और यह निष्पत्त घरना आवश्यक हो गया कि भविष्य की योजनाओं का क्या आधार होना चाहिए? चतुर्थ योजना वी पृष्ठभूमि के रूप में उन परिस्थितियों और अनुभवों का विवेचन कर लेना आवश्यक है जिनका प्रभाव चतुर्थ योजना की नीतियों पर पड़ा।

(१) गति की शिथिलता—भारतीय नियोजन से पहला पाठ यह सीखा जा गवता था कि देश में योजनाओं का सचालन बहुत शिथिल था। जिस गति से योजनाओं का त्रम चलाया जा रहा था उससे न तो सब व्यवितरणों को रोजगार दिया जा सकता था, न सामाजिक सेवाओं के आधार का विस्तार किया जा सकता था और न ही जनता के जीवन स्तर में मुद्धार राम्रव था। बास्तव में आर्थिक विकास जिस गति से हो रहा था, उस गति को बनाये रखना ही बठिन था।

(२) विदेशों पर निर्भरता—आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी के लिए त्याग करना पड़ता है। यदि कोई देश निरन्तर विदेशी सहायता पर निर्भर होना चला जाय तो वह आर्थिक तथा राजनीतिक बढ़िनाई में पड़ सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो योजना के पहले अठारह वर्षों में देश को निरन्तर अधिक अनाज विदेशी से मानवाने के लिए बाध्य होना पड़ा और विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता बढ़ती गयी। इससे देश के आत्म गौरव और प्रतिष्ठा को भारी घरना पहुँचा और अनेक देशों ने सहायता देने से हाथ खींचना आरम्भ कर दिया।

(३) स्थानिक ढाँचे की दुर्बलता—आर्थिक नियोजन वी सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि देश में आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय संस्थाओं का ऐसा शक्तिशाली समर्थन हो जो देश से सभी क्षेत्रों के विकास में समुचित योगदान करता रहे। भारत में संस्था की दृष्टि से अनेक प्रकार की व्यापारिक, औद्योगिक तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी किन्तु उनका प्रशासन इतना बमजोर था कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुकूल सिद्ध नहीं हो सका। अत आर्थिक नियोजन के सभी कार्यक्रम असफल रहे एवं दूसरे पर्याप्त सफलता नहीं पिले।

(४) प्रशासनिक असफलता—आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए देश में दृढ़ एवं ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता होती है जो देश की प्रत्येक योजना को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके। इसके लिए प्रशासकों का स्वयं भी योजनाओं में विश्वास होना आवश्यक है। भारत में प्रशासन की परम्परा

व्ययों से विरासत में मिली है। उसकी नौकरशाही मनोवृत्ति को शान्तिकारी या समाजवादी नीतियों में कभी विश्वास नहीं रहा। अतः प्रशासन ने कभी भी मन और इमं से नियोजन को सफल बनाने का प्रयत्न नहीं किया। अच्छे में अच्छे निर्णय और नीतियाँ नौकरशाही मनोवृत्ति की अनुप्ल भूल की शिकार होनी रही और सरकार और जनता किंवद्यविमूढ होकर असहाय की भाँति देखनी रही।

वास्तव में भारतीय आधिक नियोजन का जिस अमर्फनता का मुँह देखना पड़ा वह मूल रूप में नौकरशाही प्रशासन की घटिया मनोवृत्ति और सक्रिय असहयोग के कारण हुआ। इसी कारण देश में मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था असफल हो गयी, राजनीत्यवस्था में भ्रष्टाचार और चोर वाजारी फैल गयी और उद्योग तथा निर्यातों के लिए कुछ इने गिने व्यक्तियों द्वारा लाइमेंस दिये गये। प्रशासन के भ्रष्ट एवं पक्षपात-पूर्ण आचरण के विश्वद इस भर से बोई कार्यालयों नहीं को गयी जिन वह भविष्य में और अधिक असहयोग न करने लगें। इस प्रवार आधिक नियोजन का आशावाद नौकरशाही के असहयोग और आत्म से निराशावाद में बदन गया।

(५) आधिक विषयमता—आधिक नियोजन का आरम्भ इमलिए किया गया था जि देश के कर्में भूमें नग दमानों को पहले से अधिक मुविगाएं मिलेंगे और उन्हें रोटी, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दोनतापूर्वक हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, समाज में गरीबी, अमीरी के अन्तर कम होगे तथा राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के अधिकार में नहीं जायेगे। दुर्भाग्य से इस महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। गरीब पहले से अधिक गरीब होता गया, अमीर पहले से अधिक अमीर होने वाले गये और आधिक सत्ता और साधन धीरे धीरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में संकेन्द्रित होने चले गये। इन प्रकार देश में समाजवाद की स्थापना के स्थान पर पूँजीवाद का ग्रभाव बढ़ता चला गया। नियोजन के पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी और ऐसा प्रतीत होने लगा जि भविष्य में भी इनकी पूर्ति होने की सम्भावना नहीं है।

इस प्रवार चतुर्थ योजना उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनायी गयी है जिन्हें पिछली तीन योजनाओं में पूरा नहीं किया जा सका। इस योजना में पिछली योजनाओं की गतियों को न दोहराने का निश्चय किया गया है और कुछ बत लिए गये हैं जो देश की प्रतिष्ठा में लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

(६) उद्देश्य—चतुर्थ योजना के उद्देश्य प्राय वही हैं जो पहली तीन योजनाओं में निश्चिन्त किये गये थे किन्तु इस योजना में उनकी पूर्ति के लिए कुछ निरेशक सिद्धान्त भी दिये गये हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित तथ्यों से हो सकता है।

(७) सामाजिक न्याय और समानता—चतुर्थ योजना में भी सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा आधिक समाज सान का ध्येय रखा गया है किन्तु इसमें यह

कहा गया है कि समानता और न्याय के लिए आर्थिक साधनों पर सरकार का पहले से अधिक नियन्त्रण करना आवश्यक होगा। इसी दृष्टि से सरकार ने ओदीपिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नयी नीति निर्धारित की है जिसमें नये साहसियों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है।

आय का वितरण—चतुर्थ योजना में आय के वितरण को अधिक महत्व दिया गया है तथा इसकी पूर्ति के लिए पर नीति में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।

स्थानीय नियोजन—देश में रोजगार के स्तर में सुधार करने के लिए नियोजन को विवेन्द्रित करने का सुझाव दिया गया है। इसी दृष्टिकोण से ग्रामीण उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने का विचार प्रकट किया गया है।

दुर्बल उत्पादक—देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कमज़ोर उत्पादकों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने का निश्चय किया गया है। इसके लिए विस्तीर्ण संस्थाओं तथा प्रशासनिक विभागों की प्रक्रियाओं को सरल करने का सुझाव दिया गया है।

भूमिहीन श्रमिक—भारत में एक बड़ी संख्या भूमिहीन श्रमिकों की है। चतुर्थ योजना भ उन्हें स्थानीय विद्यास कर्यक्रमों में नियोजित किया जायगा।

यह सब कार्य सामाजिक न्याय तथा समानता का बातावरण उत्पन्न करने में सहायता होगे।

(२) **प्रादेशिक असन्तुलन ठीक करना—**आर्थिक नियोजन का मुख्य घोय प्रादेशिक असन्तुलन करना होना चाहिए ताकि पिछड़े हुए भाग धीरे-धीरे विकसित भागों के समान हो सकें। चतुर्थ योजना में पिछड़े हुए भागों को तीन प्रकार से विशेष सहायता देकर उनका विद्यास किया जायेगा।

(i) उन्हें बेन्द्र से वित्तीय महायता दी जायेगी।

(ii) उन धन्त्रों में बेन्द्रीय परियोजनाएं आरम्भ की जायेगी।

(iii) वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं की नीतियों में सुधार कर उन्हें अधिक सहायता देने की व्यवस्था की जायेगी।

(३) **सामाजिक सेवाओं का विस्तार—**चतुर्थ योजना में शिक्षा, चिकित्सा, परिवार नियोजन, आदि सुविधाओं का विस्तार करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए १४ वर्ष तक वी आयु के वालों के लिए अनिवार्य एवं निश्चल शिक्षा वी ध्यवस्था की जायेगी और चिकित्सा के लिए प्रायमिक स्वास्थ्य बेन्द्रों की स्थापना वी प्रायमिक देने का निश्चय किया गया है।

(४) **अधिक रोजगार की ध्यवस्था—**वेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए ग्रामों में ही छोटे-छोटे बारालाने (जो खेती के लिए उपयोगी यत्र आदि बना सकें) स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि वस्तुओं का उत्पादन वम लागत पर हो गवे और रोजगार देने की स्थानीय ध्यवस्था हो सके।

(५) आर्थिक नियन्त्रण—उत्पादन में बृद्धि करने तथा आर्थिक सत्ता का सुकेन्द्रिय रोकने के लिए अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर सरकारी नियन्त्रण कड़े करने वा निश्चय किया गया है ताकि कुछ व्यक्तियों को ही निरन्तर लाभ न मिल सके। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य व्यापार निगम तथा लालात्र निगम को अधिक सुक्रिय बनाने वा निश्चय किया गया है।

आर्थिक नियन्त्रण मजबूत करने के लिए ही वित्तीय निगमों तथा अन्य संस्थानों (जो उपयोगों को आर्थिक, तकनीकी या माल की विक्री सम्बन्धी सहायता देते हैं) के प्रशासन तथा नीतियों में आन्तरिकी परिवर्तन करने का निर्णय किया गया है ताकि वह देश के आर्थिक विवास के लिए अधिक उपयोगों मिठ हो सकें।

(६) लोक सेवा का सचालन—चतुर्थ योजना काल में लोक सेवा की सभी औद्योगिक इकाइयों का आपनी समर्पण बनाने वा निश्चय किया गया तथा उनकी कृपानन्दा में बृद्धि के लिए उनके बारे में निर्णय लेने के अधिकार को विकेन्द्रित करने का निर्देश दिया गया।

इस प्रकार चौथी पचवर्षीय योजना में उत्पादन, विनरण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों में सुधार के लिए स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

नीति निर्देश—चतुर्थ पचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं उनकी पूर्ति के लिए दो महत्वपूर्ण नीति निर्देश दिये गये हैं

(i) स्थायित्व के माध्य विकास (Growth with Stability)

(ii) विदेशी सहायता में मुक्ति (Freedom from Foreign Aid)

चतुर्थ योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का सचालन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि देश में मुद्रा स्थिति न हो तथा दम्भुओं के मूल्य में स्थायित्व रहे। इनी प्रकार यह निश्चय भी प्रकट किया गया है कि विदेशी सहायता में शोधातिकारी दृष्टिकोण पाने वा प्रयत्न किया जाना चाहिए क्योंकि विदेशी सहायता से अनेक प्रकार की आर्थिक तथा राजनीतिक कठिनाइया उत्पन्न होने लगती हैं।

विदेशी सहायता की मात्रा वो न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए चतुर्थ योजना में निर्धारित नियन्त्रण में प्रति वर्ष ७ प्रतिशत की बृद्धि करने वा निश्चय किया गया है। यह बायं विशेष इटिन नहीं है।

(७) आकार तथा साधन—चतुर्थ पचवर्षीय योजना में लोक सेवा द्वारा १५,६०२ करोड़ रुपये खर्च करने की घबस्था की गयी है। यह रकम पहली तीनों योजनाओं के मिने जुने खर्च से भी अधिक है। इस खर्च के लिए ८,७३४ करोड़ रुपये अर्थात् लगभग ५५ प्रतिशत वो घबस्था मामान्य आन्तरिक साधनों से की जायेगी, ३१६८ रुपये जये वरों में प्राप्त किये जायेंगे तथा ५०६ करोड़ रुपये आन्तरिक शहरों से प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रकार आन्तरिक साधनों से कुल १२,४३८

करोड रुपये अर्थात् लगभग २० प्रतिशत रकम प्राप्त करने की व्यवस्था है। ये रकम में से २,६१४ करोड रुपये विदेशी सहायता और ८५० करोड रुपये घाटे के बजटों से प्राप्त करने का निश्चय दिया गया है।

इस प्रकार चतुर्थ योजना के लिए विदेशी सहायता से कम धन राशि प्राप्त की जायगी इन्तु घाटे के बजटों से ८५० करोड रुपया प्राप्त किया जायगा। इससे मुद्रा स्वीकृति होने का मन बना रहेगा और बस्तुओं के मूल्य में स्थायित्व नहीं रह पायेगा।

(ग) प्रायमिकताएँ—चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सबसे अधिक राशि अर्थात् कुल योजना व्यय की ८४ प्रतिशत खेती और सिचाई आदि पर व्यय होगी। वहे उद्योग तथा सेवा पर २१ प्रतिशत तथा शक्ति (विद्युती आदि) पर १६ प्रतिशत रकम खर्च की जायेगी। इन प्रकार उद्योग तथा शक्ति साधनों के विवास पर कुल निवासी लगभग ३७ प्रतिशत रकम खर्च करने का अनुमान है। परिवहन तथा सचारा व्यवस्था पर २० प्रतिशत रकम खर्च होगी।

इस प्रकार योजना की प्रायमिकताओं का गहराई से अध्यक्ष वर्णन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्थ योजना में एक और तो खेती के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, दूसरी ओर परिवहन, विज्ञानी तथा वहे उद्योगों पर लगभग ५७ प्रतिशत रकम व्यय करने का निश्चय दिया गया है। अत खेती उद्योग, तथा साजन-सज्जन के महत्व को पूरी तरह समझ वर उनके विकास को योग्योचित महत्व देने का प्रयत्न किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय आय—चतुर्थ योजना वाल में प्रति वर्ष ४४४ प्रतिशत की विवास दर का अनुमान लगाया गया है अर्थात् राष्ट्रीय आय में ५५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी ऐसा अनुमान है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इन वाल में जन सख्ता २५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, अतः राष्ट्रीय आय में शुद्ध वार्षिक वृद्धि ३ प्रतिशत होगी।

राष्ट्रीय आय में ३ प्रतिशत शुद्ध वृद्धि प्राप्त करने के लिए देश में घरेन्तु बचतों की दर राष्ट्रीय आय की १३ २ प्रतिशत तक बढ़ानी पड़ेगी। १६६८-६९ में घरेन्तु बचतों की दर ८८ प्रतिशत थी। इसी प्रकार पूँजी विनियोग की दर भी राष्ट्रीय आय की दर से कम १४४ प्रतिशत करनी पड़ेगी।

बचत तथा विनियोग के सम्बन्धों की पूर्ति करने के लिए सरकार को बस्तु मूल्यों में स्थायित्व रखना पड़ेगा जो निश्चय ही एक कठिन काम है।

विद्युतेष्ट—चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा १५,६०२ करोड रुपये तथा निजी क्षेत्र द्वारा ८,६६० करोड रुपये व्यय करने का निश्चय दिया गया है। इस प्रकार पांच वर्ष में कुल ३४८८२ करोड रुपये खर्च किये जायेंगे।

यद्यपि योजना में यह निश्चय दोहराया गया है कि मूल्य स्तर में स्थायित्व रखने का प्रयत्न किया जायेगा इन्तु निर भी ८५० करोड रुपये की रकम घाटे के बजटों से

प्राप्त की जायेगी। पिछले दो तीन वर्ष में प्रस्तुत किये गये बजटों में प्रायः २५० करोड़ रुपय वार्षिक का घाटा दिखलाया गया है अत वास्तविक घाटा ८५० करोड़ रुपय से काफी अधिक होने की आशंका है। इससे मूल्य स्तर में बढ़ि रोकना कठिन होगा। पिछले दो तीन वर्षों में मूल्य स्तर में निरन्तर बढ़ि हुई है।

चतुर्थ योजना में समाजवाद की नीति को अधिक स्पष्ट शब्दों में दोहराया गया है किन्तु सरकार की नीतियाँ अभी इतनी कानूनिकारी प्रतीत नहीं होती जिनसे समाजवाद लाया जा सके। कुछ आकस्मिक या छुट्टूट कदमों से न तो वार्षिक विषमता बम होगी, न आय और सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होगा। अत गरीब की गरीबी को कम करने का प्रयत्न अधिक गम्भीरता से किया जाना चाहिए नहीं तो चतुर्थ योजना के बाद भी सगमग वही स्थिति देखने को मिलेगी जो १९६५-६६ में या १९६८-६९ में थी। यह स्थिति निश्चय ही गोरखपूर्ण नहीं होगी।

यथा भारत में आर्थिक नियोजन को सफलता मिली है?

भारत की पचवर्षीय योजनाओं पर विचार करने के पश्चात् महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भारत में नियोजन सफल हुआ है? इसका उत्तर है नहीं। किन्तु ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है?

आर्थिक नियोजन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए यह देखना चाहिए कि उम्मेद उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है तो नियोजन में असफलता मिली है। यदि उद्देश्य पूरे हो गये हैं तो नियोजन भी सफल भाना जाना चाहिए।

(१) राष्ट्रीय आय—भारतीय नियोजन को सफलता का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय में बढ़ि को दो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण यह हि राष्ट्रीय आय में कुल बढ़ि कितनी हुई है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रीय आय में वास्तविक बढ़ि कितनी हुई है।

कुल बढ़ि—यदि राष्ट्रीय आय में कुल बढ़ि का अनुमान लगाया जाय तो सदृ १९५०-५१ में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग ६,५३० करोड़ रुपये थी जो १९६६-७० में लगभग ३१,२०० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी अर्थात् यह लगभग ३२ गुनी हो गयी है।

यदि प्रति व्यक्ति बढ़ि का अनुमान लगाया जाय तो पता लेगा कि १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति आय २६३ रुपये थी जो १९६६-७० में ५८६ रुपये हो गयी। इस प्रवार प्रति व्यक्ति आय भी लगभग २२ गुनी हो गयी है।

वास्तविक बढ़ि—आय में कुल बढ़ि योजना की सफलता का सही माप नहीं मानी जा सकती क्योंकि योजना काल म मुद्रा के मूल्यों में निरन्तर बढ़ि हुई है। अत यदि आय में वास्तविक बढ़ि का माप किया (जिसमें क्या शक्ति में बढ़ि का माप होगा) तो नियोजन की सफलता का सही अनुमान हो सकता है।

सदृ १९५०-५१ में भारत की वास्तविक आय (१९४८-४९ के मूल्यों पर)

८,८५० करोड़ रपये थे जो बढ़कर १९६८-६९ में १६,६१० करोड़ रपये हो गयी अर्थात् वास्तविक वृद्धि केवल ६० प्रतिशत हुई (इसकी तुलना ३२४ गुनी से भीजिये) है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय २४८ रपये से बढ़कर ३२३ रपये हुई है अर्थात् वृद्धि केवल ३० प्रतिशत है। यदि पिछले दस वर्षों की वास्तविक आय वृद्धि का अनुमान ही लगाया जाय तो इसमें वृद्धि ११ प्रतिशत से कुछ घम निकलती है।

इस प्रकार नियोजन काल में एक भारतीय वी औसत आय केवल ३० प्रतिशत बढ़ी है जो १५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का संकेत करती है। यह वृद्धि अत्यन्त साधारण है। अतः इसके आधार पर नियोजन को सफल मान लेना उचित नहीं है।

(२) प्रायोगिक क्षेत्रों का विकास—नियोजन के दोस्रे वर्षों में भारत में वृष्टि, उद्योग, परिवहन के साधन तथा विजली आदि का महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिन्हें कृषि के क्षेत्र में अभी भी आत्मनिर्भरता नहीं मिली है। प्रति वर्ष करोड़ रपये का अनाज, कपास तथा तेल बाहर से आयात करना पड़ रहा है। भारतीय वृष्टि आज भी मानसून का जुआ है जैसी दोस्रे वर्ष पहले थी।

उद्योग विजली, परिवहन के क्षेत्रों में आशातीत विकास हुआ है। १९५०-५१ में भारत में एक वर्दिया किस्म वी सुई का भी निर्माण नहीं होता था किन्तु अब हमारे यही वर्दिया रेल के इजन, डिव्हें, ट्राई जहाज, पानी के जहाज, बड़ी-बड़ी मशीनें आदि प्रचुर मात्रा में बनने लगी हैं। भारत के ग्राम ग्राम में विजली पहुँच गयी है और सड़कें पहुँच रही हैं। यह सही है कि इन क्षेत्रों में भी विकास की गति बहुत शिखिल रही है जिन्हें भी यह बहुत पड़ेगा कि भारत सशार के ओद्योगिक मानचित्र पर आ गया है। यह आर्थिक नियोजन की महत्वपूर्ण देन वही जा सकती है।

(३) आर्थिक विषमता में कमी—भारत में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आय तथा सम्पत्ति के साधनों का व्याप्तिपूर्ण वितरण करना रहा है ताकि देश में आर्थिक विषमता कम हो सके। अब तक जितनी समिनियो तथा आयोगों ने रिपोर्ट दी हैं उनसे पता चलता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का अधिक लाभ धनी वर्ग को मिला है, और गरीब पहले से अधिक गरीब होता चला जा रहा है। इस प्रकार देश में 'आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण ने वृद्धि हुई है।' अतः आर्थिक नियोजन के इस लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकी है।

(४) वेंडोजगारी हटाना—ममाजबाद की गद्दे से महत्वपूर्ण खूबी यह होती है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोजगार मिल जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन में भी प्रत्येक व्यक्ति को जोजगार देने का सद्य निर्णयित बिया गया था जिन्हें दुमर्गीय से वेंडोजगारी हटाने की बजाय निरन्तर चलती रही। अनुमान लगाया जाया है कि १९७१ में लगभग १६ करोड़ व्यक्ति वेंडोजगार हैं। यह स्थिति निश्चय ही बहुत गम्भीर एवं दुखद है। इसके आधार पर भारत में नियोजन को सफल कराया नहीं माना जा सकता।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय आधिक नियोजन को जेवन और अधिक तथा परिवहन के दोनों में ही सफलता मिली है जबकि दोनों में वह असफल हो रहा है। असफलता के बारण^१

भारतीय आधिक नियोजन की असफलता में अनेक तत्त्वों का हाथ रहा है। पिछले एक अध्याय में सामान्य रूप में उन तत्त्वों के बारे में चिला जा सुका है। यही उनकी विवेद बातों पर प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) अस्पष्ट नीति—भारत में समाजवादी समाज की व्यापकता के लिए वहाँ में चबां होनी रही है जिसनु गमाजवाद के सही स्वरूप के बारे में शामिल दर के सदस्यों में आपम में मतभेद रहा है। इस मतभेद के बारण ही १९६६ में राष्ट्रीय हार्डीय दो नागों में बट गयी है। आपमी मतभेदों का आधिक नियोजन पर यह प्रभाव पड़ा कि योजना की प्राप्तिकर्ताएँ सदा बदलती रही हैं। पहली योजना में कृषि को अधिक महत्व देवर मान लिया गया कि कृषि दोनों का पर्याप्त विकास हो गया है। इस गलत धारणा का पक्ष तीसरी योजना में भुगतान पड़ा जबकि मूला पहले से खेतों में बहुत कम उन्नादन हुआ और विदेशों से अधिक अमर तथा अन्य वस्तुएँ आयात करनी पड़ी।

सरकार की अस्पष्ट आधिक नीति का दीर मम्मवनः अब भी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि बुद्ध राज्यों में अभी तक भी चतुर्थ योजना के पार्यंत्रियों को अनिम हप नहीं दिया जा सका है। ऐसी स्थिति में नियोजन की सफलता की क्या आशा हो सकती है?

(२) कान्तिशारी नेतृत्व का अभाव—भारत में आधिक नियोजन की असफलता का एक महत्वपूर्ण बारण यह है कि देश का नेतृत्व पर्याप्त कान्तिशारी नहीं रहा है। भारत के शामिल उचित अनुचित विद्यों जो नरीके से कुर्मी के विक्रे "हना चाहते हैं और वर्षनी कुर्मी" ते लिए वह देश के घड़े से घड़े दिन की भी परवाह नहीं करते। आपे दिन दल बदलने की पठनाएँ होती हैं क्योंकि बुद्ध व्यक्तियों को कुर्मी का सालत देवर कमी इपर मिला जाता है कमी उपर शामिल दर लिया जाता है, ऐसे पद सोनुप व्यक्तियों से देश के विनाश के लिए बया आशा की जा सकती है।

राष्ट्रीय चरित्र के इष मयानक पर्वत का पक्ष देश को जनवर को नुगतना पड़ा है और विचास में पार्यंत्रम् गमय पर पूरे नहीं हो सके हैं। यही योजना की असफलता का बारण है।

^१ इस भीर्स के नीरे दो गयी बातों को "भारतीय आधिक नियोजन की कठिनाई" भी कहा जा सकता है।

(१) शियिल प्रशासन—दिल्ले अध्याय में लिखा जा चुका है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए मजबूत और ईमानदार प्रशासन होना आवश्यक है। भारतीय प्रशासन की मनोवृत्ति सत्ताशाही और सामन्तवादी रही है। प्रशासक मनमाने द्वाग से काम करते हैं। वह सरकारी योजना अथवा जनहित कि उनिव भी चिता नहीं करते। इसीलिए धूस और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दुर्मियपूर्ण परिस्थिति यह है कि धूस और भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्ति प्राय साफ बच जाते हैं क्योंकि उन्हें शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रथम भिन्न जाता है। यह परिस्थितियाँ निरन्तर बढ़ती चली जा रही हैं। इसी बारण समाज में असतोष बढ़ गया है और न्याय के प्रति विश्वास हटता चला जा रहा है। इस प्रकार के भ्रष्ट एवं स्वार्थी प्रशासन से आर्थिक नियोजन की सफलता की कामना नहीं करना व्यर्थ है।

(२) साधनों का दुरुपयोग—भारतीय नियोजन में प्राय यह देखा गया है कि बोई भी कार्यक्रम निश्चित या निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसी कार्यक्रम पर जितनी धन राशि खर्च बरने का निश्चय किया जाता है उससे प्राय बहुत अधिक रकम उस कार्यक्रम पर खर्च होती है। अनेक क्षेत्रों में ठेकेदार से उच्चतम अधिकारी तक गठबंधी करने में सहयोग देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय पूँजी का एक बड़ा मांग जो देश के विकास में खर्च होना चाहिए, बड़े-बड़े अधिकारियों की जेव में चला जाता है। वास्तव में आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण का एक मुख्य कारण यही है।

आर्थिक साधनों के दुरुपयोग के कारण अनेक योजनाएँ अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं जिनके व्याज का भार देश की अर्थ-व्यवस्था पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

इस प्रकार जो कुछ सीमित साधन भारत में उपलब्ध हैं उनका भी सही ढग से उपयोग न होने के कारण नियोजन की असफलता का मुह देखना पड़ा है।

(३) जन सहयोग—इसी भी देश में आर्थिक नियोजन तब तब सफल नहीं हो सकता जब तब नियोजन में जनता की आस्था न हो और उसे सफल बनाने में उसका पूरा योगदान न हो। भारतीय जनता को योजनाओं के महत्व से पूरी तरह परिचित करने का वभी विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि नियोजन के लिए काम करना उसका कर्तव्य नहीं सरकार का काम है।

योजना बनाते समय भी सरकार प्राय उन व्यक्तियों को सताह लेती है जो सरकार की 'ही मै हूँ' भिन्नते बोल होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि योजनाओं की वास्तविक कमियाँ वभी भी प्रवाय में नहीं आती। आत गलत ढग से बनायी गयी और भ्रष्ट तथा स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा मचालित की गयी कोई भी योजना कैसे सफल हो सकती है? यह एक सीधा प्रश्न और सार उत्तर है।

उपराहार—भारतीय आर्थिक नियोजन की असफलता में प्रशासन का दोस्ता-

एन और भृष्टाचारण तथा शासकों को सामन्तशाही भनोवृत्ति का मुख्य योग रहा है। इनमें परिवर्तन किये विना भविष्य वी योजनाओं की सफलता भी सदिगत ही बनी रहेगी।

अभ्यास प्रश्न

१. ✓ इवतन्त्रता प्राप्ति से पहले भारत में आर्थिक नियोजन के जो प्रश्न लिये गये उनका विश्लेषण कीजिए।
२. भारत में आर्थिक नियोजन की प्रायमिकताओं का विश्लेषण कीजिए।
३. भारत में आर्थिक नियोजन को तीन वर्ष के लिए क्यों स्थगित किया गया? वार्षिकों पर प्रकाश डालिए।
४. भारत की पहली तीन योजनाओं पर टिप्पणी लिखिए। क्या उनमें पर्याप्त सफलता मिली? कारण सहित लिखिए।
५. चतुर्थ योजना की पृष्ठ-भूमि का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। क्या चतुर्थ योजना में कुछ नयी दिशाओं की ओर संकेत किया गया है?
६. भारत को चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना पर एक टिप्पणी लिखिए।
७. भारत को पञ्चवर्षीय योजनाओं को बठिनाइयों तथा सफलताओं का विवेचन कीजिए।
- ✓ ८. भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं की सफलता में कौन से तत्त्व बाधक रहे हैं?

भारतीय योजना आयोग

(INDIAN PLANNING COMMISSION)

भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार आरम्भ हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। नवम्बर, १९४७ में अखिल भारतीय कांग्रेस-महासंघित ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें “नियोजित केन्द्रीय निदेशन” (Planned Central Direction) की आवश्यकता पुर जोरु दिया और १९४८ में आर्थिक कार्यक्रम समिति (Economic Programme Committee) ने यह सुझाव दिया कि देश में राज्य सरकारों को नियोजन सम्बन्धी सलाह देने के के लिए एक केन्द्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

“जनवरी, १९५० में कांग्रेस दल की कायकारियों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत सरकार से यह सिफारिश की गयी थी कि एक वैधानिक योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।”

✓ आयोग की स्थापना—जनवरी १९५० में राष्ट्रपति ने संसद में जो भाषण दिया उसमें योजना आयोग की स्थापना का निश्चय प्रगट किया गया। राष्ट्रपति ने बहा कि योजना आयोग स्थापित किया जा रहा है ‘ताकि अपने साथीों का राष्ट्र के विकास के लिए श्रेष्ठतम प्रयोग किया जा सके।’

इस घोषणा के पश्चात् १५ मार्च, १९५० वो भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें आर्थिक नियोजन का महत्व स्पष्ट किया गया और यह मत प्रगट किया गया कि इसी स्वतन्त्र संगठन के विना योजनाओं को सफल बनाना सम्भव नहीं है।
योजना आयोग के कार्य

(Functions of the Planning Commission)

भारत सरकार के प्रस्ताव में संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का ह्वाला देते हुए वहा गया था कि “सरकार जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बहुत

सबल्प है" अत एक योजना आयोग की स्थापना की जा रही है जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे

(१) साधनों की जानकारी तथा अभाव को पूर्ति—आयोग का पहला कार्य देश के भौतिक, पूँजीगत तथा मानवी साधनों का (जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं) सही अनुमान लगाना है। इस अनुमान के आधार पर जो साधन देश की आवश्यकता के लिए बहुत ही उनकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा।

(२) साधनों का सन्तुलित एवं प्रभावशाली उपयोग—देश में मौजूद साधनों की सही जानकारी बर सेने के पश्चात् एक ऐसी योजना बनाना जो इन साधनों के अधिकतम प्रभावशाली एवं सन्तुलित प्रयोग के लिए आवश्यक हो।

(३) प्रायमिकताएँ और चरण निर्धारित करना—साधनों का थेट्ठतम प्रयोग करने के लिए प्रायमिकताएँ निर्धारित करना और इन प्रायमिकताओं के आधार पर आर्थिक विकास करने के लिए यह निश्चित करना कि कद-कद विस किस चरण (stage) पर वित्तने-वित्तन साधनों का प्रयोग किया जायगा।

(४) बाधक तत्वों की जानकारी—यह जानकारी प्राप्त करना कि आर्थिक विकास में कौन से तत्त्व बाधक हो सकते हैं और वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक बातावरण में आविष्क नियोजन की सफलता के लिए कौन से बाध पूरे कर सेना आवश्यक है।

(५) नियोजन के लिए सगठन की स्थापना—इन सब कार्यों की जानकारी और पूर्ति के लिए उचित सगठन का निर्णय करना और उसकी स्थापना करना।

(६) मूल्यांकन—समय-समय पर नियोजन के प्रत्यक चरण की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा उसके आधार पर नियोजन की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार बरना।

(७) सगठन में सुधार—सरकार की बदलती हुई नीतियों के अनुसार तथा आर्थिक विकास के बायंक्रमों के अनुसार अपने सगठन में परिवर्तन या सुधार के लिए सुझाव देना।

एक सलाहकार संस्था

योजना आयोग की स्थापना के समय ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह एक सलाह देने वाली संस्था है। आयोग द्वारा दोई सलाह देने से पहले राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श कर सेना चाहिए ताकि बाद में मनमेद उत्तम होने वा भय न रहे।

योजना आयोग दो सलाह के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे निर्णय में है। निर्णय लेने में वह आयोग के मत को अधिकतम महसूब देनी है परन्तु आयोग के विचार से मन भिन्नता होने पर वह स्वतन्त्र निर्णय से सक्ती है। निर्णय लेने के पश्चात् उनका पालन करने का दायित्व सरकार वा हो है, आयोग का उसमें दोई हाथ नहीं होता।

संक्षेप में

- (i) योजना आयोग एक सलाह देने वाली संस्था मात्र है।
- (ii) अपनी निश्चित सलाह देने के लिए यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्पर्क में रहता है।
- (iii) सरकार के लिए आयोग की सलाह मान लेना अनिवार्य नहीं है किन्तु आयोग की सलाह को अधिकतम महत्व दिया जाता है।
- (iv) आयोग की सलाह के बाद सरकार जो निर्णय लेती है उसका पालन करने का दायित्व सरकार पर ही होता है।

आयोग की रचना

(Composition of the Commission)

भारत में योजना आयोग की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण की। श्री गुलजारी लाल नदा वो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों में श्री बी० टी० कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, श्री जी० एल० मेहता तथा श्री आर० के० पाटिल थे। श्री नदा तथा पाटिल वो राजनीतिक, श्रम तथा जन जीवन का पर्याप्त अनुभव था। श्री बी० टी० कृष्णमाचारी तथा श्री देशमुख को प्रशासनिक अनुभव था, तथा श्री जी० एल० मेहता को व्यावसायिक प्रबन्ध के विशेष ज्ञान के अतिरिक्त प्रशासनिक अनुभव भी था। इस प्रकार पहला योजना आयोग मुश्यत प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों का संगठन था। उसमें श्री नेहरू के अतिरिक्त किसी मन्त्री को सदस्य नहीं बनाया गया।

मन्त्रियों को सदस्यता—आयोग की नियुक्ति के तीन मास के भीतर ही श्री चिन्तामणि देशमुख वो भारत सरकार में वित्त मन्त्री नियुक्त बन दिया गया। श्री देशमुख के वित्त मन्त्री होने पर भी उनको योजना आयोग का सदस्य बनाये रखा गया। बास्तव में, उस समय से यह परम्परा पड़ गयी कि वित्त मन्त्री योजना आयोग का पदेन सदस्य होता है।

सन् १९५१ में श्री गुलजारीलाल नदा को भारत सरकार में मन्त्री नियुक्त किया गया और उन्हे भी आयोग का सदस्य बना रहने दिया गया। उस समय से एक नयी परम्परा यह स्थापित हो गयी कि भारत सरकार का योजना मन्त्री भी योजना आयोग में पदेन सदस्य होगा।

वर्तमान स्थिति

(i) अध्यक्ष—यह परम्परा बन गयी है कि भारत का प्रधान मन्त्री योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। सन् १९५० से २७ मई, १९६४ तक श्री जवाहर लाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् श्री लालबहादुर शास्त्री और उनकी मृत्यु के पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी ने योजना आयोग की अध्यक्षता वा भारत सभाला।

(ii) मन्त्री सदस्य—प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त वित्त मन्त्री तथा योजना

मन्त्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इन व्यक्तियों के अनिवार्य मी कुछ मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इन मन्त्रियों की आयोग में नियुक्ति प्रायः प्रधान मन्त्री को इच्छा पर निर्भर करती है। यह निश्चित नहीं है कि इनमें मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? समय-समय पर इनकी सत्त्वा में परिवर्तन होना रहा है।

(iii) उपमन्त्री—कभी-कभी योजना मन्त्रालय में कुछ उपमन्त्री होते हैं जो आधिक नियोजन सम्बन्धी नीतियों के पालन करने में योग देने हैं। इन मन्त्रियों को योजनाओं के संचालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। उस अनुभव का ताम उठाने के लिए इन व्यक्तियों को योजना आयोग की सभाओं में भाग लेने के लिए बुला लिया जाता है किन्तु इन्हें आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता।

(iv) पूर्णकालिक सदस्य—प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीगण योजना आयोग के अदाकालिक (part time) सदस्य ही होते हैं। इन्हें आयोग की सदस्यता का कोई वेतन नहीं प्रियता। किन्तु कुछ व्यक्तियों को योजना आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाता है। इन्होंने सत्त्वा निर्धारित नहीं है किन्तु वह प्रायः ३ से ५ के बीच में रही है।

आयोग में प्रायः निम्नवित्तिवार्गों के व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाना रहा है :

- (क) प्रशासन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति
- (ख) वैज्ञानिक
- (ग) अर्थशास्त्री
- (घ) इंजीनियर
- (इ) याजकास्त्री तथा प्रबन्ध विदेशी
- (ऋ) राजनीतिज्ञ

पूर्णकालिक सदस्य (full-time members) आयोग की सेवा में नियोजित अधिकारी माने जाते हैं। इन्हें योजना आयोग से वेतन तथा निश्चित दरों पर भर्ते तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

या वर्तमान रचना उपयोगो है?

कुछ व्यक्तियों को यह मान्यता रही है कि योजना आयोग एवं सर्वधा स्वतन्त्र सत्त्वा होनी चाहिए जिसमें मन्त्रियों को सदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मन्त्रियों के सदस्य बने रहने से आयोग की नीतियों तथा क्रियाओं पर नोकर-शाही प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा जिससे योजनाओं का सही तथा उपयुक्त स्वरूप नहीं बन सकेगा।

यह धारणा बहुत सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि जिन मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य रखा जाता है वह प्रायः बहुत महस्वपूर्ण व्यक्ति होने हैं जिनके व्यक्तित्व से सरकार की नीतियों निर्धारित होती हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को

आयोग की सदस्यता देने से योजना सम्बन्धी नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सरकारी नीतियों के अनुकूल हो जानी हैं जिससे योजना आयोग तथा सरकार-दोनों का काम सरल हो जाता है। वास्तव में योजनाओं के संचालन का भार सरकार पर होता है और उनकी सफलता या असफलता के लिए सरकार ही उत्तरदायी होती है। अत योजनाओं के निर्माण स्तर पर मन्त्रियों का परामर्श तथा निर्देशन बहुत उपयोगी होता है। तथा इस दृष्टि से आयोग की सदस्यता का वर्तमान ढाँचा सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। नियुक्ति की प्रणाली

योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष के आपसी विचार-विमर्श द्वारा की जाती है। प्रधान मन्त्री (जो आयोग का अध्यक्ष होता है) आयोग के उपाध्यक्ष से सलाह ले लेते हैं कि अमुक व्यक्ति को सदस्य नियुक्त करना है। तबनुसार उस व्यक्ति की नियुक्ति दर दी जाती है। जब वह व्यक्ति आयोग में काम सम्हाल सेता है तब भारत सरकार के गजट में एक विज्ञप्ति निकाल दी जाती है कि अमुक व्यक्ति ने योजना आयोग की सदस्यता का भार प्रहण दर लिया है। वह विज्ञप्ति पूर्णकालिक तथा अवशालित (मन्त्री आदि) दोनों प्रकार के सदस्यों के लिए निकाली जाती है।

इस प्रकार योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री द्वारा ही की जाती है। इसके लिए मन्त्रिमण्डल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। जब विसी सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो प्रधान मन्त्री द्वारा इसकी मूलना राष्ट्रपति को अवश्य दे दी जाती है।

सदस्यों की आयु

योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रशासकीय स्तर पर की जाती है, उन्हें विसी चयन समिति वे सामने प्रार्थना पत्र देकर चयन नहीं करवाना पड़ता। आयोग के सदस्यों का दर्जा मन्त्रियों के समान होता है अत उनके लिए आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।

अभी तब आयोग के सदस्यों की आयु ४० से ६६ वर्ष के भीतर रही है। इनमें मन्त्रियों की आयु प्राय अधिक रही है क्योंकि बहुत बरिष्ठ मन्त्रियों को ही आयोग की सदस्यता प्रदान की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें

जब मार्च, १९५० में योजना आयोग की नियुक्ति हो गयी तब अलग-अलग वर्गों के सदस्यों के लिए नियुक्ति ही अलग-अलग शर्तें निश्चित की गयी। उस समय वह निश्चित रिया गया वि आयोग के उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) को वही वेतन, भत्ता तथा अन्य मुविधाएँ दी जायेंगी जो केविनेट स्तर के एक मन्त्री को दी जाती है।

अन्य पूर्णकालिक सदस्यों को उतना ही वेतन, भत्ता तथा अन्य मुविधाएँ देने वा निर्णय रिया गया जो उन व्यक्तियों को आयोग के सदस्य बनने से पहले मिलती

थीं। यह सयोग की बात थी कि आयोग के चारों पूर्णकालिक सदस्य अपनी नपी नियुक्ति से पहले उन्हें न किसी सरकारी पद पर वाम कर रहे थे।

सन् १९५३ में यह निश्चिन किया गया कि आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को भारत सरकार के मन्त्रियों के समान वेतन दिया जायेगा। तब से पूर्णकालिक सदस्यों को मन्त्रियों के समान वेतन, भला तथा अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सरकारी सेवा से मुक्त अधिकारियों को योजना आयोग का मदस्य बनाया जाता है तब उन्हें अपनी पेशान लेने का अधिकार बना रहता है और उन्हें पेशान के अतिरिक्त उनका वेतन मिलता रहता है जो अन्य सदस्यों को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा राज्य मन्त्रियों (Ministers of State) के बराबर होता है, केबिनेट मन्त्रियों के बराबर नहीं। सदस्यों को अवशाल आदि उसी हिसाब से मिलते हैं जिस हिसाब से सरकार के अस्थायी अधिकारियों को मिलते हैं।

सधैप में—

- (i) आयोग के उपाध्यक्ष वा दर्जा बेबिनेट मन्त्री के समान होता है और उसको वेतन, भत्ता तथा अन्य मुद्रिधाएँ उसी हिसाब से मिलती हैं।
 - (ii) अन्य पूर्णवालिक सदस्यों का दर्जा बेन्डीय सरकार के राज्य मन्त्रियों के समान होता है और उनका वेतन, भत्ता आदि उनके समान होता है।
 - (iii) सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं वाले सदस्यों को पेंशन मिलती रहती है और वेतन, भत्ता आदि उसके अतिरिक्त मिलते हैं।
 - (iv) पूर्णवालिक सदस्यों को अवकाश उतने ही दिनों वा मिलता है जिनका सरकार के अस्थायी अधिकारियों को मिलता है।

पांच-सौ

योजना आयोग :: पूर्णवालिव सदस्यों की नियुक्ति इसी निश्चित अवधि के तिए नहीं की जाती। उनके सेवा मुक्त होने के तिए भी वोई आयु या अवधि निश्चित नहीं है। इमनिए एक बार नियुक्त होने पर, आयोग वे सदस्य उस समय तक बने रहते हैं जब तक उन्हें असुविधा न हो। अनेक बार सदस्यों ने इसी अन्य पद वा भार (विदेशों में राजदूत, भवनी, इसी अन्य आयोग वे अध्यक्ष या सदस्य आदि) सम्भालने पर योजना अयोग से स्थागपत्र दिया है।

कभी-न-भी सरकार पूरे आयोग के ढाँचे बो बदलना चाहती है तो वह सदस्यों को (या जिसी एवं वा दो वा) सहेत टे देनी है और वह सदस्य आयोग से स्थागपत्र दे देते हैं। इसले योबना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हो० आर० शाडगिल तथा उनके साधियों ने सरकार के सहेत पर ही स्थागपत्र दे दिया था ताकि सरकार आयोग वा भये सिरे से पुनर्गठन कर सके। इस प्रकार आयोग की सदस्यना प्रधान मन्त्री वा इच्छानुसार ही बनी रह सकती है।

अशक्तालिक सदस्य अर्थात् मन्त्री अपने पद से हट जाने पर योजना आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। ऐसा करना एक स्वस्य परम्परा मान्य है। आयोग की कार्यप्रणाली

आधिक नियोजन के सारे बाम को सदस्यों में बौठ दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में उत्तरदायी होता है। प्रत्येक क्षेत्र (कृषि, उद्योग, प्राकृतिक साधन, प्रशासन एवं परिवहन, शिक्षा, सामाजिक नियोजन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त आदि) से सम्बन्धित सदस्य अपने-अपने विभागों तथा अनुभागों की देख रेख बरता है।

सामाजिक दायित्व—बाम का यह विभाजन या वितरण सुविधा की दृष्टि से किया गया है इन्हुंनी सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोग के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। समय-समय पर सदस्यों की सभाएँ बुलाकर विभिन्न समस्याओं के बारे में निर्णय लिए जाते हैं।

मुहूर्य दायित्व—पूर्णकालिक सदस्यों पर-सब कार्य बटार हने पर भी आयोग के कार्य सचालन का मुहूर्य दायित्व पूर्णकालिक सदस्यों पर होता है। यह लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करने तथा उस पर निर्णय लेने की दृष्टि से बार-बार आपस में विचार-विमर्श करते रहते हैं। इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए इन सब सदस्यों के कार्यालय विलकुल पास पास स्थित हैं :

जो मन्त्री आयोजना आयोग के सदस्य हैं विशेष अवसरों पर ही सभा में भाग लेते हैं जबकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना होता है या नीति सम्बन्धी कोई निर्णय लेना होता है। उपाध्यक्ष द्वारा प्राय पूर्णकालिक सदस्यों से सप्ताह में एक या दो बार विचार विमर्श कर लिया जाता है। विचार-विमर्श करते समय अलग-अलग विभागों के अध्यक्ष भी आमंत्रित किये जाते हैं।

आयोग के कार्य अथवा प्रशासन सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण बागज पत्र सभी सदस्यों में प्रसारित किये जाते हैं।

बाम की प्रक्रिया—योजना आयोग के विभागध्यक्ष तथा अनुभाग अधिकारी अपने क्षेत्र के सदस्य के मार्गदर्शन से बाम बरते हैं और अपनी कार्य सम्बन्धी समस्याओं तथा घटनाओं की जानकारी सम्बन्धित सदस्य को देते रहते हैं। प्रत्येक विभाग तथा अनुभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी अपने अपने विभागों से सम्बन्धित सदस्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

आयोग की नियमित या विशेष बैठकों में जिन समस्याओं पर विचार होता है उनके सम्बन्धित सदस्य ने पूरी स्थितियों से अवगत रहा दिया जाता है।

विशेष कार्य—यदि पञ्चवर्षीय योजना में निर्धारित बातों के ऊपर कोई बाम करना है, किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या के विषय में निर्णय लेना है, वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करनी है तथा जिन विषयों को राष्ट्रीय विकास

परियर्द के सामने विचार के लिए रखना है उन सब को उपाध्यक्ष के नोटिस में साना आवश्यक है।

योजना आयोग वा सदस्य मण्डल उन सब विधयों पर विचार करता है जिनका सम्बन्ध योजनाओं के निर्माण से होता है या योजनाओं में कुछ परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना होता है। यदि भारत सरकार को अधिक नियोजन सम्बन्धी नीतियों में सुधार सम्बन्धी सुझाव देना हो या आयोग के संगठन सम्बन्धी कोई परिवर्तन सुझाना हो तो इस प्रकार वे प्रस्ताव पर भी आयोग का पूरा सदस्य मण्डल विचार करता है। इस प्रकार नीति निर्धारण या नीति में परिवर्तन सम्बन्धी सभी वार्तों पर आयोग के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध

[RELATION WITH CENTRAL GOVERNMENT]

पिछले कुछ वर्षों में राज्यों तथा केन्द्र में वित्तीय मामलों को लेकर अनेक समस्पाएं उत्पन्न हो गयी हैं। योजना आयोग वो केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं की पूरी तरह जानकारी होनी है अन अनेक मामलों में वह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने का कार्य करता है। बहुधा केन्द्रीय या राज्य सरकारों योजना आयोग से विभिन्न समस्याओं के विषय में सलाह माँगती हैं। योजना आयोग अपने विदेश ज्ञान तथा साधनों के आधार पर यह मलाह देना रहता है। वह प्रायः सभी समस्याओं पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में सहयोग स्थापित करने के प्रयत्न करता है।

(१) प्रधान मन्त्री तथा अन्य सदस्य—योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार में सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी प्रधान मन्त्री हैं जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यह वही अन्य मन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाने से और अधिक दृढ़ हो गयी है। इन व्यक्तियों को योजना आयोग वा सदस्य बनाने से आयोग के सभी निर्णय अधिक व्यावहारिक तथा स्वीकार्य हो गये हैं योजना आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्री सदस्यों से विचार विमर्श के पश्चात् हो दिये जाते हैं अतः जब भी कोई सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत दिया जाता है, वह प्रायः स्वीकार हो जाता है।

(२) सरकारी समितियों में आयोग के अधिकारी—योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार में आपसी सम्पर्क स्थापित करने में एक अन्य बात सहायता होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनेक समितियों में योजना आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और योजना आयोग वी अनेक समितियों में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अधिकारी नियुक्त दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा लिए गये अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में योजना आयोग का सहयोग होता है तथा योजना आयोग द्वारा लिए गये अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकारी अधिकारियों का सहयोग होता है। इस प्रकार विदेशीयों के बादान प्रदान से सरकार तथा योजना आयोग के निर्णयों में विवाद की सम्भावना बहुत कम हो जाती है।

(३) सांस्कृतिक तथा प्रबन्धीय योजनाओं के प्रारूप तैयार करने तथा

अनेक दोओं के विकेन्द्र सम्बन्धी निर्णय लेने में सांख्यिकीय तथा की नियमित रूप में आवश्यकता पड़ती है। योजना आयोग यह तथा' केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) से प्राप्त करता है। यह संगठन भारत सरकार द्वारा १९५० मा ही बनाया गया था। भारत सरकार के सांख्यिकीय सलाहकार योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार योजना आयोग और सांख्यिकीय संगठन में नियमित सहयोग रहता है।

इतना ही नहीं, योजना आयोग का सांख्यिकीय तथा सर्वेक्षण विभाग मूल रूप में सांख्यिकीय संगठन वा ही एक भाग है जिसके मुख्य अधिकारी भी सांख्यिकीय संगठन के ही मुख्य अधिकारी हैं। कुछ वर्ष से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का कार्यालय भी योजना भवन में ही स्थापित कर दिया गया है अत यह सहयोग और अधिक सरल हो गया है।

(४) आयोग के अधिकारी—योजना आयोग के अधिकारी अधिकारी भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से ही नियुक्त होते हैं। इससे योजना आयोग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों में आपसी सहयोग स्थापित होने में बहुत सरलता रहती है योकि इनके अनेक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं तथा एक दूसरे की नीतियों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा समझने लगते हैं।

(५) प्रशिक्षण व्यवस्था—केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों को आधिक नियोजन की समस्याओं तथा प्रशिक्षण से अधिक परिचित कराने के लिए योजना आयोग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वभी-वभी सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी योजना आयोग द्वारा सहयोग दिया जाता है। इस प्रकार योजना आयोग के अधिकारियों को सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में आने का अवमर मिलता है और उन्हें एक दूसरे की समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है।

राज्य, केन्द्र तथा योजना आयोग

[STATES, CENTRE AND PLANNING COMMISSION]

राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग में आपसी तात्पर्य द्वायापित करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

(१) राष्ट्रीय विकास परिषद्

(National Development Council)

भारत में सधीय शासन है जिसमें केन्द्रीय सरकार है, राज्य सरकार है तथा केन्द्र शासित प्रदेश है। ऐसी व्यवस्था में आधिक नियोजन इस ढंग से करना पड़ता है कि सारे देश के लिए जो योजना बने उसमें केन्द्र तथा राज्यों की पूरी पूरी सहमति हो। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गयी थी और वह अपने नामों के लिए भारत सरकार के प्रति ही उत्तरदायी है। अत एक ऐसी व्यवस्था बनना

आवश्यक था जिससे राज्यों तथा बेन्द्र में उचित तालमेन हो और योजना सही अर्थों में राष्ट्रीय योजना बन सके। इस समस्या का समाप्तान करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी है।

स्थापना—भारतीय योजना आयोग ने प्रथम योजना तीयार करते समय ही यह अनुभव दिया था कि जब देश में राज्य सरकारों को अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता है तब उसमें एक ऐसा संगठन अवश्य होना चाहिए जिसके तावादधान में प्रधान मन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्री आपस में बँटकर योजना की समस्याओं के बारे में विचार-विभाग कर सकें।

अतः योजना आयोग ने प्रथम योजना के मध्योदें में ही राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना का मुकाबला दिया था। उद्युमार अगस्त १९५२ में भारत सरकार द्वारा इस परिषद् की स्थापना की गयी।

कार्य (Functions)—राष्ट्रीय विकास परिषद् एक सुलाहा देने तथा समीक्षा करने वाला संगठन है जिसका कार्य योजना बनाने में महसूग देना तथा भारत के विभिन्न भागों का मन्तुनित आधिक विकास प्रोग्रामित करना है।

संक्षेप में इसके कार्य निम्ननिमित्त हैं—

(i) समीक्षा—समय-न्यय पर राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना।

(ii) नीति निर्धारण—राष्ट्रीय विकास की प्रभावित करने वाली सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर विचार करना, तथा

(iii) सहयोगिता के लिए मुभाव—राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों तथा नद्यों को प्राप्ति के लिए मुभाव देना। इन मुभावों में निम्ननिमित्त समस्याओं मुख्यत्वे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं—

(a) जनता का सक्रिय महयोग जिस प्रकार प्राप्त किया जाय?

(b) प्रशासनिक सेवाओं को किस प्रकार अधिक बुगल बनाया जाय?

(c) कम विवित भागों तथा समाज के लिछडे हुए वर्गों का अधिकतम विकास करना, तथा

(d) देश के विभागों के लिए आधिक साधनों की व्यवस्था बनाना।

वास्तव में इन मह ममस्याओं के समाधान से ही देश का आधिक विकास होती है। यह समस्याएँ जटिल भी हैं अतः इन पर विचार के लिए अधिक योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी दृष्टि से परिषद् की महसूता का निर्धारण किया गया है।

परिषद् की सहस्रता

राष्ट्रीय विकास परिषद् के निम्ननिमित्त व्यक्ति सदस्य हैं—

(i) भारत के प्रधान मन्त्री।

(ii) सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री।

(iii) योजना आयोग के मद्दत्य।

(iv) उन्होंने में जो मन्त्री योजना तथा वित्त का कार्य भार महानते हैं उन्हें

परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्वित किया जाता है। कभी-कभी भारत सरकार के उन मन्त्रियों द्वारा भी बैठक में भाग लेने के लिए आमन्वित कर लिया जाता है जिनके विभाग से सम्बन्धित समस्याओं का परिषद् की बैठक में विचार होता है।

“इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद् एक अत्यन्त उच्चस्तरीय संगठन है जिसमें देश के कण्ठार आपसी विचार विमर्श द्वारा देश के विकास के लिए नीति-निर्धारित करते हैं तथा उस नीति की सफलता के लिए मार्ग दर्शन करते हैं।”

“राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना के अतिरिक्त समय-समय पर आधिक विकास सम्बन्धी अन्य विशेष समस्याओं पर विचार किया है। यह समस्याएँ (i) मूलि सुधार, (ii) मूल्य नीति, (iii) सांवादी नीति (iv) रोजगार नीति, (v) सामुदायिक विकास परियोजनाएँ तथा राष्ट्रीय विकास सेवा, (vi) लोक सेवा, तथा (vii) मानवी शक्ति से सम्बन्धित हैं। परिषद् ने समय-समय पर कर नीति के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इन सबके परिणामस्वरूप देश के आधिक विकास के लिए एक सन्तुलित नीति अपनाने में सहायता मिली है और राज्यों की आधिक नीतियों में मुख्य सहयोग स्थापित हो सका है।

(२) कार्यक्रम सलाहकार

(Programme Advisors)

प्रथम योजना के समय ही योजना आयोग ने यह अनुभव किया कि राज्यों में विकास योजनाओं की सफलता का अनुमान लगाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। योजनाओं का सचालन अनेक बातों पर निर्भर वरता है—टीक समय पर ठीक मात्रा में घन उपलब्ध है या नहीं, प्रशासनिक संगठन की कुशलता कौसी है, योजना सम्बन्धी नीतियाँ तथा रीतियाँ पर्याप्त प्रभावशाली हैं या नहीं तथा उनके सचालन में बद्य बढ़िनाइयाँ हैं? इन सब बातों की सही जानकारी पत्र-च्यवहार से नहीं हो सकती। अत यह अनुभव किया गया कि सरकार के पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे विभिन्न प्रदेशों की आधिक स्थिति के बारे में सही-सही सूचना मिलती रहे।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए १९५२ में तीन सलाहकारों की नियुक्ति की गयी। यह सलाहकार जिन्हें कार्यक्रम प्रशासन भलाहकार बहा जाता है बहुत वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिन्हें आधिक प्रशासन का बासी ज्ञान हाता है। इनकी सह्या अनेक बार चार या पाँच भी हुई है।

यह सलाहकार नियमित रूप में राज्यों का दोरा बरते हैं, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं तथा उनसे आधिक नियोजन तथा विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श बरतते हैं। अपने विचार-विमर्श के समय वह प्रशासन, वित्त तथा नियोजन में जन सहयोग की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हैं। राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के पश्चात् यह सलाहकार योजना आयोग को

अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ तथा उनके ममाधान के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

प्रत्येक कार्यक्रम सलाहकार के लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जिसकी समस्याओं का अध्ययन कर वह रिपोर्ट देता है। इन रिपोर्टों के आधार पर ही भारत सरकार तथा योजना आयोग द्वारा आदिक नियोजन सम्बन्धी नीतियाँ निश्चित की जाती हैं और उनमें सुधार किये जाने हैं।

(३) योजनाओं पर विचार-विमर्श—जिस समय बोई पचवर्षीय योजना बनानी होती है, उसमें काफी समय पूर्व ही योजना आयोग विभिन्न आदिक क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, परिवहन आदि) के लिए कार्यकारी दल नियुक्त कर देता है। यह दल अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर गहराई से विचार कर अपनी रिपोर्ट देते हैं। राज्य सरकारों तथा बेन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से भी अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित आदिक विभाग के प्रत्यावों की माँग की जाती है। इन प्रत्यावों पर आयोग के सदस्यों तथा सरकारी प्रतिनिधियों में आपस में विचार होता है। इस सारे विचार-विमर्श से कुछ निश्चय पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है और योजना का मसौदा तैयार किया जाता है।

योजना के मसौदे को जनता में प्रमारित किया जाता है और उस पर जनता तथा विशेषज्ञों का मन लिया जाता है। इस मन को ध्यान में रखकर योजना का अन्तिम स्वरूप तैयार कर प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार योजना को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले अनेक स्तरों पर सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार-विमर्श किया जाता है।

सप्तद और योजना आयोग

[PARLIAMENT AND PLANNING COMMISSION]

योजना आयोग जो भी योजना बनाता है उसे अन्तिम स्वीकृति सप्तद द्वारा दी जाती है और सप्तद की स्वीकृति के पश्चात् ही योजना को वैधानिक स्वरूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार योजना की प्रगति के बारे में भी समय-समय पर सप्तद में विचार होता रहता है जिससे योजना की उपलब्धियों तथा कमियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार सप्तद और योजना आयोग को निम्नतर सम्बद्ध में रहना पड़ता है जिसका अनुमान निम्नलिखित तर्थों से सर्ग सकता है।

(१) निर्माण—योजना के निर्माण से पूर्व बार सप्तद की कुछ समितियाँ नियुक्त ही जाती हैं जो अनेक अलग विषयों पर अपने सुझाव देती हैं। योजना को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों का ध्यान रखा जाता है।

सप्तद की समितियों के अतिरिक्त प्राय सभी विशेषों दलों के सप्तद सदस्यों जो योजना सम्बन्धी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। योजना को अन्तिम रूप देते समय इनके सुझावों का भी ध्यान रखा जाता है।

(iii) योजना परियोजना समिति (The Committee on Plan Projects)

शाखाएँ—योजना आयोग में निम्नलिखित बायों की देखभाल के लिए शाखाएँ हैं :

- (i) प्रशासन (Administration),
- (ii) सामान्य समन्वय (General Co-ordination),
- (iii) ज्ञान (Information),
- (iv) प्रचार और प्रकाशन (Publicity and Publications),
- (v) संगठन तथा प्रणालियाँ (Organization and Methods),
- (vi) चार्ट और चित्र (Charts and Maps),
- (vii) पुस्तकालय (Library)।

इससे पूर्व दिए गये विभागों के बायों का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है ।

(क) समन्वयन विभाग

इस विभाग की दो विभागाएँ हैं

(i) कार्यक्रम प्रशासन विभाग—इस विभाग की स्थापना १९५५ में की गयी थी । इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(अ) केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं के आकार निश्चित करने में सहायता करना ।

(आ) राज्यों की योजनाओं का आर्थिक, तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने में कार्यक्रम सलाहकारों की सहायता करना ।

(इ) राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का योजना आयोग के सदस्यों से विचार विमर्श आयोजित करना ।

(ई) कार्यक्रम सलाहकारों को सचिवीय मुदिधाएँ प्रदान करना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विश्लेषण करना ।

इस प्रवार कार्यक्रम प्रशासन विभाग मुख्य रूप में केन्द्र, राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में सहायता करता है ।

यह विभाग एक प्रमुख (chief) के नियंत्रण में वाम करता है जो प्राय एक अर्थशास्त्री होता है ।

(ii) योजना समन्वयन अनुभाग—इन विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(अ) योजना के आरम्भ से अन्त तक की क्रियाओं का समन्वयन कर योजना का अन्तिम स्वरूप तैयार करना ।

(आ) रिपोर्ट—योजना की नामिक रिपोर्ट तथा ममीक्षाएँ तैयार करने में सहायता देना ।

यह अनुभाग एक नियंत्रक (Director) के अन्तर वायं करता है जो प्राय एक अर्थशास्त्री होता है और इसे आर्थिक प्रशासन का अनुभव होता है ।

(क) सामान्य विभाग

(General Divisions)

(i) आर्थिक विभाग—सामान्य विभागों में पहला आर्थिक विभाग है। इस विभाग के तीन अनुभाग हैं। पहला अनुभाग वित्तीय साधनों की समस्याओं पर विचार करता है और इस बाबे के लिए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय से सम्पर्क रखता है।

दूसरा अनुभाग आर्थिक नीति एवं विकास से सम्बन्धित है। इसका मुख्य कार्य मूल्य तथा मौद्रिक नीति, विकास के लिए सम्यागन परिवर्तन, राष्ट्रीय आय तथा लेहों वा विश्लेषण और योजना के तकनीकों पर विचार करना तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव देना है।

तीसरा अनुभाग विदेशी विनियम तथा व्यापार आयात नियंत्रणी समस्याओं, विदेशी विनियम की उपलब्धि तथा विदेशी सहायता आदि की देख-रेख करता है।

यह तीनों अनुभाग एक-एक अर्थशास्त्री नों प्रमुखता में कार्य करते हैं। इन तीनों के कार्य में समन्वय स्पष्टित करने का काम एक आर्थिक मलाहकार (Economic Advisor) का है जो इन तीनों का अध्यक्ष होता है।

(ii) परिप्रेक्ष्य नियोजन विभाग—आर्थिक नियोजन का कार्य मुख्यतः दीर्घकालीन होता है। परिप्रेक्ष्य नियोजन विभाग विकास की दीर्घकालीन समस्याओं पर विचार करता है और इन समस्याओं को ध्यान में रखकर योजना के दीर्घकालीन सदृशों का निर्धारण करता है।

इन सदृशों का निर्धारण करने में प्राय निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है।

(अ) बड़ना हुआ जीवन स्तर और उपभोग का क्रम।

(आ) हृषि तथा सम्बन्धित कियाओं का दीर्घकालीन विकास।

(इ) निमित माल, ओदोगित वस्त्र माल, दिजलो तथा परिवहन की सुविधाओं की दीर्घकालीन मात्रा।

(ई) अवसर को समानता के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं की अवस्था।

(उ) भूगतान भन्तुतम, मूल्य निर्धारण, कर व्यवस्था तथा विनियोग के लिए साधन संग्रह।

(ऊ) दीर्घकाल में श्रम शक्ति की आवश्यकता तथा उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था।

यह विभाग योजना के दीर्घकालीन लक्ष्य का निर्धारण करता है और उन सदृशों की पूति के लिए भभी आवश्यक व्यवस्थाओं सम्बन्धी सुझाव देना है। इस विभाग के कार्य के पृष्ठ्व की दृष्टि से सभी अध्ययन दलों में इसके प्रतिनिधि रखे जाते हैं।

यह विभाग प्रायः एक विशेषज्ञ के निदेशन में चाल वरता है।

(iii) अम तथा रोजगार विभाग—यह विभाग मुख्य रूप में रोजगार की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। रोजगार की वर्तमान स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों में वेरोजगारी की स्थिति तथा वेरोजगारी की समस्या को हल करने की रीतियों सम्बन्धी अध्ययन इस विभाग द्वारा किये जाते हैं। इसके प्रमुख भी एक साँच्चिकीय विशेषज्ञ हैं।

(iv) समक तथा सर्वेक्षण विभाग—इसकी स्थापना १९५५ में की गयी। यह विभाग सद वार्षिक तो योजना आयोग वे लिए करता है विन्तु यह वेन्ड्रीय साँच्चिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) का ही एक अंग है। यह विभाग नियोजन से सम्बन्धित जांकडे इवटु करता है और समय-समय पर उन्हें प्रकाशित करता रहता है।

(v) प्राकृतिक साधन अनुभाग—यह अनुभाग देश के वन, जल, जलित आदि सम्बन्धी साधनों के बारे में अध्ययन करता है। इसके प्रमुख एक भूगोल विशेषज्ञ हैं तथा अलग अलग क्षेत्रों (भूमि, वन, जल आदि) के अध्ययन के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों की सेवाएँ इस अनुभाग को उपलब्ध हैं।

(vi) वैज्ञानिक शोध अनुभाग—यह अनुभाग देश की शोध संस्थाओं वे सम्पर्क में रहता है। इन संस्थाओं द्वारा किये गये शोध कार्य का विन-विन क्षेत्रों में द्वा उपयोग हो रहा है इसकी जानकारी रखता है। यह इस बात की व्यवस्था भी करता है कि सभी शोध संस्थाओं वी क्रियाओं की इसे नियमित जानकारी मिलती रहे।

वैज्ञानिक शोध अनुभाग विभिन्न शोध संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित करता है और उनम सहायता करने का प्रयत्न करता है।

(vii) प्रबन्ध तथा प्रशासनिक अनुभाग—इस अनुभाग के मुख्य कार्य नियन्त्रित हैं

- (a) लोक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासन का अध्ययन।
- (b) राज्यों तथा जिला स्तर पर नियोजन सम्बन्धी संगठन।
- (c) प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव एवं कार्य।

यह अनुभाग एक उप सचिव के निदेशन में कार्य वरता है।

(g) विषय विभाग

(Subject Divisions)

(i) कृषि विभाग—इसकी स्थापना १९५० म वी गयी थी। यह कृषि उत्पादन, लघु औसतादि, पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, वन सरक्षण, सह-कारिता तथा सामुदायिक विकास वी समस्याओं का अध्ययन वरता है। इसके प्रमुख एक संयुक्त सचिव हैं।

(ii) खिचाई तथा विजली विभाग—इस विभाग की स्थापना १९६२ मे

की गयी। यह विचाई तथा विजली की आवश्यकताओं की जानकारी कर उनकी पूर्ति के लिए आयोजन बरता है।

इसमें सिचाई अनुभाग मिचाई, बाढ़ विद्युत तथा इलेक्ट्रिक विद्युत की समस्याओं की देख रेख बरता है और विजली अनुभाग बोयला, जल, तेल तथा अन्य साधनों से उत्पन्न की जाने वाली विजली तथा उसके वितरण की व्यवस्था बरता है। यह विभाग भारत सरकार के सिचाई तथा विजली मन्त्रालय से सम्बद्ध बनाये रखता है।

(iii) भूमि सुधार विभाग—इस विभाग को सितम्बर १९५३ में स्थापित बिया गया। यह भूमि की समस्याओं (स्वामित्व तथा प्रबन्ध आदि) के बारे में राज्य सरकारों को भूचित बरता है और उन्हें भूमि सुधार लागू करने में सहायता करता है। यह विभाग भी एक नयुक्त सचिव के नीचे कार्य बरता है।

(iv) उद्योग एवं स्थनिक विभाग—यह विभाग पचार्यों योजनाओं में उद्योग तथा स्थनिक विकास के कार्यक्रम निर्वाचित करने में सहायता करता है। यह उद्योग तथा स्थनिक पदार्थों की मौगि के अनुमान लगाता है और उस मौगि की पूर्ति के लिए पूर्जी तथा नक्सीं मुद्रिष्ठ की व्यवस्था करने में सहायता करता है। यह विभाग सरकार की ओद्योगिक नीति की समीक्षा और सुधार में भी मदद देता है।

यह विभाग एक सत्ताहकार के निदेशन में बाम करता है जिसके नीचे उद्योग तथा स्थनिक विभागों के अन्य-अन्य प्रमुख हैं।

(v) आमोल तथा लजु उद्योग विभाग—यह विभाग तषु तथा कुटीर उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन बरता है तथा पचार्यों योजनाओं में इन उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की सम्मिलित बरते में सहायता बरता है। भारत में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो मध्दन स्थापित किये गये हैं, यह विभाग उनकी नीतियों में गमन्य स्थापित बरते में भी हाथापाता करता है।

(vi) परिवहन तथा सचार विभाग—यह विभाग रेत, सड़क तथा सचार व्यवस्थाओं की मौगि तथा उनके विकास का अध्ययन बरता है तथा योजनाओं में इन सुविधाओं सम्बन्धी कार्यक्रम सम्मिलित बरते का सुझाव देता है।

(vii) शिक्षा विभाग—यह विभाग शिक्षा मुद्रिष्ठों के विकास की योजना बनाता है और उन्हें अन्य अन्य चरणों में कार्यान्वयित करने का सुझाव देता है। यह शिक्षा पर इये जाने वाले अन्य तथा शिक्षा नीतियों में परिवर्तन सम्बन्धी मार्ग दर्ता भी बरता है।

(viii) स्वास्थ्य विभाग—यह विभाग चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, मृत्यु सम्बन्धी महामारियों के रोकने की योजनाओं सम्बन्धी कार्य बरता है और उनके पालन की व्यवस्था बरता है।

(ix) आवास विभाग—यह विभाग नगर नियोजन, आवास तथा प्राइवेट नियोजन की देख-रेख करता है। यह विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों जैसे औद्योगिक अमिन, बागान में कार्यशील अमिन तथा विभिन्न वर्गों की आय वाले व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधाओं में वृद्धि के लिए योजना बनाता है। इन योजनाओं में सस्ते मकानों के नमूने लंबार बरना भी शामिल है।

यह विभाग निर्माण लागत तथा मकान बनाने के साज व सामान के बारे में शोध भी करता है।

(x) समाज कल्याण विभाग—इस विभाग का काम समाज के पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए स्तीम बनाना तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए रकम निर्धारित करना है। यह विभाग इन योजनाओं में सफल सचालन की देख-रेख भी करता है।

(घ) विशिष्ट विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग

(Divisions Related with Distinct Developments Programmes)

(i) ग्राम्य कार्य विभाग—यह विभाग ग्रामी में सड़कें, तालाब, बाध, भूमि कटाव रोकने आदि के कार्यक्रम निश्चित करता है तथा उनके सचालन की उचित व्यवस्था करता है। अप्रैल १९६१ म ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में सुभाव देने के लिए एक समिति बनायी गयी थी जो इस विभाग की उचित सलाह देती रहती है।

(ii) जन सहयोग विभाग—योजनाओं में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त करने के लिए १९५१ म भारत सेवक समाज की स्थापना की गयी थी। जन सहयोग विभाग भारत सेवक समाज से सम्पर्क रखता है। इस विभाग ने लोक कार्य शेष कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसका लक्ष्य प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक समूह बनाना है जो याजना के कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचा सके। इस विभाग द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को शोध तथा प्रशिक्षण के लिए आधिक सहायता दी गयी है।

फॉलिजा तथा विश्वविद्यालयों में प्लानिंग फोरम (Planning Forums) इसी विभाग के सुभाव पर स्थापित किये गये हैं। इनका उद्देश्य भी शिक्षित वर्ग में योजनाओं के प्रति जागृति उत्पन्न करना है।

(इ) सम्बद्ध संगठन

(Associated Agencies)

(i) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation)—इस संगठन की स्थापना १९५२ में की गयी। इसके मुख्य कार्य नियंत्रित हैं।

(अ) सामुदायिक विकास योजनाओं के उद्देश्यों की सफलता के विषय में नभी गम्भीर व्यक्तियों को जानकारी देना।

(आ) विस्तार वीजा रीतिर्ण प्रभावशाली रही है और जो प्रभावशाली नहीं रही है उनकी जानकारी देना।

(इ) यह स्पष्ट करना कि ग्रामीणों द्वारा कुछ प्रणालियों को वयो अस्वीकार किया जा रहा है तथा अन्य को वयो अस्वीकार किया जा रहा है।

(ई) भारत की संस्कृति और अर्थ तन्त्र पर सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम के प्रभाव का संकेत देना।

इस प्रकार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भारत में सामुदायिक विवास कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता और उसके कारणों पर प्रकाश डालता है तथा उन्हें सफल बनाने के लिए निदेश देता है।

(ii) शोध कार्यक्रम समिति (Research Programmes Committee)—यह समिति देश की विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विद्वानों को अनुदान देती है। कृषि, उद्योग, भूमि सुधार, श्रम समस्याएँ तथा अनेक समस्याओं पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन किये गये हैं जिनकी रिपोर्टें शोध कार्यक्रम समिति द्वारा प्रकाशित वी गयी हैं। इस प्रकार की शोध से आर्थिक समस्याओं का सही स्वरूप सामने आता है और भविष्य के आर्थिक नियोजन में सहायता होता है।

इसके अतिरिक्त बम्बई विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली, भारतीय सोसाइटीय संस्थान तथा राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद् को आर्थिक नियोजन सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र मान लिया गया है और इस कार्य के लिए इन्हें नियमित अनुदान दिये जाते हैं।

एक बृहत् संस्था

भारतीय योजना आयोग एक बृहदाकार संस्था है। इसमें लगभग ३,००० व्यक्ति काम करते हैं जबकि १९५१-५२ में इसके कर्मचारियों की संख्या ४४४ थी। योजना आयोग पर भारत सरकार का वापिक खर्च १९५०-५१ में लगभग ८.६ लाख रुपए था जो वड वर १९७१-७२ में लगभग १६ करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

इन अंकों से योजना आयोग के निरन्तर बढ़ते हुए विस्तार वा पता चलता है। उसका बढ़ता हुआ आकार और खर्च इस बात का द्योतक है कि उसके कार्य क्षेत्र में नियमित वृद्धि हुई है। एक विकासशील देश में आर्थिक नियोजन का कार्य सरल नहीं है। अनेक क्षेत्रों की मार्ग बढ़ रही हैं जिनमें समन्वय करना आवश्यक है। अनेक क्षेत्रों की समस्याएँ बढ़ रही हैं और अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है।

योजना आयोग सब क्षेत्रों की मार्गों तथा समस्याओं वा अध्ययन करता है, उन पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अधिनारियों को आमन्त्रित करता है और इस प्रकार सरकार के अन्तिम निर्णय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सहयोगी और भागीदार बनाता है। प्रजातन्त्र में “वहुजन हिताय वहुजन सुखाय” की सिद्धि के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को राष्ट्रीय

विकास में भागीदार बनाना आवश्यक है। भारतीय योजना आयोग इस दिशा में पूरी तरह सक्रिय प्रतीत होता है।

अभ्यास प्रश्न

- १ भारतीय योजना आयोग की स्थापना क्यों की गयी ? उसके बायें का विवेचन कीजिए।
- २ योजना आयोग की रचना का विवेचन कीजिए। (तकेत सदस्यता नया उनके कार्य बतला दीजिए)
- ३ भारतीय योजना आयोग का केन्द्रीय सरकार से क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
- ४ भारतीय योजना आयोग तथा राज्य सरकारों एवं संसद के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।
- ५ राष्ट्रीय विकास परियद् क्या है ? उसके क्या बायें हैं ? भारतीय आधिक नियोजन प्रणाली में उसका क्या स्थान है।
- ६ योजना आयोग के प्रमुख विभागों में से किन्हीं सीन का मूल्यावन कीजिए।
- ७ भारतीय योजना आयोग का देश के आधिक विवास में क्या स्थान है ? उचित मूल्यावन कीजिए।

भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया (PROCESS OF PLANNING IN INDIA)

योजना—पचवर्षीय ही वर्षों ?

कुछ समय पूर्व तब भारत वी आर्थिक नियोजन सम्बन्धी क्रियाएँ मध्य-
नालीन योजनाओं पर आधारित रही हैं। प्रारम्भ से ही भारत में आर्थिक नियोजन
के लिए पांच वर्ष का समय चुना गया। इनका मुख्य वारण यह या कि भारत में
सहद तथा राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव पांच-पांच वर्ष में होते हैं। प्रथम
आधारण चुनाव १९५२ में हुए और पहली पचवर्षीय योजना उससे पहले वर्ष अर्थात्
१९५१ में तैयार थी गयी। इस प्रकार प्रत्येक योजना चुनाव के पहले वर्ष तैयार होती
रही है।

यह त्रैम वहून सही प्रतोत नहीं होता। उचित यह है कि नयी सरकार अपने
कार्यकाल के पांच वर्ष के लिए योजना बनाये और उसे अपने कार्यकाल में पूरा कर
ले, १९५५-५६ के पश्चात् तो उन वर्ष तक नियोजन-अवकाश का समय रहा और
और चतुर्थ योजना अप्रैल १९६४ से लागू हुई। इसी दोनों लोक सभा के चुनाव
(१९७१ में) हो गये। बनेव विधान सभाओं में भी मध्याविधि चुनाव होने से योजना
और नयी सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध का सिलसिला ढूट गया है। इस प्रकार
योजनाओं के बाधार

भारत वी पचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया या तकनीकों का अध्ययन करने
से पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत में आर्थिक नियोजन का सारा टॉका
चार मुख्य बातों का ध्यान रखकर किया जाता है। वह मुख्य आधार निम्न-
निचित हैं-

(१) वेन्ट्र तथा राज्य—भारत में सर्वीय जासून प्रणाली है जिसमें इष्टि,
मिचार्ड, विजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा व्यवसाय सामाजिक सेवाएँ, लघु उद्योग, सड़क
परिवहन तथा छोट बद्रगाहों का विकास राज्यों का उत्तरदायित्व है। इसके साथ

ही उद्योग, रेले, राष्ट्रीय सड़कें, बड़े बदरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सचार, वित्तीय संस्थाएँ और मोट्रिं तथा कर नीतियों का सचालन केन्द्रीय सरकार के दायित्व क्षेत्र में है। इस प्रकार सरकार को योजना बनाते समय केन्द्र तथा राज्यों की आर्थिक विकास नीतियों में समर्वप स्थापित करना पड़ता है ताकि राज्यों का कोई महत्वपूर्ण वार्षिक योजना म शामिल होने से रह न जाय।

(२) प्रजातन्त्र—दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एव प्रजातन्त्रीय देश है जिसम जनता का अत्यधिक महत्व है। अत योजना इस प्रकार की बननी चाहिए जिसमे जनता की आशाओं और आकाशाओं का अधिकतम ध्यान रखा गया हो।

(३) मिथित अर्थ व्यवस्था—भारत म प्रजातन्त्रीय शासन के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था लाने का भी निश्चय किया गया है। अत देश मे लोक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर, आर्थिक तन्त्र का अधिकाश भाग जैसे कृषि, व्यापार, लघु उद्योग, भवन निर्माण तथा अधिकाश बडे उद्योग निजी साहस के हाथ मे है। इस प्रकार जनता का आर्थिक स्वतन्त्रता बनाये रखना भी आवश्यक है और आर्थिक सकेन्द्रण को बम बरना भी महत्वपूर्ण है ताकि गरीबी अमीरी का भेद बम हो सके। इन दोनों विपरीत परिस्थितियों (या व्यवस्थाओं) म उचित सन्तुलन बनाये रखना कुछ कठिन है किन्तु भारतीय नियोजन की जिम्मेदारी उठाने वालों को यह काम बरना पड़ता है।

(४) शक्तिशाली सामाजिक रक्खान—भारतीय विधान म सब व्यक्तियों के के लिए समान अवसर देने और समाज के सभी वर्गों वे कल्याण का व्रत लिया गया है। अत भारतीय योजनाओं म सामाजिक हितों का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इस दृष्टि स अनेक बार कई ऐसी योजनाएँ बनायी जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभदायक नहीं होती किन्तु सामाजिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक महत्व होता है।

दीर्घकाल का महत्व

यद्यपि भारत की योजना पचवर्षीय होती हैं किन्तु अनेक योजनाएँ या स्कीम ऐसी होती हैं जिन्ह पौच वर्ष म पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरणत एक इस्पात का कारखाना पौच वर्ष म नहीं लगाया जा सकता, एक बहुमुखी सिचाई योजना पौच वर्ष म पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए अब दीर्घकालीन आयोजन को महत्व दिया जा रहा है। उद्योग, बडी सिचाई योजनाएँ तथा मानवी शक्ति के प्रशिक्षण वे वार्षिक ऐसे हैं जिनके लिए दीर्घकालीन योजनाएँ बनानी पड़ती हैं। इसीलिए चतुर्थ योजना म अनेक अनुमान १६८०-८१ तक के लगाय गये हैं।

नियोजन की सामान्य प्रक्रिया

पचवर्षीय योजना को तैयार करने म एक साथ तीन बातों का सही ज्ञान बरना आवश्यक होता है।

(i) भूतकालीन प्रवृत्तियाँ और सफलताएँ—पिछले बड़ी में योजना के सचावन और पालन में वया बढ़िनाइयाँ रही हैं तथा जिन दिशाओं में इतनी सफलता मिली है।

(ii) वर्तमान की मुह्य समस्याओं का अनुमान।

(iii) भविष्य की प्रगति के लिए उपाय तथा रीतियाँ।

एवंवर्योग भविष्य के विकास के लिए एक स्फीम होनी है इन्हुंने भविष्य में जिन सेश्नों में इतना विकास करना आवश्यक है यह पिछले विकास तथा वर्तमान स्थिति पर निर्भर चरता है। इन मध्यकी जानकारी के लिए अनेक सम्प्रयोग तथा सम्पर्कों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है।

तीन मुह्य स्रोत

भूतकालीन प्रवृत्तियों तथा वर्तमान समस्याओं की जानकारी के तीन मुख्य स्रोत हैं

(i) योजना आयोग (Planning Commission)

(ii) केन्द्रीय सांस्थिकीय संगठन (Central Statistical Organisation)

(iii) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

इन तीनों सम्पर्कों द्वारा समय-नामय पर अनेक समस्याओं से सम्बन्धित रिपोर्ट तथा आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं जो भविष्य में नियोजन के लिए आधार का बाम कर सकते हैं।

२. साधनों का विकास

एवंवर्योग योजनाओं के लिए विश्वसनीय आधार की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं

(i) राष्ट्रीय लेखा प्रणाली वा विकास—केन्द्रीय सांस्थिकीय संगठन १९४८-४९ से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगा कर प्रकाशित करता है। कुल पूँजी निर्माण सम्बन्धी अनुमान भी लगाये जाते हैं। कुछ राज्यों में आर्थिक एवं सांस्थिकीय नियंत्रण राज्यों की वार्षिक आय के आँकड़े भी प्रकाशित करने लगे हैं।

रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सांस्थिकीय सम्पर्कों द्वारा बचत तथा विनियोग सम्बन्धी अनुमान भी लगाये जाते हैं।

(ii) फृष्ट, उद्योग तथा अन्य अकाउंट में सुधार—अब देश की विभिन्न संस्थाएँ तथा सम्पर्कों द्वारा नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक महत्व है।

(iii) निजी सेत्र सम्बन्धी अक—पहली दो योजनाओं की एक बहुत बड़ी बढ़िनाई यह थी कि निजी सेत्र की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। अब रिजर्व बैंक द्वारा निजी कम्पनियों के स्थिति विवरण का विश्लेषण निया जाता है तथा कम्पनी करनून प्रशासन विभाग द्वारा आँकड़े संग्रह रिये जाते हैं। इन साधनों से निजी सेत्र की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान होने लगा है।

(iv) शोध एवं सूल्हाकान—पहली योजना काल में ही योजना आयोग के अन्तर्गत एक शोध कार्यक्रम समिति की स्थापना की गयी थी। इस समिति के प्रयत्नों से देश के विभिन्न भागों सम्बन्धी अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विया गया है, इन समस्याओं का अध्ययन विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में किया गया है और इनसे देश की अनेक समस्याओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सका है।

(v) साधनों का सर्वेक्षण—आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण पक्ष “साधनों की जानकारी” करता है। इसके लिए अनेक सम्बन्धी तथा स्थानीय विकास किया गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

(क) केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग (Central Water and Power Commission) जो देश के जल साधनों का सही अनुमान लगाता है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India)

(ग) खनिज संस्थान (Bureau of Mines)

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण देश की भूमि तथा चट्टानों आदि के बारे में जानकारी करता है और खनिज संस्थान नयी खानों की खोज और पुरानी खानों के विकास के सुझाव देता है।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (Oil and Natural Gas Commission)—यह भारत के विभिन्न भागों में पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य करता है।

यह सब संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में अनुसन्धान करती हैं और समय समय पर अनुसन्धान सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं।

इ आर्थिक विकास की समता का अनुमान

प्रधर्षणीय योजना के बनाने का काम दो या तीन वर्षों में होता है। योजना बनाने में तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है—(i) जन संख्या में सम्भावित वृद्धि, (ii) आर्थिक विकास की वाक्षिक दर, (iii) विकास की प्रायमिकताओं तथा दिशाओं सम्बन्धी सामान्य विचार। दूसरी और तीसरी योजनाओं में विकास की ५ प्रतिशत वार्षिक दर निर्धारित की गयी थी।

जन संख्या, विकास की दर तथा प्रायमिकताएँ निर्धारित करने के बाद पूँजी तथा विनियोग की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। यह काम विभागीय तथा प्रादेशिक अध्ययन के जाशार पर होता है। यह देखा जाता है कि विकास के लिए कितने वित्तीय साधनों की आवश्यकता है, कितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं तथा विदेशी विनियोग की कितनी आवश्यकता होगी?

अनुमान कौन लगाता है? निजी क्षेत्र के लिए अनुमान रिजर्व बैंक द्वारा लगाये जाते हैं और सोक क्षेत्र के लिए अनुमान योजना आयोग तथा नित मन्त्रालय

द्वारा लगाये जाते हैं। योजना आयोग राज्यों को भी उन मान्यताओं से परिचित करवा देता है जिनको आधार मान कर उन्हें अपने विस साधनों का अनुमान लगाना चाहिए।

यह अनुमान भी लगाया जाता है कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अतिरिक्त करों से कितनी रकम बमूल होगी तथा कितनी रकम धारे के बजट से प्राप्त की जा सकेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं में सुधार और परिवर्तन किये जाते हैं।

योजना को अन्तिम रूप देने से पहले यह अनुमान लगाया जाता है कि किन क्षेत्रों में विनियोग या लक्ष्यों की कमी या बढ़ि से विकास की दर उच्चतम हो सकती है। उसके अनुसार ही पूँजी विनियोग तथा लक्ष्यों में परिवर्तन कर दिया जाता है।

४ आर्थिक सदा सामाजिक उद्देश्यों का विचार

एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में नियोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक तेजी से आर्थिक विकास करना होता है। परन्तु इसके लिए साधनों का बटवारा करना पड़ता है कि उपभोग के लिए कितनी रकम निर्वाचित होगी तथा कितनी रकम का विनियोग दिया जायगा। विकास का ढाँचा कैसा होगा, सामाजिक ढाँचे में क्या परिवर्तन किया जायगा तथा साधन संग्रह की योजना क्या होगी?

सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन पहले—सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों पर विचार करने के साथ साथ यह भी विचार करना होगा कि आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सामाजिक क्रान्ति पहले आनी चाहिए या सामाजिक क्रान्ति की चिन्ता किये विना आर्थिक प्रगति का क्रम तेजी से चलाते रहना चाहिए।

भारत में दो आधार रहे हैं—भारत में योजना वा आधार यह रहा है कि आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए सामाजिक क्रान्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अत दो कार्यों को प्राथमिकता दी जाती रही है।

(i) कृषि का गहन विकास ताकि खाद्यान्त तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में विल सके।

(ii) भारी तथा आधारमूल उद्योगों का विकास ताकि उद्योगों में आत्म-निर्भरता की स्थिति उत्पन्न की जा सके। इसके लिए परिवहन तथा विजली का उचित स्तर पर विकास आवश्यक है तथा तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शोध की अत्यधिक आवश्यकता है।

सोमित साधन—इन प्राथमिकताओं को उचित महत्व नहीं दिया जा सका है क्योंकि साधनों की कमी रही है और बटवारा करने पर इनको पर्याप्त प्राप्ति नहीं हो सकी है। इसलिए रोजगार, विवरण तथा कल्याण के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका है।

५ लक्ष्यों का निर्धारण

प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजना में पिछली योजना को आधार मानकर सक्षम

निर्धारित किये जाते हैं। यह देखा जाना है कि पिछली योजना में विभिन्न क्षेत्रों के क्या सक्षम थे तथा उनकी इस हद तक पूर्ति हुई। यह भी निर्णय किया जाता है कि भविष्य में किन किन क्षेत्रों के कितने कितने सक्षम रखने से आर्थिक विकास अधिकतम होगा।

दुर्बलताएँ—लक्षणों के निर्धारण का जो बर्तमान रूप है उसमें प्राय तीन वर्मियां पायी जाती हैं:

(i) असन्तुलन—प्राय योजना के अतिम वर्ष के लक्षणों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, बीच के वर्षों सम्बन्धी लक्ष्य लापरवाही से निर्धारित किये जाते हैं। उचित यह है कि सभी वर्षों के लक्षणों का उचित रीति से निर्धारण होना चाहिए। इसके बिना योजना के सक्षणों की उचित रूप में पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

(ii) तकनीक की अवहेलना—जिन परियोजनाओं पर बहुत अधिक रकम खर्च होती है और जिनका प्रसव आए (वह अवधि जिसके बाद उनसे फल मिलने लगे) बहुत लम्बा होता है उनकी प्रारम्भिक स्थिति में ही गहराई से तकनीकी अध्ययन करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों (उद्योग, विजली, परिवहन, सिचाई आदि) की आवश्यकताओं का तकनीकी अध्ययन बहुत बारीकी में किया जाना आवश्यक है अन्यथा बाद म आधिक, वित्तीय तथा अन्य बढ़िनाइर्यां उत्पन्न हो जाती हैं।

(iii) लचक का अभाव—कभी-कभी कोई स्क्रीम आरम्भ कर दी जाती है इन्तु उम्बे सम्बन्ध में किये गये अनुमति गलत निकलते हैं। अत उस योजना में कुछ तकनीकी, आर्थिक या वित्तीय परिवर्तन करने आवश्यक हो जाते हैं। इस प्रकार अनन्त बार बहुत सी स्क्रीमों में लचक नहीं होती, उनका काम बन्द हो जाता है और योजना में पर्याप्त यफनता नहीं मिलती।

निर्धारण—हृषि, उद्योग, विजली, सिचाई या परिवहन के लक्ष्य निर्धारित करने में आवश्यकताओं तथा आवादाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समाजवादी व्यवस्था, आय में बृद्धि, रोजगार की सुविधाएँ आदि सभी वार्तों को आधार राख कर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा करने में अलग-अलग प्रदेशों का ध्यान भी रखा जाता है ताकि विकास की प्रतिया में प्रादेशिक सन्तुलन भी बना रहे।

इस प्रकार लक्षणों के निर्धारण में सरकारी नीति, जनता की आवश्यकताएँ तथा प्रादेशिक मन्तुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। इनमें से किसी तत्त्व की अवहेलना करने पर योजना जनता की योजना नहीं रह जाती, नौकरशाही की योजना रह जाती है।

(६) वित्तीय साधन संग्रह

जब योजना के सभी लक्षणों का निर्धारण कर लिया जाता है तो उन लक्षणों की पूर्ति के लिए साधन जुटाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक योजना काल के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है जिस पांच वर्षे में आन्तरिक साधनों तथा

विदेशी सहायता से वितनी रकम जुटाई जा सकती है। इसके माय ही योजना के लक्ष्यों को आधार मान कर यह देखा जाता है कि वितनी रकम की वास्तव म आवश्यकता है। इन दोनों (उपलब्ध साधनों तथा आवश्यकता) म तालमेल बैठाने को चेष्टा की जाती है।

कुछ वायंकम जो बहुत अनिवार्य नहीं होते उन्ह स्थगित कर दिया जाता है कि इन्ह अनिवार्य वायंकमों के लिए नय साधनों की खोज की जाती है तथा पुराने साधनों को सबल बनाने के उपाय निकाले जाने हैं।

वित्तीय साधनों की आवश्यकता और उपलब्धि की जानकारी निम्नविस्तृत दृष्टिकोणों से की जाती है।

(i) आनंदिक साधन—वितने जुटाय जा सकते हैं और विदेशी सहायता वितनी प्राप्त की जा सकती है?

(ii) लोक क्षेत्र—की आवश्यकता वितनी है तथा निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्या है और इन क्षेत्रों म वितनी वितनी रकम आनंदिक और विदेशी साधनों से प्राप्त की जा सकती है?

(iii) केन्द्र—की आवश्यकता वितनी है और राज्यों की आवश्यकता क्या है तथा दोनों द्वारा कर और ग्रहणो से वितनी रकम जुटाई जा सकती है?

इन सबका निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि देश में प्रजातन्त्रवादी ध्यवस्था है, आर्थिक विषयमता को कम करने की नीति अपनायी गयी है, तथा देश स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रीय नीति अपनाय रखना चाहता है। इन तीनो वालो का समन्वय करना बहुत बड़िन है इन्ह ऐसा करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है।

नियोजन के चरण —

(Stages of Planning)

भारत की पचवर्षीय योजनाएं अनेक चरणो में पूरी की जाती हैं जिनका व्योरा नीचे दिया जा रहा है।

(1) सामान्य नीति—योजना के पहले चरण म योजना की सामान्य नीति निर्धारित की जाती है, यह कार्य योजना आरम्भ होने के तीन वर्ष पहले हाय में लिया जाता है। इसके लिए वर्षतन्त्र की सही स्थिति देखी जाती है तथा सामाजिक, आर्थिक और साम्यान्यत व्यवस्थाएं जो अनुमान नगाया जाता है, योजना नीति भइ इन कुरंतताओं के अन्तिरिक्ष प्रादर्शिक असन्तुलनों का ध्यान रखा जाता है। इन सब चालो के आधार पर नीति सम्बन्धी सुनाव राष्ट्रीय विवास परिषद के सामने रखे जाते हैं। राष्ट्रीय विवास परिषद द्वारा विवास की दर तथा अन्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

(2) योजना के तत्वों का निर्धारण—योजना की नीति (उद्देश्य आदि) निर्धारित होने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा योजना वायंकमों का निर्धारण करना

होता है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल नियुक्त किये जाते हैं। यह अध्ययन दल अपने अपने क्षेत्र (कृषि, समुद्र उद्योग, वृहद् उद्योग, परिवहन, विजली तथा सिंचाई आदि) के लिए पांच बैठों में विवास के वार्यंशम निर्धारित करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं।

केन्द्र में जिस प्रकार के अध्ययन दल नियुक्त किये जाते हैं, वैसे ही दल राज्यों के स्तर पर भी नियुक्त किये जाते हैं। इन दलों की रिपोर्टें राज्य सरकारों को मिल जाती हैं, जिन्हें सम्युक्त रूप में व्यदस्थित कर योजना आयोग वो भेज दिया जाता है।

इस प्रकार योजना आयोग के पास केन्द्र तथा राज्यों से सम्बन्धित सुझाव आ जाते हैं जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों के वार्यंशमों सम्बन्धी विस्तृत व्यौरा होता है।

(३) योजना का मसौदा—आर्थिक नियोजन का सीधा चरण है योजना का मसौदा तैयार करता। इस चरण में अध्ययन दलों तथा राज्य सरकारों से आये हुए प्रस्तावों को मिलाकर एवं मसौदा तैयार कर लिया जाता है। मसौदा तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा अध्ययन दलों के संयोजकों से पूरी तरह विचार-विमर्श कर लिया जाता है। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप केवल अत्यन्त अनिवार्य वार्यंशम ही योजना में रह जाते हैं जिन्हे प्रायमिकता देकर उस योजना में शामिल करना जावश्यक है।

इस सारे विचार-विमर्श के पर्देखात् योजना का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार कर लिया जाता है।

(४) राष्ट्रीय विकास परियद द्वारा विचार—प्रत्येक योजना का मसौदा राष्ट्रीय विकास परियद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परियद इस पर अपने विस्तृत विचार प्रकट करती है। इन विचारों का मसौदे में समावेश कर दिया जाता है और मसौदे की अतिम रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। यह रूपरेखा जनता के विचार जानने के लिए प्रकाशित कर दी जाती है।

(५) अन्तिम स्वरूप—योजना के मसौदे पर जनता के विभिन्न वर्ग अपना-अपना मत प्रकट करते हैं। कभी-कभी प्रधान मन्त्री विरोधी दल के सदस्यों द्वारा दुला कर उनके विचार भी जानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार समाज के सभी वर्गों तथा विदेशीओं का मत जानने के बाद योजना में उचित परिवर्तन या सुधार कर दिया जाता है। यही योजना का अन्तिम स्वरूप है जिसे प्रकाशित कर दिया जाता है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि अन्तिम स्वरूप प्रह्लादने से पहले प्रत्येक योजना के सभी पक्षों पर वाफी विस्तार से विचार विमर्श होता है और इस विचार-विमर्श के दाद उसका जो स्वरूप बनता है वह अधिकतर व्यक्तियों की सहमति प्रकट करता है।

राज्यों की योजना तथा स्थानीय योजनाएँ

प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजना में सम्भग आधी रखा राज्यों की योजनाओं का

योग होती है। राज्यों की योजनाओं में विकास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ग ऐसे हैं, जिन्हें उद्योग, सिवाई तथा विज्ञानी, सड़के तथा सड़क परिवहन, तथा शिक्षा और सामाजिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में राज्यों की योजनाओं की सफलता पर हो केन्द्रीय सरकार की पूरी योजना की सफलता निर्भर करती है।

स्थानीय योजनाएँ जिलों, विज्ञान खण्डों तथा ग्रामों के लिए बनायी जाती हैं। इन योजनाओं में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं-

(i) कृषि, लघु सिवाई, मूर्मी की रक्षा, बन, पशु पालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास।

(ii) उद्यारों स्थानों का विकास।

(iii) ग्रामीण उद्योगों का विकास।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा जिसमें विद्यालयों के भवन आदि चलनालाभ सम्मिलित हैं।

(v) ग्रामीण जल प्रदाय योजना तथा ग्रामों को रेलवे स्टेशनों से मिलाने वाली सड़कों का विकास।

(vi) ग्रामों की जन जक्ति का अधिकार में प्रयोग करने के लिए कार्यक्रम।

इस प्रकार ग्रामों से जिले और जिलों में राज्य की योजनाएँ बनती हैं और राज्यों की योजना तथा केन्द्रीय कार्यक्रम मिलाकर पूरे देश के लिए योजना तयार होती है।

वार्षिक योजना तथा बजट

पचवर्षीय योजना के पूरे कार्यक्रमों को वार्षिक कार्यक्रमों में बांटा जाता है। प्रति वर्ष मित्रश्वर मास के वाम-व्याप्ति योजना आयोग द्वारा राज्यों को अन्तर्गत सत्र के लिए दुद्ध सकेत भेज दिया जाते हैं जिनका कार्यक्रमों पर विशेष व्यवस्था देना है तथा जिनके साल केन्द्र से जितनी वार्षिक सहायता मिलने वीरी सम्भावना है। इन सकेतों के आधार पर ही राज्य सरकारें अपनी एक वर्षीय योजना तयार करती हैं तथा उन्हें बजट के साथ ही प्रकाशित कर दिया जाता है। यह वार्षिक योजना, राज्य के एक वर्ष के विकास कार्यक्रमों का व्यौरा होता है जिसे पूर्ण करने के लिए सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न करते हैं।

योजना को कार्यान्वित करना [IMPLEMENTATION OF THE PLAN]

इससे पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका है कि योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है। यह अपनी सलाह देने से पहले सभी मम्बनिधित वर्गों से विचार विमर्श कर लेता है। सलाह देने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा सारा दायित्व अन्य वर्गों को बांट दिया जाता है। योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व योजना आयोग वा नहीं है।

राज्य—राज्य सरकारें योजना आयोग को योजना बनाने में सहायता वरती है किन्तु योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने में बाद उसको कार्यान्वित करने का भार राज्य सरकार पर आ जाता है। यदि योजना सफल होती है तो उसका द्वेष राज्य सरकारों को मिलता है और यदि योजना असफल होती है तो भी उसका दायित्व राज्य सरकारों पर होता है।

केन्द्र—योजना के सचालन वा भार केन्द्रीय सरकार पर भी होता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित करवाये जाते हैं या संविधान अथवा औदोगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार जो दायित्व केन्द्रीय सरकार का होता है उसे पूरा करने का भार केन्द्र का ही रहता है।

इस प्रकार राज्यों के विकास कार्यक्रम राज्यों द्वारा पूरे दिये जाते हैं और केन्द्र के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने का दायित्व वेन्द्रीय सरकार का होता है। योजनाओं को कार्यान्वित करने में योजना आयोग का कोई दायित्व नहीं है।

सदस्यता का महत्व—योजना आयोग वी अध्यक्षता प्रारम्भ से अब तक प्रधान मन्त्री द्वारा वी जाती रही है। वित्त मन्त्री, योजना मन्त्री तथा कई अन्य मन्त्री योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अत योजना सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करने और योजना वा स्वरूप निश्चित करने में केन्द्रीय मन्त्रालय का महत्वपूर्ण हाथ होता है।

इसी प्रकार राज्यों के लिए जो योजना बनायी जाती है उसमें राज्यों के मन्त्रिमण्डलों का मुख्य हाथ रहता है।

योजना वी नीति तथा अन्तिम स्वरूप को राष्ट्रीय विवास परिपद वी सहमति मिलना आवश्यक होता है। अत दश वी पूरी योजना वा निर्माण केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियो, वित्त एव योजना मन्त्रियों वी सहमति से होता है। अत इन व्यक्तियों को योजना के कार्यान्वित करने वा दायित्व सौंपना सर्वथा युक्ति संगत एव उचित है।

अत केन्द्र तथा राज्यों के आवित्त नियोजन सम्बन्धी दायित्व निश्चित कर दिये जाते हैं और उन्हें पूरा करने का दायित्व केन्द्र या राज्य मरकारों पर ही होता है। योजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाईयाँ

पचार्पीय योजनाओं को बनाने से पहले अनेक वर्गों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाता है, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह की जाती है, किन्तु फिर भी इनको कार्यान्वित करने में निम्नतिक्लित दिक्षिणाईयों का नामना करना पड़ता है।

(१) उद्योग, विजली तथा परिवहन में सम्बन्ध—इन तीनों वा विकास एव दूसरे पर निर्भर करता है। उद्योगों वा विजली के बिना विवास बढ़िन है तथा परिवहन की सुविधाओं के बिना गाल मगवाने और नेत्रने में बढ़िनाई आती है। इसी

प्रकार विजली की खपन उद्योगों द्वारा ही अधिक होती है तथा विजली से परिवहन का विकास सरल और सस्ता हो जाता है। इन तीनों सुविधाओं में तालमेल बैठाने में प्रश्नासन, पूँजी तथा तकनीकी सुविधाओं की कठिनाई आती है।

(२) उद्योगों का आकार तथा स्थान निर्धारण—अनेक बार आर्थिक कारणों की वजाय राजनीतिक कारणों से यह निश्चित करना पड़ता है कि किस उद्योग का आकार बितना बड़ा होना चाहिए तथा उसे कौन से स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए?

(३) लोक क्षेत्र के उद्योगों का कार्यक्रम निश्चित करना—सरकारी प्रशासन तन्त्र में व्याप्त साल की ताश ही और दिलाई के कारण यह निश्चित करना कठिन होता है कि लोक क्षेत्र के कौन-कौन से उद्योगों की कब वब स्थापना की जाय। इस सम्बन्ध में निश्चित कार्यक्रमों को पूरा करना बहुत कठिन है।

(४) निजी क्षेत्र में विकास के लक्ष्य—पूरे देश को योजना बनाने में यह भी निश्चित करना होता है कि निजी क्षेत्र को विन-किन क्षेत्रों में विकास के अवसर दिये जायेंगे, उनमें बितनी पूँजी लगायी जायगी तथा बितना उत्पादन होगा, यह निश्चित करना तथा उस उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति करना सरकार के हाथ में नहीं होता। अनेक बार उसकी व्यवस्था करना ही कठिन होता है।

(५) निर्याती के लक्ष्य की पूर्ति—योजना में निर्याती के जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं उनकी पूर्ति अच्छे मानसून, औद्योगिक शार्ति तथा मूल्य स्तर पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अनेक बार इन लक्ष्यों की पूर्ति करना कठिन होता है क्योंकि कभी मानसून असफल हो जाता है, कभी मजदूरा द्वारा हड्डताल के कारण उत्पादन में कभी आ जाती है तथा कभी मूल्यों में बढ़ि के कारण माल का उत्पादन कम होता है।

(६) मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व—भारत में कभी भी न्यूनतम मजदूरी तथा आवश्यकतानुसार मजदूरी में सधर्य चल रहा है। अनेक क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी लागू करना ही कठिन है। अत औद्योगिक शान्ति बनाये रखना सम्भव नहीं है।

(७) कृषि और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग—अनेक बार कृषि कार्यक्रम इसलिए असफल हो जाते हैं कि सिंचाई की सुविधाएँ या तो समय पर भिल नहीं पात्री या उनका ठीक ढङ्ग से उपयोग नहीं हो पाता। कभी-कभी पर्याप्त खाद और अच्छे बीज की कमी के कारण मिचाई की सुविधाएँ बेकार जानी हैं।

(८) शूष्म सुधार और कृषि साक्ष में सम्बन्ध—भारत में कृषि विकास के सारे कार्यक्रमों (उत्पादन, उपभोग, विक्री, आदि) में प्राप्त उचित सम्बन्ध करने में कठिनाई होती है क्योंकि सब कार्यक्रमों का प्रशासन अलग-अलग संस्थाओं या संगठनों के हाथ में रहना है और प्रशासन व्यवस्था बहुत गिरिल एवं अकुशल है।

(९) शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएँ—यह सत्य है कि आर्थिक शान्ति

सामाजिक क्रान्ति की प्रतीक्षा नहीं बर सबती किन्तु सामाजिक सेवाओं के कार्योंमें का सचालन प्रायः शिविल रहता है। जब भी किसी क्षेत्र में रकम की कमी वा अनुभव होता है, शिक्षा या स्वास्थ्य के मद में बढ़ोत्ती बर सी जाती है। यह नीति उचित नहीं बही जा सकती।

मूल समस्याएँ—समन्वय तथा प्रशासन

इन सब बातों पर विचार बरने से स्पष्ट है कि भारतीय योजनाओं वो मूल समस्या सचालन या क्रियान्वित बरने की समस्या है। यदि कृपि के विभिन्न अर्गों, उद्योग, परिवहन, विज्ञी, आपात निर्यात, विदेशी सहायता आदि की समस्याओं वा समन्वय कर दिया जाय तो योजनाओं की सफलता के अवसर बहुत अच्छे हो जायेंगे।

समन्वय से भी अधिक विकट समस्या आर्थिक प्रशासन भी है। भारतीय प्रशासन सामान्यत ढीला है, उसमें लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार और पक्षपात का जोर है तथा नीकरशाही प्रवृत्ति वा अत्यधिक प्रभाव है। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन दिये बिना योजनाओं को सफल बनाना प्रायः असम्भव रहेगा।

योजनाओं का मूल्यांकन [EVALUATION OF PLANNING]

अर्थ— मनुष्य जो भी बाम बरता है उसबा कुछ उद्देश्य या लक्ष्य होता है। उस बाम की समाप्ति पर वह अवश्य जानना चाहता है कि उसबो अपने बाम में सफलता मिली या नहीं क्योंकि सफलता से मनुष्य वा आगे बाम के लिए उत्साह बढ़ता है और वह नये जोश से नयी योजनाएँ बनाता है। यदि उसे अपने उद्देश्य या लक्ष्य में असफलता मिलती है तो वह असफलता वा बारण जानने की चेष्टा बरता है और भविष्य में अधिक अच्छे ढग से काम करने वा प्रयत्न बरता है।

इस प्रकार किसी बाम में बितनी सफलता या असफलता मिली, इस बात की जानकारी बरने की त्रिया वो ही मूल्यांकन बहते हैं।

मूल्यांकन का महत्व

किसी कार्य के मूल्यांकन वा महत्व निम्नलिखित कारणों से हो सकता है

(१) समस्याओं की जानकारी—मूल्यांकन से पता चलता है कि अमुक कार्य में कहाँ कहाँ बितनी बितनी सफलता और असफलता मिली? यह भी पता सग जाता है कि विभिन्न योजनाओं को पूरा बरने में किन बिन बठिनाइयों वा सामना बरना पड़ा। अनुभवी व्यक्ति इन बठिनाइयों वा समाधान खोजने की चेष्टा बरता है ताकि भविष्य में ऐसी बठिनाइयों वा दोवारा सामना न बरना पड़े।

(२) समन्वय की कमी—योजनाओं की असफलता या बर सफलता वा एक बारण यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव है। मूल्यांकन से यह पता चल जाता है कि समन्वय का अभाव बहुत है। इस जानकारी के आधार पर, जिन क्षेत्रों में तालमेल की बमी है उनमें ठीक तालमेल की व्यवस्था की जा सकती है।

(३) विभिन्न क्षेत्रों की तुलना—बत्तमान युग स्पष्ट हा युग है। इसमें जितने क्षेत्रों में जितने काम होते हैं सबकी तुलना बरता बहुत आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में अधिक पूँजी लगाने से अधिक विकास हुआ? जिन क्षेत्रों में अधिक पूँजी लगाने का प्रभाव सेतोप्रजनन नहीं था, यह जानकारी मूल्यांकन से ही मिल सकती है। इस प्रवार मूल्यांकन से ही पूँजी की सागत तथा फल का अनुमान दिया जा सकता है और उन क्षेत्रों में पूँजी लगाने का नियंत्रण जो अधिक फल देने वाले हों या जिनमें विकास की दर अधिक हो।

(४) विभिन्न देशों की तुलना—मूल्यांकन से केवल विभिन्न क्षेत्रों में विकास की ही तुलना नहीं होती, उससे अनेक देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में विकास की तुलना की जा सकती है, जिन देशों में विकास की गति तीव्र हो उनका अध्ययन विशेष स्पष्ट में दिया जा सकता है और आर्थिक नीतियों में सुधार किया जा सकता है।

(५) साधनों का उपयोग—मूल्यांकन से यह पता लग जाता है कि आर्थिक साधनों का उपयोग श्रेष्ठनम हो रहा है या नहीं। यदि किसी काम का मूल्यांकन नहीं किया जाय तो यह सम्भव है कि देश के कुछ आर्थिक या अन्य साधनों का उपयोग बिलकुल नहीं हो रहा है या कुछ साधनों का दुख्ययोग हो रहा है। मूल्यांकन द्विये दिना इस दुख्ययोग को रोकना सम्भव नहीं होगा।

(६) भविष्य—मूल्यांकन भविष्य के लिए पाठ होता है। मूल्यांकन से आर्थिक नीतियों की सभी जात हो जाती है, सचालन की शिथिनता का पता लग जाता है, प्रशासन या निदेशन की अव्यवस्था की जानकारी हो जाती है और योजना के सभी दुर्बल स्थलों का आमास हो जाता है। इन सब अनुभवों की नीति पर समृद्धि का भवन खड़ा किया जा सकता है।

अत भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिए मूल्यांकन अनिवार्य है।

भारत में नियोजन का मूल्यांकन

भारतीय योजना आयोग द्वारा एक काम सौंपा गया कि वह “समय-समय पर योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वित होने की प्रगति का मूल्यांकन करें तथा इस मूल्यांकन के आधार पर नीति या रीतियों में आवश्यक परिवर्तन की सिफारिश करे।”

इस प्रकार केवल योजना तैयार करना ही योजना आयोग का काम नहीं है, उसका काम योजना की सफलता का मूल्यांकन करना भी है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन के अधार पर योजना व्युत्ति नीतियों या सचालन प्रणालियों में सुधार के लिए सुझाव देना भी उसका बहुत्य है।

मूल्यांकन करने के लिए सुझाव—भारत में आर्थिक नियोजन का मूल्यांकन करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, जिनका समाधान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं।

(१) माप वा आधार—सही मूल्यांकन के लिए निश्चित आधार होने चाहिए

जिनसे तुलना करके योजना की सफलता का मूल्यांकन किया जा सके। भारत में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित ऐसी तालिकाओं या संखकों का अमाव है जिनसे अलग-अलग क्षेत्रों की वास्तविक सफलता का उचित मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार के माप के आधारों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ii) प्रगति सम्बन्धी तथ्य—योजना के विभिन्न क्षेत्रों वा सचालन बरने का जिनका दायित्व है उनके द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाली प्रगति के आंकड़े नियमित रूप में योजना आयोग को भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन आंकड़ों को आधार मानकर आर्थिक विकास की प्रगति का सही अनुमान लगाया जा सकता है।

(iii) सुचना का स्वचालित साधन—योजना के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति सम्बन्धी तथा अंकड़े सद्ग्रह बरने की ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें विसी को तथ्य भेजने के लिए बार बार माँग नहीं बरनी पड़े। इस व्यवस्था से योजना के कार्य में लचक उत्पन्न होगी और जहाँ भी घाघा उत्पन्न होगी उसे तुरन्त ठीक किया जा सकेगा।

मूल्यांकन विस के द्वारा किया जाय?

आर्थिक नियोजन का मूल्यांकन तीन स्तरों पर किया जा सकता है।

(a) कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाय।

(b) बैन्ड या राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग या मन्त्रालय अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें।

(c) योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाय।

यदि योजना के प्रत्यक्ष कार्यक्रम का मूल्यांकन उसे कार्यान्वित करने वाले अधिकारी ही करें तो शेष होगा क्योंकि वह अपनी भूलों या विरियों में स्वय सुधार कर सकते हैं। इस कार्य में कमी यह है कि उपरोक्त अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा के लिए सफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखला सकते हैं और असफलताओं को बहुत साधारण महत्व दे सकते हैं।

भारत में योजना आयोग उस समय प्रत्येक मन्त्रालय अथवा विभाग की सफलताओं का मूल्यांकन करता है जिस समय आगामी वर्ष के लिए (वार्षिक) योजना पर विचार किया जाता है। जब आर्थिक योजना को बजट में शामिल कर लिया जाता है तो योजना आयोग पिछले वर्ष की प्रगति के ब्योरे की माँग करता है। इन सब ब्योरों को इच्छा कर वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट बनाली जाती है और उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। समाप्तरण से प्रत्येक रिपोर्ट वर्ष की रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के बार मास के भीतर प्रकाशित हो जानी चाहिए परन्तु ऐसा प्राप्त नहीं होता है।

निजी क्षेत्र—मूल्यांकन की सबसे बड़ी कठिनाई निजी क्षेत्र के आर्थिक विकास के बारे में आती है। कम्पनियों के स्थिति विवरण प्राप्त समय पर तंयार नहीं

होते। इसके लिए उचित यह है कि निजी क्षेत्र की अधिक महत्वपूर्ण औदोगिक इकाईयों के विषय में सूचना प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की जाय। औदोगिक समता के प्रयोग तथा आपात स्वानापन के बारे में नियमित तथ्य प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए।

अध्ययन— विशिष्ट समस्याओं के विषय में रिजर्व बैंक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा अन्य शोध संस्थान समय-समय पर जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं वह महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश ढालती है। राज्य सरकारों के आधिक एवं सौन्हियकीय निदेशालय भी योजनाओं सम्बन्धी वार्षिक तथा पवर्याय रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।

योजना आयोग भी योजना की प्रणति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करने लगा है किन्तु यह रिपोर्ट प्राय बहुत देर में प्रकाशित होती है अतः उनका सीमित महत्व रह जाता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों की योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट नियमित रूप में उचित समय पर प्रकाशित करनी चाहिए। इससे योजनाओं के महत्व का सही मूल्यांकन हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

अन्यास प्रदर्शन

- १ भारत में आधिक नियोजन के क्या आधार हैं? क्या इनके बारण योजनाओं में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं?
- २ भारत में योजनाएँ बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है?
- ३ भारत में आधिक नियोजन की क्या प्रक्रिया है? योजना को अन्तिम रूप देने से पहले किन-किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है?
- ४ भारतीय योजनाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है? लक्ष्य निर्धारित करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- ५ भारतीय नियोजन के विभिन्न चरणों को व्याख्या कीजिए।
- ६ भारतीय योजनाओं को कैसे कार्यान्वयन दिया जाता है? इस प्रक्रिया में कौन सी विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- ७ भारत में आधिक नियोजन की मुख्य समस्याओं का विवेचन कीजिए।
- ८ आधिक नियोजन के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश ढालिए तथा भारतीय नियोजन के मूल्यांकन में सुधार के उपाय बतलाइए।
- ९ भारत में आधिक नियोजन का मूल्यांकन किन-किन संगठनों द्वारा किया जाता है। वह कहाँ तक पर्याप्त है?

राज्य का आर्थिक स्थिरता में योगदान (STATE IN RELATION TO NATIONAL ECONOMY)

बतंमान युग में संसार में तीन प्रकार की सरकार हैं (१) प्रजातन्त्रवादी, (२) तानाशाही, तथा (३) सैनिक शासन

इनमें सैनिक शासन का आर्थिक विकास से प्राय कोई सम्बन्ध नहीं रहता। सैनिक अधिकारी केवल अपना शासन बनाये रखने की चिंता रखते हैं, वह सामाजिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते। सैनिक शासन अनेक बार सही या गलत कारणों से पड़ीसी देशों से युद्ध में उलझ जाते हैं जिसका परिणाम प्राय अच्छा नहीं निकलता।

प्रजातन्त्रवादी— सरकार जनता की जुनी हुई सरकार होती है। इसका कसंध्य जनता के आर्थिक कल्यण के लिए अधिक प्रयत्न करना होता है। यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अत यह निरन्तर ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम बनाती रहती है जो जनता के आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए होते हैं। इसी-लिए इस प्रकार की सरकार वा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होना आवश्यक है।

तानाशाही— शासन प्राय एक दल वा शासन होता है। इस प्रकार का शासन प्राय पूँजीवाद के खिलाफ होता है और यह सदा ऐसे प्रयत्न करता रहता है जिससे सिढ़ हो जाय कि समाजवाद पूँजीवाद से थ्रेप्ट है। इस प्रकार के शासन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती परन्तु आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है और सरकार ही आर्थिक विकास के लिए पूरी जिम्मेवारी उठाती है।

विभिन्न स्थिरताओं में सरकार का योग

इन तीनों स्थिरताओं का जिक्र करने के बाद यह उचित होगा कि इनमें सरकारी योगदान का उल्लेख विस्तार से किया जाय।

प्रजातन्त्रवादी स्थिरता पूँजीवादी भी हो सकती है और समाजवादी भी। पूँजीवादी प्रजातन्त्र के उदाहरण हैं जापान, पश्चिमी जर्मनी, पास, संयुक्त राज्य

अमरीका आदि। भारत समाजवादी प्रजातन्त्र का उदाहरण है इसे मिथित अर्थ-व्यवस्था का भी नाम दिया जाता है।

तानाशाही (सैनिक शासन को छोड़ कर) शासन समाजवादी या साम्पदादी ही होते हैं। सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के देश तथा चीन उसके उदाहरण हैं।

इन स्थितियों को देखते हुए सरकारी योगदान का अध्ययन तीनों आर्थिक व्यवस्थाओं में करना अधिक उचित होगा क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएं (प्रजातन्त्र आदि) विसो न किसी आर्थिक प्रणाली को ही आवश्यक मान लेती हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था

[CAPITALISM]

पूँजीवाद के मूल तत्त्व—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सरकार का योगदान यथा ही सकता है, इसका विशेषण करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पूँजीवादी व्यवस्था में मूल तत्त्व या विशेषताएँ क्या हैं। यह विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(१) मुक्त अर्थ-व्यवस्था—पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनियोग तथा वितरण को सब क्रियाएँ स्वतन्त्र होती हैं। इसका अर्थ यह है कि

(i) व्यवसाय की आजादी—प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार का उद्योग या व्यवसाय आरम्भ करने के लिए स्वतन्त्र होता है। उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं की खुली विद्या—प्रत्येक वस्तु के मूल्य बाजार में मार्ग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार न तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है, न वस्तुओं को राशन द्वारा बंधने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु बाजार में खुले हूप में फिलती है और उसका इच्छा तथा आवश्यकतामुक्त उपभोग करने की प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता होती है।

(iii) व्यापार की सूट—वस्तुओं के बायात और निर्यात तथा खरीद और विद्या की भी सूट होती है। व्यापार पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता।

(iv) मजदूरी आदि की दरें—मुक्त अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी, मजान किराया, व्याज आदि की दरें सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छा वेतन या मजदूरी दी जाती है और व्याज, किराया आदि अपने आप मार्ग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है।

इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था लाइसेंस, परमिट से मुक्त होती है।

(२) मुक्त स्पर्धा तथा एकाधिकार—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकों तथा विक्रेताओं में मुक्त स्पर्धा होती है अतः उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा माल कम से कम कीमत पर खिलारहता है। इस व्यवस्था में प्राय शेषांतरम उत्पादक या विक्रेता ही बाजार में ठहर सकता है (Survival of the Fittest)।

मुक्त स्पर्द्धा होते-होते पूँजीपतियों में से कुछ ने हानि होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप उनमें उत्पादन तथा बिन्दी सम्बद्धी समझौता हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार वी स्थापना होती है और पूँजीपतियों को मनमानी बरने वा अवसर मिल जाता है।

(३) निजी सम्पत्ति—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति निजी सम्पत्ति बना सकता है और उस पर अधिकार रख सकता है। इसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं वह भूमि और उद्योगों की बड़ी-बड़ी जागोंरे बना लेते हैं। समाज में एक साधन सम्पन्न वर्ग बन जाता है जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यक्तित्व बरने का अभ्यस्त हो जाता है। समाज का बहुत बड़ा भाग गरीब और साधनहीन बना रहता है। इस प्रकार सम्पत्ति रखने की आजादी से गरीबी और असीरी वा भेद उत्पन्न होता है और बढ़ता जाता है।

(४) साहस का महत्व—पूँजीवादी व्यवस्था में, जो व्यक्ति अधिक योग्यता और साहस रखने वाले हैं, उनकी त्रियात्मक शक्ति को अधिक वाम करने वी प्रेरणा मिलती हैं क्योंकि वह साहस बरते नये उद्योग स्थापित कर लेते हैं और लाभ बना लेते हैं। साहसहीन, ढीने तथा अपोद्य व्यक्ति पिछड़ जाते हैं।

(५) उत्तराधिकार—पूँजीवादी व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस व्यवस्था में सम्पत्ति वा साधन उत्तराधिकार से प्राप्त विषय जा सकते हैं और उन पर वानृती अधिकार बनाय रखा जा सकता है। इससे भी समाज में विप्रमत्ता या असमानता बढ़ती है।

(६) मजदूरों के सगठन—पूँजीवादी व्यवस्था में वग सघर्ष एक आवश्यक तत्व बन जाता है क्योंकि गरीबी और असीरी के भेद बढ़ जाते हैं। मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती जबकि पूँजीपतियों के लाभ में निरन्मतर दृढ़ि होती चली जाती है। इससे मजदूर अपने सगठन बना लेते हैं और पूँजीपतियों के खिलाफ सघर्ष आरम्भ हो जाता है। यह सघर्ष प्राय नियमित रूप में चलता रहता है।

पूँजीवादी अर्थतन्त्र में सरकार का दायित्व

(१) साज सज्जा की व्यवस्था—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में साहसी प्रवृत्तियों को खुली छूट मिलती है। सरकार को देवल यह देखना होता है ति उत्पादन वे मार्ग में पानी दिलती या परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयाँ सो नहीं हैं। यदि इस प्रवार की कठिनाइयाँ होती हैं तो सरकार इहें दूर करने का प्रयत्न करती है।

(२) संस्थाओं का विकास—सरकार वा दूसरा बर्तन्य यह है ति यदि वित्तीय संस्थाएं (वैक, वित्त निगम) आदि वर्ग हैं या वर्ग विकसित हैं तो उनकी स्थापना तथा विकास में सहायता करे। इन संस्थाओं से खेती, व्यवसाय तथा उद्योग के लिए पर्याप्त रकम मिल जाती है जिससे उत्पादन तथा वितरण बरना बहुत सरल हो जाता है।

(iii) विदेशी व्यापार—पूँजीवादी व्यवस्था में सरकार को यह भी देखना चाहिए कि विदेशी से जा लेन-देन होता है या आयात-निरायन निजी स्तर पर किया जाता है उसमें कोई कठिनाइयाँ तो नहीं हैं। इसमें भुगतान, माल भेजने या विदेशी विनियम सम्बन्धी कठिनाइयाँ हो तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(iv) एकाधिकार पर रोक—पूँजीवादी व्यवस्था में व्यावसायिक रपर्टी बनाये रखना बहुत आवश्यक है। यदि पूँजीपति घर्ग मिस्कर किसी एक या वही क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करें तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। यदि एकाधिकार स्थापित हो जाय तो नये माहन को प्रोत्ताहन नहीं मिल सकेगा और विकास रद्द जायेगा।

सक्षेप में, पूँजीवादी व्यवस्था में सरकार को-

(i) सड़क, रेल, विद्रोही पानी आदि सम्बन्धी साज-सज्जा वा उचित विकास बरना चाहिए।

(ii) वित्तीय तथा अन्य मस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए।

(iii) विदेशी व्यापार में सहायता देनी चाहिए।

(iv) एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए।

इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में सरकार का स्वयं का कोई सक्रिय योग नहीं होता, वह केवल बाधाओं तथा दुष्प्रभावों को दूर बरने में सहायक होती है।

समाजवाद [SOCIALISM]

वर्तमान युग समाजवाद का युग है। प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार समाजवाद वी बातें करती है, समाजवादी बनने का ब्रत लेनी है तथा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का उद्धोष करती है। इस स्थिति में समाजवाद एवं धर्मशास्त्र सा बन गया है। अनेक बार जब करोड़पति या लखपति व्यक्ति अथवा हजारों रुपया मासिक बेतन पाने वाले अधिकारी समाजवाद की बातें करते हैं तो समाजवाद के गिरावटों में अविवास होने लगता है। इसी प्रकार जब इम्पाला बार में यात्रा करने वाले, अपने दब्बों के ब्याह में लालों रुपया खुन्चे करन लाले तथा ऐस्वर्य के बिलास में झूंवे रहने वाले भन्नी समाजवाद लाने वा बचन देते हैं तो समाजवाद के प्रति आस्था डगमगाने लगती है। भारत तथा बनेश्वर विकासशील देश में समाजवाद का यही विवृत हृषि देखने को मिलता है जहाँ कठनी और करनी में जमीन आगमन का अन्तर है।

यह सब दोष समाजवाद का पासन न करने वाले व्यक्तियों के हैं, समाजवाद के नहीं।

समाजवाद के मुख्य तत्त्व—समाजवाद के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं

(i) सरकारी स्वामित्व—समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन में सहायता करने वाले क्रितने साधन (भूमि, बन, खनिज आदि) हैं उन पर सरकार का अधिकार होता

है। उत्पादन, विनियम तथा वितरण आदि सभी क्रियाओं पर भी सरकारी अधिकार होता है। इस प्रकार साम देने वाले सब क्षेत्र समाज (अर्थात् सरकार) के स्वामित्व में आ जाते हैं।

(२) मजदूरी को दर—मजदूरों या अन्य बाम करने वाले व्यक्तियों की मजदूरी या वेतन सरकार निर्धारित करती है और सब व्यक्तियों को निर्धारित दर पर ही वेतन दिया जा सकता है। समाजवादी व्यवस्था में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन में बहुत अतर नहीं होता।

(३) व्यक्तिगत सम्पत्ति पर रोक—समाजवाद में विसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति (भूमि, मकान, फैक्टरी आदि) नहीं रह सकती। इसी बारण गौवीं और अमीरी में बहुत अधिक भेद नहीं रह सकता। बास्तव में, इस व्यवस्था में गौवीं और अमीरी होती ही नहीं, मब व्यक्तियों के प्राय एक समान जीवन स्तर होते हैं।

(४) उपभोग पर सीमा—समाजवादी व्यवस्था में सभी सामान सरकारी फैक्टरिया बनानी हैं। अत जनता के अधिक काम में आने वाली वस्तुएँ बनाने को ही प्राथमिकता दी जाती है। विलासिता तथा ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का बहुत कम उत्प दर दिया जाता है और जितना उत्पादन होता है वह निर्यात के लिए होता है। अन समाजवादी व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उपभोग किया जाता है जिन्हें सरकार उन्नित समझती है।

(५) मूल्य निर्धारण—समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य भी सरकार ही निर्धारित करती है और देश भर में एक वस्तु का मूल्य समान रहता है, उसमें अन्तर नहीं हो सकता।

(६) शोषण नहीं होता—समाजवादी व्यवस्था शोषण के खिलाफ होती है जिसमें सरकार द्वारा मूल्य, मजदूरी या वेतन तथा अन्य नीतियाँ निर्धारित की जाती है। इनका निर्धारण करते समय दह ध्यान रखा जाता है कि विसी वा शोषण नहीं किया जा सके।

सरकार का योगदान

समाजवादी व्यवस्था में सरकार का योग निम्न प्रकार हो सकता है।

(१) सरकारी स्वामित्व—सरकार सारी भूमि, सभी उद्योग तथा व्यवसाय अने हाथ में से सकती है और इन्हें सरकारी प्रशासन द्वारा चना सकती है। इससे आर्थिक शोषण नहीं हो सकेगा और गरीब अमीर की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सरकार स्वयं ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी अत मजदूरों द्वारा सपर्पं करने की स्थिति भी नहीं आयेगी।

यदि उद्योग या व्यापार आदि पहले से निजी पूँजीपतियों के हाथ में हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण करना होगा।

(२) साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—सरकार के हाथ में सभी उत्पादक ध्वनि होंगे तो स्वाभाविक रूप में सरकार यह निश्चित करेगी कि कौन से माल का कितना उत्पादन किया जाय। यह निश्चित करते समय सरकार यह ध्यान रख सकती है कि प्राकृतिक तथा अन्य साधनों का इस ढंग से उपयोग हो कि समाज के अधिकारों या सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो जायें। इस प्रकार देश के साधनों का राष्ट्रीय हित में श्रेष्ठतम उपयोग हो सकता है।

(३) प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार—समाजवादी व्यवस्था में सरकार वा सर्वो महसूपूर्ण बर्तन्व्य यह होना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाय। इसके लिए जनशक्ति का प्रारम्भिक अवस्था से ही नियोजन किया जा सकता है कि कितने डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, रसायन विदेशी की आवश्यकता होगी। उसके हिसाब से ही प्रवेश दे कर उनमें ही विदेशी तैयार किये जाने चाहिए, अधिक नहीं। सामान्य अम-शक्ति को (जिसमें विदेशी क्षेत्र की योग्यता नहीं है) सरकारी प्रतिष्ठानों में सामान्य बर्ग का बाम दिया जा सकता है।

(४) विषमता में कमी जिन देशों में समाजवादी व्यवस्था बाद में स्थापित की जाती है उनमें कर प्रणाली ऐसी बनायी जा सकती है कि अधिक सम्पत्ति वालों की सम्पत्ति धीरे धीरे क्षय होनी चली जाय। सम्पत्ति की उच्चतम सीमाएँ भी निर्धारित की जा सकती हैं। आप (वितन महित) की भी उच्चतम सीमा निश्चित की जा सकती है या कर प्रणाली म परिवर्नन द्वारा बहुत छोटी आय को कम किया जा सकता है।

(५) उचित वेतन तथा भजदूरी—समाजवादी व्यवस्था में सरकार द्वारा वेतन तथा भजदूरी की दरों निश्चित की जा सकती हैं कि वह न्यायसंगत हो तथा जिनसे जन साधारण को उचित जीवन स्तर मिलाने का अवसर मिल सके।

(६) अधिकतम कार्य तथा उत्पादन—समाजवादी व्यवस्था में सरकार वो यह दिखलाना होता है कि वह पूँजीवादी व्यवस्था से श्रेष्ठ है। अत प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक क्षेत्र को अधिक कुशल बनाना आवश्यक है। इसके लिए ऐसा बातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें कोई व्यक्ति काम की चोरी न कर सके और अयोग्यता, अकुशलता तथा डिगर्इ को कोई सरकार प्राप्त न हो सके।

उपर्युक्त सब रीतियों द्वारा उत्पादन अधिक हो सकता है, लागत कम से कम हो सकती है और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा उचित बनन दिया जा सकता है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (MIXED ECONOMY)

समाजवादी और पूँजीवादी व्यवस्था के बीच का मार्ग है मिश्रित अर्थ-व्यवस्था जिसमें समाजवाद के नियन्त्रण नहीं हैं और पूँजीवाद की स्वतन्त्रता नहीं है। इसमें कुछ उद्योग सरकार चलाती हैं और कुछ उद्योग पूँजीरतियों वे हाथ में

छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार मिथित अर्थ व्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद का अथवा निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र के सह-अस्तित्व का उद्दरण है।

मुख्य तत्त्व मिथित अर्थ व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(१) निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र—मिथित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः सरकार उद्योगों को दो श्रेणियों में बांट दती है। एक श्रेणी में वह उद्योग आते हैं जिनका विकास केवल सरकार द्वारा किया जाता है। यह उद्योग प्रायः आधारभूत उद्योग होते हैं जिनमें अत्यधिक पूँजी लगाना आवश्यक होती है। कुछ उद्योग केवल निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार मिथित अर्थ-व्यवस्था में सरकार और निजी पूँजीपति—दोनों को निर्धारित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का अधिकार होता है।

वभी-कभी कुछ उद्योग संयुक्त क्षेत्र में होते हैं अर्थात् उनमें सरकार तथा निजी उद्योगपति—दोनों मिलकर पूँजी उगाते हैं और उनकी प्रबंध व्यवस्था भी मिली जुली होती है।

(२) नियन्त्रण—मिथित अर्थ व्यवस्था में उद्योग, व्यापार या अयंकिसी व्यावसायिक क्षेत्र म पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती। इसमें अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाये जाते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

(i) लाइसेंस—अनेक बार नयी ओद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है।

(ii) पूँजी के लिए अनुमति—यदि उद्योगों में पूँजी लगानी है या पूँजी की मात्रा में बढ़ि बरनी है तो प्रायः सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

(iii) आयात नियंत्रण—विदेशों ने आयात नियात व्यापार के लिए अनुमति लेनी पड़ती है तथा विदेशी मुद्रा के नेतृत्व पर भी प्रतिबन्ध होता है।

(iv) मूल्य नियन्त्रण—अनेक बार वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं और कभी कुछ वस्तुओं ता राशनिग भी करना पड़ता है।

(३) सहायक संस्थाएँ—मिथित अर्थ व्यवस्था में सरकारी तथा गैर सरकारी वंशों तथा निगमों का एक जाल सा विद्या होता है जो आर्थिक विकास में सहायता देता है।

(४) नियोजित व्यवस्था—मिथित अर्थ व्यवस्था एवं नियोजित व्यवस्था होती है जिसमें पूर्ण आर्थिक नीतियाँ सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के व्यवसायी उनका पालन करते हैं।

(५) अनिवाय सेवाएँ सरकारी क्षेत्र में—मिथित अर्थ व्यवस्था में प्रायः विज्ञली, पानी, सड़क तथा अन्य प्रकार के परिवहन आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा होती है और उनका प्रबंध भी सरकारी क्षेत्र में होता है।

(६) समाजवादी आर्थिक नीति—मिथित अर्थ व्यवस्था में निजी क्षेत्र रहने

पर भी सरकार की आर्थिक नीति समाजवादी होती है और आर्थिक विषयमता में कमी बरने के प्रयत्न होते रहते हैं।

मिथित अर्थ-व्यवस्था में सरकार का योगदान

मिथित अर्थ-व्यवस्था में सरकार अनेक कार्य करती है जिनसे अर्थतन्त्र को सामने होता है और जनता वा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। इनमें मुख्य निम्न-लिखित हैं—

(१) एकाधिकार से बचाव—सरकार की ओरोगिक लाइसेंस नीति ऐसी होनी चाहिए कि कुछ इनेंगिने व्यविनयों के हाथ में ही आर्थिक सत्ता सकेन्द्रित नहीं हो जाय। इसके लिए प्रशासन व्यवस्था को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है।

(२) लोक क्षेत्र का विस्तार—सरकार को लोक क्षेत्र में अधिक तथा नये-नए उद्योग स्थापित करने चाहिए ताकि आर्थिक शक्ति धर्मे-धोरे सरकार के हाथ में आती जाय और सरकार अपने उद्योगों में अधिक व्यविनयों को रोजगार दे सके।

(३) अनिवार्य अव्यवस्था आधारभूत उद्योग—सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों तथा व्यवसायों को प्राथमिक धोषित कर देना चाहिए जो जनता के लिए अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करते हों, निर्यात होने वाला समान बनाते हों तथा देश के आर्थिक विकास में अधिक उपयोगी हों। इन प्राथमिक क्षेत्रों के लिए धन, तकनीकी सुविधाएँ तथा विज्ञापन या विक्री आदि की सुविधाओं की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

(४) प्रशासनिक नियन्त्रण—वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा विक्री पर उचित नियन्त्रण लगाये जाने चाहिए ताकि साधनों का सदुपयोग हो सके और सरकारी नीतियों का अनानन्दी से पालन किया जा सके।

(५) संस्थागत विकास—सरकार द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है या नियंत्री क्षेत्र में उनके विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा वित्त, तकनीकी जानकारी तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति की जाती है जो आर्थिक विकास में बहुत सहायक होती है।

(६) आर्थिक नियोजन—मिथित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी जाती है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्राथमिकता एवं निश्चित की जाती है और उत्पादन तथा रोजगार के साधन बढ़ाने वा प्रयत्न किया जाता है।

(७) पिछड़े वर्गों को सहायता—मिथित अर्थ-व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान स्तर पर जाने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की सहायता की जाती है ताकि वह वर्ग समाज के अन्य वर्गों के समक्ष आ सके।

(८) न्यूनतम भजदूरी—मिथित अर्थ-व्यवस्था में भी प्रायः सभी महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी वो दरें निश्चित बर दी जाती हैं जिससे उत्पादन के क्षेत्रों में असन्तोष उत्पन्न न हो सके।

(६) सम्पत्ति तथा आय की सीमा—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में प्राय व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा आय की सीमा निर्णायित कर दी जाती है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों में आर्थिक विप्रवत्ता कम हो सके और आर्थिक सत्ता अधिक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में बैठ सके।

(१०) राष्ट्रीयकरण—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में कुछ मूलभूत उद्योगों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है ताकि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को अप्रिक शक्ति ०८ विश्वास के साथ वार्यान्वित कर सके।

इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकार एक शक्तिशाली निदेशक वा काम बरती है और अपनी आर्थिक नीतियों में सफलता प्राप्त बरते की चेष्टा बरती है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था और सरकार

भारतीय अर्थ-व्यवस्था एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है जहाँ प्रजातन्त्रवादी शासन है और समाजवादी आर्थिक नीति वो अपनाया जा रहा है। इस व्यवस्था में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के उद्योग चल रहे हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है। आदात और निर्यात दोनों के लिए सरकारी अनुमति लेनी होती है। विदेशी मुद्रा में लेन देन भी वर्जित है। सरकार आर्थिक विप्रवत्ता दूर बरने के लिए प्रयत्न कर रही है इन्हुंने उसमें अनेक वाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासनिक ढाँचा घटिया और नीकरणादी है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की कुछ आधारभूत विशेषताएँ ऐसी हैं जिनमें सरकार का सक्रिय योगदान अत्यन्त आवश्यक है। सर्वोपरि म, यह विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(१) कृषि प्रधान—भारत को शतांशियों से ही कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है इन्हुंने अब भी भारतीय कृषि देश को पर्याप्त अम्ल, बपास, तिलहन आदि देने में गमर्य ही है। इसके लिए अधिक सिचाई वो सुविधाएँ, अधिक रासायनिक याद, अच्छे बोज आदि वी व्यवस्था सरकारी एजेंसी द्वारा ही सम्भव है।

(२) साज सज्जा—भारत में मढ़वें, रेलें तथा परिवहन के अन्य साधन, विजली की पूर्ति, रहने के लिए मकान आदि सुविधाएँ बहुत कम हैं जिनका विस्तार सरकारी सहयोग दिना होना सम्भव नहीं है।

(३) आधारभूत उद्योगों का प्रियोग—भारत में इस्पात, कांयला, इंजी-नियन्त्री सरीखे उद्योग अब भी बहुत प्रियोग हुए हैं। यह उद्योग ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक पूँजी लगानी पड़ती है, इनसे बहुत बर्पे बाद उत्पादन मिलता है और इनमें यहाँ कुशल तकनीक वी आवश्यकता होती है। यह उद्योग विदेशी भी देश के आर्थिक विप्रवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है। इनकी विशेषताओं के कारण ही इनका विस्तार सरकार में सक्रिय सहयोग दिया गया सम्भव नहीं है।

(४) वित्तीय ढाँचा—भारतीय उद्योगों तथा अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों का वित्तीय ढाँचा बहुत कमज़ोर है। इसको सबन बनाने के लिए शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता है जिनकी आर्थिक सहायता वीं नीति अत्यन्त उदाहरण एवं कानूनिकारी हो। यह दोनों बातें सरकारी संस्थाओं में ही हो सकती हैं।

(५) सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़पत्र—भारत में अब भी अधिकाश व्यक्ति रुद्धिप्रस्त और गरीब हैं। सामाजिक पिछड़पत्र का मुख्य दारण भी गरीबी है। इस पिछड़पत्र को दूर करने का काम सरकार की कानूनिकारी नीतियों द्वारा नहीं हो सकता।

(६) आर्थिक विधमता—भारत में गरीबी और अमीरी में बहुत अधिक अन्तर है। आज भी कुछ व्यक्तियों के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है जबकि कुछ के लिए दो समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यक्ति हजारों रुपये मासिक कमा रहे हैं जबकि अधिकाश व्यक्तियों की मासिक आय १०० रुपये से भी कम है। इस स्थिति को ईश्वर की कृपा या किसी महान् शक्ति के आशीर्वाद से नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए सरकार की सही अर्थों में समाजवादी नीति होना आवश्यक है।

(७) अशिक्षा—आजादी के लगभग पचास वर्ष बाद भी भारत की दो निर्हाई से अधिक जनता निरक्षर तथा अनपढ़ है। देश के अनेक कानून और कायदे इस कारण असफल हो जाते हैं कि देश के अधिकाग व्यक्ति उनको समझते नहीं हैं। अत अशिक्षा को दूर करने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने आवश्यक हैं जिनके लिए साधन और घन सरकार ही जुटा सकती है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत भी अर्थ-व्यवस्था को पिछड़पत्र के गहरे दबावल में से निकाल कर उन्नति के प्रशस्त मार्ग पर लाने के लिए सरकार के विशेष प्रयत्नों के द्वारा काम नहीं चल सकता। पिछले २० वर्षों में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं जिनका व्योरा धगले अद्यायों में किया जायेगा।

अभ्यास प्रदान

१. पूँजीवाद के मूल तत्त्व क्या हैं? पूँजीवादी व्यवस्था में सरकार का क्या कर्तव्य होता है?
२. एक समाजवादी व्यवस्था की आर्थिक विशेषताएँ लिखिए। इस व्यवस्था में सरकार का क्या योगदान हो सकता है?
३. मिथित अर्थ-व्यवस्था का क्या अर्थ है? एक मिथित अर्थ व्यवस्था के मुख्य तत्त्वों का व्योरा दीजिए।
४. एक मिथित अर्थ-व्यवस्था में सरकार के दायित्व को स्पष्ट कीजिए।
५. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए। भारत के आर्थिक विकास में सरकार का योगदान क्यों आवश्यक है?

राज्य और कृषि

(STATE AND AGRICULTURE)

कृषि का महत्व—भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित बातों से जाना जा सकता है।

(१) रोजगार—कृषि भारत की लगभग ६० प्रतिशत जन संख्या को रोजगार प्रदान करती है।

(२) राष्ट्रीय आय—भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ४४ प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है।

(३) कच्चा माल—कृषि अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। सूती वस्त्र उद्योग को रई, जूट उद्योग को पटसन, चीनी उद्योग को गन्ना तथा तेज़ उद्योग को तिलहन कृषि से ही मिलते हैं। इन उद्योगों का उत्पादन बहुत कुछ खेती की उन्नति पर निर्भर करता है।

(४) चारा—खेती से भारत के अनेक वर्गों के पशुओं के लिए चारा मिलता है। यह पशु दूध, धी, खालें, मांस आदि की आवश्यकता पूरी करते हैं। इनमें से कुछ भार ढोने के काम भी आते हैं।

(५) इंधन—खेती से बहुत से इसानों को जलाने के लिए इंधन (लकड़ी) मिलती है। वपास निकालने वे बाद उसका वचा हुआ पूरा पीया बहुत अच्छे इंधन का काम देता है।

कृषि की विशेषताएँ—भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का इतना महत्व होते हुए भी कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों से पता चलता है।

(१) कृषि योग्य भूमि—भारत में कुल भूमि ३२७६ वराड हेक्टर है। इसमें से खेती के योग्य कुल क्षेत्रफल १६.४ वरोड हेक्टर है। इसमें से लगभग १५.८१ वरोड हेक्टर भूमि में खेती की जाती है।

(२) मानवून और तिथाई—भारत की अधिकांश सेती योग्य भूमि सेती के सिए मानवून पर निभंड बरती है। ऐसल ३८ करोड़ हेक्टर भूमि में तिथाई की मुख्याएँ उपलब्ध हैं।

(३) छोटे-छोटे खण्ड—भारत में हृषि याती भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं। यहीं-यहीं तो भूमि के यह इतने छोटे हैं कि उनमें वेल पूम भी नहीं सकता। इतने छोटे टुकड़े सेती के लिए सामर्दशक नहीं हो सकते।

(४) पुराने तरीके—भारत में सेती को रीतियों वर्षों सब यहां पुरानी और पठिया रही है। विग्रान का अविशित तथा गरीब होना इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

(५) प्रति हेक्टर वाम उत्पादन—सेती में प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत वाम है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत कम लोगों में रागायनिक याद, विधि उत्पादने काले बोज तथा सेती के यन्त्रीकृत तरीके काम में लिए जाते हैं।

(६) भूमि का स्थानिक्य—भारत में इस बात का प्रधार यहां सेती का प्रति हेक्टर वाम उत्पादन में लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विग्रान को भूमि का मालिक बना दिया गया है जिसका वास्तविक स्थिति यह है कि भूमि का अधिकांश भाग अब भी सेती न करने वाले योगी के पक्ष में है।

हृषि नीति—इस गरजार की हृषि विकास में हस्तांतरण करना चाहिए ?

अन्य लोगों की तरह हृषि लोग में भी इस बात पर विवाद बनना रहता है कि गरजार को सेती के लिए में हस्तांतरण करना चाहिए या नहीं। तुच्छ व्यक्तियों का मत है कि सेती के साधक त्रिनंदी भूमि है उस पर विग्रानों का ही अधिकार होना चाहिए और विग्रानों को अपनी इच्छानुगार सेती करने की घृट हीनी चाहिए। यदि उन्हें सेती करने में कोई पठिनाई हो तो गरजार में मदद मिल जानी चाहिए। अमरीका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी आदि देश में इस प्रकार की ही सेती की जारी है।

एक दूसरा विचार यह है कि मारी भूमि पर गरजारी अधिकार होना चाहिए। कोई सी भूमि में क्या यस्तु उत्पादन की जाय और उसके लिए कौन भी प्रणाली काम में की जाय यह निश्चित करना गरजार का काम होना चाहिए। गरजार द्वारा इस नीति के अनुगार वही सेती करतायी जानी चाहिए। गोदियत हम, जीन तथा पुर्वी यूरोप के अनेक देशों में इयी प्रकार सेती की जाती है।

विकासशील देशों के लिए नीति—आविष्क दृष्टि से विश्वित देशों में गरजार को सेती के काम में हस्तांतरण करने की आवश्यकता नहीं होती वयोंत्रि द्वारा सेती को रीतियों वहां विश्वित हो जाती है। विग्रान अपने आप सेती के नये उपरोक्त अपना एवं अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जिस्तु आविष्क दृष्टि में पिछँ हृषि देशों में सेती को पुरानी रीतियों काम में की जाती है, सेती के साधन (याद, बोज, और गरजार तथा दूसरी आदि) पठिया या बन होते हैं। इसलिए इन देशों में गरजारी महायहाँ के दिग्गज सेती का विकास करना गर्भव नहीं है।

भारत में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है—कारण

भारत में कृषि की विशेषताओं को देखते हुए सरकारी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह सच है कि भारत के किसानों को इस बात का पूरा अनुभव है कि कोन सी भूमि किस फसल के लिए उपयोगी है, कोन सी फसल को कब बोया जाना चाहिए तथा उसमें कब और कितनी खाद दी जानी चाहिए किन्तु अनेक काम ऐसे हैं जिनमें किसान कुछ नहीं कर सकता या जिनमें सरकारी सहायता बहुत आवश्यक है। ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं

(१) सामाजिक पूँजी—भारत में नहरें, बाध, नलकूप, सड़कें आदि बनवाना, मण्डपों तथा माल बेचने की उचित व्यवस्था बरना, खेती के पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए गादाम बनवाना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके लिए किसान पूँजी की व्यवस्था नहीं बर सकता। इस पूँजी का प्रबन्ध सरकार ही कर सकती है। यह पूँजी सामाजिक पूँजी कहलाती है क्योंकि इसका मूल्य उद्देश्य समाज को लाभ पहुँचाना होता है। इस पूँजी से सरकार को प्रत्यक्ष सामग्री प्राप्त नहीं होता या बहुत समय बाद होने लगता है।

(२) कृषि अनुसन्धान—भारतीय खेता बहुत पिछड़ी हुई है। इसकी उत्तरति के लिए खाद, बीज, बोने वीं नयी रीत आदि सम्बन्धी अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अनुसन्धान बरने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना आवश्यक है जिनमें पर्याप्त पूँजी लगानी पड़ेगी। इस पूँजी की व्यवस्था सरकार ही कर सकती है।

(३) भूमि सूधार—कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि भूमि का मालिक किसान को दनाया जाना चाहिए। यह काम सरकारी कानून द्वारा ही हो सकता है। इसी प्रकार भूमि का लगान विशिष्ट करना, लगान से छूट देना, भूमि वीं चक्रबद्धी करना तथा जौत की कम से कम तथा अधिक से अधिक सीमा निर्धारित बरने का काम भी सरकार ही कर सकती है। अतः सरकार का कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है।

(४) अकास के समय—जिस समय देश के किसी भाग में अचाल पड़ जाता है या देश में ही अनाज को कमा आ जाती है तो अन्न का आयात, मूल्य निर्धारण, राशन व्यवस्था आदि सरकार को ही करनी पड़ती है। अनेक बार अनाज के आयात के लिए दूसरे देशों वीं सरकार से सम्पर्क करना पड़ता है। यह कार्य निजी व्यापारियों द्वारा सम्भव नहीं है।

(५) वित्त—किसानों को समय-समय पर खेती के विकास के लिए रकमें उधार लेनी पड़ती है। यह रकमें समय पर बापर आने का निश्चय नहीं होता। अनेक बार इनमें देर हो जाती है। यह जोखिम सरकार ही उठा सकती है। यदि वैक सरकारी क्षेत्र में हो नो भी यह सम्भव है। कभी कभी सरकार ऐसे छूणों के भुगतान वीं गारण्टी बर दती है।

भारत सरकार की नीति

भारत में प्राचीनकाल में कृषि की समस्याएँ बहुत जटिल नहीं थीं, प्राय आवश्यकतानुसार सभी प्रकार का माल विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होता था और उसकी खपत नहीं हो पाती थी। कभी वर्मी अभाव के समय अन्दर वादि दूसरे क्षेत्रों से भेंगवाना या भेजना पड़ता था। यह कार्य आवस्मिन्द थे और सरकार इनके नियमित सञ्चालन के लिए कोई विशेष विभाग नहीं रखती थी वल्कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं भी कर्मचारियों को यह काम सौंप दिया जाता था।

कृषि विभाग की स्थापना—सन् १८८४ म देश के विभिन्न प्रान्तों में कृषि विभाग स्थापित कर दिये गये। इन विभागों को कृषि विकास कार्यों के अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी रिकार्ड रखन तथा भूमि की रजिस्ट्री आदि का निरीक्षण सम्बन्धी बाम भी सौंप दिया गया। इतना काम होने पर भी इन विभागों के सञ्चालन के लिए पर्याप्त रकम स्वीकृत नहीं की गयी।

कृषि विभागों के कार्य—इनके मुख्य काय निम्नलिखित थे

(१) कृषि फार्मों तथा प्रयोगशालाओं म शोध कार्य वो प्रोत्साहित करना ताकि कृषि प्रणालियों में सुधार हो सक।

(२) कृषिग खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(३) मुघरी हुई विस्म के दीजो के प्रचार तथा वितरण की व्यवस्था बरना।

(४) सरकारी फार्मों अथवा निजी खेतों पर कृषि प्रदर्शनकारियों का संगठन करना।

(५) कृषि की नवीन पद्धतियों तथा मुघरे हुए उपकरणों का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार की व्यवस्था बरना।

प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता—सन् १८६२ म डा० बोलबर ने मत प्रकट किया कि भारतीय कृषि का विकास करन के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। फलत १८६२ म केन्द्रीय सरकार ने एक कृषि रसायनशास्त्री नियुक्त किया और १८०१ मे एक कृषि महानिरीक्षक (Inspector General of Agriculture) नियुक्त किया गया, जिसका कार्य केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों को सलाह देना था। १८१२ मे यह पद समाप्त कर इसका काम सचालक कृषि अनुसन्धान शाला पूसा को सौंप दिया गया। यही व्यक्ति १८२६ तर भारत सरकार के कृषि सलाहकार के रूप मे कार्य करता रहा।

कृषि प्रशिक्षण—पूसा कृषि अनुसन्धान शाला की स्थापना १८०३ मे की गयी और इस शाला के साथ ही कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी स्थापित किया गया। लाड० बर्जन न कृषि विभागों के कार्य मे विदेष अधिकारी प्रदर्शित की और उनसे भूमि आदि सम्बन्धी कार्यों का दायित्व ले लिया गया। इसके अतिरिक्त हुयि शोष, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिए अधिक रकम की भी व्यवस्था की गयी।

सन् १८०८ मे पूना मे हुयि महाविद्यालय की स्थापना की गयी और उसक

पश्चात् क्रमशः बानपुर, नामपुर तथा कोयम्बटूर में भी ऐसे बालेज स्थापित बर्दिये गये।

कृषि मण्डल की स्थापना—सन् १९०५ में अखिल भारतीय कृषि मण्डल (All India Board of Agriculture) की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रान्तों में कृषि विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना था। यह मण्डल प्रान्तीय विभागों की सभाएँ बुलाकर कृषि सम्बन्धी योजनाएँ निर्माण करने में सहयोग देता था और समय-समय पर सरकार को कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव देता था।

शाही कमीशन, १९२६—सन् १९०५ में कृषि कार्य को बल देने के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय कृषि सेवा (All India Agricultural Service) की स्थापना की और १९१६ में कृषि विकास का मद प्रान्तीय सरकारों को सौप दिया जिन्तु कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी अतः सन् १९२६ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की दृष्टि से कृषि शाही आयोग (Royal Commission on Agriculture) की नियुक्ति की गयी।

कृषि सम्मेलन—शाही आयोग ने प्रायः सारे देश का दीरा रिया और कृषि समस्याओं का सवालीण अध्ययन करने के पश्चात् १९२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कृषि के महत्व पर प्रकाश ढालते हुए खेती की नवीन प्रणालियों, भूमि सुधार, कृषि साल आदि में व्यापक सुधार बरने की सिफारिशें की गयी। अक्टूबर १९२८ में शिमला में एक कृषि सम्मेलन बुलाया गया जिसमें प्रान्तों के कृषि मन्त्रियों, सचालकों तथा सहकारी समितियों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों में कृषि विकास के लिए शाही कमीशन की रिपोर्ट को आधार मानकर चलने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त शाही आयोग की सिफारिश के अनुसार शाही कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्थापना का निश्चय किया गया।

कृषि अनुसन्धान परिषद् (Imperial Council of Agricultural Research)—कृषि आयोग का मत था कि कृषि के वास्तविक विकास के लिए प्रयोग तथा शोध की आवश्यकता है और यह शोध कार्य अत्यन्त उच्चस्तरीय होना चाहिए। भारत सरकार ने इस प्रकार के शोध कार्य के लिए १९२९ में कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्थापना कर दी। यह परिषद् अब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नाम से विल्यात है।

परिषद् का कार्य कृषि सम्बन्धी शोध करना है और कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों में वह राज्यों तथा वैनिय सरकार को परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त वह भारत तथा अन्य देशों में कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी शोध कार्यों में समन्वय स्थापित कर उनकी सूचना संबंध प्रसारित करती है। इस कार्य के लिए परिषद् एवं परिवास निकालती है।

परिषद् की स्थापना के समय भारत सरकार ने २५ लाख रुपये का तात्कालिक अनुदान दिया और ७२५ लाख रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की। बतंमान में परिषद का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार बहन बरती है। कृषि सम्बन्धी शोध कार्य के अतिरिक्त परिषद् द्वारा देश के विभिन्न भागों में कृषि प्रदर्शनियाँ संगठित की जाती हैं जहाँ कृषि की मुख्य हुई प्रणालियों का ज्ञान कराने को चेष्टा की जाती है।

रसल राइट जॉच—शाही कृषि आयोग न यह सुमाव दिया था कि कृषि अनुसन्धान परिषद् की क्रियाओं की समय समय पर जॉच होनी चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने १६३६-३७ में इंगलैण्ड से दो विदेशी सर जॉन रसल तथा डॉ. एन. सो. राइट (Sir John Russell and Dr. N. C. Wright) को तथा डॉ. एन. सो. राइट (Sir John Russell and Dr. N. C. Wright) को आमन्त्रित किया। इन विदेशीजों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुमाव दिया आमन्त्रित किया।

(१) शोधवर्त्तनों तथा इनको में निकट सम्पर्क स्थापित किया जायें।

(२) पसलों के विनाशक बीटाणु विस प्रबार नष्ट किये जायें।

(३) व्यावसायिक पर्यालों सम्बन्धी अनुसन्धान पर्याले खरीदने वालों के सहयोग से इंद्रिय जाना चाहिए और खाद्यानों सम्बन्धी शोध कार्य में पोषण तत्व विदेशीजों की सहायता ली जानी चाहिए।

(४) भूमि तथा पर्यालों की रक्षा के लिए भू-संरक्षण तथा पर्याल सरकार समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

(५) पर्यालों की बीड़ा, बीमारियों तथा अन्य तत्वों से रक्षा करने के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(६) दुर्घटनाकारी तथा अनुपालन के सम्बन्ध में शोध, प्रशिक्षण तथा सलाह-वार सेशनों वा विकास किया जाना चाहिए।

(७) परिषद को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा उक्त सभी सिफारिजों स्वीकार कर ली गयी और कृषि शोध कार्य तथा व्यवस्था को अधिक विकासात्मीय बनाने की चेष्टा की गयी।

१९४३ का अकाल—सन् १९४३ में बगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग ३०-३५ लाख व्यक्ति भूख से तड़प-तड़प कर मर गये। इसकी जॉच के लिए सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया जिसने १९४५ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने “अधिक अमृत उपजाओ आन्दोलन” (Grow More Food Campaign) आरम्भ किया। इन आन्दोलन में खेती योग्य सारी भूमि को काम में लाने का लक्ष्य रखा गया और विसानों को हर सम्भव सहायता देने का कार्यक्रम अपनाया गया।

योजना वाल

पचवर्दीय योजनाओं में खेती के विकास को अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया गया। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पहली योजना में कृषि और

सिचाई पर ६०१ करोड़ रुपया खर्च किया गया जो सरकारी क्षेत्र मे किये गये कुल खर्च का ३१ प्रतिशत था। दूसरी योजना मे कृषि और सिचाई पर ६५० करोड़ रुपए खर्च किये गये जो पहली योजना मे कृषि कार्यक्रमो पर किये गये खर्च से छहपाँच थे परन्तु यह रकम दूसरी योजना पर किये गये कुल व्यय की केवल २० प्रतिशत थी। इस प्रकार दूसरी योजना मे कृषि का महत्व कुछ बहुत कम कर दिया गया। इसका कारण यह था कि उद्योग और खनिजो के विकास पर खर्च की गयी रकम मे बहुत बढ़ि कर दी गयी थी।

तीसरी योजना—मे कृषि तथा सिचाई पर २७५४ करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह रकम कुल योजना व्यय की लगभग ३२ प्रतिशत थी। इस प्रवार तीसरी योजना मे कृषि को लगभग उतना ही महत्व दिया गया था जितना पहली पचार्यी योजना मे दिया गया।

तीसरी योजना के पश्चात् तीन वर्ष तक योजना का अवकाश बाल था इन्हें सरकार ने एक वर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजन का फ्रम जारी रखा। इन तीन वर्षों (अप्रैल १९६६ से मार्च १९६८ तक) मे कृषि तथा सिचाई के कार्यक्रमो पर लगभग १६२४ करोड़ रुपये की रकम खर्च की गयी। यह रकम इन तीन वर्षों मे नियोजन पर खर्च की गयी कुल रकम की लगभग २४ प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि तीन वार्षिक योजनाओं मे भी कृषि के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना पहली और दूसरी योजना मे दिया गया था।

चतुर्थ योजना—(१९६८-७४) मे लोर क्षेत्र मे कुल १५,६०२ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इसमे से लगभग ३,८१५ करोड़ रुपया कृषि और सिचाई पर व्यय होगा। इस प्रकार खेती और सिचाई पर सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का लगभग २४ प्रतिशत भाग खर्च किया जायेगा। यह अब उतना ही है जितना वार्षिक योजनाओं मे कृषि पर व्यय किया गया था। इस प्रकार चतुर्थ योजना बाल मे खेती के विकास को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी गयी है, उसे सामान्य महत्व दिया गया है।

क्या योजना बाल मे कृषि नीति सही रही है?

योजना बाल मे कृषि विकास पर जो रकम खर्च की गयी हैं वह कृषि के सर्वतोमुखी विकास के लिए खर्च की गयी हैं। इस प्रकार कृषि मे निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित रहे हैं

(i) कृषि शिक्षा तथा अनुसधान, (ii) भूमि का संरक्षण, (iii) भूमि विकास, (iv) पशु पालन, (v) दुग्ध व्यवसाय का विकास, (vi) मध्यली पालन (vii) बन, (viii) दिग्नी तथा गोदाम व्यवस्था, (ix) सहकारिता, (x) सामुदायिक विकास, तथा (xi) पचायती राज।

इन सब कार्यों के लिए पिछले १८ वर्ष मे जो रकम खर्च की गयी और चौथी योजना मे जो रकम खर्च करने का प्रावधान है, वह स्पष्ट बतती है कि कृषि

विकास के कार्यक्रमों को जो महत्त्व दिया जाना या वह नहीं दिया गया। बास्तव में, भारतीय कार्यव्यवस्था में हिंपि एक आधारभूत व्यवसाय है जिस पर देश का सारा अर्थिक दौँचा खड़ा है। इस महत्त्व को देखते हुए हिंपि कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता के अनुसार रकम की व्यवस्था नहीं की गयी। यह बात निम्नलिखित रध्या से सिद्ध हो सकती है।

- (i) भारत अब भी साधारणों का निरन्तर आयान कर रहा है।
- (ii) भारत में रई, पटसन तथा निलहन को अब भी उमों प्रनीत होनी है।
- (iii) मार्कीय हिंपि अब भी मानसून पर निर्भर है।

नयी हिंपि नीति

[NEW AGRICULTURAL STRATEGY]

सन् १९६०-६१ में हिंपि विकास के लिए नयी नीति अपनायी गयी। इस नीति के अनुभाव देश में हरित कान्ति (Green Revolution) लाने का उद्देश्य अपनाया गया। हरित कान्ति का अर्थ है देश में खेती के पदार्थों के उत्पादन में बहुत बढ़ी में बढ़ि करना। यह बढ़ि कई रीतियों अपना कर करने का निश्चय दिया गया। इन रीतियों में खेतों की नयी प्रणाली अपनाना, सकर बीजों से अधिक उपज देने वाली फसलें उगाना, रासायनिक खाद तथा कौटा-मूनाशक पदार्थों का अधिक प्रयोग तथा पशु वालन एवं दुरुघ व्यवसाय को सम्प्रति करना सम्मिलित हैं।

नयी हिंपि नीति या हरित कान्ति के मुख्य तत्त्व निम्न-लिखित हैं।

(१) गहन हिंपि कार्यक्रम—नयी हिंपि नीति का अन्तर्गत पहला काम यह दिया गया कि १९६०-६१ में तीन जिले ढांट लिए गये और इन जिलों में खेती के विकास के लिए गहरे प्रयत्न आरम्भ किये गये। कुछ समय पश्चात् ही इस कार्यक्रम को दूसरे बन्ध जिनों में भी लागू कर दिया गया। १९६४-६५ में इस कार्यक्रम को देश के अनेक भागों में लागू कर दिया गया और इसका नाम बदल कर गहन हिंपि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agriculture Area Programme) रख दिया गया।

इस कार्यक्रम की दो मुख्य बातें थीं।

(i) विशिष्ट फसलें—इस कार्यक्रम का सभ्य कुछ विशेष फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गहरी खेती करने का अयोजन किया गया।

(ii) गुराने बोझ—इस कार्यक्रम के लिए पुराने ढग के बोजों से ही उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। इन बोजों पर रासायनिक खाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं था।

(२) अधिक फसल देने वाली इसमें—सरकार ने पहली दो योजनाओं के बाद में यह अनुभव कर निया है कि पुराने ढग के बोजों से गहन खेती करने का

कोई महत्व नहीं है। उत्पादन में कास्तविक बूढ़ि बरने के लिए ऐसे बीज तैयार हिए जाने चाहिए जो पहले से वहाँ गुनी फसल दें। सन् १९६० में मवडा और ज्वार, बाजरे की सकर किस्में तैयार की गयी। सन् १९६३ में सकर बीजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग आरम्भ हो गया। इन प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि सकर मवडा, सकर ज्वार तथा सकर बाजरे के अतिरिक्त गेहूँ की मैक्सिकन किस्म की बुबाई आरम्भ की गयी। घान की भी अधिक फसल देने वाली किस्में निकाली गयी।

सन् १९६६ से अधिक फसल देने वाली किस्मों का बड़े पैमाने पर प्रयोग आरम्भ कर दिया गया। १९६७-६८ तक लगभग ६० लाख हेक्टर भूमि में गुणग्री हुई किस्मों के बीज बोये जाने लगे और चतुर्थ योजना के आरम्भ में (१९६६) अधिक फसल देने वाली फसलों के बीजों का प्रयोग लगभग ६२ लाख हेक्टर भूमि में होने लगा।

पांच बस्तुएँ— ऊंची उपज देने वाली किस्मों का विकास मुख्यतः पांच फसलों में होने लगा है जिनके नाम हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, मवडा तथा ज्वार, इन पांचों में भी सबसे अधिक सफलता गेहूँ को मिली है। पुराने बीजों से गेहूँ को उत्पत्ति सिवित क्षेत्रों में प्राय २ टन प्रति हेक्टर होती थी। नयी बीजों किस्मों का गेहूँ एवं हेक्टर में ५ से ६ टन तक उत्पत्ति देता है। ज्वार, बाजरा तथा मवडा की सकर किस्में भी तीन गुनी तक उपज देने लगी हैं परन्तु चावल की उपज के परिणाम विशेष सतोष-जनन नहीं हैं क्योंकि नई किस्मों में बीड़ा लगने का भय अधिक है। इसीलिए चावल की नयी किस्मों पर अधिक अनुसधान किया जा रहा है।

चतुर्थ योजना की समाप्ति (मार्च १९७४) तक लगभग २५ करोड़ हेक्टर भूमि में उपनत विस्म की फसलों के बीज बोये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें १ करोड़ हेक्टर भूमि में चावल तथा ७७ लाख हेक्टर भूमि में गेहूँ बोने का प्रावधान है। इतनी अधिक भूमि में उपनत किस्म के बीज बोने से देश में खाद्यान्धों की दूर हो जाने की आशा रखना सर्वथा स्वाभाविक है।

(३) बहु फसल कार्यक्रम—नयी कृषि नीति में वेवल अधिक उपज प्राप्त करने का ही लक्ष्य नहीं है बल्कि वर्द्ध-वर्द्ध फसलों प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चावल, मवडा, ज्वार तथा बाजरे की शीघ्र तैयार होने वाली किस्में निकाल ली गयी हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जल्दी तैयार होने वाली फसल बो काटकर उसकी भूमि में तुरन्त दूसरी फसल बो दी जाती है। इसे फसलों की अदला-बदली (Rotation of crops) कहते हैं। फसलों की अदला-बदली के कार्यक्रम में ज्वार, रामी, तिसहन, आलू तथा सब्जियों को भी शामिल किया गया है।

बहु फसल कार्यक्रम १९६७-६८ में आरम्भ किया गया था और १९६८-६९ तक लगभग ६० लाख हेक्टर भूमि में इसका लाभ उठाया जा रहा था। सन् १९७४ तक लगभग १५ करोड़ हेक्टर भूमि में बहु फसल कार्यक्रम का प्रयोग होने लगेगा।

(iv) निजी क्षेत्र—दोप मभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए दोड दिये गये। इन उद्योगों पर सरकार के सामान्य नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी।

(३) कुटीर तथा सघु उद्योग—बीदोगिक नीति प्रस्ताव में कुटीर उद्योगों के विकास पर विदेश और दिया गया ताकि वम पूँजी द्वारा अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके।

(४) तटकर नीति—प्रस्ताव में यह कहा गया कि सरकार ऐसी तटकर नीति आनायगी जिससे भारतीय उद्योगों को विदेशी स्पष्टी से बचाया जा सके। उसका भार साधारण नामित्व (उपभोक्ता) पर भी नहीं होना चाहिए।

(५) कर नीति—प्रस्ताव में यह घोषणा की गयी कि कर भीति में ऐसे परिवर्तन दिये जायेंगे कि देश में पूँजी लगाने को प्रोत्साहित किन्तु आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण दो रोका जायेगा।

(६) अम नीति—अमिकों की मजदूरी तथा आवास सम्बन्धी समस्याओं वा समाधान वरने की घोषणा की गयी और अमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की गयी।

(७) विदेशी पूँजी—प्रस्ताव में कहा गया कि आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी को प्रोत्साहित किया जायगा जिन्हु उद्योगों पर नियन्त्रण भारतीय व्यवसायियों का हो बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा।

१६४८ की बीदोगिक नीति की आलोचना

बीदोगिक नीति प्रस्ताव का मिश्रित स्वागत किया गया। कुछ व्यक्तियों ने इसे प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद बतलाया जबकि कुछ व्यक्तियों ने इसे डिलिमिल एवं अस्पष्ट नीति की सज्जा दी। इस नीति की मुहर्य आलोचनाएं निम्नलिखित थीं।

(१) मिश्रित अर्थ व्यवस्था—इस प्रस्ताव में एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया गया था। (इसे मिश्रित इसलिए बहा जाता है कि कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में, कुछ बेवक्त सरकारी नियन्त्रण में तथा दोप निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दिये गये थे)। अनेक व्यक्ति देश में समाजवादी व्यवस्था सामा चाहते थे, उन्होंने इसे पसंद नहीं किया।

(२) पूँजी विनियोग में हानि—भारत में उस समय उद्योगों में बहुत अधिक पूँजी लगाने की आवश्यकता थी। पूँजीपतियों का यह मत था कि इस नीति से पूँजी लगाने के प्रति कोई उत्पादन नहीं होता। बास्तव में, यही पूँजी का विनियोग उत्पन्न हो गया।

(३) राष्ट्रीयकरण का भय—बीदोगिक नीति प्रस्ताव में यह कहा गया था कि सरकार दस वर्ष बाद उद्योगों दो सरकारी स्वामित्व में ले सकती है। इससे उद्योगपतियों में भय उत्पन्न हो गया और उद्योगों का विकास रुक गया।

(४) उत्पादन को महत्व—बीदोगिक नीति प्रस्ताव में उत्पादन बूढ़ि को विदेश महत्व दिया गया था जो सर्वथा उचित था। जिन्हु वितरण के सम्बन्ध में कोई

स्पष्ट नीति नहीं अपनायी गयी। वास्तव में उत्पादन के साथ-साथ वितरण की रूप-रेखा भी तयार करनी आवश्यक है।

(५) अस्पष्ट एवं असन्तोषजनक—सरकार की इस नीति पर अस्पष्टता का आरोप लगाया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, अमिको का प्रबन्ध तथा लाभ में हिस्सा आदि की बातें कर सरकार ने समाजवादी होने का दावा किया किन्तु आप कर में छूट देकर तथा बरो की चोरी को सहन कर सरकार ने पूँजीपति वर्ग को सतुष्ट करने का प्रयत्न किया। यह दोहरी नीति किसी भी दिशा में ले जाने में समर्थ नहीं थी।

एक समन्वयवादी तथा सन्तुलित नीति—ओद्योगिक नीति प्रस्ताव में जिस नीति की घोषणा की गयी वह एक प्रकार वी उदार समाजवादी व्यवस्था थी। उस समय देश में नये-नये उद्योग स्थापित करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। इन दोनों दृष्टिकोणों से इस नीति को सर्वधा उपयुक्त कहा जा सकता है। उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम १९५१

सन् १९५८ के ओद्योगिक नीति प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अबठूबर १९५१ में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसे द मई, १९५२ बोलान्हु निया गया। इस कानून में उद्योगों के पर्जीयन की व्यवस्था की गयी। देश में कोई भी नयी ओद्योगिक इकाई सरकार से लाइसेंस लिए बिना स्थापित नहीं की जा सकती थी। इस कार्य के लिए एक लाइसेंस समिति की स्थापना की गयी। उद्योगों के विवाद तथा नियमन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकर समिति भी बनायी गयी।

इस अधिनियम द्वारा सरकार को अपनी नीति पालन करने का अवसर मिल गया क्योंकि सरकार ऐसी ओद्योगिक इकाईयों को लाइसेंस देने से मना कर सकती थी जो देश के हित में नहीं हो या सरकारी नीति के अनुकूल नहीं हो।

इस अधिनियम द्वारा उद्योगों का किसी खास क्षेत्र में सकेन्द्रण भी रोका जा सकता था। इस प्रकार प्रादेशिक सन्तुलन का लक्ष्य भी पूरा करना सम्भव था। १९५६ की नयी ओद्योगिक नीति

सन् १९५८ की ओद्योगिक नीति की घोषणा होने के पश्चात् देश की आर्थिक-राजनीतिक नीतियों में अनेक परिवर्तन हो गये जिनके बारें १९५६ में नयी ओद्योगिक नीति की घोषणा की गयी।

उद्देश्य—सन् १९५६ की ओद्योगिक नीति के उद्देश्य निम्नलिखित थे

(१) आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना तथा ओद्योगिक विकास की गति तेज करना,

(२) लोक क्षेत्र का विस्तार करना,

(३) सरकारी क्षेत्र को सबल बनाने में सहायता करना,

(४) एकाधिकार तथा आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना,

(५) अयं तथा सम्पत्ति वी असमानता को बन करना ।

बास्तव में राज्यों के अवधी सत्र में समाजवादी नीति अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया था । १९५६ की ओरोगिक नीति इस प्रस्ताव को साझा करने का प्रथम मात्र था ।

ओरोगिक नीति के मुह्य तत्व—१९५६ की ओरोगिक नीति के मुह्य तत्व निम्नलिखित हैं—

(१) उद्योगों का वर्गीकरण—सारे उद्योगों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया ।

(i) अनुमूली अ—इसमें उन उद्योगों को सम्मिलित किया गया जो १९५६ की ओरोगिक नीति की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में थे । इन उद्योगों को विकसित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार पर ढाली गयी ।

(ii) अनुमूली ब^१—इस अनुमूली में १२ उद्योग सम्मिलित हैं जो धीरें-धीरे राज्य के स्वामित्व में आ जायेंगे । इनमें नयी इकाईयाँ सरकार द्वारा ही स्थापित करने की व्यवस्था की गयी ।

(iii) अन्य—धीरे उद्योगों को तीसरी श्रेणी में रखा गया और इनकी स्थापना और विकास वा काम निजी साहूम पर छोड़ा गया । सरकार भी इनमें से बोई उद्योग स्थापित कर सकती है ।

(२) कुटीर एवं उद्योग—इनको विदेष सहायता देकर विकसित करने का निर्णय किया गया ।

१ अनुमूली 'अ' में निम्नलिखित उद्योग हैं—अस्थ शस्त्र, अणु शक्ति, लोहा व इस्पात, सोहै व इस्पात वी भारी डलाई व तैयारी, भागी भारी विजली के यन्त्र, कोयला व निगनाइट, सनिज तेज, कच्चा लोहा, मैग्नीज ध्रोप, जिप्सम, गन्धक, सोना व होरों का खनन, तीवा, सीसा, जस्ता, रंगा बादि की खाने कोदाना व कच्चा माल सुधारना, अणु शक्ति उत्पादन से सम्बन्धित सनिज, हवाई जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल यातायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन एवं उसके तार, तार एवं बेतार का सामान (रेडियो रिसीविंग सेट छोड़कर) बर्क विजली वा उत्पादन एवं वितरण ।

२ अनुमूली 'ब' के उद्योग इस प्रकार हैं—छोटे सनिजों को छोड़कर 'अन्य सनिज पदार्थ', अल्पमूलिनियम एवं अलोह पातुएँ जो प्रथम सूची में नहीं हैं, मसीन-ओशार, केरोएलॉप्ट एवं टूल स्टील, रासायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, द्वाइर्पी, लाद, कृतिम रबर, कोयले वा कार्बोनाइजेशन, रासायनिक घोल, सहक यातायात एवं समुद्री यातायात ।

(३) क्षेत्रीय सम्पुलन—पिछड़े हुए क्षेत्रों में परिवहन तथा विजली की सुविधाओं का विस्तार करो की व्यवस्था की गयी ताकि उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तेजी से किया जा सके।

(४) अम नीति—देश के उद्योगों में शान्ति का बातावरण बनाये रखने के लिए अम कानूनों में आवश्यक सुधार वी व्यवस्था वी गयी तथा श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में भाग देने का निर्णय दिया गया।

(५) तकनीकी शिक्षा—उद्योगों से सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा वी व्यवस्था बरने का निर्णय दिया गया।

(६) निजी क्षेत्र को सहायता—सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने का बचन दिया गया।

दोनों प्रस्तावों (१६४८ तथा १६५६) में अन्तर—औद्योगिक नीति सम्बन्धी दोनों प्रस्तावों में निम्नलिखित अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं

(१) लोक देश का विस्तार—सन् १६४८ के प्रस्ताव में उद्योगों को चार वर्गों में विभाजित किया था जबकि १६५६ के प्रस्ताव में उन्हें तीन ही वर्गों में बांटा गया। नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ा कर उसमें उद्योगों की सरया पहने से अधिक कर दी गयी।

१६४८ की नीति वे अनुसार केवल तीन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार था और ६ उद्योग ऐसे थे जिनमें नयी इकाइयों की स्थापना सरकार ही कर सकती थी। इसके अनिरिक्त १८ उद्योगों का सरकार द्वारा नियमन तथा नियन्त्रण होना था शेष उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गये थे। परन्तु सन् १६५६ की नीति के अनुसार इसी भी उद्योग की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है तथा १७ आधारभूत उद्योगों का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है।

(२) राष्ट्रीयकरण—सन् १६४८ की नीति में यह कहा गया था कि द्वितीय श्रेणी के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर १० वर्ष पश्चात् पुनर्विचार होगा परन्तु सन् १६५६ की नीति में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बोई व्यवस्था नहीं दी गयी है, बल्कि एक प्रकार का आश्वासन दिया गया कि प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं विया जायेगा। इस प्रकार दूसरी औद्योगिक नीति में निजी उद्योगों को राज्य द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

(३) निजी क्षेत्र—एक प्रकार से निजी क्षेत्र का भी नयी नीति में विस्तार किया गया। तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत चले आ रहे निजी उद्योग का विकास सार्वजनिक उद्योगों के साथ-साथ होता रहेगा, परन्तु वह राज्य के नियन्त्रण में रहेगे जिससे वि जनहित भी रक्षा हो सके।

(४) सहकारी क्षेत्र—सन् १६४८ की औद्योगिक नीति में सहकारी क्षेत्र पर

जोर नहीं दिया गया था, जबकि १९५६ की नीति के अनुसार निजी क्षेत्र का विस्तार जहाँ तक सम्भव होगा, सहकारी रूप में करने की व्यवस्था की गयी है।

(५) शिशिर विभाजन—सन् १९४८ की नीति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण कठोर ढंग से दिया गया था परन्तु सन् १९५६ की नीति में उद्योगों का वर्गीकरण नियित है। योजना समय देश की आवश्यकताओं के अनुसार इसी भी उद्योग की स्थापना किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है।

सन् १९५६ की नीति की समालोचना

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते हैं। इस नीति की विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं।

(१) ऊपरी तौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी क्षेत्र के प्रति अधिक उदार है परन्तु वस्तुतः इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न दिया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की घमकी परोक्ष रूप में विद्यमान है।

(२) सोच—ओद्योगिक नीति के प्रस्ताव में लोच (flexibility) पर जोर दिया गया परन्तु इसका प्रयोग 'सावंजनिक लोच' के लिए किया जायेगा वयोंकि सरकार इसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार 'अनुमत्ती ब' के उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का स्थान गोल रेणा और तृतीय थेनी के उद्योगों में भी सरकार का दखल रहेगा।

(३) सहकारी क्षेत्र के विस्तार की जो बात प्रस्ताव में वही गयी है वह भी आमत है। वस्तुतः सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य करेगा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों वा स्थान सर्वेत गोल रहेगा। इस प्रकार भारत में सहकारिता के नाम पर राजनीकीय पूँजीवाद (State Capitalism) को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है।

(४) ओद्योगीकरण के दृश्य पर सरकार ने सिद्धान्तों का ही प्यान रखा है, व्यावहारिकता पर व्यान नहीं दिया है। निजी क्षेत्र के महत्व में वो कमों भी गयो, वह अवास्थनीय थो। प्रथम योजना-वाल में निजी क्षेत्र की सफलता को देखते हुए उसे प्रमुख स्थान प्रदान करना चाहिए था।

(५) विदेशी पूँजी के प्रियते के प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। यदि इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया गया होता तो विदेशी पूँजीपति निश्चक होकर भारत में अधिक पूँजी विनियोजन कर सकते थे।

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है

उपर्युक्त आलोचनाएँ यहुत कुछ एक-पक्षीय हैं। वास्तव में, वर्तमान औद्योगिक

नीति देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से हो सकता है :

(१) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास—नयी औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा बहुत बड़े-बड़े तथा कुछ सार्वजनिक हित के उद्योग लेने की धोषणा की गयी है। सरकार द्वारा रेल के इजन, दवाई, खाद, रसायन, तेल आदि भारी पूँजी वाले उद्योगों के अतिरिक्त बुद्धि उपभोक्ता समान उत्पन्न करने की इकाइयाँ (सीमेण्ट, चीनी आदि) भी स्थापित की गयी हैं। इससे निजी साहस को ऐसी प्रकार कम करने का उद्देश्य नहीं है बल्कि उसके लिए यह अवसर है कि वह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से अधिक कार्यक्षमता प्रदर्शित कर अपने योगदान का अधिकाधिक महत्व प्रमाणित करें।

योजना काल में भारत की सम्पूर्ण उत्पादक सम्पदा में लोक क्षेत्र का भाग जो १५ प्रतिशत से बढ़कर ३५% हो गया है। अनेक असफलताओं के होने पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश में इजोनियरिंग, औपच, रसायन, खाद तथा इसपात उद्योगों का विकास हुआ है।

(२) निजी उद्योगों पर नियन्त्रण—विकासशील देशों में प्रायः योजनाबद्ध विकास करना होता है और इस कार्य के लिए एक और तो प्रायमिकताएँ निश्चित करनी पड़ती हैं, दूसरी और सभी उद्योगों का विकास उचित दिशाओं में हो रहा है यह ध्यान रखना पड़ता है। इस दृष्टि से भारत में निजी होने के उद्योगों पर नियन्त्रण की जो व्यवस्था की गयी है वह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। इस कार्य के औचित्य का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि यत वर्षों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई बकुशल एवं बन्द फैक्ट्रियों और मिलों का प्रबन्ध सम्भालकर उन्हें चालू किया गया है। नये उद्योगों के लिए लाइसेंस तथा पूँजी विनियोग के लिए पूर्व अनुमति का उद्देश्य यही है कि देश में पहले वही उद्योग विकसित हों जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में पर्याप्त सन्तुलन बना रहे। इन सभी दृष्टिकोणों से नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा सब क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना तथा नये-पुराने सभी उद्योगों के विकास का नियमन एवं नियन्त्रण करना सर्वथा न्यायप्रसंगत है।

(३) एकाधिकार का नियन्त्रण—प्रो० जे० पी० ल्यूइस ने अपनी पुस्तक *Quiet Crisis in India* में यह मत प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ बहुत प्रबल हैं। इस मत की पुष्टि राष्ट्रीय आय सकेन्द्रण समिति ने भी की है। इस दृष्टि से मारतीय औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि औद्योगिक साम्राज्य (Industrial Empire) का अन्त हो सके। १९५६ का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव को भावना को सही रूप में वार्यान्वित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में औद्योगिक

विकास के लिए नये-नये उद्योगपत्रियों को लाइसेंस देने से ओद्योगिक एकाधिकार का अनुरूप बरने में सहायता मिल सकेगी। चीनी, सौमेष्ट तथा दियामला ई उद्योगों में इस एकाधिकार के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। यह आयन्त्र सन्तोषजनक स्थिति है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्पर्प निष्कलना है कि नयी ओद्योगिक नीति में एक और तो सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक विकसित करने का प्रावधान है, दूसरी ओर निजी क्षेत्र को विकेन्द्रित रूप में विस्तृत करने की व्यवस्था है। अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सामर्जस्य एवं सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश के ओद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में एक और तो होड़ लग गयी है, दूसरी ओर उनमें सहयोग वा वातावरण बन गया है। तीसरे सहकारी क्षेत्र द्वारा भी ओद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उदाहरण के तौर पर, देश के शक्ति (चीनी) उत्पादन वा लगभग तृतीयां सहकारी चीनी फैब्रिरियों द्वारा किया जाता है। अत भारत में समाजवादी समाज की स्थापना बरने के लिए नयी ओद्योगिक नीति के अनुसार ओद्योगिक विकास करना सर्वपा श्रेष्ठस्कर होगा।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ [RECENT TRENDS]

गत वर्षों में निरन्तर यह अनुभव किया गया है कि भारत में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रणाली दोपश्चात्त है और लाइसेंस व्यवस्था के कारण पक्षपात्र और अध्याकार को प्रोत्साहन मिलता है। ३० आर० के० हजारी की रिपोर्ट से विडला सस्वाओं को अत्यधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकाश में आय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ओद्योगिक विकास की गति तोड़ बरने के लिए ओद्योगिक नीति में कुछ उदारता लाने की आवश्यकता है। इन बातों को व्यान में रखकर ही गत वर्षों में ओद्योगिक नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं।

(१) लाइसेंस की छूट—ओद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अन्तर्गत ६२ उद्योगों को बिना लाइसेंस लिए नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों का विस्तार करने वी छूट दी गयी है। इन उद्योगों में सौमेष्ट, लुम्डी, बागज, अखदारी बागज आदि बनाने सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त दृष्टि से मध्यन्तिक बहुत से आवश्यक उद्योग जैसे बिजली से चलने वाले पम्प, पानी डिड्डने के यन्त्र, मिश्रित रासायनिक खाद और मशीनी इंजन बनाने के उद्योग सम्प्रिलित हैं। इन उद्योगों को लाइसेंस से छूट देने का एक उद्देश्य देश के नियन्त्र में बढ़ि बरना है।

(२) निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन—इनीतियरिंग उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से १९६५ में ही कुछ छूट दी गयी थी जिसे जनवर १९६६ से अन्य कुछ उद्योगों के लिए भी दे दिया गया है। इस छूट के अन्तर्गत उन उद्योगों

को जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए नयी मशीनें लगाना आवश्यक नहीं है और जिनसे प्राप्त नवीन उत्पादन कुल उत्पत्ति के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है, उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है।

जिन उद्योगों द्वारा विदेशी निर्यात के लिए माल निर्माण किया जाता है वह नवीन प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा का साम उठा सकते हैं।

(३) उत्पादन वृद्धि—अब दूबर १९६६ में यह घोषणा की गयी थी कि औद्योगिक वर्षनियाँ दिना लाइसेंस लिए बुद्ध शर्तों पर लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से २५ प्रतिशत तक अधिक उत्पादन कर सकती हैं। इस सुविधा का उद्देश्य वर्तमान औद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव बनाना है।

(४) कल पुर्जों का आयात—जून १९६६ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन बरने के पश्चात् भारत सरकार ने ५६ उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर मशीनों के हिस्से, बच्चा माल तथा फालत् पुर्जों के आयात लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस सुविधा से जिन औद्योगिक इकाइयों को मशीनों के पुर्जे नहीं होने से उत्पादन कम या बन्द बर देना पड़ा था उन्हें उत्पादन वृद्धि में सहायता मिलने लगी है। इससे दूसरा साम यह हुआ कि इन उद्योगों को अपने पास विदेशी कल पुर्जों का बहुत स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा अतः उनकी पूँजी व्यर्थ पड़ी नहीं रह सकेगी।

(५) पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता—१५ जुलाई, १९७१ से अविकसित क्षेत्रों (काश्मीर, असम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेपाल) में स्थापित किये जाने वाली नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए बच्चे तथा निर्मित माल पर ५० प्रतिशत परिवहन सहायता दी जायगी अर्थात् इनको परिवहन खर्च का बैंकल आधा भाग बुकाना पड़ेगा, आधा व्यय सरकार देगी। इससे इन क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने की सम्भावनाएँ बढ़ गयी हैं।

(६) लाइसेंस की सीमा—१५ जुलाई, १९७१ से ही जिन उद्योगों में १ करोड़ रुपये तक की पूँजी लगानी हो तथा १० प्रतिशत भाग तक विदेशी माल मौगाना पड़े, उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने वी आवश्यकता नहीं है। इससे भी नयी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित बरने की प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की सुविधाएँ

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में औद्योगिक विवास के लिए अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं। उनमें मुख्य सुविधाएँ निम्नलिखित हैं।

(१) सत्ती मूर्मि—प्राय सभी राज्यों में नये उद्योगों के लिए मूर्मि खण्ड अलग रखे गये हैं जो उद्योगपतियों को ६६ वर्ष के पट्टे पर दिये गये हैं। इन पट्टों को आगे नये बरने की व्यवस्था भी की गयी है। यह मूर्मि बहुत ही रियायती मूल्यों पर

देने वी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार सभी राज्यों में ओरोगिक धोत्रों का अलग से विदाइ हो गया है।

(२) सड़क, विजली, पानी—जिन धोत्रों को ओरोगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है उनमें सड़क, विजली तथा पानी की सुविधाएँ मरकार देनी हैं। यदि उम्हेत्र की मिलाने वाली सड़क नहीं है तो सरकार द्वारा सड़कें बनवा दी जाती हैं। इसी प्रकार विजली की लाइनें डलवा दी जाती हैं तथा पानी की पूर्ति के लिए ट्यूब वेल या पाइप लाइन का प्रबन्ध बर दिया जाता है।

(३) सस्ती विजली और पानी—ओरोगिक धोत्रों में विजली और पानी की सुविधा तो प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है बिन्दु इतना ही पर्याप्त नहीं है। प्रायः सभी राज्यों में नये उद्योगों को कुछ वर्षों के लिए विजली तथा पानी सस्ती दरों पर दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में नये उद्योगों के लिए लगभग इस वर्ष तक विजली की दरों में १० से २५ प्रतिशत तक की रियायत देने की व्यवस्था की गयी है। उद्योगों को जल भी रियायती दरों पर दिया जाता है।

(४) करों से रियायत—प्रायः सभी राज्यों में नये उद्योगों को करा में छूट दी गयी है। यह छूट मुख्यतः निम्नलिखित करों से मानवन्धित है।

(i) चुम्ही—नये उद्योगों में बाम आने वाले सभी प्रकार के सामान—मशीनें, भवन निर्माण तथा कच्चा माल आदि—पर चुम्ही में छूट दी जाती है। यह छूट प्रायः सात से दस वर्ष के वास्ते दी जाती है ताकि इस अवधि में उद्योग अपने पैरों पर बढ़ा हो सके।

(ii) विक्री कर—अनेक राज्यों में वस्त्र, शोशा, सीमेण्ट, इजोलियरी, चीनी, तथा स्लिज सम्बन्धी उद्योगों द्वारा स्वीकृत जाने वाले माल पर वेवल साकेतिक (बहुत कम) विक्री बर देना पड़ता है। मुख्य राज्यों में नये उद्योगों को विक्री कर से सर्वथा मुक्त कर दिया गया है।

(iii) विजली बर—प्रायः सभी राज्यों में विजली के उपभोग पर एक बर और देना पड़ता है। बहुत से राज्यों में उद्योगों को इस बर से मुक्त बर दिया गया है।

(५) माल की विक्री—नये उद्योगों के लिए एक समस्या यह रहती है कि उनको माल वेचने में दिक्षित रहती है। आरम्भ में नये उद्योगों में उत्पादन की साधत भी अधिक रहती है अत वह पुराने उद्योगों से स्पर्दा नहीं कर सकते। इस अठिनाई से मुट्ठवारा दिलाने के लिए अनेक राज्य सरकारें अपने धोत्रों में उत्पन्न माल को घोड़े से अधिक मूल्य (३ प्रतिशत से १५ प्रतिशत अधिक) पर घरीद सेती हैं। राज्यों में स्थापित संस्थाओं ने भी अपने धोत्र के उद्योगों को इस प्रकार बा सरकार प्रदान किया है।

(६) ओरोगिक सम्पदाएँ—प्रायः सभी राज्यों में सरकार द्वारा ओरोगिक सम्पदाएँ रखायी गयी हैं। इन सम्पदाओं में सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए

भवन बनाकर दिये हैं जिनमें विजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। इन भवनों को बहुत ही सस्ते भाड़े पर उद्योगपतियों को दिया गया है। कुछ बाद यह भवन विरायेदारों की सम्पत्ति बन जायेगे।

(७) कच्चा माल—ओद्योगिक सम्पदाओं में कार्यशील उद्योगों के लिए सरकार द्वारा सस्ती दर पर कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है। इन इकाइयों के अतिरिक्त अन्य छोटी इकाइयों को भी सस्ती दर पर कच्चा माल देने का प्रबन्ध किया जाता है। इस कार्य के लिए प्राय सभी राज्यों में लघु उद्योग निगम बनाये गये हैं।

(८) मशीनों की व्यवस्था—राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों के लिए विदेशों से मशीनें खरीद कर देने की व्यवस्था की जाती है। इन मशीनों का मूल्य बहुत ही सुविधाजनक रूपों पर चुकाने का प्रबन्ध किया जाता है ताकि लघु इकाइयों का असुविधा न हो।

(९) पदार्थों की परीक्षण सुविधा—इई राज्यों में सरकारा द्वारा सुव्यवस्थित प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। इन प्रयोगशालाओं में जनतुनाशक पदार्थों, खाद, रसलेप, तेल, साबुन, खली, खनिज तथा कच्चे धातु, रसायन, जल आदि का परीक्षण किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि यह वस्तुएं उद्योगों के लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। इन प्रयोगशालाओं में उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर शोध कार्य किया जाता है और उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जाती है।

(१०) तकनीकी प्रशिक्षण—भारत के प्राय सभी भागों में इंजीनियरी, चमड़ा तकनीक तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा देने के लिए अनेक कॉलेज, पोलीटेक्निक संस्थान तथा प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गयी हैं। इस तकनीकी प्रशिक्षण से उद्योगों के विकास में बहुत सहायता मिली है।

(११) आर्थिक सूचना सेवा—प्रत्येक राज्य में भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute) स्थापित किये गये हैं। इन संस्थानों द्वारा उद्योग स्थापित करने के इच्छुक राहियों को सलाह दी जाती है कि विस क्षेत्र में कौन से उद्योग सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की ओद्योगिक सम्भावनाओं सम्बन्धी संक्षेपण किये गये हैं जिनके परिणाम उद्योगपतियों को उपलब्ध किये जा सकते हैं ताकि वह नये उद्योग सरलतापूर्वक स्थापित कर सकें। इन संस्थानों द्वारा तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

प्रत्येक राज्य में ओद्योगिक निदेशालय भी हैं जो समय-समय पर बुलेटिन प्रकाशित करते हैं जिनमें उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में सूचना प्रकाशित की जाती है। इस सूचना से भी उद्योगपतियों को नये उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलती है।

(१२) निर्यात सबद्धन—राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल का प्रचार करने के लिए प्रदर्शनियाँ लगायी जाती हैं विदेशी प्रदर्शनियों में भाग सेने के लिए सहायता दी जाती है तभा विदेशी अमण्डलियों के लिए विभिन्न प्रकार की मुद्रियाएँ दो जाती हैं।

जो उद्योगपति निर्यात सबद्धन परिपदों के सदस्य बनना चाहते हैं थपवा निर्यात गारन्टी साल निगम से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकारों द्वारा सहायता एवं सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया जाता है। इससे उद्योगों का माल विदेशी में बेचने में सहायता की जाती है।

(१३) आर्थिक सहायता—भारत में १८४८ के बाद अनेक सस्थानों की स्थापना की गयी है जो उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता करते हैं। इन सस्थानों में मुख्य निम्नलिखित हैं :

(i) औद्योगिक वित्त निगम—इसकी स्थापना १८४८ में की गयी। यह बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। इस सस्था की पूरी पूँजी औद्योगिक विकास बैंक द्वारा खरीद ली गयी है। यह निगम उद्योगों के लिए रकम का अभियोगन करता है तथा छूटों की गारन्टी भी करता है।

(ii) औद्योगिक विकास बैंक—इसकी स्थापना १८६४ में की गयी। इसका प्रबन्ध तथा पूँजी रिजर्व बैंक के अधीन है। यह बैंक उद्योगों को ऋण देता है, निर्यात विलों को कटौती करता है तथा व्यापारिक बैंकों को उद्योगों की सहायता के लिए मदद करता है। यह मुख्यतः भारी और बहुत बड़े उद्योगों की आर्थिक सहायता करता है।

(iii) राज्य वित्त निगम—उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक-एक वित्त निगम बनाया गया है जो मध्यम तथा बड़े आकार के उद्योगों को ऋण देते हैं। यह निगम अपने-अपने राज्य के उद्योगों के विकास में बहुत सहायक हुए हैं।

(iv) राज्य सरकार—प्रत्येक राज्य में सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान देती है। वह ऋण प्राप्त ५-६ बर्षों के बास्ते दिये जाते हैं। इनका वितरण उद्योगों के लिए राज्यीय सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Act) के अन्तर्गत किया जाता है।

(v) व्यापारिक बैंक—भारत के सभी व्यापारिक बैंक बड़े तथा दौटे दोनों प्रकार के उद्योगों को अल्पाकालीन ऋण देते हैं। लघु उद्योगों को ता दस बर्ष तक के ऋण दिये जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये गये छूटों की मात्र गारन्टी समझन (जो रिजर्व बैंक में स्थापित किया गया है) गारन्टी करता है।

इस प्रकार भारत में स्थापित होने वाले सब प्रकार के उद्योगों द्वारा आर्थिक सहायता देने के लिए अनेक सस्थानों का न कर रही है।

(१४) औद्योगिक विकास निगम-प्राय प्रत्येक राज्य में उद्योगों को सज्जनीवी,

प्रबन्ध व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सहायता तथा सलाह के लिए ओदोगिक विकास निगम स्थापित किये गये हैं। यह निगम नये साहसियों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरणा देते हैं।

(१५) विकास छूट—भारतीय आय वर अधिनियम में नये उद्योगों के लिए पांच वर्ष तक आय कर की छूट दी जाती रही है। यह छूट ३१ मई, १९७४ के पश्चात संगर्णे गये उद्योगों को नहीं मिल सकेगी।

अभ्यास प्रश्न

१. वर्तमान युग में ओदोगिक विकास का क्या महत्व है? भारत में ओदोगिक विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की क्यों आवश्यकता है?
२. भारत सरकार की ओदोगिक नीति के मूल तत्वों का विवेचन कीजिए।
३. भारत सरकार की १९४८ तथा १९५६ में घोषित ओदोगिक नीतियों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
४. भारत की १९५६ की ओदोगिक नीति की आलोचना कीजिए।
५. भारत की ओदोगिक नीति की आधुनिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
६. भारत में उद्योगों के विकास के लिए राज्य ने क्या-क्या सुविधाएँ दी हैं? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
७. भारत में उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्वान् अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत सरकार की ओरोगिक नीति में बुद्ध उद्योग पूरी तरह सरकारी क्षेत्र के लिए मुरक्कित किये गये हैं, कृष्ण उद्योगों को सरकारी नियन्त्रण में रखने की व्यवस्था की गयी है तथा कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए निश्चित कर दिया गया है। इस नीति पर निरन्तर समाजवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अत भारत में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या और उनमें संगायी गयी पूँजी की मात्रा में तेजी से बढ़ि हो रही है। सरकारी क्षेत्र ५० हो लोक क्षेत्र बहा जाता है।

लोक क्षेत्र के उद्देश्य—लोक क्षेत्र में बढ़ि का मुख्य उद्देश्य भारत में समाज-वादी समाज की स्थापना करना है। इसके उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट हप में निम्न प्रबार बताया जा सकता है।

(१) तीव्र गति से आधिक विकास—ओरोगिक ढाँचे में जो महत्वपूर्ण दरारें हैं उन्हें पाठ वर आधिक विकास की गति को तेज बरना लोक क्षेत्र का पहला उद्देश्य है। यह दरारे मुख्य हप में आधारभूत उद्योगों (इस्पात, बोयला, भारी इंजीनियरी, भारी रसायन आदि) में रही हैं जिनके विकास में निजी क्षेत्र ने कोई रुचि प्रकट नहीं की।

(२) बुनियादी साम-साझा की व्यवस्था—उद्योगों के विकास के लिए सहकरों का विकास, पानी तथा विजली की पर्याप्त सुविधाएँ तथा सिचाई कार्य की पर्याप्त व्यवस्था बरना आवश्यक होता है। यह बुनियादी आवश्यकताएँ हैं जिनका भारत में अमाव रहा है।

(३) सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक क्षेत्रों का विकास—तीसरा उद्देश्य उन उद्योगों का विकास बरना है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा विनियोगी क्षेत्र में रहने देने से देश की सुरक्षा नीति में गड़बड़ हो सकती है। बायुयान,

जलयान, टेलीफोन तथा विजली के महत्वपूर्ण सम्बन्धों का उत्पादन इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है।

(४) सन्तुलित प्रादेशिक विकास—देश के औद्योगिक विकास को ऐसा मोड़ देना कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित होने वा अधिक अवसर मिल सके। इसके लिए देश में प्राकृतिक साधनों की उचित खोज तथा लेखा-न्योखा भी करना आवश्यक है।

(५) आर्थिक विषयमता कम करना—लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य आय सम्बन्धी विषयमताएँ दूर करना है ताकि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति में उचित सन्तुलन उत्पन्न हो सके। आय सम्बन्धी विषयमताएँ कम बरतने के लिए लोक क्षेत्र अपने कर्मचारियों के बेतन का ढाँचा अधिक समाजवादी बना सकता है जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। सामान्य रूप में, लोक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की आय में कम अन्तर होता है। निजी क्षेत्र में यह अन्तर अत्यधिक होता है।

(६) आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण रोकना—लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य यह है कि आर्थिक सत्ता कुछ इने मिने व्यक्तियों के हाथों में सर्वेन्द्रित नहीं हो जानी चाहिए। यदि निजी क्षेत्र में उद्योगों वो सीमित कर दिया जाय तो यह सकेन्द्रण नहीं हो सकेगा।

(७) अधिक सर्वेदनशील क्षेत्रों पर नियन्त्रण—लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य यह है कि जिन क्षेत्रों में मूल्यों के उत्तर-चढ़ाव जल्दी-जल्दी होने की आशका हो उन क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में लाना चाहिए। कृषि पदार्थों का व्यापार इसका एक उदाहरण है।

(८) वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण—देश के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को कृषि पूँजी उचित ढंग से वित्तरित होनी चाहिए। यह वाम वित्त नियमों पर सामाजिक नियन्त्रण या राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार लोक क्षेत्र का उद्देश्य आर्थिक साधनों के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना भी है।

(९) तकनीकी जानकारी में आत्मनिर्भरता—लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य देश में आवश्यक तकनीकी जानकारी का विकास बरता है ताकि नये उद्योगों के डिजाइन तैयार कर मशीनों का निर्माण किया जा सके। इससे मशीनों के बारे में देश को आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी।

(१०) रोजगार के अवसर उत्पन्न करना—लोक क्षेत्र द्वारा उद्योग, परिवहन तथा सचार आदि क्षेत्रों में जितनी पूँजी लगायी जायगी उतने ही रोजगार के अवसरों में बृद्धि होगी। एक समाजवादी व्यवस्था भी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य लोक क्षेत्र ही अधिक खूबी से कर सकता है।

(११) निर्याती में वृद्धि—लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य निर्याती में वृद्धि वर्तिदेशी मुद्रा कमाना है ताकि भुगतान सन्तुलन पर दबाव कम किया जा सके।

सभी उद्देश्य समाजवाद को स्थापना से सम्बन्धित हैं।

यह सब उद्देश्य ऐसे हैं जो देश में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनमें पीछे देश में एक नया जागरण उत्सर्ज करने की भावना है जो अपेक्षी राज्य में सो गयी थी। लोक लेन्ड असम्य जनों के सहयोग से एक आत्मनिर्भर तथा त्रियांशील अधनन्दन की स्थापना करने का अत लेन्डर चलता है। इस दृष्टि से लोक लेन्ड के सामने अधिक से अधिक व्यक्तियों के हित के लिए अधिक से अधिक परिवर्तन द्वारा अधिक से अधिक उत्पत्ति प्राप्त करना तथा देश में ममृद्धि तथा सम्प्रता वा ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें किसी वा जो पर न हो।

लोक लेन्ड वा संगठन

भारत में लोक लेन्ड के उद्योगों को तीन बगों में रखा गया है।

(१) विभागीय सम्यान (Departmental Undertakings)—इस बगं में वह मस्तान ममिलित हैं जिनका प्रबन्ध भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय द्वारा होता है। इसमें रेल, टाक-तार, चिनरजन वा इनन वारकाना, पेराम्बूर वा रेल के द्वितीय बनाने वा कारखाना आदि ममिलित हैं। इस प्रकार इन मस्तानों वा प्रबन्ध प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की देश रेख में होता है। यह अनिवारी प्राप्त अपने ही कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं अत इन बीदीगिरि सम्यानों की ममुचित देश रेख होना सम्भव नहीं है।

(२) स्वतन्त्र निगम (Corporations)—बहुत से सरकारी उद्योग ऐसे हैं जिनके संचालन के लिए अलग निगम बना दिये गये हैं। यह निगम सम्बन्धित बीदीगिरि द्वारायों की व्यवस्था करते हैं परन्तु वह किसी न इसी मन्त्रालय के अधीन हैं और इनकी नीति तथा प्रगति पर मसद का नियन्त्रण रहता है। इस प्रकार जे निगमों में जीवन बीमा निगम, दामोदर घाटो निगम, राष्ट्रीय कोयना विकास निगम आदि के नाम लिए जा सकते हैं।

इन निगमों के अध्यक्ष पद पर प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (I A S) के अधिकारियों वो नियुक्त जिया गया है। जिनको उद्योग या व्यापार का कोई अनुभव नहीं होता। यह व्यक्ति नीति राहीं की परम्पराओं में फलते हैं। अत प्रत्यक्ष नियंत्रण में देख होती है, व्यर्थ को बीपचारिकता में बहुत समय लट्ठ होता है और प्रबन्ध ए दौवा तिलिल बना रहता है। इसीलिए इनमें से बहुत से निगमों को निरन्तर हानि होती रहती है।

(३) विज्ञो कम्पनियाँ (Private Companies)—बहुत से उद्योगों का संचालन करने के लिए सरकार ने भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियोगी व्यवसियों रद्दिस्टर द्वारा योगी है। हिन्दुस्तान स्टोल, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, भारत इंसिट्रुमेंट्स, हीमो इंसिट्रुमेंट्स आदि वारकाने इस ग्रेडों के कुछ उदाहरण हैं।

प्रबन्ध घटवस्था—लोक क्षेत्र के उद्योगों की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि इनका प्रबन्ध बदनाम नौकरशाही के हाथ में है जिन्हें न तो औद्योगिक क्षेत्र का अनुभव है, न समाजवाद में विश्वास है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जिसकारण लोक क्षेत्रीय उद्योग हानि उठा रहे हैं। अतः सरकार को इन उद्योगों की प्रबन्ध घटवस्था के लिए उचित योग्यता वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

लोक क्षेत्रीय उपकरणों का विकास

केन्द्रीय सरकार १९५१ से ही कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में पूँजी लगा रही है। यह पूँजी लगाने का मुख्य उद्देश्य भारत में विकास का बुनियादी ढाँचा मजबूत कर अर्थतन्त्र को आत्मनिर्भर तथा श्रियाशील बनाना रहा है।

लोक क्षेत्र द्वारा पूँजी विनियोग

(करोड़ रुपये में)

	इकाइयों की संख्या	कुल पूँजी
(i) १ अगस्त, १९५१	५	२६
(ii) १ अप्रैल, १९५६	२१	८१
(iii) १ अप्रैल, १९६१	४८	६५३
(iv) ३१ मार्च, १९६६	७४	२,४१५
(v) ३१ मार्च, १९७०	६१	४,३०१

इससे स्पष्ट है कि योजना के आरम्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कुल २६ करोड़ रुपये की पूँजी विनियोग की हुई थी जिसकी रकम १९७० में बढ़कर ४,३०१ करोड़ रुपये हो गयी।

उल्लेखनीय तत्त्व—लोक क्षेत्र में पूँजी विनियोग की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) तीव्र गति से वृद्धि—लोक क्षेत्र में पूँजी की रकम में बहुत तेजी से वृद्धि की गयी है। यह वृद्धि मुख्यतः दूसरी और तीसरी योजना के दस वर्षों में हुई है जबकि कुल विनियोगों की रकम ८१ करोड़ रुपये से बढ़कर २,४१५ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दस वर्षों में देश की आर्थिक घटवस्था को एक शक्तिशाली आधार देने का प्रयत्न किया गया और लोहा इस्पात, मशीनें, खाद, तेल, बोयला, वायुपान आदि बुनियादी उद्योगों में इस बाल में ही पूँजी लगायी गयी।

(२) अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा—लोक क्षेत्र के उद्योगों में जो पूँजी लगी हुई है उसका अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है। इसका

(४) हृषि अनुसन्धान—हृषि की नयी नीति में नये तत्त्वों को बहुत महत्व दिया गया है। पसलों को जिस समय, जिस तरह बोना तथा कब-जब शाद, पानी आदि देना अधिक उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हृषि प्रणालियों में अनुसन्धान की बहुत आवश्यकता है। अब १९६५ में भारतीय हृषि अनुसन्धान परिषद् को किर से समिति बनाया गया। भारत में जो अनुसन्धान संस्थान कायंशील थे उन्हें इस परिषद् के अधीन बर कर दिया गया। बन्दमान में इस परिषद् के अधीन २५ खोप संस्थान बाम कर रहे हैं।

हृषि अनुसन्धान की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदल यह उठाया गया कि देश में हृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। जिनमें रोटी की नयी तर-नीक, नये बीज, शाद आदि के विषय में अत्यन्त लाभदायक अनुसन्धान हुए हैं। इस सम्बन्ध में प्रजाव में सुधियाना हृषि विश्वविद्यालय ने अनेक उप्रक्रमों के बीज निकाले हैं तथा हृषि प्रणालियों में मुख्यार के उपायों की सूची भी है।

हृषि अनुसन्धान परिषद् बंदमान में ३८ परियोजनाओं पर बाम कर रही है जिनके परिणामों से हृषि क्षेत्र में अधिक वानिक आने की सम्भावना है।

(५) हृषि पहाड़—हेठों दी गयी हुई प्रणालियों का विवार करने के लिए अनेक पहाड़ों (सापड़ों) की आवश्यकता होनी है जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(i) रासायनिक शाद, (ii) मुख्य हुए बीज, (iii) भौजार कषा मशीनें; (iv) सिचाई मुक्खियाएं तथा (v) हृषि साध।

इनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए विशेष मस्थानों तथा उत्तरादेश एजेंसियों की आवश्यकता भी जिनकी व्यवस्था गरजार ने की है। इनका महिला व्यौतरा नीति दिया जा रहा है।

रासायनिक शाद—विवेपड़ों का अनुमान है कि भूमि में रासायनिक शाद देने से उपज को तीन से चार गुना बढ़ाया जा सकता है। इसी दृष्टि से सिन्धी, नागर, दौल्हे तथा आल्हे में शाद बनाने को सरतारी पैकरियां स्थापित की गयी हैं। १९६८-६९ में इन पैकरियों से उत्पत्त तथा विवेपड़ों से मगाये हुए शाद की कुल संपत्ति संग्रहण १६ लाख टन थी। १९७४ में रासायनिक शाद की संपत्ति वा तथ्य ४५ लाख टन रखा गया है।

भूमि-वरीदण—रासायनिक शाद का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग तभी सफल हो सकता है जबकि भूमि के उचित परोक्षण की व्यवस्था हो। यदि भूमि-वरीदण बिना शाद के दी जाय तो पर्याप्त के सर्वेषां नष्ट होने का भी मरण रहता है क्योंकि शाद प्रयोग भूमि के लिए समान रूप से मुश्किल नहीं होता। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में ६५ भूमि-वरीदण सम्बन्धी प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं जो प्रति वर्ष संग्रहण ११ लाख नमूनों का परोक्षण कर अपनी राष्ट्र देने की क्षमता इसकी है। अभी तक इग गुडिया का पूरा सामन नहीं उठाया जा रहा है।

चतुर्थ योजना काल में शहरी गढ़गी को कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिए भारी लगायी जायेगी। उस खाद का हृषि विकास में लाभदायक प्रयोग किया जा सकेगा।

बीज—सुधरे हुए बीजों की उपज करने के लिए १६६३ में राष्ट्रीय बीज निगम वा स्थापना की गयी थी। बीज निगम सुधरी हुई प्रारम्भिक किस्म उत्पन्न कर अन्य उत्पादकों को बाट देता है। चतुर्थ योजना काल में लगभग १५० हेक्टर भूमि में प्रारम्भिक बीज उत्पन्न करने की योजना है।

बीज उत्पन्न करने के लिए प्रथम योजना काल में ही सरकारी भूमि खण्डों को निर्धारित किया गया था। चतुर्थ योजना काल में तराई बीज विकास परियोजना पूरी तरह वा सक्षम है। इस योजना में १६००० हेक्टर भूमि में प्रति वर्ष लगभग ५६००० टन उत्पन्न किस्म का बीज उत्पन्न किया जायगा। यह परियोजना १६७३ में पूरी हो जायगी।

चतुर्थ योजना में लगभग ७ करोड हेक्टर भूमि में सुधरे हुए बीजों द्वारा उपज प्राप्त करने का सक्षम निर्धारित किया गया है।

निगम - मरीनों आदि के लिए—विसानों तथा अन्य खेती करने वालों को खेती के ओजार तथा मरीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए १५ राज्यों में कृषि-उद्योग निगम (Agro-Industries Corporations) स्थापित किये गये हैं। इनमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारी वा पूर्जी समायी गयी है। इनका मुख्य उद्देश्य हृषि मरीनों वा पूर्ति तथा मरम्मत की व्यवस्था करना है। इन निगमों का काम ट्रैक्टरों तथा हृषि मरीनों के हिस्से वितरित करना है।

वर्तमान में हृषि मरीनों की पर्याप्त मात्रा है। १६७४ में ट्रैक्टरों की मात्रा १ लाख वार्षिक तक बढ़ जाने की आशा है। ट्रैक्टरों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए पहिये वाले ट्रैक्टर बनाने वाले उद्योग को लाइसेंस वी शर्त से मुक्त कर दिया गया है। हिसार और बदनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है। अनेक सहायक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

पौध संरक्षण—हृषि की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि बहुत बार पौधों को बोडे या बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके लिए पहली व्यवस्था यह ही गयी है कि बीज को ही ऐसे रसायनों से युक्त कर दिया जाता है कि उसमें बोडे नहीं लग सकते। जन्तुनाशक दवाओं का छिक्काव भी किया जाता है।

पौधों में जगली तथा बनादेश्यक भाड़ियाँ भी उग आती हैं। इनको नष्ट करने के लिए रसायनों का निर्माण किया गया है। चतुर्थ योजना में २० लाख हेक्टर भूमि में जगली पौधों को नष्ट करने की व्यवस्था की गयी है।

सघु सिंचाई योजना—खेती की उपज में बृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल वी आवश्यकता होती है। इसके लिए पर्याप्त सेट, ट्रूब वैल आदि लघु सिंचाई

योजना के अन्तर्गत आते हैं। १६६८-६९ तक सगभग २ वरोड हेक्टर भूमि में लघु योजनाओं द्वारा सिचाई हो रही थी। १६७४ तक लघु सिचाई योजनाओं से ४६ लाख हेक्टर नयी भूमि को जल मिलना सम्भव हो सकेगा।

क्रृषि—कृषि विकास के लिए अधिक उदार शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में क्रृषि मिलना भी बहुत आवश्यक है। भारतीय विसान अब तक साहूकार के चगुल में रहा है जिससे निवलना बहुत बहिन है।

किसानी को क्रृषि देने के लिए सहकारी साल संस्थाओं का समर्गन किया गया है जो १६६८-६९ में कृषि के लिए ४५० करोड रुपया वापिक क्रृषि दे रही थीं। चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष में यह समितियाँ ७८० करोड रुपया वापिक उधार देने लगेंगी।

व्यापारिक बैंक भी हृषि को अधिक मात्रा में क्रृषि देने सके हैं। जून १६६८ तक इनके द्वारा कृषि को केवल ५४ करोड रुपये के क्रृषि दिय हुए थे, जिन्हे १६७४ तक यह राशि ४०० करोड रुपये तक पहुँच जायगी।

१६६३ में कृषि पुनर्वित निगम की स्थापना की गयी थी जो कृषि के लिए उधार देने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित की व्यवस्था करता है। १६६८-६९ तक पुनर्वित निगम कृषि विकास को २३३ योजनाओं के लिए पुनर्वित की व्यवस्था कर चुका था जिसकी राशि १५६ करोड रुपये थी। इनमें से अधिकांश योजनाएं लघु सिचाई से सम्बन्धित हैं।

१६६८ में व्यापारिक बैंकों ने एक कृषि वित निगम स्थापित किया है जो खेतों के विकास के लिए प्रत्यक्ष क्रृषि देता है।

इस प्रकार कृषि के लिए वित व्यवस्था करने की दृष्टि से संस्थाओं का एक जाल सा विद्यु गया है जो विभिन्न कारों के लिए सरल क्रृषि देने की व्यवस्था करती है।

(६) गोदाम व्यवस्था—भारतीय कृषि की एक गम्भीर समस्या यह रही है कि खेती के पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का अभाव रहा है जिससे बहुत सा माल खराब होता रहा है। अच्छे गोदामों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय गोदाम निगम तथा राज्य सरकारों ने राज्य गोदाम निगम बनाये हैं। १६६८-६९ के देश में लगभग १ करोड टन माल सुरक्षित रखने के लिए बहिर्या गोदाम थे। चतुर्थ योजना में केन्द्रीय गोदाम निगम के लिए १२ करोड रुपये तथा लगभग ५ करोड टन के लिए ५ करोड रुपये की व्यवस्था जौ मापी है, जिससे १० लाख टन बहिर्यिक माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाये जा सकेंगे।

सहकारी संस्थाएं भी माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनवाने का कार्य करती है। १६६८-६९ में सहकारी संस्थाओं के स्वामित्व में २६ लाख टन माल रखने लायक गोदाम थे। १६७४ तक इन संस्थाओं के पास कुल ४६ लाख टन

माल रखने लायक गोदाम हो जायेगे। इस प्रकार नयी कृषि नीति में माल को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(७) कृषि विक्री व्यवस्था—भारतीय विसान अपनी उपज का बहुत सा भाग गाँव में ही बेच देना है क्योंकि मण्डियों में महाजन आदि माल खरीदने में बहुत सी अवाधनीय क्रियाएँ करते हैं जिनसे विसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। इस व्यवस्था में सुधार के लिए व्यवस्थित एवं समर्थित मण्डियों की स्थापना भी गयी है जिनमें सरीद और विक्री की क्रियाओं का नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की मण्डियाँ नियन्त्रित मण्डियाँ बहलाती हैं।

भारत में ६ राज्यों में मण्डी नियन्त्रण सम्बन्धी कानून लागू हैं जिनके अधीन लगभग १६०० मण्डियों का नियन्त्रण होता है। अभी लगभग १३०० मण्डियाँ सरकारी नियन्त्रण से मुक्त हैं। इन मण्डियों को सरकारी नियन्त्रण में लाने के लिए अन्य राज्यों में भी कानून पास किये जा रहे हैं। सभी मण्डियाँ सरकारी नियन्त्रण में आने से बाजार में माल की कमी नहीं रहेगी, मूल्यों में अधिक उत्तार-चढ़ाव नहीं होगी तथा विसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

(८) मूल्यों की गारन्टी—बही बही अच्छी प्रगति ही जाने से मूल्य बहुत अधिक गिर जाने का मत रहता है जिससे विसानों को हानि होती है और भविष्य में वह वस्तुएँ उत्पन्न करने का उत्साह नहीं रहता। इसलिए राज्य सरकारें प्रति वर्ष न्यूनतम बीमत की गारन्टी देती हैं जिसके अनुसार यदि बाजार में बीमत निर्धारित दर से कम हो जाय तो सरकार निर्धारित दर पर माल खरीदने के लिए बाध्य रहती है। पिछले ५-६ वर्षों से खाद्यान्न, गंगा, पट्टसन, रुई आदि वस्तुओं के मूल्यों की सरकार द्वारा घोषणा भी जाती है। इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारित मूल्य से नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि निर्धारित भाव से बग होने पर सरकार उन वस्तुओं को खरीदने लगती है।

भारत में खाद्यान्न खरीदने के लिए खाद्यान्न निगम बनाया गया है जो प्रति वर्ष कुछ खाद्यान्न भण्डार बनाने के लिए निश्चिन मूल्य पर खरीदता है।

गहन कृषि जिला कार्यक्रम

(Intensive Agricultural District Programme)

यह कार्यक्रम १९६०-६१ में आनंद प्रदेश, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सात जिलों में लागू किया गया था। इसके बाद १९६२-६३ में छह तथा १९६३-६४ में तीन और जिले इस कार्यक्रम में शामिल कर लिए गये हैं। सद् १९६४-६५ तक यह कार्यक्रम देश के ३०८ विकास लन्डों पर लागू था, जिनमें सेवकल देश में कुल जोती जाने वाली भूमि का ५% था। इन सभी जिलों को फोड़ फाउण्टेशन की सहायता से विकसित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला पश्चिमी जर्मनी की सहायता प्राप्त कर रहा है।

उल्लेखनीय तत्व—गहन हृषि कार्यक्रम से तात्पर्य यह है कि जिन क्षेत्रों में भूमि अच्छी है तथा तिचाई की सुविधाएँ पर्याप्त हैं वही अधिक शक्ति और थम वी सहायता से कृषि विकास दिया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में गहन हृषि कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं वही कुछ विशेष यात्रों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

(क) हृषि विकास में पंचायतों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(ख) प्रत्येक गाँव के लिए कृषि उत्पादन योजना बनानी चाहिए ताकि प्रत्येक किसान के लिए भी उत्पादन सदृश निर्धारित रखिये जा सकें।

(ग) सहकारी आन्दोलन में सम्मूर्ख गवि को सम्मिलित कर उसे सबल बनाना चाहिए।

(घ) पशु-पालन तथा दुग्ध वितरण के कार्यक्रम को विस्तृत करना चाहिए।

(इ) प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रसल योजनाएँ बनायी जानी चाहिए और इन प्रसल योजनाओं को कृषि योजना से सम्प्रभुत करना चाहिए।

(ज) कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रम (भूमि-सुधार, बगरोपण, तिचाई आदि) आरम्भ किये जाने चाहिए।

सन् १९६६-६७ में यह कार्यक्रम १८ ज़िलों में सारूप था। सन् १९६५-६६ में व १९६६-६७ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमथ २६ लाख हृक्टर्स व ३२ लाख हृक्टर्स भूमि थी।

गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम

(Intensive Agricultural Area Programme)

यह कार्यक्रम तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया गया। कार्यक्रम, सर्वंग्रथम सन् १९६४ में देश में चुने टूटे ज़िलों के कुछ विकास योजनाओं में प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत सम्मूर्ख देश के ७२ ज़िलों में ६४६ विकास खण्ड धान की खेती के लिए, ५४ ज़िलों में ३५६ विकास खण्ड ज्वार वाजरे की खेती के लिए, ३० ज़िलों में २०० विकास खण्ड गेहूँ की खेती के लिए चुने गये हैं। इम कार्यक्रम के अन्तर्गत भी खेती सम्बन्धी विकास कार्य गहन हृषि जिला कार्यक्रम की ही भाँति चलाये जाते हैं। दोनों कार्यक्रमों में प्रमुख अन्तर यह है कि विकास कार्य 'गहन हृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम' के अन्तर्गत 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' की अपेक्षा छोटे पैमाने पर चलाये जाते हैं तथा इनमें अपेक्षाकृत व्यय कम होता है। चतुर्थ योजना काल में सम्मूर्ख IADP तथा IAAP क्षेत्रों में हृषि के उपर्यन्त नरीकी तथा सभी फसलों के उपर्यन्त दोनों वा प्रयोग करने वा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि शिक्षा तथा शोध

[AGRICULTURAL EDUCATION AND RESEARCH]

देश में कृषि विकास की उपर्यन्त करने के लिए कृषि कार्य में शोध करना बहुत आवश्यक है ताकि उत्पादन तथा विकास की नवीनतम पद्धति का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए विद्यालय शोध संस्थान आदि व्यापित करना आवश्यक है।

द्वितीय योजना के अन्त तक भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या ४३ थी, जिनमें प्रति वर्ष ५,६०० विद्यार्थी प्रशिक्षित होते थे। तृतीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या ५७ और शिक्षण क्षमता ६,२०० विद्यार्थी प्रति वर्ष करने वा प्रावधान था परन्तु कुछ निजी कॉलेज स्थापित होने के बारें अब कृषि कॉलेजों की संख्या ६५ हो गयी है, जिनमें ७,५०० विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश में ६ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें पन्तनगर (उत्तर प्रदेश), सुप्रियाना (पंजाब), उदयपुर (राजस्थान) तथा भुवनेश्वर (उडीसा) कृषि विश्वविद्यालय मुख्य हैं। चतुर्थ योजना में इन विश्वविद्यालयों के साधन तथा क्रियाशीलता में बढ़िया भी जायगी तथा चार नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इन विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था तथा विभिन्न बस्तुओं से सम्बन्धित समितियों के द्वारा कृषि सम्बन्धी शोध कार्य किया जा रहा है। इन अनुसन्धानों के फलस्वरूप चावल तथा गेहूं की नयी किस्में ज्ञात की गयी हैं, तथा ज्वार, बाजार और दालों पर किये गये प्रयोग बहुत सफल रहे हैं। मक्का की कई सुधरी हुई किस्मों की खेती आरम्भ हो चुकी है। हई, तिलहन, पटसन, तम्बाकू तथा मसालों पर शोध चार्य चालू है तथा फसलों के रोग दूर करने सम्बन्धी अनुसन्धानों की गति तीव्र कर दी गयी है।

उपसहार—भारत सरकार देश में समाजवादी अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी स्थापना करना चाहती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जनता के सामान्य अधिकार न छीनते हुए एक शोपणहीन समाज वा निर्माण किया जायेगा। जहाँ तक कृषि का प्रस्तुत है, शोपण के यन्त्र जमीदार को अधिकारहीन कर दिया गया है और भूमि किसान की हो गयी है। सरकार सामान्यतः कृषि कार्यों में विसी प्रबाल का बोद्धा नहीं देती, न ही हस्तक्षेप करती है। जिन मदों में विसान को छिनाई होती है उनमें सरकार विस्तृत सहायता देने वा प्रयत्न कर रही है।

इस प्रबाल सामुदायिक विकास योजनाओं, पचायत राज तथा सरकारी समितियों की समन्वयात्मक नीति के आधार पर कृषि विकास किया जा रहा है और जहाँ जितनी अवश्यकता है वहाँ उतना धन, प्राविधिक ज्ञान अथवा उपकरण उपलब्ध वराने का प्रयत्न किया जाता है। यह नीति लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा जन-जन की भावना के सर्वथा अनुकूल एवं बादश है। यदि सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था को तनिव त्रुशल बनाकर धोपित सहायता यथा सम्प्रय एवं जल रक्तमन्द व्यक्ति इन्हें देने वा प्रबन्ध कर सके तो देश की कृषि को जड़ता के दलदल से निकालकर समृद्ध बराने में कोई समय नहीं लगेगा और यह परती पुन 'मुजला सुपला शश्य श्यामला' बन सकेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

यन्त्रीकृत कृषि

(MACHINIZED AGRICULTURE)

आजकल एक नया विचार उत्पन्न हो गया है कि भारतीय कृषि का यन्त्रीकरण किया जाय या नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि अन्य विकसित देशों की भाँति भारत में गहन खेती की जानी चाहिए, उसमें अधिकाविक रासायनिक साद का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा खेती बरने में ट्रैक्टर तथा अन्य यन्त्रों का महंगोग प्राप्त करना चाहिए। इससे खेती की उपज में अत्यधिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी और देश की कृषि दरिद्रता के दबाव से निकलकर समर्पता का सुख प्राप्त कर सकेगी।

यन्त्रीकरण आवश्यक

इसके विपरीत, एक दूसरा वर्ग है जो भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण करने के पक्ष में नहीं है। इस वर्ग का विचार है कि यन्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए हितकर नहीं होगा। इस पक्ष के तर्क निम्नलिखित हैं :

(१) महंगा—यन्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि एक ट्रैक्टर का वर्म से वर्म मूल्य १०,००० रुपये है। कृषि वार्यों में इसका प्रयोग २-३ महीने से अधिक नहीं होगा अतः योग सम्मय में इन्होंने बस्तु बेबार पढ़ी रहेगी। यदि सरकारी समितियों द्वारा भी ट्रैक्टर दिये जायें अथवा सहवारी आधार पर ट्रैक्टर खरीदे जायें तो भी वह बहुत महंगे पड़ेगे।

यन्त्रीकरण एक और दृष्टि से भी महंगा पड़ेगा। ट्रैक्टर चलाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल तेल वी आवश्यकता पड़ती है जो भारत में अमरीका से दुमुक्का महंगा है। इसके अतिरिक्त, भारत में न तो ट्रैक्टर योग्य स्थल में नियमित होने हैं और न ही योग्य मात्रा में तेल तथा पेट्रोल उपलब्ध होता है। अतः खेती में प्रयोग करने के लिए इन्हें अधिक मात्रा में आपात करना पड़ेगा जिससे देश को विदेशी विनियम की स्थिति में अधिक कठिनाई उत्पन्न होगी।

(२) ट्रैक्टर की मरम्मत—कृषि का यन्त्रीकरण करने से एक अन्य कठिनाई वा मामना करना पड़ेगा, वह यह है कि ट्रैक्टरों के स्वारव होने पर उन्हें नगर में मरम्मत के लिए से जाना बहुत असुविधाजनक होगा क्योंकि देश के प्रत्येक भाग में तो ट्रैक्टर अथवा अन्य यन्त्रों की मरम्मत करने के लिए मिस्त्रीसाने स्थापित करना सम्भव नहीं होगा।

(३) ट्रैक्टर बनाने वाले—उत्तर्युक्त बठिनाइयों के अतिरिक्त ट्रैक्टर बनाने की भाँति गोवर या मूर वी साद नहीं देना अतः किसानों वी साद सम्पूर्ण रूप से अलग से बरोदानी होगी। रासायनिक साद गोवर की अपेक्षा बहुत महंगी भी है तथा देश की सम्पूर्ण भूमि के लिए उसकी पूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक मात्रा में रासायनिक साद भी विदेशों से आपात की जाय तो इसका तात्पर्य यह होगा कि यन्त्रीकरण पूर्णतः विदेशी साधनों द्वारा ही सम्भव किया जा सकेगा क्योंकि ट्रैक्टर

पेट्रोल, डीजल तेल तथा रासायनिक स्थान विदेशों से आयात करने पड़ेगे। इससे देश की विदेशी भुगतान स्थिति पर अत्यधिक भार पड़ने की आशका है।

(४) प्रयोग हानिकारक—कृपि विदेशों का यह मत है कि ट्रैक्टर भूमि को अत्यधिक गहरा खोद देता है और भूमि में स्थित फगी तथा बैंकटीरिया जैसे उपजाऊ तत्त्वों का नाश कर देता है। इसके एवं दो बार में ही भूमि की सम्पूर्ण जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है, कलत उसे पुनर्जीवन देने के लिए हर बार पहले से अधिक स्थान देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार भूमि पर खेती करना निरन्तर अधिक खर्चीता बाय होता जाता है।

(५) कम फसलें—रिचर्ट लेग वा मत है कि भूमि जीवन शक्ति बनाये रखने के लिए प्राय कई प्रकार की फसलें एवं साथ (उदाहरणत अम्ब के साथ दालें) बोयी जाती हैं जिससे एक फसल द्वारा नष्ट किये गये तत्त्वों की पूर्ति दूसरी फसल द्वारा दिये गये तत्त्वों से ही जाती है। यह ब्रह्म यन्त्रीकृत कृपि-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्भव नहीं है यद्योऽपि इसकी व्यवस्थानुसार एक बहुत बड़े खेत में एक ही प्रकार की फसल बोयी जाती है जिससे भूमि निर्बंल हो जाती है और उसमें विनाशकारी जीव-जन्तु तथा कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं।

(६) प्रयोग में कठिनाई—जैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुका है, भारत में अधिकांश खेत बहुत घोट है अत उनमें ट्रैक्टरों द्वारा खेती रथा अन्य मन्त्रों द्वारा फसल की बटाई न तो सम्भव ही है और न उपयुक्त। अत भारतीय कृपि में यन्त्रीकरण अपनाना उपादेय नहीं वहा जा सकता।

(७) अत्यधिक बरबादी—यन्त्रीकृत खेती के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि फसल को बाटने वाले यन्त्र उपकरण फसल वा पूरा भाग काट लेने में समर्थ नहीं हैं। उनके द्वारा फसल का बुद्ध भाग सदा पौधों पर ही छूट जाता है जिससे कृपक को हानि होती है।

(८) बेरोजगार—भारत जैसे जनाधिकार वाले देश में यन्त्रीकृत खेती अपनाने का तात्पर्य यह होगा कि देश के बहुत से लिंगान बेरोजगार हो जायेंगे। जब तक अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था न की जाय, यन्त्रीकरण बरता सर्वथा अनुचित होगा।

यन्त्रीकरण के सम्बन्ध

रासायनिक स्थान तथा यन्त्रीकरण वे पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इनके सहयोग से कृपि उत्पादन में बराबरता बढ़ि दी जा सकती है और इस प्रकार खाद्यान्ध तथा बच्चे माल की वसी का अन्त दिया जा सकता है। यह बात संदानिक दृष्टि से सही ही सकती है लिंगु वास्तव में सर्वथा रुक्य नहीं है।

कीटाणु एवं रोगों से मुक्ति—यन्त्रचालित कृपि एवं रसायनों के प्रयोग के सम्बन्ध में दूसरा प्रबलित भ्रम यह है कि इन्हीं उत्पादकों से पक्षों के रोग तथा

बीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के कृषिशास्त्र के डीन फीवोने वा मत उल्लेखनीय है। उनका वचन है

“बीटाणुओं को नष्ट करने वाले रमायनों का निरन्तर प्रयोग वरते रहने पर भी अमरीका में बीड़ी तथा बीटाणुओं द्वारा प्रति वर्ष लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट कर दी जाती हैं। इसके अनिवार्य फसी तथा अन्य राग भी लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं।”

इससे स्पष्ट है कि रामयनिक खाद तथा रसायन तत्त्व कृषि फसलों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं और वह प्राकृतिक विनास वा रोकने में विशेष सफल नहीं हो सके हैं। इसके विपरीत, रसायन तथा अन्य उत्तरदायी उपकरणों द्वारा उत्पन्न पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से उतने उपयोगी तथा पुष्टिकारक नहीं होते जितने कि प्राकृतिक रोकियों द्वारा उत्पन्न पदार्थ होते हैं।

बौन-सा मार्ग उचित है?—अगर दिये विचारों से स्पष्ट है कि भारत की परिस्थितियों एवं साधनों का ध्यान रखने द्वारा भारत के लिए कृषि की प्राकृतिक रोकियों का प्रयोग करना ही अधिक उचित है। जहाँ तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न है, उसमें जैज, कम्पोस्ट तथा गोवर की खाद, फसलों के अदल-बदल, भू-शक्ति के हावास में रोक तथा चिंचाई की योग्य सुविधाओं के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।

चेस्टर वोन्स का वचन है कि जापान में प्रत्येक व्यक्ति हाथ से स्वेच्छा करता है और यह कार्य इस साधानी से किया जाता है कि कोई भी फौथा नष्ट नहीं हो सकता। फलत जापान में प्रति एक डॉलर उत्पादन अमरीका से अधिक है। अर्थे चलने वह वहते हैं कि भारत में, “जब तक स्थानीय उद्योग का विकास समूर्ण शामील जानता को रोजगार देने साधक न हो जाय, कृषि का अन्योन्य उत्पादन, जिसका मुख्य उद्देश्य अम में बचत करना होता है, अधिकांश क्षेत्रों में अनाविक प्रमाणित होगा। दैत्यों को एक अच्छी जोड़ी को अतिरिक्त पुर्जों तथा गोसोलोन की आवश्यकता नहीं होती, उसके स्वराव होने का भय बहुत कम होता है तथा वह प्रचुर मात्रा में खाद उत्पन्न करती है।”

बौल्स के शब्दों में, भारतीय शामील वर्षतन्त्र का वास्तविक समाधान उभरता हुआ प्रकट होता है। सावधानीपूर्वक जापानी अनुवरण से की गयी खेतों भारत के नियंत्रण, असिक्षित, किन्तु परिश्रमी विसान के लिए निश्चय ही अधिक उपयुक्त है और यदि उसे कृषि सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं सुलभ करा दी जायें तो वह निश्चय ही अपना और देश का भास्य बदल सकता है।

फसलों का बीमा [CROP INSURANCE]

अमरीका, ब्रिटेन तथा ब्रुद्ध अन्य देशों में प्रमुख के बीमा की व्यवस्था है।

इसका तात्पर्य पह है कि बीमा कम्पनी किसान को फसल की एवं निश्चित मात्रा की गारण्टी देती है और फसल वर्ष होने पर उसकी क्षति-पूर्ति करती है। इस गारण्टी के लिए किसान कुछ बीमा शुल्क देने का उत्तरदायी होता है।

भारत में फसलों के बीमे वी प्रथा प्रचलित नहीं है बरोरि

(१) फसलें मानसून के कारण अनिश्चित रहती हैं,

(२) सिंचाई सुविधाओं का अभाव है,

(३) वृषि-पद्धतियाँ यथेष्ट विकसित नहीं हैं,

(४) वृषि एक व्यवसाय न होकर केवल जीवन-निर्वाह का साधन है, और

(५) किसान निर्धन है, उसे बीमा का शुल्क (premium) चुकाने में बहुत बड़िनाई होती है।

पजाब में प्रयोग—उपर्युक्त सब कठिनाइयों के होते हुए भी पजाब में फसल बीमा योजना लागू की गयी है। यह योजना प्रारम्भ में केवल ६ ज़िलों में १२ केन्द्रों में प्रयोगात्मक रूप में सञ्चालित की जा रही है। इन केन्द्रों में १००-१०० प्राम हैं और अधिकतर विकास खन्डों में हैं। आगामी दो वर्षों में ६ ज़िले और सम्मिलित करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। प्रारम्भ में बीमा योजना केवल चार फसलों अर्थात् गेहूं, चना, रई तथा गन्ने पर लागू की गयी है और यह लागू किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। इस योजना द्वारा बाढ़, ओले, सूखा, टिड़ी दल अद्यता अन्य जीव-जन्तु तथा मनुष्य के नियन्त्रण में न होने वाली प्रत्येक दुर्घटना के बरुद्ध बीमा किया गया है और सरकार इन घटनाओं से उत्पन्न हानियों की क्षति पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

^१ क्षति-पूर्ति—सरकार केवल उन परिस्थितियों में क्षति-पूर्ति की व्यवस्था बरेगी जबकि बीमा किये गये केन्द्र की फसल की ओसत उत्पत्ति प्रमाणित उत्पत्ति के ७५ प्रतिशत से भी कम होगी। प्रत्येक किसान को अपनी सारी भूमि (जिसमें फसल बीमी गयी है) का बीमा करवाना पड़ेगा और निर्धारित शुल्क चुकाने पड़ेगे। प्रारम्भ में प्रत्येक दोष का पांच वर्ष के लिए बीमा किया जायगा। भारत सरकार इस योजना पर आने वाली कुल लागत का ५० प्रतिशत बहन करेगी।

पजाब में भाव रा नहरों के कारण अधिकाश वृषि-योग्य भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गयी है और वहाँ की कृषि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकासित भी है। अत सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल बीमा योजना लागू करने में विशेष जोखिम नहीं है। देश के अन्य भागों में यह योजना लागू करने से पूर्व बहुत-सी सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

अम्यास प्रदेश

१. भारतीय वृषि वी विशेषताएँ लिखिए। उसमें राज्य का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है?

२. योजना काल में भारतीय कृषि नीति की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
३. नयी कृषि नीति से क्या तात्पर्य है? उसके मूल तत्वों का संक्षिप्त व्योरा दीजिए।
४. भारत में हरित आन्ति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
(सकेत: नयी कृषि नीति के 'कारण ही हरित आन्ति हुई है, इसमें उत्पादन सम्बन्धी सभी बातें लिखिए)
५. टिप्पणी लिखिए:
फसल बोमा, गहन जिता कृषि कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम।

बौद्धोगिक विकास के बारण अधिक सजग, सतकं और सक्रिय हो जाती है। इस प्रवार बौद्धोगिक विकास सरकारी प्रशासन को निपटिय नहीं रहने देता। उद्योगों की नित नयी उठने वाली समस्याएँ सरकार को भी अधिक जानिकारी नीतियों अपनाने के लिए बाध्य कर देती हैं।

बौद्धोगिक विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप दर्यों और क्षितिता ?

भारत में प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना का निश्चय किया गया है। अत सरकारी नीतियों में एक और तो जन-भावना का व्यान रखा जाना आवश्यक है, दूसरी आर आर्थिक विषमता तथा प्रादेशिक असन्तुलनों को कम करना अनिवार्य है। इन उद्देश्यों की सफलता के लिए सरकार को सक्रियता से बदम उठाने पड़ेंगे और बौद्धोगिक विकास में हस्तक्षेप (नियन्त्रण तथा सहायता) करना पड़ेगा। यह हस्तक्षेप निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं।

(१) पूँजी और साहस—भारत में बौद्धोगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की सदा कमी रही है। उद्योगों वा अनुभव न होने के कारण भारतीय उद्योगपतियों में साहस का भी अभाव रहा है अत नयी बौद्धोगिक इकाइयों की स्थापना सीमित ही रही है। इसलिए पूँजी और बौद्धोगिक साहस अभाव की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कदम उठाया जाना आवश्यक है।

(२) तकनीकी जानकारी—विकासशील देशों में प्राय तकनीकी जानकारी का अभाव रहा है। इसलिए उद्योगों के नये क्षेत्रों में पूँजी और साहस नहीं जुटाया जा सका। भारत में भी प्राय यह स्थिति रही है। अत सरकार के सहयोग और सक्रिय सहायता दिना बौद्धोगिक विकास सम्भव नहीं या। अब भी तकनीकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सरकारी सहयोग से तकनीकी जानकारी को विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है।

(३) तम्बे प्रसव काल वाले उद्योग—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका प्रसव काल बहुत सम्भवा होना है अर्थात् उनको स्थापित करने में बहुत समय लगता है तथा उनसे लाभ (या उत्पादन भी) बहुत देर से मिलने लगता है। इसात उद्योग, भारी रसायन, भारी इंजीनियरी आदि उद्योगों में बहुत समय तक पूँजी बन्द पड़ी रहती है क्योंकि वह उद्योग ७ से दस वर्ष बाद लाभ देने लगते हैं। ऐसे उद्योगों में सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पूँजी लगानी पड़ती है या प्रारम्भिक दर्यों में अनेक प्रकार की सहायता करनी पड़ती है।

(४) सन्तुलित विकास के लिए—निजी पूँजीपति प्राय ऐसे देशों या स्थानों पर उद्योग स्थापित करते हैं जहाँ विकास करना शर्त है और सभी प्रकार की सुविधाएँ आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टि से विद्युते हुए प्रदेश तो बहुत समय तक पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। एक प्रजातन्त्रीय समाजवादी देश में पिछड़े हुए प्रदेशों का आर्थिक विकास करने में पहल करना आवश्यक है ताकि मृदू भाग अन्य भागों के समान आ जायें। अत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में

उद्योग स्थापित कर दिये जाते हैं वयोकि सरकार का उद्देश्य केवल साम्राज्य कराना नहीं, विद्युत हुए भागों का आधिक विकास करना है।

(५) एकाधिकार पर रोक —विवासनीति देश में प्रायः गवितशाली पूँजी-पति न पेन्ने उद्योग स्थापित कर उन पर एकाधिकार कर सेते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे राष्ट्रीय आप तथा आधिक सत्ता का कुछ हाथों में सकेन्द्रण होने लगता है। भारत में उद्योगों की साइसेंस नीति कुछ इस प्रकार की रही है यि आधिक सत्ता धीरे-धीरे इने गिने हाथों में सकेन्द्रित हो गयी है। इस रोकने के लिए सरकार का वास्तविक हस्तक्षेप होना आवश्यक है।

(६) समाजवाद के लिए—भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का सदृश अपनाया गया है। समाजवाद में उत्पादन के तत्त्वों पर सरकार वा स्थापित नहीं तो उचित नियन्त्रण करना तो अत्यन्त आवश्यक है ताकि वितरण और उत्पादन का दैनिक सरकारी नीतियों के अनुसार बन सके।

भारत सरकार को ओद्योगिक नीति

आजादी से पहले भारत सरकार ने ओद्योगिक विकास के लिए बोई प्रयत्न नहीं किया। विदेशी सरकार ने भारत के ओद्योगिक विकास की इतनी अवहेलना की कि न तो स्वयं कोई उद्योग स्थापित किये, न भारतवासियों को उद्योग स्थापित बरने वा प्रोत्साहन दिया। इसलिए उद्योगों सम्बन्धी नीति निर्धारित करने की बात सोचता ही व्यर्थ था। यदि ब्रिटिश शासन की कोई ओद्योगिक नीति थी तो यह थी कि भारत में ओद्योगिक विकास के लिए बोई प्रयत्न नहीं किया जाय। जो कुछ उद्योग लगाये गये उनमें से अधिकांश विदेशियों द्वारा लगाये गये और उनके लालों हाथों के लाभ प्रति वर्ष अपने देश में ले जाते रहे। भारतवासियों द्वारा स्थापित उद्योगों वा अप्रेज़ी शासन ने सक्रिय विरोध किया अथवा उपेक्षा के मीठे जहर से उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न किया।

१९४८ का ओद्योगिक नीति प्रस्ताव

आजादी प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार ने अपने ओद्योगिक विकास का निश्चय किया और ६ अप्रैल, १९४८ को भारत के तत्त्वालीन उद्योग मन्त्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुख्यर्जी ने भारत की ओद्योगिक नीति की घोषणा की। इस घोषणा को १९४८ का ओद्योगिक नीति प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं

(१) उद्देश्य—ओद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये।
 (ii) ऐसे समाज की रचना जिसमें सब नागरिकों को समान अवसर तथा स्थाय प्राप्त हो सके।

(ii) उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना।
 (iii) वर्तमान धन के वितरण के स्थान पर नये धन वा उत्पादन वर उसके उचित वितरण की व्यवस्था करना।

इस प्रकार औद्योगिक नीति का उद्देश्य अधिक उत्पादन तथा न्यायपूर्ण वितरण रखा गया।

(२) उद्योगों वा वर्गोकरण—मध्ये उद्योगों वा विकास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए या इस काम को निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर ढचित निर्णय लिना बहुत आवश्यक था। अतः सरकार ने देश के सारे उद्योगों को निम्नलिखित चार वर्गों में बांट दिया

(i) सरकार का एकाधिकार—पहले वर्ग में ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनके विकास वा सरकार को एकाधिकार दिया गया। इस वर्ग में (क) अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण, (ख) अणु शक्ति वा उत्पादन तथा नियन्त्रण, तथा (ग) रेलवे परिवहन। इन उद्योगों में निजी पूँजीपतियों वो रकम लगाने को मनाही कर दी गयी।

(ii) जिनके और आगे विस्तार का अधिकार केवल सरकार को दिया गया—दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योगों वो रखा गया जो उस समय निजी पूँजीपतियों के अधिकार में थे। इन उद्योगों की जो इकाइयाँ उस समय पूँजीपतियों के हाथ में थीं उन पर पूँजीपतियों का अधिकार बना रहने दिया गया जिन्हें यह व्यवस्था की इन क्षेत्रों वा आगे विस्तार केवल सरकार ही कर सकती।

इन शेषी में कोयता, लोहा तथा इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार तथा बेतार सम्बन्धी सामान वा उत्पादन और खनिज तेल को सम्मिलित किया गया। इन उद्योगों के बारे में हीन बातें मुख्य थीं

(क) इन उद्योगों में नयी इकाइयाँ केवल सुरक्षार द्वारा ही स्थापित ही जा सकती थीं।

(ख) इन उद्योग म पहले से कार्यशील इकाइयों वो दस वर्ष वा समय देने की धोषणा दी गयी। दस वर्ष बाद इनका राष्ट्रीयरण किया गया तो उसका उचित मुआवजा देने की व्यवस्था होगी।

(ग) सरकार द्वारा स्वापित उद्योगों वा प्रबन्ध सरकारी तिगमों द्वारा चलाया जायेगा।

(iii) सरकार द्वारा नियन्त्रित उद्योग—तीसरे वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनका नियन्त्रण राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इस शेषी में १८ उद्योग रखे गये जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

नमक, मोटर, ट्रैक्टर, विजली, इन्जीनियरी, भारी रसायन, दवाएं, साद, पावर अस्त्रोहूल, रबड़, सीमेट, चीनी, कागज, मूती चम्प, दायु परिवहन, जल परिवहन।

यह उद्योग ऐसे हैं जिनमें अधिक पूँजी तथा ऊंचे तकनीकी ज्ञान वो आवश्यकता होती है। इन उद्योगों को निजी क्षेत्र पे लिए छोड़ दिया गया जिन्हें इन पर सरकारी नियन्त्रण वो व्यवस्था की गयी। सरकार वो यह अधिकार भी दिया गया है वह चाहे तो इन उद्योगों से सम्बन्धित नयी इकाइयाँ स्थापित वर सकती हैं।

अनुमान इस बात से लगता है कि ४,३०१ करोड रुपये की कुल पूँजी मे से ३,८६७ करोड रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा केवल १० करोड रुपया राज्य सरकारों द्वारा विनियोजित है। शेष रकम भारत तथा विदेशों के पूँजीपतियों द्वारा लगायी गयी है।

(३) पहले दस का महाव—लोक क्षेत्र मे लगी हुई पूँजी की तीसरी उल्लेख-नीय बात यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लग यो गयी पूँजी का सगभग ८० प्रति शत तो दस औद्योगिक इकाइयों मे लगाया गया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

लोक क्षेत्र मे पूँजी विनियोग	(करोड रुपये मे)
१ हिन्दुस्तान स्टील लि०	१,०६३
२ बोकारो स्टील लि०	३५६
३ भारतीय खाद्य निगम	२६२
४ हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०	२४७
५ हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०	२१२
६ फाइलाइजर वार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	२०५
७ ओयल एण्ड नेच्युरल गैस कमीशन	२०३
८ नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	१८५
९ भारत हैवी इंजिनियरिंग लि०	१७४
१० नीदेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि०	१७०

योग ३,१०७

इससे स्पष्ट है कि लोक क्षेत्र मे जो पूँजी लगी हुई है उसका अधिकांश भाग इसपात, इंजीनियरी, खाद्य, तथा गैस, कोयला और भारी मशीन एवं वायुयान उद्योग में लगा हुआ है। केन्द्रीय सरकार की कुल विनियोजित पूँजी का सगभग ३७ प्रतिशत भाग इसपात उद्योग मे लगा हुआ है। इसपात उद्योग एक बुनियादी उद्योग है जो सभी प्रकार की मशीनों के लिए व ज्ञान माल देता है। इसलिए इसमे अधिक पूँजी लगाना सर्वदा उचित है।

(४) पिछ्ठे हुए क्षेत्रों मे पूँजी—लोक क्षेत्र मे पूँजी विनियोग की एक अत्यधिक सहजपूर्ण विशेषता यह है कि उष्णकट्टा जलपानी साथ पिछ्ठे हुए प्रदेशों मे जलाधारा गया है। इस तथ्य का अनुमान निम्नलिखित अकां से लग सकता है।

विभिन्न राज्यों मे लगी सरकारी पूँजी का प्रतिशत

राज्य	बिहार	मध्य प्रदेश	उडीसा	१० बंगाल	तमिलनाडू	उत्तर प्रदेश
प्रतिशत	१७६	१५७	१२२	११६	७६	५१

इन बबों से स्पष्ट है कि विहार, मध्य प्रदेश, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बांधी पूँजी लगायी गयी है। इनमें जन संस्था, आवारत तथा औद्योगिक पिछड़ेवन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विनियोजित पूँजी बहुत कम है। पश्चिमी दग्गल तथा तामिलनाडु पिछड़े हुए राज्य नहीं हैं जिन्हें इनमें शाहूरिक साधनों का प्रयोग करने के लिए अविव पूँजी लगायी गयी है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि असम, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान भी बहुत कम विनियोजित राज्य हैं। इनमें बेन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत कम पूँजी लगायी गयी है। अमृ में बुल सरकारी पूँजी वा १८ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में बेवल ० १ प्रतिशत तथा राजस्थान में बेवल ० ८ प्रतिशत भाग लगाया गया है। अतः इन राज्यों में अधिक लोड क्षेत्रीय उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। ताकि इनके आधिक विवास वीर्ति तुज हो सके।

लोक क्षेत्र की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ

(IMPORTANT INDUSTRIAL UNITS OF PUBLIC SECTOR)

लोक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन उद्योग के अनुसार बरना चाहित होगा। अत उद्योग की दृष्टि से उन पर विचार विया जा रहा है।

(१) इस्पात उद्योग

(Steel Industry)

भारत सरकार द्वारा लोक क्षेत्र के उद्योगों में लगायी गयी बुल पूँजी का सम्पन्न २७ प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग में लगाया गया है। इस उद्योग की बेन्द्रीय सरकार के अधीन दो इकाइयाँ हैं। पहली हिन्दुस्तान स्टील लि० (Hindustan Steel Ltd.) तथा दूसरी बोकारो स्टील लि० (Bokaro Steel Ltd.)।

हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी १९५३ में स्थापित की गयी थी। इसकी अधिकृत पूँजी १०० करोड़ रुपये निश्चित की गयी। इस कम्पनी की स्थापना राजकीय रटील प्लाट का निर्माण एवं प्रबाध करने के बास्ते की गयी थी। बाद में दुर्गापुर तथा किलाई में इस्पात के बारखाने स्थापित कर दिये गये। अप्रैल, १९५७ में इन दोनों इकाइयों को भी हिन्दुस्तान स्टील के अधीन बर दिया गया और इसकी अधिकृत पूँजी बहा बर ३०० करोड़ रुपये कर दी गयी।

पूँजी—मार्च, १९६२ में इन दोनों इस्पात कारखानों की कमता में वृद्धि का निश्चय लिया गया और हिन्दुस्तान स्टील की अधिकृत पूँजी बढ़ावर ६०० करोड़ रुपये कर दी गयी।

३१ मार्च, १९७१ को हिन्दुस्तान स्टील में सरकार की बुल १,०२६ करोड़ रुपये की रकम विनियोजित थी। इस रकम में से ५५७ करोड़ रुपये अन्य पूँजी तथा शेष ४६६ करोड़ रुपये के क्रम थे। १९७१-७२ में ह करोड़ रुपये की अन्य पूँजी बढ़ाने की व्यवस्था है ताकि कम्पनी नयी योजनाएँ अपने हाथ में सके।

उत्पादन—१९७०-७१ मे हिन्दुस्तान स्टील के अधीन तीनो कारखानो मे तैयार इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित था :

भिलाई	१५.५	लाख टन
राउडरकेला	६	" "
दुर्गपुर	४.१	" "
	२६.४	" "

इन तीनो कारखानो की उत्पादन कमता तो ४० लाख टन की है परन्तु पूरी कमता का उपयोग नहीं हो रहा है अतः उत्पादन वे बल २६ लाख टन से कुछ अधिक ही रहा है। इन्हे उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि राउडरकेला तथा दुर्गपुर कारखानो मे मजदूरो के उपद्रव नियमित रूप मे होते रहे हैं। भिलाई वा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।

बोकारो स्टील—बोकारो स्टील लिं ० जनवरी १९६४ मे स्थापित की गयी थी। इसका उद्देश्य लोक क्षेत्र मे चौथा इस्पात कारखाना लगाना है। इसमे सोवियत सध द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जायगी। सवियत सरकार ने इस निर्णय के अनुसार २० करोड रुपये का ऋण दिया है।

बोकारो स्टील की कमता ४० लाख टन इस्पात तैयार करने की होगी। पहले चरण मे १७ लाख टन स्टील तैयार होगा। यह चरण १९७४ मे पूरा हो जायगा। इस चरण में ही उत्पादन २५ लाख टन करने का निश्चय किया गया है। प्रथम चरण के पूरा होने मे ७६० करोड रुपये खंच होने का अनुमान लगाया गया है।

बोकारो स्टील को अधिकृत पूर्जी ३८५ करोड रुपये निश्चित की गयी थी जो बढ़ा वर अब ५०० करोड रुपये कर दी गयी है। ३१ मार्च, १९७१ तक भारत सरकार ने इसमे ४१० करोड रुपये की अश पूर्जी तथा ६० करोड रुपये वा ऋण दिया है। इस प्रकार इस पोजना मे सरकार द्वारा ५०० करोड रुपये की रकम लगायी जा चुकी है।

मैसूर—इन स्टील कारखानो के अतिरिक्त मैसूर राज्य मे भद्रावती नामी स्थान पर एक छोटा सा इस्पात कारखाना है जो मैसूर राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी किन्तु इसे कम्पनी का रूप अप्रैल, १९६२ मे दिया गया। इसकी कुल पूर्जी लगभग २० करोड रुपये है। इसका उत्पादन १ लाख टन तक बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

लाभ-हानि—हिन्दुस्तान स्टील को अपने आरम्भ बाल से ही हानि सहन करनी पड़ी है। अपने आरम्भ से ३१ मार्च, १९७० तक इसकी कुल हानि लगभग १२८ करोड रुपये तक पहुँच गयी है।

मैसूर के कारखाने को भी ३१ मार्च, १९७० तक ५ करोड रुपये से अधिक हानि हो चुकी है।

नये कारखाने— १७ अप्रैल, १९७० को प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने सालेम (तीमलनाहू), रोजपेट (मैसूर) तथा विशाखापत्तनम् (आनंद्र प्रदेश) में स्टील कारखाने लगाने की घोषणा की थी। यह तीनों कारखाने भारतीय इजीनियरों द्वारा लगाये जायेंगे। इनके बारे में तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(२) खाद उद्योग

(Fertilizer Units)

१ जनवरी, १९६१ को सिन्धी तथा नागल की खाद फैक्टरियों का कार्य सम्भालने के लिए भारतीय खाद निगम की स्थापना की गयी। इस निगम की सात इकाइयाँ हैं जो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोट में से सब या कुछ का उत्पादन करती हैं।

यह सात इकाइयाँ निम्नलिखित स्थानों पर हैं—

सिन्धी (विहार), नागल (पञ्चाब), ट्राम्बे (महाराष्ट्र), नाम रूप (असम),

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), बोरवा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (प० बंगाल)

निगम की अधिकृत पूँजी ७५ करोड़ रुपये है जिन्हें इसमें कुल पूँजी २०५ करोड़ लगी हुई है। निगम की प्राय सभी इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन करती हैं। सिन्धी, तथा दुर्गापुर अमोनियम सल्फेट भी बनाते हैं और ट्राम्बे तथा दुर्गापुर नाइट्रोजन भी उत्पादित करते हैं। इन सबका वार्षिक उत्पादन लगभग २० लाख टन तक पहुँच गया है। खाद निगम उन इकाइयों में से है जिनको नियमित लाभ मिल रहा है। १९६६-७० में इसे लगभग १२० करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।

(३) तेल उद्योग

(Oil Industry)

तेल उद्योग से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। एक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (Oil and Natural Gas Commission) तथा दूसरी भारतीय तेल निगम (Indian Oil Corporation) है। तेल तथा गैस आयोग की स्थापना १९५६ में हुई थी। इसका वाम देश के विभिन्न भागों में तेल तथा गैस की खोज करना है। इसमें २०३ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।

आयोग ने अकलेश्वर, कलोल, नवगांव (गुजरात) तथा नहारकटिया (असम) में तेल खोज निकाला है। इस तेल का शोधन करने के लिए लोक क्षेत्र में नूनमाटी (१६६२), चरोनी (१६६५), नोयली, नोचीन (१६६६), भद्रास तथा हल्दिया में तेल शोधशालाएँ स्थापित की गयी हैं। इन तेल साफ करने के कारखानों की कुल क्षमता १०० लाख टन वार्षिक है।

तेल तथा गैस आयोग उन इनी गिनी संस्थाओं में से है जिन्हें लोक क्षेत्र में होते हुए भी लाभ हो रहा है। १९६६-७० में इस आयोग ने लगभग १२ करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

भारतीय तेल निगम की स्थापना १९५६ में ही गयी थी। इसमें लगभग १३२ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। तेल निगम का काम तेल प्राप्त वर देश भर में उसकी उचित मूल्य पर बिक्री करना है। इस बायं के लिए उसके देश भर में पूर्ति बेन्ड काम कर रहे हैं। तेल निगम को भी १९६६-७० में लगभग २२ करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।

(४) विजली का भारी सामान

(Heavy Electricals)

विजली का सामान बनाने के लिए भारी मशीनों का निर्माण करना आवश्यक होता है। अगस्त, १९५६ में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोपाल में एक कारखाना स्थापित किया गया जिसका नाम हैबी इलेक्ट्रिकल्स लिंग रखा गया। इस काम्पनी का काम हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), रामचन्द्रपुरम् (आनंद प्रदेश), तिल्वेस्तगवर (मध्यास) तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) की परियोजनाओं की पूरा करना था। १७ नवम्बर, १९६४ को इनमें से पहली तीन को मिला दिया गया और चूनका नाम भारत हैबी इलेक्ट्रिकल्स लिंग (Bharat Heavy Electricals) रख दिया गया।

भोपाल की इकाई हैबी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से बत्ता बनी रह गयी है।

इन दारों इकाइयों द्वारा विजली का भारी सामान तथा मशीनें आदि बनायी जाती हैं। इनमें कुल भिलाकर लगभग ३०० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।

यह दोनों ही इकाइयाँ हानि में चल रही हैं। १९६६-७० में ही इनको ६ करोड़ रुपये से अधिक हानि उठानी पड़ी।

(५) इंजीनियरी उद्योग

(Engineering Industry)

ओद्योगिक विकास के लिए छोटी और बड़ी मशीनें तथा औजार बनाने के कारखाने स्थापित करना बहुत आवश्यक है। बड़ी मशीनें छोटी मशीनें बनाने के काम आती हैं और उन मशीनों को चालू रखने के लिए औजार बनाना बहुत आवश्यक है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ३१ दिसम्बर, १९५८ को भारी इंजीनियरी निगम (Heavy Engineering Corporation) रांची में स्थापित किया गया। इस निगम की तीन इकाइयाँ हैं-

(i) भारी मशीनें बनाने की इकाई जो प्रति वर्ष १ लाख टन से अधिक वजन की भारी मशीनें निर्माण करेगी।

(ii) पुर्जे दालने की इकाई जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग २ लाख टन होगी।

(iii) भारी मशीनों औजार इकाई जिसकी वार्षिक क्षमता १०,००० टन होगी।

इनमें से पहली इकाई सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गयी है। दूसरी तथा तीसरी इकाइयों नी स्थापना चक्रस्तोवाक्षिया की सहायता से हुई है।

इस निगम में ३१ मार्च, १९७१ को भारत सरकार की कुल लगभग २७४ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी।

इंजीनियरी निगम भी प्राय हानि पर ही चलता रहा है। आरम्भ से ३१ मार्च, १९७१ तक इसकी कुल हानि का अनुमान लगभग ५६ करोड़ रुपये लगाया गया।

दूसरी स्थान मशीन ट्रूल्स लि० (Hindustan Machine Tools Ltd) बगलौर में है। यह घटियाँ तथा मशीनों के अन्य औजार बनाती है। इसकी शाखाएँ रिजौर (पंजाब) तथा अजमेर में हैं। इसकी स्थापना १९५३ में हुई थी। इसमें सरकार की लगभग २६ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।

इन संस्थाओं के अतिरिक्त निवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० तथा इंजीनियरिंग प्राइवेट लि० हैं। पहला संस्थान नैनी में है। इसमें सरकार की लगभग ६ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। यह संस्था स्टोरेज टैंक, ट्रास्मिशन टावर, इस्पात के पुल, क्रेन तथा मकानों के लिए अन्य भारी सामान तैयार करती है।

इंजीनियरिंग प्राइवेट लि० की स्थापना अप्रैल, १९७० में हुई थी। यह इस्पात कारखानों, खानों, खाद फंक्टरियों आदि के लिए साज सामान तथा उपकरणों की व्यवस्था के लिए स्थापित की गयी है।

(६) कोयला विकास

(Coal Development)

कोयले के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण निगम बनाये गये हैं। पहला राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (National Coal Development Corporation Ltd) है जिसकी स्थापना १९५६ में राँची में की गयी। निगम सरकार द्वारा सचालित कोयला खानों का प्रबन्ध सम्भालता है। इस निगम के अन्तर्गत २४ कोयला खाने हैं जिनसे प्रति वर्ष लगभग १०५ करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। निगम चार स्थानों पर कोयला धोने की इकाइयाँ चला रहा है जिनमें प्रतिवर्ष लगभग २० लाख टन कोयला धोया जाता है।

कोयला निगम में लगभग १८५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। इसमें १६६६७० में १ करोड़ रुपये से कुछ अधिक का लाभ हुआ।

दूसरा निगम नीवेली लिगनाइट वार्पैरिशन है जिसकी पूँजी लगभग १७० करोड़ रुपये है। यह लिगनाइट कोयले के खनन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है। नीवेली निगम में १६६६-७० में लगभग ४.४ करोड़ रुपये की हानि हुई। गत वर्षों में भी इसमें हानि होती रही है।

(७) जहाजी व्यवसाय

(Shipping Industry)

भारत में जहाज बनाने वा एक वारखाना है जिसकी स्थापना विशालापनम् में १९४० में की गयी थी। इसे सिधिया अम्पनी ने स्थापित किया था, विन्तु १९५२

में इसे भारत सरकार द्वारा खरीद लिया गया। इसका प्रबन्ध बलाने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिंग की स्थापना की गयी। मह प्रति वर्ष चार जहाज निर्माण करता है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिंग में १० करोड रुपये की पूँजी लगी हुई है। मह संस्थान लाभ में चल रहा है।

दूसरा शिपयार्ड कोचीन में बनाया जा रहा है जिसमें जापान से सहायता मिल रही है।

अन्य—इन औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त खनिज विकास, नमक, टेलीफोन, दवाएं तथा जन्तुनाशक पदार्थों के लिए औद्योगिक इकाइयों स्थापित की गयी हैं।

लोक धोत्र के उद्योगों में लाभ-हानि

साधारण रूप में लोगों की यह मान्यता है कि सरकारी उद्योग लाभ कमाने के लिए नहीं होते, जनता की सेवा के लिए स्थापित किये जाते हैं। यह बात न तो सेंट्रालिंक रूप में सही है न अपवाहर में उचित भानी जा सकती है। लोक धोत्र के उद्योगों को उचित भाना में लाभ कमाना ही चाहिए ताकि उनसे सरकार को कुल आय में वृद्धि हो सके। इस आय की रकम से सरकार नष्टी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर सकती हैं या पुरानी इकाइयों का विस्तार कर सकती हैं।

भारत के उद्योग—भारत में लोक धोत्र में ३१ मार्च, १९७० को ६१ इकाइयों थीं जिन पर ४,३०९ करोड रुपये की पूँजी लगी हुई थीं (इनमें रेलें सम्मिलित नहीं हैं), इनमें से १६६६ ७० में ३६ इकाइयों ने तयभग ७१ करोड रुपये का लाभ कमाया जबकि ५२ इकाइयों को ६४ करोड रुपये की हानि हुई। इस प्रकार ४,३०९ करोड रुपये पर कुल ७ करोड रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो ० १७ प्रतिशत भान्ति है।

जिन इकाइयों में विशेष लाभ है उनके नाम तेल निगम, तेल तथा गैस आपोग, राज्य व्यापार निगम, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, एयर इडिया, टेलीफोन, लाल्च निगम, राष्ट्रीय कोपला निगम आदि हैं। विशेष हानि उठाने वाले उद्योगों के नाम हैं जो इंजीनियरिंग कारखोरेशन, हैवी इलेक्ट्रोकल्स, नोवेली लिगनाइट निगम, तथा अन्य निगम हैं। इनमें से अनेक निगम ऐसे हैं जिनपर अभी पूरी शवित से काम होना आरम्भ नहीं हुआ है।

हानि के कारण और उपाय

लोक धोत्र के उद्योगों या अन्य संस्थानों में जो हानि हो रही है या सामान्य दर से बहुत कम लाभ हो रहा है, उसे ठोक करने के लिए निम्नलिखित काम किये जाने चाहिए :

(१) उत्पादन शवित—इनकी उत्पादन शक्ति प्राप्त पूरी तरह काम में नहीं ली जाती। इसे पूरी तरह काम में लेना चाहिए ताकि इनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। अधिक उत्पादन होने से इन उद्योगों के लाभ बींदर दर वित्त स्तर पर आ जायेगी।

(२) सत्ता का विकेन्द्रीकरण—लोक क्षेत्र के उद्योगों में प्राय निर्णय लेने में देर होती है क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या गुद्ध व्यक्तियों के हाथ में होता है। यह व्यक्ति नौवरशाही वी परम्पराओं में पले हुए होते हैं। अत इन्हे छोटी से छोटी बात वा निर्णय लेने में देर होती है जिससे अनेक बार उद्योगों को बहुत हानि उठानी पड़ती है।

(३) प्रबन्ध व्यवस्था—लोक क्षेत्र के उद्योगों में प्राय वेन्द्रीय प्रशासनिक सेवा (I A S) या राज्य प्रशासनिक सेवा के व्यक्तियों का अध्यक्ष, सामान्य व्यवस्थापन, महाप्रबन्धक आदि नियुक्त किया जाता है। इन व्यक्तियों को उद्योगों के सचालन का कोई अनुभव नहीं होता। यह व्यक्ति एक दो वर्ष में कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं तब तक इनकी बदली किसी दूसरे स्थान पर कर दी जाती है। इस प्रकार इन संस्थानों के प्रबन्धक जल्दी-जल्दी बदलते हैं। यह सबथा अनुचित नीति है। उचित तो यह है कि औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रबन्धकों वा एक अलग समूह बनाया जाना चाहिए जिसके प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण देकर उद्योगों के सचालन के योग्य बनाया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को औद्योगिक सेवा के लिए ही निश्चित कर दिया जाना चाहिए ताकि इनकी बार बार बदली नहीं बरनी पड़े। इससे प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार होगा, उत्पादन में बढ़ि होगी, लागत बम होगी और इन औद्योगिक इकाइयों को लाभ होने लगेगा।

(४) थम नीति—लोक क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक सही और दृढ़ थम नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे इन उद्योगों में शान्ति भी बर्नी रहे और इनमें उत्पादन में हानि होने का भय न रहे। इसके लिए थमियों में स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में लोक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अत्यन्त लापरवाही से काम करते हैं क्योंकि उनकी सेवा की शर्तें ऐसी हैं कि उनमें हानि होने पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती तथा अधिक लाभ होने पर कोई पारितोषिक नहीं मिलता। इन उद्योगों में ऐसी परम्पराएँ डालनी चाहिए कि अच्छा काम करने वाले वो पारितोषिक मिल सके तथा घटिया काम करने वालों वो दण्डित किया जा सके।

इसके लिए अच्छे काम की न्यायसंगत परिमापा अपनानी आवश्यक है।

(५) नयी प्राविधिकी—अनेक सरकारी उद्योगों में अब भी उत्पादन, लागत, बजट आदि के बारे में पुराने तरीके और पुरानी परम्पराएँ ही अपनायी जाती हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित स्थिति नहीं कही जा सकती। इन उद्योगों में नवीनतम तकनीक तथा थेप्टतम प्राविधिकी अपनायी जानी चाहिए और पुराने घिसे पिटे तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए।

(६) मूल्यांकन—लोक क्षेत्र के उद्योगों में जनता की रकम लगती है। उस रकम का थेप्टतम प्रयोग हो इसके लिए इन इकाइयों के समय समय पर मूल्यांकन

की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मूल्याकारों की रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए और इन्हें इन उद्योगों के कर्मचारियों की जानकारी में भी लाना चाहिए।

लोक उद्योगों की कार्य क्षमता या सेवा स्तर के बारे में समय-समय पर जनता का मत जानने की चेष्टा की जानी चाहिए और जनता के मत की जानकारी कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को अपने बारे में जनता की राय का पता लग सके। इससे इन उद्योगों के प्रबन्ध में कुछ कुशलता जाने की सम्भावना हो सकती है।

(३) सार्वजनिक प्रतिष्ठा तथा जानकारी—लोक क्षेत्र के उद्योग अनेक बार बहुत उपयोगी काम करते हैं जिन्हुंने उनके उपयोगी काम की सही जानकारी जनता को नहीं मिलती। इससे लोक क्षेत्र के उद्योगों को जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। अब लोक क्षेत्र के उद्योगों की उपलब्धियों के विषय में समय-समय पर पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं या विज्ञापन प्रकाशित किये जाने चाहिए ताकि उनके बारे में गलत धारणाएँ दूर हो सकें और उनका सही स्वरूप समाज के सामने आ सके।

प्रशासनिक सुधार आयोग के सुभाव

(Recommendations of the Administrative Reform Commission)

लोक क्षेत्र के उद्योगों को सामराज्यक बनाने की दृष्टि से प्रशासनिक आयोग द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं

(१) क्षेत्रीय निगम—आयोग वा मत है कि तारों औद्योगिक क्षियाओं को कुछ बगों में बौट कर कुछ निगम बना दिये जा न चाहिए जो एक निश्चिन्त क्षेत्र की सब औद्योगिक इकाइयों की देख-नेतृत्व कर सकें। उदाहरण के लिए इस्मात ने सभी सरकारी कारखानों को एक प्रबन्ध मन्त्र सना चाहिए, तेल साफ करने वालों इकाइयों का प्रबन्ध एक निगम को सौंप देना चाहिए। इससे प्रबन्ध व्यवस्था कुशल हो सकेगी और लागत म बर्मी ना जायेगी।

(२) प्रबन्ध व्यवस्था—आयोग ने प्रत्येक उद्योग से सम्बन्धित जानकारों को निदेशक मण्डल या प्रबन्ध मण्डल के सदस्य नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इससे उचित समय पर उचित निर्णय लिए जा सकेंगे और कुशलता में वृद्धि हो सकेगी।

(३) लोक उपचाम संस्थान—तीसरा सुझाव यह दिया गया है कि लोक क्षेत्रीय उद्योगों के लिए जो संस्थान (Bureau of Public Enterprises) है उसके कार्य क्षेत्र वो बड़ाया जाना चाहिए। उसे केवल कुछ प्रकाशन निकालने ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसके द्वारा इन उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण दिया जाना चाहिए और नोति निर्धारण में भाग दर्शन दिया जाना चाहिए।

(४) आन्तरिक अवेक्षण—आयोग ने इन उद्योगों के वित्तीय प्रबन्ध को अधिक दुश्यत दर्शाये जाने वा सुझाव दिया है। इसके लिए बान्तरिक अवेक्षण प्रणाली में सुधार वा सुझाव दिया गया है।

(५) नियुक्ति प्रणाली—प्रशासनिक सुधार आयोग का मत है कि इन उद्योगों की विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रणाली उचित नहीं है। सभी व्यवितरणों वो सरकारी सेवाओं में से लेने के बारण इनका प्रशासन नौकरशाही के गिर जे मे जबड़ गया है। इसे मुक्त बरने के लिए खुले बाजार से अनुभवी तथा क्रियाशील व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो कानिकारी नीतियों को अपना सकें।

(६) अकेशक मण्डलों का गठन—प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक धोत्र के उद्योगों के हिसाब किताब की नियमित तथा उचित जाँच के लिए चर या पांच अकेशक मण्डलों के गठन वा सुभाव दिया है। यह अकेशक मण्डल नियन्त्रक तथा महाअलेक्षक के निर्देश में ही काम करेंगे।

इस प्रवार प्रणासनिक सुधार आयोग के सुभाव इन उद्योगों के प्रशासनिक, वित्तीय तथा जाँच सम्बन्धी कार्यों को कुशल तथा श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। सरकार को इन दिशाओं में तत्काल उचित परिवर्तन तथा सुधार बरने का प्रयत्न करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

- १ लोक क्षेत्रीय उद्योगों के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? क्या उनका लक्ष्य समाजवादी स्थापना करना होता है?
- २ भारत में लोक क्षेत्रीय संस्थानों के संगठन और प्रबन्ध व्यवस्था वा विश्लेषण कीजिए।
- ३ भारत में लोक क्षेत्रीय उपकरणों के विशेष तत्त्वों को व्याख्या कीजिए।
- ४ भारत में राज्य द्वारा विन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं? इन क्षेत्रों का देश की व्यवस्था में क्या महत्व है?
- ५ भारत में इस्पात, तेल तथा खाद उद्योगों की लोक क्षेत्रीय इकाइयों पर टिप्पणी लिखिए।
- ६ भारत में लोक क्षेत्रीय उद्योगों के दो महत्वपूर्ण बगों वा व्योरा लिखिए तथा उनका महत्व स्पष्ट कीजिए।
- ७ भारत में लोक क्षेत्र के उद्योगों में हानि के क्या बारण हैं? उन्हें दूर बरने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए?
- ८ प्रणासनिक सुधार आयोग द्वारा लोक क्षेत्र के उपकरणों में सुधार बरने के लिए जो सुझाव दिये हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

लोक क्षेत्र मे बैंकिंग

(BANKING IN THE PUBLIC SECTOR)

बैंक तथा अन्य उद्योगों मे भेद

बैंकिंग एक सेवा व्यवस्था है। इसमे व्यक्तिगत सम्पर्क का अत्यधिक महत्व होता है। क्योंकि प्राहुक बैंकर के निरन्तर सम्पर्क मे आता है और उसके व्यवहार से प्रभावित होता है। अन्य उद्योगों मे विज्ञापन और वित्रय कला का अधिक महत्व होता है जबकि बैंक को थेट्ट सेवाएँ ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन होती है। दायित्व की दृष्टि से भी बैंकों की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों के घन मे लेन-देन करते हैं। उस घन की सुरक्षा तथा थेट्टम प्रयोग—दोनों बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

बैंकिंग तथा अन्य उद्योगों के भेद निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो सकते हैं

(१) व्यापार चस्तु-मुद्रा—बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बैंक मुद्रा मे लेन देन करते हैं। अन्य उद्योगों मे विभिन्न प्रकार की चस्तुओं का उत्पादन होता है और उन चस्तुओं को बेचने की व्यवस्था की जाती है। बैंक मुद्रा मे ही व्यापार करते हैं। तुच्छ व्यक्तियों को मान्यता है कि “बैंक मुद्रा का प्रथ-विक्रय करते हैं।” इसका अर्थ यह है कि बैंक पूँजी उधार देते हैं और पूँजी जमा करते हैं। इस पूँजी के बदले व्याज लिया जाता है।

बैंक की इस विशेषता के कारण सरकार के लिए दो काम करने आवश्यक हो जाते हैं :

- (i) व्याज दरों को नियन्त्रित रखना, तथा
- (ii) उधार की क्रियाओं का नियमन करना।

(२) राष्ट्रीय बचतों के मरक्षक—बैंकों को दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह समाज के विभिन्न बगों द्वारा जमा की गयी छोटी-छोटी रकमों को जमा करने वालों को आवश्यकता पड़ते ही यह रकमे लौटा देते हैं। इस प्रकार जमा की गयी रकमों को भी उधार देकर एक और तो वह व्यापार तथा उद्योग के विकास मे सहायक होने हैं, दूसरी ओर अपने लिए लाभ करते हैं।

इस विदेशपत्र का एक उत्तेजनीय पहलू यह है कि बैंक दूसरों के घन में व्यापार करते हैं और उससे साभ कमाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के सभी बैंकों की अश पूँजी लगभग ५० करोड़ रुपये है जबकि वे भी में जमा रकम ५,००० करोड़ रुपये से भी अधिक है। इस दृष्टि से बैंकों के कुल साधनों में अधिकाश माग जमा करने वाले आहकों का ही होता है। किन्तु बैंकों की नीति निर्धारण में रकम जमा करने वालों का बोई हाथ नहीं होता। अत बैंकों में असली मालिक (जिनके ५००० करोड़ रुपये जमा हैं) कुछ नहीं कर सकते जबकि योड़ी सी रकम लगाने वाले अशधारी (५० करोड़ रुपये के मालिक) बैंकों के मालिक माने जाते हैं और बैंकों की नीति इनके द्वारा चुने गये निदेशकों द्वारा निर्धारित होती है। यदि यह व्यक्ति बैंकों के घन का दूरप्योग बरें तो इन्हीं तो ५० करोड़ रुपये की ही पूँजी डूबेगी, जमा करने वालों की ५,००० करोड़ रुपये की रकम डूब जायेगी। अत जमा करने वालों के हितों वी रक्षा करने के लिए बैंकों की ज़रूर नीति या पूँजी लगाने सम्बन्धी नीति पर सरकार वा पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

अन्य उद्योगों में गत नीति अपनाने से पूँजी लगाने वाले अशधारियों को ही हानि होती है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं। अत बैंकों में अन्य उद्योगों की बजाय सरकारी हस्तक्षेप अधिक आवश्यक है।

(३) साख निर्माण—सामान्य उद्योगों की एक विशेषता यह होती है कि वह किसी न किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हैं। बैंकों द्वारा किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। वह जमा रकम के बाधार पर साख का निर्माण करते हैं। यह एक आश्चर्यजनक विन्तु सही तथ्य है कि किसी बैंक के पास १०० रुपया जमा होने पर वह इससे चार, पाँच या अधिक गुनी रकम उधार दे सकता है।

इस प्रकार बैंकों वी उधार देने की शक्ति बहुत व्यापक होती है। अत यदि उचित नियन्त्रण नहीं किया जाय तो साख का प्रसार बहुत तेजी से होने लगता है और वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ि होने का भय रहता है। इस दृष्टि से भी बैंकों की नीति में सरकार का उचित हस्तक्षेप बहुत आवश्यक होता है।

(४) शाखाएँ—बैंक तथा अन्य उद्योगों में एवं बड़ा भेद यह है कि बैंक देश किंवद्दन में जगह-जगह अपनी शाखाएँ खोलते हैं जबकि औद्योगिक इकाइयों को अपनी शाखाएँ खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बैंकों का शाखा विस्तार कभी-कभी भयकर प्रतिस्पर्द्धा का रूप प्रहृण कर सकता है जिससे देश को हानि हो सकती है। अत शाखाओं का उचित नियमन करने के लिए भी सरकार का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है।

(५) व्यक्तिगत सेवा—उद्योगों में प्राय उद्योगपति या प्रबन्धक वास्तविक आहकों में सम्पर्क म नहीं आते। उनका माल योक्ता विशेषाओं को बेचा जाता है, योक्ता विशेषा पुटवर व्यापारियों को बेचते हैं और फुटवर व्यापारी आहकों को बेचते हैं। बैंकों में सारा लेन देन विलक्षण प्रत्यक्ष होता है जिसमें वह आहका के सीधे

सम्पर्क में आते हैं। अत वैंकों वो नयी नयी सेवाएँ आरम्भ करनी पड़ती हैं, पुरानी सेवाओं में सुधार करना पड़ता है तथा ग्राहकों की इच्छा, स्वभाव आदि वा ध्यान रखना पड़ता है।

इस विशेषता के सन्दर्भ में सरकार का केवल यह काम होता है कि वह वैंकों को नयी सेवाएँ प्रचलित करने में सहायता करे तथा उनके लिए उचित वातावरण तैयार करने में नीतिक या अधिक सहयोग प्रदान करे।

(१) सूचना के बोत—वैंक उद्योगों के लिए आवश्यकता के समय पूँजी की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए विदेशों में भी मुगवान कर देते हैं। वैंकों की विदेशों में जाखाएँ होती हैं जिनके माध्यम से वह विभिन्न देशों के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के बारे में सही सूचना संग्रह कर अपने देश के व्यापारियों को दे सकते हैं। विदेशों में व्यापार की प्रगति तथा वस्तुओं की मार्ग के विषय में भी वैंकों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस प्रकार बैंकिंग एक ऐसा उद्याग है जो उद्योगों को अनेक प्रकार की सहायता और सेवा प्रदान करता है। अत इसका उचित दिशाओं में नियमन होना बहुत आवश्यक है।

वया वैंकों को सरकारी स्वामित्व में ले लेना चाहिए ?

बैंकिंग की अलग विशेषताओं के कारण ही भारत में कुछ व्यक्तियों वा मत रहा है कि वैंकों को सरकारी अधिकार में हो ले लेना चाहिए। वैंकों वो सरकारी स्वामित्व में लेने की क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। यदि वैंकों की नीतियों का सरकार द्वारा नियन्त्रण हो तो इस क्रिया को सामाजिक नियन्त्रण कहते हैं। इन दोनों ही नीतियों वा अत्यधिक महत्व है। अत इन दोनों के बारे में विस्तार से विचार क्रिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सर्व-

भारत में वैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्व दिये जाते रहे हैं

(१) अव्यवस्था—भारतीय निजी बैंकिंग का इतिहास अव्यवस्था, अनोचित्य, कुप्रबन्ध एवं धन के दुरापयोग वा इतिहास है। देश के अनेक वैंक पूँजीपतियों के प्रभाव क्षेत्र में हैं और यह पूँजीपति इन वैंकों का धन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिए काम में लाते हैं। इन वैंकों के सचालकों के प्रभाव के कारण वैंकों की बहुत-सी राशि सहे के लिए प्रयुक्त की जाती है। इन सब दोषों को कानून द्वारा समाप्त करना अत्यन्त कठिन है। अत वैंकों का राष्ट्रीयकरण ही इनका एकमात्र उपाय है।

(२) जनहित—रिजर्व बैंक की स्थापना (१६३५) और भारतीय बैंकिंग विधान के लागू होने (१६४६) के पश्चात् भी देश में वैंकों के बन्द होने का क्रम इसका नहीं है। वर्तमान में भी देश में कुछ वैंक हानि पर चल रही हैं। यह स्थिति निश्चय ही असन्तोषजनक एवं असह्य है। गत वर्षों की वैंक असफलताओं ने रिजर्व

वैक की अशमता एवं लापरवाही को प्रकट कर दिया है। अतः जमाइनों के हिनों वी रक्षा के लिए वैकों को सरकारी अधिकार में लिया जाना आवश्यक है।

(३) औद्योगिक विकास—देश में उचित मात्रा में बाढ़िन क्षेत्रों में साख प्रसार करने का काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक साख प्रसारित होने पर देश में मूल्य-वृद्धि का मय उत्पन्न हो जाता है और साख की बर्मी से देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रगति को घड़का लगता है। बट्टधा रिजर्व वैक हारा साख निपन्नण के लिए नये-नय साधन अपनाने पड़ते हैं और उनकी सफलता भी प्राय सदिग्य रहती है। इस दृष्टि से देश के व्यावसायिक हितानुसार साख प्रसारित करने की एकमात्र पद्धति यही है कि वैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

(४) सरकारी नीति की सफलता—भारत में एक समाजवादी समाज की स्थापना का निश्चय किया गया है जिसमें इसी वा शोषण न हो और कोई भूखा-नगा न रहे। इम नीति की सफलता के लिए शोषण के सम्पूर्ण साधनों को सरकारी निपन्नण में लेना आवश्यक है। भारतीय वैकों के पास अरबों रुपये की पूँजी है जिसका उपयोग राष्ट्रीय हितों में करने का एकमात्र तरीका यह है कि देश के निक्षेप त्रुए ग्रामीण क्षेत्रों में वैक की अधिकारिक शाखाएं बोली जायें, बड़े-बड़े वैकों के लिए यह कर सकना बठिन नहीं है क्योंकि वह बहुत बड़ी राशि लाभ के रूप में रकमात्मक है और छोटे स्थानों पर शाखाएं स्थानने में उन्हें इन लाभ के कुछ भाग से विकृत रहना पड़ेगा। निजी वैक किमी भी दशा में अपनी लाभ-राशि वर्त रक्षण को तैयार नहीं है अतः देश के वैकिंग विकास के लिए वैकों वा राष्ट्रीयकरण करना ही हितवर है। राष्ट्रीयकरण होने पर वैक देश के बोनेन्कोने में फैल सकेंगे, देश का ग्रामीण जनता को (जिसकी आप गत बर्षों में बड़ गयी है) अधिक वर्त करने के लिए प्रो-साहित कर सकेंगे तथा देश की सम्पूर्ण वर्त पूँजी वा प्रयोग अधिकारिक राष्ट्रीय हित में हो सकेगा जिससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग मिलेगा।

(५) योजनाओं में सहयोग—वैकों के राष्ट्रीयकरण से देश की जनता को भारतीय वैकिंग प्रणाली में अधिकारिक विवास हो जायेगा जिससे वैकों की जमा राशि में समुचित वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे भारत सरकार को बेबल कामी अधिक राशि राष्ट्रीय विकास में प्रयुक्त करने के लिए प्राप्त हो जायेगी बल्कि सरकार के हाथों एक ऐसी कामयेन लग जायेगी जिसके साधनों में निरन्तर वृद्धि होनी रहेगी। इससे भारतीय योजनाओं की सफलता में अधिकारिक सफलता मिल सकेगी।

(६) विदेशी व्यापार—भारत के विदेशी व्यापार के लिए अधिकार वित्तीय डावस्या अभी तक विदेशी वैकों के हाथ में हैं क्योंकि भारतीय वैकों के साधन कम हैं और वह यथेष्ट मात्रा में विदेशी व्यापार के लिए कृष्ण नहीं दे सकते। वैकों के राष्ट्रीयकरण से वह एक केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आ जायेगे जिससे उनके साधनों

में आशातीत बृद्धि हो जायेगी और कुछ दौर जिन्हें विदेशी विनियम व्यवसाय करने की अनुमति दी जायेगी, यथेष्ट मात्रा में विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था कर सकेंगे। इससे विदेशी बैंकों के विरुद्ध की गयी शिकायतों का भी अन्त हो जायेगा, और भारतीयों को ही विदेशी व्यापार का सम्पूर्ण लाभ मिल सकेगा।

भारतीय विदेशी व्यापार में एक अत्यन्त गम्भीर दोष यह है कि देश से निर्यात होने वाले माल से कम राशि के बीजक (Under invoicing) बनाये जाते हैं जिससे भारत को विदेशी विनियम की अधिकृत आय कम होती है। जिनी कम राशि के बीजक बनाये जाते हैं वह प्राय निर्यातकर्ता के व्यतिरित खात में अमरीका अथवा स्विटजरलैण्ड के बैंकों में जमा होती रहती है और इसका प्रयोग स्वर्ण का तस्कर व्यापार अथवा अन्य अनंतिक अथवा अर्द्धकारी कारों के लिए किया जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इस अनंतिक प्रथा के मार्ग में अडब्बन उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि बैंकों को प्राय इस प्रकार की अवैद्य वार्यवाहियों का पता चले बिना नहीं रहता। सार्वजनिक धोत्र में होने के कारण यह कम बीजक बनाने की प्रथा का अन्त करने में सहायता हो सकेंगे और इस प्रकार देश की बहुमूल्य विदेशी विनियम को चोरों बन्द हो जायेगो।

(७) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक रूप—भारतीय बैंकों पर यह आरोप लगाया गया है कि वह केवल बड़े-बड़े उद्योग तथा महत्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों को ही रकम देते हैं, उन्होंने कृपि तथा लघु उद्योगों (जो देश की अद्य-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं) का आविक सहायता देने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखलायी है। इन क्षेत्रों में रूप देने में जो विषय अधिक है अत यह कार्य केवल सरखारों बैंक ही कर सकते हैं। इसलिए कृपि तथा लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बरता बहुत आवश्यक है।

(८) बैंकिंग सेवाओं का विस्तार—भारत में अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है और गत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रकम विनियोजित की जाती है अत उस रकम का एक भाग राष्ट्रीय बचतों के रूप में प्राप्त करने के लिए ग्रामों में बैंकों की शाखाएँ खोलना बहुत आवश्यक है। यह कार्य भी तत्काल लाभ देने वाला नहीं है अत इसमें निजी बैंक रुचि नहीं लेंगे, इसलिए ग्रामों में बैंक सुविधाओं का विस्तार राष्ट्रीयकरण किये बिना नहीं हो सकता।

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध तरफ

भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपर्युक्त लाभ बहुत कुछ काल्पनिक ज्ञात होते हैं क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय के दोषों के लिए राष्ट्रीयकरण रामबाण नहीं है। इसका अनुभान निम्नलिखित बातों से सहता है :

(१) रिजर्व बैंक द्वारा अधिकारों का प्रयोग—भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकों के नियमन तथा नियन्त्रण के अत्यन्त

व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। यदि इन अधिकारों का प्रयोग तत्परता से किया जाय तो भी वैको में व्याप्त दौष दूर हो सकते हैं।

(२) कुशलता में कमी—राष्ट्रीयकरण से भारतीय वैको में वाम करने का उत्साह समाप्त हो जायेगा, उनमे सरकारी तानाशाही उत्पन्न होने का भय रहेगा और वर्मचारियों में जो कुछ सेवा भाव है वह उनकी नीतिरी अत्यधिक सुरक्षित हो जाने के कारण समाप्त हो जायेगा। सरकारी अकुशलता का एक प्रमाण जीवन वीमा निगम के विनियोगों से मिल सकता है जिसके द्वारा लाखों रुपये अवास्थनीय अशो में विनियोजित किये गये और श्री फिरोज गांधी द्वारा उन्हे प्रबाल मे लाये जाने पर एक विशेष अदालत मे श्री हरिदास भूंदडा पर मुकदमा चलाया गया और अन्तत भारत सरकार के वित्त सचिव (एच० एम० पटेल) तथा वित्त मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) को अपदस्थ होना पढ़ा या। वैको के राष्ट्रीयकरण से व्यवस्था का यह अतिरिक्त भार सरकार के मन्त्रालय पर आ पड़ेगा जिसे सम्भालना अत्यन्त कठिन होगा।

(३) लाभ काल्पनिक—राष्ट्रीयकरण द्वारा वैकिंग व्यवस्था में जिन लाभों की व्यवस्था की गयी है वह भी भ्रामक प्रतीत होती है क्योंकि उनको अनियमितताएँ उचित नियन्त्रण द्वारा दूर की जा सकती हैं। वस्तुत सरकारी अधिकार मे आ जाने के पश्चात उनमे अधिक अकुशलता एव अनियमितता आने का भय रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के थोड़ा-सा अधिक सतर्क होने पर सरलता से यह समस्या हल हो जायेगी।

(४) निषेप वीमा निगम—जमावदीओं के हितों की रक्खा करने के लिए निषेप वीमा निगम (Deposit Insurance Corporation) की स्थापना हो चुकी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जमावदी की १०,००० रुपये तक वी जमा राशि वीमे द्वारा सुरक्षित है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति के एक बैंक मे १०,००० रुपये तक जमा हैं तो बैंक के बन्द हो जाने पर निषेप वीमा निगम उम रकम को नुकाने की गारंटी करता है। भारत मे एक सामान्य नागरिक १०,००० रुपये से अधिक रकम जमा करने की स्थिति मे नहीं है अत जमावदीओं के हित सुरक्षित करने के लिए बैंको वा राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है।

(५) उदार क्रृष्ण नीति—जहाँ तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, गत वर्षों मे भारतीय वैको की नीति उद्योगों को क्रृष्ण देने के प्रति यथेष्ट उदार हो गयी है। अन्तर के बल इतना है कि यदि सरकार ने वैको की राशि का प्रयोग सरकारी उद्योगों के विकास के लिए बारम्ब कर दिया तो निजी क्षेत्र के उद्योगों वी पूँजी प्राप्त करने मे बढ़िनाई होगी और अन्ततः उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनो होगी इस दृष्टि से राष्ट्रीयकरण द्वारा औद्योगिक विकास मे कोई विशेष सहायता मिलने की सम्भावना प्रकट नहीं होती।

(६) शाका-विस्तार—भारतीय निजी वैको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे शाखाएँ

न सोने का आरोप सर्वथा सत्य होने हुए भी अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि सरकार इस दिशा में सर्वथा पक्षपात्रपूर्ण नीति अपना रही है। स्टेट बैंक अथवा उनके सहायक बैंकों द्वारा जो शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाती हैं उन पर होने वाली हानि की पूति एक विशेष नोट द्वारा की जाती रही है जबकि निजी बैंकों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही स्टेट बैंक भारत के सभी बैंकों से अधिक लाभ कमाने वाला बैंक जिसे सरकारी बरद हस्त की द्धारा प्राप्त है, ग्रामीण शाखाओं की हानि-पूति के लिए सहायता प्राप्त बरता है। यह एक विचित्र विरोधाभास है कि इतना अधिक लाभ कमाने वाला बैंक जिसे सरकारी बरद हस्त की द्धारा प्राप्त है, ग्रामीण शाखाओं की हानि-पूति के लिए सहायता प्राप्त बरता है। यह स्थिति निश्चित ही समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल नहीं जान पड़ती। अतः जिस कार्य को स्टेट बैंक करने के लिए तंत्यार नहीं है वह निजी बैंकों द्वारा न किया जाने पर उनके राष्ट्रीयकरण की बात करना न्याय का गता घोटने के समान होगा।

(७) आर्थिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण—राष्ट्रीयकरण के दिक्कार दो यदि शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो स्थिति बहुत फ़ख में प्रतीत नहीं होती। भारतीय बैंकों के कुल लाभ (शुद्ध) ३५-३६ करोड़ रुपये के तुल्य होते हैं जिनमें से उन्हें १८ करोड़ रुपये बर रुप में चुकाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बोनस तथा विभिन्न कोषों में ढालने के पश्चात् लगभग ८-९ करोड़ रुपये की राशि लाभगत रूप में वितरित बरनी पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार के ८ करोड़ रुपये से भी कम वार्षिक लाभ प्राप्त होगा। परन्तु यह भी सही स्थिति नहीं है क्योंकि बैंकों की प्रदत्त पूँजी तथा कोप की मात्रा लगभग १०० करोड़ रुपये है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बरने पर इस राशि के क्षण-पत्र (Bonds) देने होंगे जिन पर प्रचलित दर से लगभग ५ प्रतिशत व्याज देना होगा। इस प्रकार व्याज का वार्षिक व्यय भी लगभग ५ करोड़ रुपये होगा। अब भारत सरकार की शुद्ध वार्षिक आय नगण्य होगी। इससे स्पष्ट है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसा भारों कदम उठाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः बैंकों देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए रिजर्व बैंक के अच्छे नियन्त्रण के अतिरिक्त अन्य मार्ग ही अपनाये जाने चाहिए।

(८) कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए धन—बैंकों पर यह आरोप स्थाना कि वह सेती के विकास या लघु उद्योगों की उन्नति के लिए कृषि के लिए कृषि नहीं देते, सही हो सकता है परन्तु यह एक सर्व-स्वीकृत तथ्य है कि कृषि के लिए कृषि देने का दायित्व सहकारी बैंकों का रहा है और बैंक उन सभी व्यावसायिक इकाइयों को कृषि देते रहे हैं जो उचित जमानत दे सकती हैं, चाहे वह लघु इकाई हो या बड़ी। अत व्यापारिक बैंकों को इन दोनों क्षेत्रों में नियन्त्रण करने के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है।

नीति का अभाव—वास्तव में, राष्ट्रीयकरण कोई यामवाण औपचिन्ति नहीं है। बैंकों में कमियाँ या दोष हो सकते हैं परन्तु वह कमियाँ या दोष बैंकों के राष्ट्रीयकरण

से दूर हो जायेगी, यह कहना वेवल संदान्तिक ढीग हीना है। सुव्यवस्था और सुप्रबन्ध एवं धन वा राष्ट्रीय हित में सदुपयोग सरकार की श्रेष्ठ नीतियों पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने इथम तीन योजनाओं में तथा बाद के बयों में यह विचार भी 'नहीं' किया वि आर्थिक विवास के लिए साथ नियोजन का भी कोई महत्व है। अत यह आप लगाना कि वैबों ने अमुक क्षेत्र में पर्याप्त उधार की व्यवस्था नहीं की अथवा अमुक क्षेत्र में रकम नहीं लगायी, अनावश्यक एवं व्यर्थ है।

अत सरकार के बत्ते हुए विवास दायित्व, अभावपूर्ण प्रबन्ध कौशल तथा सचालन सम्बन्धों के ठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह कहना बठिन है कि वैबों के राष्ट्रीयकरण से देश की अर्थ व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी सुधार हो सकेगा। वास्तव में, लोक क्षेत्र में सचालित औद्योगिक इकाइयाँ—जो बराबर हानि पर चल रही हैं—इस दिशा में सोचने के लिए ध्यान करती हैं कि सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने की वजाय उसका दृष्टीकरण किया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजकरण या सामाजिक नियन्त्रण की योजना को स्वीकार किया गया है।

सामाजिक नियन्त्रण

भारतीय वैबों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा किंग दल की प्राय प्रत्येक सभा में होती रही है। जब १९६७ के चुनावों से पूर्व किंग से के घोषणा पत्र वा आलेख तंत्यार किया गया तो वैबों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा पर हुई किन्तु यह नियंत्रण किया गया कि वैब। पर सामाजिक नियन्त्रण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयक ए की आवश्यकता नहीं है।

सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ

वैबों के सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ है उनकी क्रियाओं पर समाज का नियन्त्रण। भारत में समाज की प्रतिनिधि सरकार है अर्थात् वैबों पर सरकार का नियन्त्रण ही सामाजिक नियन्त्रण का प्रतीक है। राष्ट्रीयकरण में स्वामित्व, सचालन तथा नियन्त्रण—सभी सरकार के 'दायित्व' होते हैं किन्तु सामाजिक नियन्त्रण में वैबों की अर्थ नीति का। निर्धारण सरकार करती है और उसका पालन वैब स्वयं करते हैं। उस नीति का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इसका नियन्त्रण भी सरकार करती है।

सामाजिक नियन्त्रण बयों—वैकिंग उद्योग विदेशी विस्म का उद्योग है। इसमें धन के लेन देन का व्यापार होता है। और साथ वा निर्माण होता है। इसको एक विदेशी यह है कि वैबों में जिन व्यक्तियों की अधिकांश रकम जमा होती है उनका वैबों की अट्ठ या विनियोग नीति निर्धारण करने में कोई हाथ नहीं होता। उदाहरणत भारत के व्यापारिक अनुसूचित वैबों में लगभग ५,००० करोड़ रुपये जमा है। यह रकम असर्व व्यक्तियों या संस्थाओं की जमा है। इसके साथ ही वैबों की

अश्व पूँजी तथा कोप देवल १०० करोड़ रुपये के सुल्य है। जिसी भी रजिस्टर्ड कम्पनी^१ के असाधारी ही उसके मालिक होते हैं और उनके प्रनिनिधि ही वैकंग की नीति निर्धारण तथा प्रबन्ध व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय वैकंग में ५०० करोड़ रुपये की पूँजी के मालिक ५१८० करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजन के अधिकारी हैं। जबकि ५००० करोड़ रुपये की पूँजी के मालिकों (जमाकर्ताओं) को वैकंग की नीति निर्धारण या पूँजी विनियोजन में कोई अधिकार नहीं है। अत उनके हित को रक्षा करने के लिए वैकंग की विनियोग तथा कृष्ण नीति पर सरकार का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए ताकि सामान्य जनता की खून पसीने की कंमाई—जो वैकंग में जेमा कराई जाती है—का दुश्प्रयोग न हो सके।

यदि सामान्य रूप से देखा जाय तो वैकंग पर सामाजिक नियन्त्रण निर्माण-लिखित वारों में आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) जमाकर्ताओं के हित को रक्षा—जैसा कि इससे पहले विचार किया जा चुका है व्यापारिक वैकंग के बाकी साधन सामान्य जनता की जमाओं से प्राप्त होते हैं। और सामान्य जनता का वैकंग की कृष्ण और विनियोग नीति में कोई हाथ नहीं होना। अत उनकी रकम के सदुपयोग की क्या गारण्टी है? यदि कोई वैकंग बद्द हो जाय तो जमाकर्ता वैकंग हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि सामाजिक हित में वैकंग की नीतियों पर नियन्त्रण करे।

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है। भारत में निषेप चीमा नियम द्वारा प्रत्येक वैकंग में, 'प्रति व्यक्ति १०,००० रुपये तक' की रकम का अनिवार्य बीमा है। मध्यम वर्ग के जिन व्यक्तियों के पास १०,००० रुपये से अधिक रकम है वह दम-दम हजार रुपये कई वैकंग में जमा करका कर निषेप बीमे का लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी वैकंग में अधिकतर बड़ी जमा रकमे कृष्णों के फलस्वरूप उत्पन्न होनी हैं जिनके अधिकारी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। अत इन लोगों के हितों की रक्षा को चिन्ता करन की आवश्यकता नहीं है। इन्तु वैकंग में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उनको सम्पन्न एवं शक्तिशाली बनाये रखना सरकार का कर्तव्य है। ऐसा तभी सम्भव है जब उनकी विनियोग एवं कृष्ण नीति परे सरकारी नियन्त्रण हो।

(२) समाज का अधिकाधिक लाभ—वैकंग में समाज के असूच्य व्यक्तियों की पूँजी जमा होती है। अश्व उम्प पूँजी का प्रयोग समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए होना आवश्यक होना है। ऐसा करने के लिए वैकंग की नीति पर सामाजिक (अर्थात् सरकारी) नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है।

^१ वैकंग भी रजिस्टर्ड कम्पनी ही होनी है।

(३) सातवा उचित सीमा तक विस्तार—व्यापारिक देंडों की जाय वा मूल्य साधन स्थापन होता है जो वह शृङ्खों पर प्राप्त करते हैं। अत अधिक आमदनी प्राप्त करने के सोम में यह टीव्र गति से सात प्रसार कर सकते हैं जिसके पश्चात्पन्न देश में मूल्य स्तर में बुढ़ि होने का भय रहता है। भारत में आर्थिक प्रगति के लिए अधिक साम्र की आवश्यकता है इन्हु वह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के महान लक्ष्य “स्थापित्व के साथ विकास” (Growth with Stability) में सफलता के लिए देंडों का सामाजिक नियन्त्रण बहुत आवश्यक है।

(४) सातवा यथोचित वितरण^१—देंडो द्वारा सात विस्तार ही सतरा नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी रकम उधार दी जाय वह टीव्र प्रवार से वितरित होनी चाहिए। इसके लिए निम्ननिवित मापदण्ड निर्धारित दिये जा सकते हैं :

(i) उधार की रकम कुछ बड़े बड़े प्रभावशाली उद्योगपतियों को ही उधार नहीं दी जानी चाहिए।

(ii) देंडो द्वारा उधार देते समय राष्ट्रीय हित वा स्थान रखना चाहिए। भारत में हृषि, सपु उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र प्रायमिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गये हैं। अत इन देंडों को पर्याप्त मात्रा में रकम उधार मिलनी चाहिए।

(iii) शृङ्ख राजनीतिक, असामाजिक, तथा बम महत्वपूर्ण देंडों को नहीं दिये जानि चाहिए।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी देंडों का सामाजिक नियन्त्रण आवश्यक है। सामाजिक नियन्त्रण योजना की विशेषताएँ

गण्डीयवर्ण और सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में काफी विवाद होने के बाद २३ फ़िसावर, १९६७ का भारतीय लोक सभा में एक विरोधक इस्तुत दिया गया। इस विधेयक को विचार के लिए २६ मार्च, १९६८ को प्रबल समिति के सुपुर्द वर दिया गया। प्रबल समिति के याम विधारार्थ ७७४६ स्मरण पत्र, प्रतिवेदन तथा तार आये जिन पर विचार करने के पश्चात् समिति ने ३ मई, १९६८ को अपनी रिपोर्ट इस्तुत वर दी। महरिपोर्ट विवाद १५ फ़िसावर के लिए ६ मई, १९६८ को लोक सभा में रखी गयी। अन्ततोगतवा बहुत विचार-विमर्श के पश्चात् विधेयक पास कर दिया गया। १ फरवरी, १९६९ से सामाजिक नियन्त्रण योजना देंडों पर लागू वर दी गयी। इस योजना की उल्लेखनीय विशेषताएँ निम्ननिवित हैं-

(१) देंडिंग भोति—सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत देंडों से सम्बन्धित सभी कानूनों (रिजिव देंड अधिनियम, देंडिंग नियमन अधिनियम आदि) में संशोधन कर दिये गये। एक संशोधन के अनुसार इन कानूनों में जहाँ भी “जमावत्ताओं के हित में” शब्द ये उनके स्थान पर “देंडिंग नीति के हित में” (In the

interest of banking policy) लिख दिये गये हैं। इस प्रचार मारत मे राष्ट्रीय सरकार द्वारा पहली बार बैंकिंग नीति को महत्व दिया गया।

बैंकिंग नीति मे पांच बातें सम्मिलित की गयीं

- (i) अमार्त्ताओं के हित मुरदित रहने चाहिए।
- (ii) देश मे मौद्रिक स्थापितव बना रहना चाहिए।
- (iii) आर्थिक विकास को बल मिलना चाहिए।
- (iv) साधनों का वितरण प्रायमिक क्षेत्रों मे यथोचित होना चाहिए।
- (v) साधनों का थेप्ट उपयोग होना चाहिए।

बास्तव मे, बैंकिंग नीति मे सामाजिक नियन्त्रण के उद्देश्यों को ही संक्षेप मे दे दिया गया है। इस प्रचार सरकार ने समाज के व्यापक हित को ही सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य माना है।

(२) साख नियोजन (Credit Planning)—यह एक आवश्यकता का सत्य है कि भारत की पहली तीन योजनाओं मे कभी भी यह आवश्यक नहीं मम्भा गया कि आर्थिक नियोजन में साख नियोजन का भी कोई स्थान होता है। सरकार या रिजर्व बैंक ने तीनों मे से दिनों भी योजना काल मे यह जनुमान नहीं लगाया कि देश के उत्पादक क्षेत्रों मे से किस के निए कितनी-कितनी उधार रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अत साख का वितरण प्राय मनमाने ढग से होता रहा। किन्तु सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत मारत सरकार ने एक राष्ट्रीय साख परिषद् (National Credit Council) की नियुक्ति की। इस परिषद् का काम विभिन्न क्षेत्रों मे साख की आवश्यकता का अनुमान लगाकर बैंकों के लिए मार्गदर्शक का काम करना है।

राष्ट्रीय साख परिषद् द्वारा कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रों को प्राय-मिल्कता सेवा घोषित किया गया है। अत बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों मे अधिक रकम विनियोग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(३) आर्थिक सत्ता का विकेन्ड्रीकरण—भारतीय बैंकों पर एक आरोप यह लगाया जाता रहा है कि उनका सचालन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ मे है। इस अधिकार के बन पर ही कुछ उद्योगपति बैंकों की अधिकादा पूँजी अपनी औद्योगिक इकाईयों को दिलाने मे सफल हो जाते थे। इसी से आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण होता जा रहा था। सामाजिक नियन्त्रण योजना मे इस सकेन्द्रण को तोड़ने के निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(i) अध्यक्ष—बैंकों के अध्यक्ष बैंकर ही हो सकते हैं। इमका परिणाम यह हुआ कि जिन बैंकों मे उद्योगपति अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके फलस्वरूप सभी बैंकों मे बैंकर अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गये हैं। इससे उद्योगपतियों का प्रभाव कुछ कम हो गया है।

(ii) सचालक मण्डल—वैकों के सचालक मण्डल में भी प्राय वहे वहे उद्योगपतियों अथवा व्यवसायियों का ही बहुमत रहा वरता था। सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वैकों के सचालक मण्डल में निम्नतिखित क्षेत्रों के प्रति-निधियों का निर्वाचन वरना अनिवार्य कर दिया गया है।

(क) कृषि क्षेत्र के जानवार, (ख) अर्थशास्त्री, (ग) लघु उद्योगों के प्रतिनिधि, (घ) वित्त विशेषज्ञ, (ङ) विधि विशेषज्ञ, (च) ग्रामीण वैकिंग, तथा (द्य) अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो वैकिंग कार्य सचालन में लाभदायक हों।

इस प्रकार वैकों के सचालक मण्डलों में प्राय आन्तिकारी परिवर्तन वर दिये गये हैं और अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित वरने के कारण अब उनमें एक दो व्यवित बहुत प्रभावशाली ढंग से पूँजी लगाने में मनमानी नहीं वर सकते।

(iii) सचालक और उद्योग—भारत में आर्थिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ताधारियों को सत्ता केन्द्रों से दूर से जाया जाय। अतः यह नियम बना दिया गया है कि वैकों का वोई भी सचालक विसी औद्योगिक कम्पनी में १० प्रतिशत से अधिक अपौं का अधिकारी नहीं हो सकता। यह कदम वहे वहे उद्योगपतियों को वैकों के सचालन केन्द्र से दूर ले जाने का प्रयत्न है।

- (iv) सचालक और ऋण—दस से पूँज वर्णित सभी नियमों से अधिक आन्तिकारी नियम यह बनाया गया है कि ऐसे विसी भी फर्म या कम्पनी जो वैक से वोई ऋण नहीं दिया जा सकता जिसमें वैक के किसी सचालक का सम्बन्ध या रचि हो। इसका यह प्रभाव हूँआ कि प्राय सभी वैकों के मचालक मण्डलों से उद्योगपतियों तथा दहेजहे व्यावसायियों ने त्यागपत्र दे दिये हैं क्योंकि उनके सचालक बने रहने पर उनमें सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों को कम नहीं दिये जा सकते, इस सम्बन्ध विच्छेद के पतस्वरूप विसी भी बड़ी औद्यागिक इकाई को सिफारिश या प्रभाव के द्वारा मनमाने दण से रखम प्राप्त करने से बचित कर दिया गया है।

(४) वैकों का अवेक्षण—सामाजिक नियन्त्रण योजना लागू होने से पहले वैकों के अवेक्षक (auditors) अन्य कम्पनियों की भाँति अनधारियों द्वारा ही नियुक्त दिये जाते थे। इस व्यवस्था में यह दोप था कि सचालक मण्डल के प्रभावशाली मद्दय मनमाने फर्मों को अवेक्षक नियुक्त करवा लेते थे और उनसे जच्छी रिपोर्ट प्राप्त कर लेते थे। यदि कोई अवेक्षक फर्म सचालक मण्डल की इच्छा के विरुद्ध रिपोर्ट दता तो अगली बार उसे हटा दिया जा सकता था। इस प्रकार अवेक्षण रिपोर्ट सत्री होने की कोई गारण्टी नहीं थी। सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत अवेक्षकों वी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति तथा मुक्ति रिजर्व वैक की सहमति से ही महेगी। अब अवेक्षक अब शुद्ध एक सही रिपोर्ट देने में नहीं हिचकेंग किसके फलस्वरूप वैकों की क्रियाओं का सच्चा स्वभव जनना के सामने आना रहेगा।

सामाजिक नियन्त्रण योजना में रिजर्व वैक को यह अधिकार भी दिया गया

है जि वह इसी भी बैंक का विशेष अवैक्षण वरदा सतता है। इसमें—यदि कोई बैंक अनुचित वार्य बरता है तो विशेष अवैक्षण से वह प्रकाश में आ जायेगा।

(५) रिजर्व बैंक को नये अधिकार—यदि मामात्रिक नियन्त्रण के इसी नियम को बोई बैंक भग बरेगा तो रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित रखम (जिसकी गठ-बही की गयी है) से दुश्मन दण्ड दिया जा सकता है।

(६) सरकारी स्वामित्व—उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त एक धरमस्या यह की गयी है कि जब भी सरकार उचित या आवश्यक समझेगी वह इसी भी बैंक द्वारा सरकारी स्वामित्व में ले सकेगी। यह घारा इतनी व्यापक है कि बैंकों पर अनुचित वार्य बरने सम्बन्धी रोक लग गयी है। सरकार इसी भी बैंक को विना वारण दिये अपने अधिकार में ले सकेगी, यह अधिकार बैंकों के अनुचित वार्यों पर नीतिक रूपावट का बाम बरेगा।

(७) कर्मचारियों की अनुशासनहोनता—भारत में बैंक कर्मचारियों के बेतन और भत्ते सबसे कम हैं और उनकों कार्यक्षमता प्राप्त बहुत कम है। भारतीय बैंकों में अधिक बतन और भत्ते होने पर भी अनुशासनहोनता अत्यधिक है। मामात्रिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक के अहात में हिसातमन प्रदर्शन बरने या कार्य में स्लापट ढालने पर रोक लगायी गयी है। इस प्रकार के प्रदर्शन बरने वालों को ६ मास की जेल अथवा १००० रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार जहाँ उदागपतियों की आर्थिक क्रियाओं का सीमित बरने की चेष्टा की गयी है, वही कर्मचारियों की अनेकित अथवा अनुचित वार्यवाहियों को भी रोकने का प्रयत्न दिया गया है ताकि जनता का वष्ट न हो।

आलोचना और निष्पत्ति—भारतीय बैंकों पर मामात्रिक नियन्त्रण होना चाहिए इस बारे में विवाद बरता दृढ़ा है क्योंकि नियन्त्रण विना सभी वार्य राष्ट्रहित में होना मन्देहास्त्रद हो रहे गा। अत यही देखना उचित है कि नियन्त्रण पर्याप्त है या नहीं अथवा आवश्यकता से अधिक तो नहीं है। इसका लेखा-बोक्षा करने के लिए मुख्य-मुख्य बातों पर विचार बरना आवश्यक है।

ओचित्य—मामात्रिक नियन्त्रण योजना में बैंकिंग नीति, आर्थिक सत्ता के दिव्यन्दीवरण, वर्तेशन तथा सरकार के अधिकारों सम्बन्धी विवेचन सभी विनुक्तों के साथ ही कर दिया गया है। उनका ओचित्य निष्पत्त ही स्वागत योग्य है किन्तु इसमें कुछ बहिनाईयों उच्चान्द होने की सम्भावना है।

(१) उदागपतियों को बैंकों के योजना भण्डलों से दूर हटाने के प्रत्यन्वद्ध बैंक औद्योगिक एव व्यावसायिक सेवा में दूर हट गये हैं। इससे बैंकों को व्यापार की गाए सम्बन्धी आवश्यकता वा अनुमान लगाने में बहिनाई हो गयी है, दूसरी ओर वह वयों के अनुबन्ध से बचित हो गये हैं। अर्यंशास्त्रों, विधि विजेपक्ष तथा नेतृत्वादों की सदस्यता में मुक्त मचान भण्डल भैदाल्तिक न्यू में मही निर्णय ने मवेंग परन्तु उन निर्णयों का व्यावहारिक क्रमों पर सुन उत्तरना मन्देहृतक ही श्रद्धीत होता है।

इस सम्बन्ध में उचित नीति यह होती कि साख देने सम्बन्धी स्पष्ट नियम बना दिये जाते और उन नियमों के अनुसार ही साख देने की व्यवस्था की जाती। अनुभवी व्यवसायियों को बैंक सचालन से बहुत दूर हटाना व्यावहारिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होने की आशका है।

(ii) अकेशण—दूसरी बातिना यह कि प्रत्येक बार अकेशकों की नियुक्ति में रिजर्व बैंक की सहमति लेनी पड़ेगी। इसमें बहुत समय और शक्ति व्यर्थ नष्ट होने की आशका है। इस सम्बन्ध में उचित काय यह है कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर अकेशकों वी अनुमोदित सूचियाँ प्रकाशित कर दी जाएँ। बैंक अपने प्रदेश या क्षेत्र की सूची में से नम्बरवार अकेशक नियुक्त करते रहेगे। इससे अकेशण व्यवस्था सरल एवं सुविधाजनन हो जायेगी और दबाव से मुक्ति का उद्देश्य भी सिद्ध हो जायेगा।

प्रशिक्षण—बैंकों की सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत ही रिजर्व बैंक एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है। इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि इस संस्थान की बहुत सी शाखाएँ देश भर में स्थापित की जायें जहाँ बैंकों के माध्यम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा सके।

लोक क्षेत्र में बैंकों की स्थिति

[POSITION OF BANKS IN PUBLIC SECTOR]

भारत में २२ बैंक ऐसे हैं जो सरकारी स्वामित्व में हैं। इन बैंकों को ही लोक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। यह बैंक तीन श्रणियों में बंटे जा सकते हैं

(१) स्टेट बैंक आफ इंडिया

(२) स्टेट बैंक के सात सहायक बैंक—इनके नाम निम्नलिखित हैं

(i) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (ii) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, (iii) स्टेट बैंक आफ इन्दौर, (iv) स्टेट बैंक आफ मैसूर, (v) स्टेट बैंक आफ पटियाला, (vi) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, तथा (vii) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर।

(३) राष्ट्रीयकृत चौदह बैंक—जिनके नाम निम्नलिखित हैं

(i) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, (ii) बैंक आफ इंडिया, (iii) पजाब नेशनल बैंक, (iv) बैंक आफ बडोदा, (v) यूनाइटेड कम्पनीयल बैंक, (vi) कनारा बैंक, (vii) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, (viii) देना बैंक (ix) सिडीकेट बैंक, (x) यूनियन बैंक आफ इंडिया (xi) इलाहाबाद बैंक, (xii) इंडियन बैंक, (xiii) बैंक आफ महाराष्ट्र, (xiv) इंडियन ओवरसीज बैंक।

स्टेट बैंक आफ इंडिया

पूँजी तथा कोष—स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थापना जुलाई १९५५ में की गयी। इसके पहल इस बैंक का नाम इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया या जिसकी अश पूँजी रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा खरीद ली गयी। बाद में अश पूँजी का लगभग ८ प्रतिशत भाग पुराने इम्पीरियल बैंक के अशधारियों द्वारा बेच दिया गया।

इस प्रकार वर्तमान में स्टेट बैंक को ६२ प्रांतमत् पूँजी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के स्वाभित्व में है।

स्टेट बैंक की वर्तमान पूँजी ५,६२,५००० रुपये है। इसकी कोप निधि लगभग १५ ६१ करोड़ रुपये है। इस प्रकार स्टेट बैंक के कुल निजी कोप लगभग २१ २४ करोड़ रुपये के तुल्य हैं।

(i) प्रबन्ध—स्टेट बैंक वा केन्द्रीय वार्यालय बम्बई में है। इसका प्रबन्ध एक केन्द्रीय सचालक मण्डल के हाथ में है। स्थापना के समय, स्टेट बैंक के केन्द्रीय सचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या २० रखी गयी थी किन्तु १ दिसम्बर, १९६४ को सचालक मण्डल का गठन निम्नलिखित कर दिया गया

(i) एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति सचालक मण्डल की सिफारिश पर सरकार द्वारा दी जाती है।

(ii) अधिक से अधिक दो प्रबन्ध सचालक (Managing Directors) सरकार की अनुमति से सचालक मण्डल द्वारा नियुक्त जाते हैं।

(iii) प्रत्यक्ष स्थानीय मण्डल का सभापति केन्द्रीय सचालक मण्डल का पदेन सदस्य होता है। वर्तमान में सात स्थानीय मण्डल हैं।

(iv) यदि रिजर्व बैंक को छोड़कर निजी बंगालारियों के पास कुल निर्गमित पूँजी के दस प्रतिशत से बम अवश्य हैं तो वह दो सचालकों की नियुक्ति (या चुनाव) वर सकते। वर्तमान में द प्रतिशत अंशबालियों के पास हैं।

(v) रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार कम से कम दो और अधिक से अधिक छह सचालक नियुक्त कर सकती है। यह सचालक सहबारिता, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग अथवा वित्त सम्बन्धी विशेषज्ञ होने चाहिए।

स्थानीय मण्डल—स्टेट बैंक वा केन्द्रीय वार्यालय बम्बई में है जहाँ से केन्द्रीय सचालक मण्डल बैंक के कार्यों को देश-रेख करता है। इसके अतिरिक्त सात स्थानीय मण्डल हैं जो कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, अहमदाबाद, नयी दिल्ली तथा हैदराबाद में हैं। स्थानीय मण्डलों का गठन निम्न प्रकार होता है :

(i) स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रत्यक्ष स्थानीय सचालक मण्डल के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

(ii) केन्द्रीय सचालक मण्डल के वह मदस्य जो सम्बन्धित स्थानीय मण्डल के क्षेत्र में निवास करते हैं।

(iii) रिजर्व बैंक की सलाह से प्रत्येक स्थानीय मण्डल में छह सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किय जाते हैं।

(iv) प्रत्येक मण्डल के क्षेत्र में निवास करने वाले बंगालारी अपना एक प्रनिनिधि चुन सकते हैं, किन्तु २५ प्रनिशत से कम अवश्य होन पर प्रनिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता।

(v) स्थानीय मण्डल का कोषाध्यक्ष तथा सचिव पदेन सदस्य होता है।

(vi) स्थानीय मण्डल के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष वी सलाह से रिजर्व वैर का गवर्नर सभापति नियुक्त करता है।

स्टेट बैंक के उद्देश्य तथा पूर्ति

स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझाव पर वी गयी थी। इसके उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति का व्यौरा निम्नलिखित है-

(१) बैंकिंग विकास तथा ग्रामीण में शाखाएँ—स्टेट बैंक की स्थापना के समय यह निर्धारित किया गया था कि वह पहले पाँच वर्ष में कम से कम ४०० नयी शाखाएँ खोलेगा। इन शाखाओं में से अधिकतर शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का आदेश दिया गया था। स्टेट बैंक ने इस लक्ष्य की पूर्ति एक मास पहले ही कर ली।

पहला लक्ष्य पूरा करने के बाद भी स्टेट वैर अपनी शाखाओं की सख्त्या में नियमित बृद्धि करता जा रहा है। परिणामस्वरूप १९७० के अत म स्टेट बैंक वी कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर २,१२२ हो गयी। सहायक बैंकों की शाखाओं की संख्या १,१४६ थी। इस प्रकार स्टेट बैंक परिवार की कुल शाखाएँ ३,२७१ थी। इनमें से ८० प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्द्ध नागरिक क्षेत्रों में हैं। इस प्रकार स्टेट बैंक का शाखा विस्तार मुख्यतः ग्रामीण में अधिक हुआ है।

(२) सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बैंक—स्टेट बैंक का दूसरा उद्देश्य भारत में एक शक्तिशाली बैंकिंग संगठन की स्थापना करना था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैर ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इन्डोर वैर आप मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक आप सौराष्ट्र तथा बैंक बॉफ ट्रावनकोर को अपना सहायक बना लिया।^१

इस प्रकार स्टेट बैंक परिवार एक शक्तिशाली संगठन बन गया है जिसकी कुल जमाए लगभग १,५६० करोड रुपये, और १३३० करोड रुपये तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनिवेद ४१० करोड रुपये तक पहुँच गये हैं। इस प्रकार स्टेट बैंक परिवार के साधन देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली के लगभग २८ प्रतिशत हैं। अत स्टेट बैंक एक शक्तिशाली, साधन सम्पन्न संगठन बन गया है।

(३) ग्रामीण साख—स्टेट वैर की स्थापना का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरल तथा उदार झण देना था ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सके। स्टेट बैंक क्षेत्री के लिए उदारतापूर्वक झण दे रहा है। ३१ दिसम्बर १९७० को स्टेट बैंक परिवार द्वारा २८ लाख से अधिक खातों में लगभग १५८ करोड रुपये का झण दिये हुए थे।

१ इन बैंकों के नाम के पहले स्टेट शब्द जोड़ दिया गया।

१९६३ मा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिला स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थापना की गयी।

श्रामीण लघु उद्योगों को ऋण देना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक द्वारा लघु उद्योगों को अत्यन्त उदारतापूर्वक ऋण दिये जा रहे हैं। ३१ दिसम्बर, १९७० तक स्टेट बैंक परिवार द्वारा ७०,००० से अधिक खातों में समग्र १६६ करोड़ रुपये के ऋण दिये हुए थे।

स्टेट बैंक सहकारी संस्थाओं को भी ऋण देता है ताकि यह संस्थाएं विसानों तथा छोटे बारीगरों और छोटे व्यापारियों को ऋण दे सकें। ३१ दिसम्बर, १९७१ तक स्टेट बैंक द्वारा लगभग ३१०० सहकारी संस्थाओं को १७० करोड़ रुपये के ऋण दिये हुए थे।

इस प्रकार स्टेट बैंक का भारतीय वर्ष-व्यवस्था में योगदान तेजी से बढ़ता जा रहा है जो इस बैंक के क्षमतों की सफलता का प्रतीक है।

सहायक बैंक—स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों के उद्देश्य वही हैं जो स्टेट बैंक के हैं। वास्तव म इन बैंकों के लिए विकास योजनाएँ स्टेट बैंक द्वारा ही बनायी जाती हैं और यह बैंक स्टेट बैंक के निदेशन में ही काम करते हैं।

पूँजी तथा कोष—सहायक बैंकों की पूँजी तथा कोष ३१ दिसम्बर, १९७० की समग्र ६ करोड़ रुपये थी। इस वर्ष में इसमें लगभग २ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

प्रबन्ध—प्रत्येक सहायक बैंक ना प्रबन्ध एवं निदेशक मण्डल के द्वारा किया जाता है। स्टेट बैंक का अध्यक्ष ही प्रत्येक सहायक बैंक का पदन अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त निदेशक मण्डल में ५ सदस्य स्टेट बैंक, १ सदस्य रिजर्व बैंक तथा १ सदस्य केन्द्रीय सरकार, द्वारा मनोनीत किय जाते हैं। ये पांच सदस्य निजी अमायारियों द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार स्टेट बैंक के सहायक बैंकों में १० व्यक्तियों का निदेशक मण्डल होता है।

सहायक बैंक सभी प्रकार के लेन-देन के लिए स्टेट बैंक के प्रतिनिधि होते हैं।

प्रगति—सहायक बैंक स्टेट बैंक परिवार के सदस्य १६६०-६१ में बने। दस वर्षों के बाल में उन बैंकों ने ७६८ नयों शाखाएँ खोली हैं और ३१ दिसम्बर, १९७० को उनकी शाखाओं की संख्या १,१४६ तक पहुँच गयी है।

३१ दिसम्बर, १९७० को सहायक बैंकों की जमा ए ३८७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थीं और ऋणों की राशि ३०३ करोड़ रुपये के तुल्य थी। इसी तिथि को सहायक बैंकों द्वारा बैंकों के लिए ३६ करोड़ रुपया, लघु उद्योगों के लिए ४५ करोड़ रुपया तथा सहकारी संस्थाओं के लिए २७ करोड़ रुपया उधार दिया दूआ था।

सहकारी बैंक स्टेट बैंक की छविद्धाया और मार्गदर्शन में बाम करते हुए भी स्वतंत्र हैं। यह एवं बड़े परिवार के शक्तिशाली घटक हैं और देश के आर्द्ध विकास में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक

१६ जुलाई, १९६६ को भारत के चौदह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। इन बैंकों के नाम निम्नलिखित हैं—

(i) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (ii) बैंक ऑफ इंडिया, (iii) पंजाब नेशनल बैंक, (iv) बैंक ऑफ बड़ोदा, (v) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, (vi) कनारा बैंक, (vii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, (viii) देना बैंक, (ix) सिंहीबेट बैंक, (x) मूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (xi) इलाहाबाद बैंक, (xii) इंडियन बैंक, (xiii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, (xiv) इंडियन ओवरसीज बैंक।

इन बैंकों में से प्रत्येक वी जमाएँ ५० करोड़ रुपये से अधिक थी।

पूँजी तथा कोष—चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूँजी और कोष मिलाकर ६७ २० करोड़ रुपये थी। सरकार ने सारी पूँजी स्वयं खरीद ली और इसके बदले ६७ ५ करोड़ रुपये क्षति पूति देने का निश्चय किया।

प्रबन्ध व्यवस्था—प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का एक परिरक्षक (Custodian) नियुक्त वर दिया गया है। यह परिरक्षक ही बैंक का अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी है।

प्रत्यक्ष बैंक के पुराने सचालक मण्डल वो भग कर दिया गया और नये सचालक मण्डल नियुक्त किये गये जिनमें अधिकतर सरकारी अधिकारियों या राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया गया है।

इन बैंकों के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नयी स्थिति में भी काम करने दिया गया तथा इन्हे भारतीय दड़ विधान के नवें अध्याय के अनुसार सरकारी कर्मचारी मान लिया गया।

उद्देश्य और सफलताएँ—भारत में चौदह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया उनकी सफलताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) सत्ता के सेनेट्रण का अत—चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला उद्देश्य यह था कि इन बैंकों में अधिकार रखने से कुछ इने जिने पूँजीपतियों के हाथ में आधिक सत्ता का सेनेट्रण हो रहा है, इसका अत होना चाहिए। बैंकों के सचालक मण्डलों में से पूँजीपतियों के हट जाने से इस उद्देश्य की पूति हो गयी है, किन्तु सत्ता वा सेनेट्रण पूँजीपतियों के हाथ से निकल कर राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों के हाथ में चला गया है। यह स्थिति भी अच्छी नहीं वही जा सकती क्योंकि सत्ता वा सेनेट्रण किसी भी वर्ग के हाथ में जाना लोक-कल्याण में बाधक होता है।

(२) ग्रामोण बैंकिंग का विकास—बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एवं उद्देश्य यह था कि सरकारी स्वामित्व में आने के पश्चात् बैंक ग्रामों में अधिक से अधिक शाखाएँ खोलेंगे जिससे नये क्षेत्रों में तेजी से बैंकिंग वा विकास होगा। इससे बैंकों की जमारकम में भी वृद्धि होगी।

चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की शास्त्राओं में लेज़ी से विस्तार का एक अभूतपूर्व बातावरण बना है। जून १९६६ से अप्रैल, १९७१ तक भारत में कुल ३४१६ नयी शास्त्राएं खोली गयी हैं जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद प्रति मास १५५ नयी बैंकिंग शास्त्राएं खुली हैं। इस सफलता का अनुमान तुलनात्मक अड्डों से लगाना अधिक उचित होगा। राष्ट्रीयकरण से पहले नौ बर्पों में भारतीय बैंकों की ३,२५८ नयी शास्त्राएं खोली गयीं जिनकी अधिक औमत केवल ३६२ होती है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों के शास्त्रा विस्तार की गति अत्यधिक तीव्र हुई है।

विन्तु शास्त्रा विस्तार से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जून, १९६६ और अप्रैल, १९७१ के बीच जो ३,४१६ नयी शास्त्राएं खोली गयी उनमें से २,२३५ शास्त्राएं ग्रामीण केन्द्रों में, ६३३ शास्त्राएं अद्व-नागरिक केन्द्रों में तथा शेष २५९ नगरों में खोली गयी हैं। इस प्रकार नयी शास्त्राओं में ले लगभग ६५ प्रतिशत ग्रामों में और २८ प्रतिशत इस्को में स्थापित की गयी हैं। इसमें स्पष्ट है कि ग्रामों में शास्त्रा विस्तार के लक्ष्य में काफ़ी अधिक सफलता मिली है।

— तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शास्त्रा विस्तार का मुख्य उद्देश्य ग्रामों में वैजिग भी मुद्रिधा देवर ग्रामीणों वी बचत संघर्ष बरना होना है। इस लक्ष्य में नयी शास्त्राओं को बहुत कम भक्तता मिली है। रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े प्रकाशित किये हैं उनके अनुसार सितम्बर, १९७० तक नयी शास्त्राओं (जिनके संख्या उस तिथि तक २,८७८ थी) को केवल ७६ करोड़ रुपये की जमाएं मिल जाती हैं। इन प्रकार प्रति शास्त्रा औमत जमाएं लगभग २.३ लाख रुपये हैं। यह राशि साधारण ही कही जा सकती है, अब्द्धो नहीं।

(३) हृषि के लिए धन—भारतीय बैंकों पर प्राय यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह खेती के विकास के लिए धन नहीं देन। चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वह खेती के विकास के लिए अधिक उधार दे सकें।

राष्ट्रीयकरण बैंकों ने खेती के लिए ऋण देने में जो कार्य किया है वह भी मराहनीय कहा जा सकता है। इसका अनुमान इस तथ्य से लग सकता है कि दिसम्बर, १९७० तक राष्ट्रीयकरण बैंकों द्वारा खेती के लिए उधार दो गयी रकम की राशि १६.३ करोड़ रुपये थी। इस राशि में स्टेट बैंक द्वारा दी गई रकम सम्मिलित नहीं है।

बैंकों द्वारा खेती के विकास के लिए जो ऋण दिये जा रहे हैं उनकी बहुली वा विदेशी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि सहकारी बैंकों द्वारा खेती के विकास के लिए जो ऋण दिये गये हैं उनकी नियमित बहुली करना बहुत कठिन हो गया है।

(४) लघु उद्योगों को सहायता—भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि वह कम पूँजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिनाने में

समर्थ होते हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयकृत वैरों से यह आशा की गयी जिंलघु उद्योगों को अधिक मात्रा में उदारतापूर्वक झण दे सकेंगे। राष्ट्रीयकृत वैक जुलाई, १९६६ से पहले भी साल, गारन्टी योजना के अन्तर्गत झण दे रहे थे जिन्हे राष्ट्रीयकृत वाद इन झणों की रखम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। १९७० के अन्त में राष्ट्रीयकृत वैकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये झणों की रखम २६५ करोड़ रुपये तक बढ़ गयी थी। यह प्रगति निश्चय ही सफलता की प्रतीक है।

(५) सामान्य व्यवित की सहायता—राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह था कि चौदह वैरों द्वारा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल नागरिकों, छोटे व्यापारियों, रिक्षा, ताँग चलाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य साधारण स्थिति के नागरिकों को उत्तादक वार्यों के लिए उचित व्याज पर उधार दिया जा सकेगा। राष्ट्रीयकृत वैरों ने इस दिशा में तेजी से कार्य किया है। १९७० के अन्त में विभिन्न वर्गों के सामान्य व्यक्तियों को दिये गये झणों की रखम १०० करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इन वर्गों में रिक्षा, टैम्पो आदि चलाने वाले तथा छोटे व्यापारी सम्मिलित हैं।

(६) कुशल तथा विस्तृत सेवा—राष्ट्रीयकृत वैरों का एक उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले ग्राहकों को रकम जमा रुने, उधार देने, भुगतान करने आदि के विलिप्ति में थ्रेष्ठनम सेवाएँ प्रदान करना है। इस दिशा में वैरों ने नवीनतीय योजनाएँ प्रकाशित की हैं और जमा करने तथा उधार देने की थ्रेष्ठ योजनाएँ लागू की हैं किन्तु यह सामान्य गिरावट है कि वैरों की सेवा के स्तर में गिरावट आ गयी है। इस स्थिति को उचित नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रीयकृत वैरों की समस्याएँ तथा समाधान

चौदह राष्ट्रीयकृत वैरों में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) राजनीतिज्ञों का प्रभाव—लोक सेना की एक भारी कमज़ोरी यह है कि उसमें राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व बह जाता है। यह दोनों वर्ग जहाँ भी मिल जाते हैं वहाँ प्राय भ्रष्टाचार, घसेलोरी तथा डिलाई आ जाती है। राष्ट्रीयकृत वैरों में सत्तापारी दल के राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है जिससे झण देने तथा शाखा विस्तार में पक्षपात तथा अनुचित कार्य होने लगे हैं। सरकार को चाहिए कि वैरों की नीति तथा कार्यप्रणाली में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं होने दे।

(२) नौकरशाही के दोष—राजनीतिज्ञों के कलुपित हस्तक्षेप के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत वैरों में सरकारी अधिकारियों का प्रभाव भी बढ़ गया है। जिस सम्प्रयाम में भी कोई सरकारी अधिकारी उच्च पद पर या प्रबन्धक मण्डल में नियुक्त बर दिया जाता है उसमें नाल पीताशाही और कांगड़ी कार्यवाही बढ़ जाती है। राष्ट्रीयकृत वैरों में बढ़ती हुई अकुशलता तथा अनुचित नीतियों नीकरशाही तथा राजनीतिज्ञों की मिली-जुली भगत ना ही परिणाम है।

(३) भ्रष्टाचार—अनेक बैंकों में कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हो गये हैं जो क्षण दिलाने का काम करते हैं, क्षणों की गारंटी बरते हैं या क्षण सम्बन्धी कागजी कार्यवाही पूरी कर देते हैं तथा एक निश्चित दर पर कमीशन या फीस ले लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयहृत बैंकों का लाभ जनता को प्राप्त करने वाला एक भ्रष्ट वर्ग उत्पन्न हो गया है जो नियमित घन्ते के रूप में क्षण दिलाने या ट्रैक्टर, पम्पग मैट आदि की उपलब्धि कराने में सहायक होता है।

इम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्षण देने की कियाओं को सख्त बनाना चाहिए, बागबी कार्यवाही तथा औरचारिताओं को कम बरना चाहिए और वैकिंग मुविधाओं का अधिक मे अविक प्रचार करना चाहिए।

(४) क्षेत्रीय सभींता—कुछ राज्यों में यह माँग आनी आरम्भ हो गयो है कि उनके क्षेत्र में स्थानिन हुए बैंकों की रकमे उनके क्षेत्र के विभास में लगायी जानी चाहिए। तथा उन बैंकों के प्रबन्धक मण्डल में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इम प्रकार वी प्राइवेट सभींता से देश का अधिक सन्तुलन और अधिक विकास जायेगा और योजनाओं के सक्ष पूरे करने में बढ़िनाई होगी।

भारन सरकार को प्राइवेट सभींता के आधार पर कोई नियंत्र नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसा बरना देग भी भावनात्मक एस्ना के भी बिरोत होगा।

(५) सेवा स्तर में गिरावट—राष्ट्रीयहृत बैंकों के सेवा स्तर में गिरावट आने की गिरावट भी निरन्तर बढ़ रही है। सरकार द्वारा नेत्राओं का स्तर बनाये रखने तथा उपर्युक्त सुगार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जान चाहिए।

(६) बड़ा हुआ व्यय और कम लाभ—बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसी न किसी बैंक में कर्मचारियों या अधिकारियों का आनंदोनन निरन्तर होता रहा है। यह आनंदोनन बेतन में बढ़ि या सेवा शर्तों में सुधार के लिए हो रहे हैं। अन बैंकों में मूल्यों में निरन्तर बढ़ि हुई है अन बेतन बढ़ि की माँग वी अनुचित नहीं कहा जा सकता। अन बैंकों के व्यय में निरन्तर बढ़ि हो रही है। एक और तो बैंकों की अधिकांश नयी जागाएं नामदारी नहीं है, दूसरी और कर्मचारियों के पारिवारिक में दो बार बढ़ि भी जा चुकी है। इसीलिए १९७० में भारत सरकार वी इन बौद्ध बैंकों से शुद्ध लाभ के रूप में लगभग ४ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। सरकार के द्वारा ८७.५ बरोड रुपये की क्षति-पूति दी गयी है। इस प्रकार बैंकों से सरकार को प्रतिशत लाभान्व भी प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार वी सर्व कम करने की दिना में निम्नलिखित काम बरने चाहिए।

(i) बौद्ध बैंकों को बिलाकर कुल तीन या चार बैंक स्थापित कर देने चाहिए। इसमें प्रबन्ध व्यवस्था का व्यय कम हो सकेगा।

(ii) अधिकांश भत्ता (overtime allowance) समाज निया जाना चाहिए। इसके बदले में कर्मचारियों वी कुछ बेतन बढ़ि की जा सकती है। अधि-

समय भत्ता बन्द करने के साथ ही प्रत्येक वैक वर्मचारी को अपनी खिड़की पर बिए गये व्यवसाय वे लिए पूर्णत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वैकों की शास्त्राओं का A, B या C में वर्गीकरण किया जा सकता है और अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को A या B शास्त्र में भेजा जा सकता है। शास्त्राओं का वर्गीकरण नाम के भार के अनुसार किया जाना चाहिए।

(iii) बड़े बड़े नगरों में जहाँ एक ही सड़क या मोहल्ले में कई कई वैकों की शास्त्राएँ हैं उनमें से कुछ वो बन्द कर देना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों की अनुचित सत्त्वा को कुछ कम किया जा सकता है।

(iv) वैकों की नियुक्ति प्रणाली में भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि थेप्टम व्यक्तियों वो ही वैकिंग सेवाओं में नियुक्त किया जा सके।

भविष्य—भारत में चौदह वैकों का राष्ट्रीयकरण देश में समाजवाद लाने की दृष्टि से उठाया गया कदम है। नयी प्रवृत्तियों के अनुसार १६७१ वे अन्त तक वैकों की शास्त्राओं की सत्त्वा १३,००० तक पहुँच जाने की आशा है। ऐसी तथा लघु उच्चोगों के वास्ते शृण मी तेजी से दिये जा रहे हैं। इस गतिशीलता की प्राप्ति के लिए ही वैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किन्तु तेजी से शास्त्राओं और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लगभग उसी तेजी से कुशलता में गिरावट आ रही है। इस प्रवृत्ति को बहुत सत्त्वी से रखने की आवश्यकता है अन्यथा राष्ट्रीयकरण का यथोचित लाभ नहीं मिल सकेगा और उत्पादन तथा विकास के विभिन्न क्षेत्र सन्तुति रूप में उपनिनीती कर सकेंगे। अतः इस प्रवृत्ति वो समय रहते ही नियन्त्रित बरना बहुत आवश्यक है।

अन्यास प्रदर्शन

१. वैकिंग व्यवसाय किस प्रकार अन्य व्यवसायों के भिन्न है? इन व्यवसाय को लोक क्षेत्र में रखना क्यों आवश्यक है?
२. वैकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष का विवेचन कीजिए। क्या राष्ट्रीयकरण किये बिना वैकिंग सेवाएँ देश हित के अनुकूल नहीं बनायी जा सकतीं?
३. भारत में वैकों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या उद्देश्य थे? इन उद्देश्यों में कहाँ तब सफलता मिली है।
४. सामाजिक नियन्त्रण और राष्ट्रीयकरण में क्या अन्तर है? क्या वैकों पर सामाजिक नियन्त्रण देश की आधिक नीतियों की सफलता में सहायक नहीं हुआ?
५. स्टेट वैक के उद्देश्य और उसकी सफलताओं पर प्रकाश ढालिए।
६. भारत में लोक क्षेत्रीय वैकिंग की समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान के लिए मुझबाब दीजिए।
७. भारत में “लोक क्षेत्रीय वैक” पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लितिए।

लोक क्षेत्र का आर्थिक विकास में योग

(ROLE OF PUBLIC SECTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT)

भारत में लोक क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास में अगमन सहाय्यपूर्ण योगदान दिया गया है। इसका अनुमान निम्ननिमित्त तथ्यों से लग सकता है-

(१) साज सज्जा का विकास—आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुविधा महके, रेने, नहरे, जल पूर्ति, बिजली आदि की होनी है जिनके प्रिया उद्योगों की उन्नति सम्भव नहीं है। बड़ापार का विकास भी नहीं हो सकता।

योजना काल में लगभग ६००० किलोमीटर लम्बी नदी रेल लाइनें ढाली गयी हैं तथा लगभग इतनी ही लम्बी लाइनों को ढोड़ा किया गया है। इन योजनाओं पर लगभग ४००० करोड़ रुपया खर्च किया गया है। चतुर्थ योजना में रेलों के विकास के लिए १५२५ करोड़ रुपये की खर्चस्था की गयी है।

सड़कों की सम्बाइ—भी इसी अवधि में लगभग ४ लाख किलोमीटर से बढ़ कर १० लाख किलोमीटर हो गयी है। इसमें लगभग एक तिहाई पक्की सड़कें हैं।

१६५०-५१ में कुल २०२६ करोड़ हेक्टेकर भूमि में तिहाई की सुविधा थी जो बड़कर लगभग ४ करोड़ हेक्टेकर हो गयी है। इस सुविधा के बारण ही पश्चात्, हरियाणा तथा अन्य भागों में ही हरित कालि सम्बद्ध हो गई है।

बिजली की पूर्ति में भी बहुत तेजी से बढ़ि हो गई है। १६५१ में केवल ६०० करोड़ किलोवट घण्टे बिजली उत्पन्न की जाती थी जिसकी मात्रा बढ़कर लगभग ४२०० करोड़ किलोवाट घण्टे हो गयी है। देश के लगभग ७५००० याम बिजली के प्रकाश से चारपाँच उड़े हैं। बिजली की पूर्ति में बढ़ि होने से भी गिरावट के साथना तथा औद्योगिक विकास पर बहुत सहायता दिनी है।

(२) इष्ट—गोक्षेत्र द्वारा इष्टि माध्यम के विकास के लिए अत्यधिक प्रयत्न किये गये हैं। १६५१-५२ में देश में कुल २७००० टन रामायनिक खाद उत्पादन की जाना थी जिसकी मात्रा १६६६ ट० में लगभग १० लाख टन हो गयी। इसी प्रकार दुर्बल रेल उपयोग ही योजना काल में आरम्भ किया गया। गिरावट की सुविधाओं का विस्तार किया (जिम्मा व्योग करने आ गया है)। अनाज वा उत्पादन ५ करोड़ टन से बढ़कर १० करोड़ टन हो गया है तथा पट्टन, कपास एवं अन्य चम्पुओं के उत्पादन में भी आगामी वृद्धि हुई है। इस मारी भाजता के पीछे लोक क्षेत्र का विशेष सहयोग रहा है।

वास्तव में लोक क्षेत्र के प्रोत्साहन तथा सक्रिय महायोग विना इच्छि के निको भी क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं था।

(३) उद्योग—लोक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उद्योगों के क्षेत्र में है जिसमें इसकी ४३०० लारोड रुपये से अधिक की पैंजी नियोजित हुई है। उद्योगों के क्षेत्र में अनेकानेक नये उद्योगों की स्थापना और विस्तार किया गया है। पिछले एक अध्याय में उनका विस्तृत व्योरा दिया जा चुका है। यहाँ बेवल इतना सिखना पर्याप्त है कि लोक क्षेत्र के द्वारा ही इस्पात, भारी इंजीनियरी, रसायन विज्ञान के मामान, रेल के डिव्हें तथा इंजेन बनाने, खाद, जलनाशक पदार्थ, खनिज तेल आदि अनेक उद्योगों की स्थापना की गयी है। इन उद्योगों से उत्पन्न माल की सहायता से निजी क्षेत्र में अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी इकाईयाँ स्थापित की गयी हैं जिनसे देश में औद्योगिक विकास का वातावरण तयार हो गया है।

(४) बैंकिंग—लोक क्षेत्र के २२ ब्यापारिक बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग, नियंत्रित तथा व्यापार के विकास के लिए उदारतापूर्वक कृष्ण देने आरम्भ बर दिये हैं। १९७० के अंत में इन बैंकों द्वारा सेती के विकास के लिए लगभग ३५५ लारोड रुपये तथा लघु उद्योगों के लिए लगभग ५६० लारोड रुपये की रकमे उधार दी हुई थीं। इस आर्थिक सहायता से सेती के विकास तथा लघु उद्योगों के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

(५) वित्तीय संस्थाएँ—लोक क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं :

- (i) कृषि पुनर्वित्त निगम
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास निगम
- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
- (iv) राज्य वित्त निगम (सब राज्यों में एक एक)

इन संस्थाओं द्वारा कृषि तथा उद्योगों के लिए मध्यम तथा दीर्घालौन सहायता देकर इन क्षेत्रों में नयी-नयी योजनाओं को वार्यान्वित करने में सहायता की है।

(६) विकास का वातावरण—लोक क्षेत्र के प्रयत्नों से देश में अनेक प्रयोग-शालाएँ तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई है। हृषि अनुसन्धान परिषद्, औद्योगिक विकास निगम, कोयला विकास निगम, लगभग ५० नये विश्वविद्यालय, ६ हृषि विश्वविद्यालय, अनेक वालिज तथा शिक्षण संस्थाएँ लोक क्षेत्र के प्रोत्साहन से ही स्थापित हो चकी हैं। विकास तथा स्वास्थ्य का मूल बहुत ऊँचा उठा है। इन सब सुविधाओं की वृद्धि से देश में विकास के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह स्वयं में ही एक उगलालिक रही जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न

१. लोक क्षेत्र का भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है? स्पष्ट विवेचन कीजिए।